राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 50वां दिवस [संख्या 35

शुक्रवार, दिनांक 6 अप्रेल, 1973

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सहकारिता, राजस्व, खनिज, विद्युत्, सिंचाई, आयुर्वेद, पंचायत, यातायात, वन, देवस्थान, सामुदायिक विकास, एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

श्रीमती निर्मला कुमारी।

जल विद्युत् केन्द्र

1002. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान में वर्तमान जल विद्युत् केन्द्रों के अतिरिक्त और भी कोई जल विद्युत् केन्द्र बन सकते हैं ? यदि हां तो सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी हां। माही व इसकी सहायक नदियां पर जल विद्युत केन्द्र बन सकते हैं। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा कौनसा है ?

श्री हरिदेव जोशी : उसकी सहायक नदी है बनास। माही पर एक और बांध बांधने की बात है। माही बनास में गिरती है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : जवास सागर।

श्री हरिदेव जोशी : उस पर तो बन गया।

श्रीमती निर्मला कुमारी : उसका विस्तार करने के लिये ?

श्री हरिदेव जोशी : उसकी कोई गुन्जाइश नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माही पर जो विचार है। तो गुजरात के साथ क्या रेश्यो होगा इस पर भी विचार किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : गुजरात का माही में शेयर नहीं है। हमारे रिसोर्सेज को देख कर हमको करना है। माननीय सदस्यों को पता होगा कि कड़ाना बांध की हाइट को

Page No.2

(श्री हरिदेव जोशी)
कम करने के लिये यह प्रोपोजल दिये थे कि हम पॉवर को फोर गो कर दें और आप कडाना डेम की ऊंचाई कम कर दें।

श्री केदार नाथ : टीक डेम पर जो पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं.......

श्री हरिदेव जोशी : ऑफ हैंड मैं नहीं कह सकता।

प्रश्न संख्या 1003

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 1004

श्री मालाराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सांवरमल मोर।

सरपंच दिसनाऊ के विरुद्ध मामले

1005. श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि श्री खड़गसिंह सरपंच, पंचायत दिसनाऊ, पंचायत समिति फतहपुर, सीकर के खिलाफ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, फतेहपुर (सीकर) की अदालत में धारा 468, 467,471;409, 420 व 211 व 182 आई. पी. सी. केस चल रहे हैं तथा जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि राज्य सरकार के पास पेश की जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त सरपंच अभी तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया तथा इस पर अब क्या कार्यवाही हो रही है ? पूरे विवरण के सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच के विरुद्ध 22521 तथा 22501 की राशि के फर्जी जमा खर्च के मामले भी साबित हो चुके हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :(1) जी हां, श्री खड़गसिंह के विरुद्ध 420, 468, 471, 181 आई. पी. सी के अन्तर्गत मुकदमा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के यहां चल रहा है। सरपंच को इससे पूर्व भी निलम्बित किया जा चुका है। पूर्ण विवरण संलग्न है।

(2) जी हां, जांच अधिकारी ने इन दोनों राशियों के जमा खर्च को फर्जी माना है। सरपंच को इस पर निलम्बित भी किया जा चुका है और उससे स्पष्टीकरण भी लिया जा चुका है। मामला अभी विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ठ 1 देखिये)

राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव फाईनेन्स हाऊसिंग सोसायटी, जयपुर के उपाध्यक्ष के विरुद्ध मामले

1006. श्री निरञ्जननाथ आचार्य (मावली) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री गणेशीलाल सोल्हवा राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव फाईनेन्स हाऊसिंग सोसायटी, जयपुर के उपाध्यक्ष हैं ? यदि हां, तो कब से ?

Page No.3

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध गबन एवं फर्जी रेकार्ड बनाने के मुकद्दमात मुन्सिफ मजिस्ट्रेट राजसमंद में चल रहे हैं ? यदि हां, तो कब से और किस संस्था से सम्बन्धित हैं ? कृपया प्रत्येक मुकद्दमें का पूरा ब्योरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि गणेशीलाल सोल्हवा हरियाणा के निवासी हैं जो नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष मनोनीत नहीं किये जा सकते हैं ?

राज्यमन्त्री सहकारिता (श्री जुझारसिंह) : (1) श्री गणेशीलाल सोल्हवा नाम से कोई व्यक्ति राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव हाऊसिंग फाईनेन्स सोसायटी लि., जयपुर के उपाध्यक्ष पद पर नहीं हैं। श्री गणेशीलाल मास्टर जनवरी, 1971 से उपाध्यक्ष हैं।

(2), (3) श्री गणेशीलाल मास्टर के विषय में वांछित सूचना प्राप्त की जा रही है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : गणेशी लाल मास्टर से ही मेरा मतलब है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं आप तथ्य पर आ गये। यह तीसरा हरियाणा का निवासी राजस्थान में रह सकता है इसकी भी क्या जानकारी की जा रही है ?

श्री जुझारसिंह : इसकी जानकारी की जा रही है कि हरियाणा का निवासी नियमों के माफिक रह सकता है या नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दो जानकारी चाही जा रही है। एक तो अपराधी। गबन आदि के आरोप हैं। दूसरी; नियमानुसार वह उपाध्यक्ष रह सकता है। आप किस अधिकारी की नियुक्ति करके जांच करायेंगे ? अधिकारी आपके स्तर का हो।

श्री जुझारसिंह : इसके बारे में जांच कराई जावेगी कि हरियाणा का निवासी है, और नियमों के अनुसार रह सकता है क्या ? गबन वगैरह के चार्जेज फर्मायें तो को-ऑपरेटिव सोसायटी से तो सम्बन्धित नहीं है, दूसरों से है, जांच करायेंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : व्यक्ति कैसा है इसकी जानकारी मिल जावेगी और सोसायटी पर कैसा व्यक्तित्व उभरता है यह भी जानकारी हो जावेगी।

श्री जुझारसिंह : जांच करा ली जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान सहाय।

ग्राम साहीवाड़ा में डॉक्टर की नियुक्ति

1007. श्री हनुमानसहाय (बेराठ) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बेराठ तहसील के ग्राम साहीवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सभी भवन (क्वार्टर) एवं डिस्पेन्सरी भवन सरकार द्वारा बनाये हुए हैं ? यदि हां, तो किस वर्ष में मकानात बने ?

(श्री हनुमान सहाय)

(2) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकार द्वारा बन्द कर डिस्पेन्सरी बना दी और डिस्पेन्सरी के पश्चात् डॉक्टर का पद भी समाप्त कर दिया गया ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(3) क्या सरकार यहां, पुनः डॉक्टर की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां । सन् 1961 में ।

(2) जी हां । डॉक्टर के पद के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है ।

(3) जांच पड़ताल के पश्चात् नियुक्ति करना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न संख्या 1008

श्री अध्यक्ष : श्री जवाहरमल जाट ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जेठमल आर्य ।

ग्राम दानबाव के पास संगमरमर की खानों की खोज

1009. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आबूरोड़ तहसील में दानबाव ग्राम के पास श्री जितेन्द्र भाई डी. त्रिवेदी को संगमरमर की लीज पांच वर्ष के लिये (याने 1964 से 1969 तक के लिये) दी गई थी तथा तथा डेडरेन्ट की दर राजस्थान की सभी खानों से ऊंची दर पर लगाई थी ? यदि हां, तो 1969 के बाद नवीनीकरण करते समय डेडरेन्ट दुगना क्यों कर दिया ?

(2) क्या यह सही है कि नये डेडरेन्ट को पार्टी ने स्वीकार नहीं किया और काम बन्द कर दिया जिससे लगभग 60 मजदूरों को घर बैठना पड़ा ? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री जितेन्द्र-भाई डी. त्रिवेदी ने 1969 के बाद जिस नवीनीकरण हेतु 3764 रुपये भरे जिसे विभाग ने उन्हें यह राशि वापिस नहीं लौटाई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की भूमि में बहुत अधिक संगमरमर है ? यदि हां, तो सरकार इसका सर्वे करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्यमंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां, यह सत्य है कि पांच वर्ष की अवधि के लिये संगमरमर की लीज 3764 रुपये वार्षिक डेडरेन्ट पर स्वीकार की गई थी और नवीनीकरण के समय मूल अवधि के डेडरेन्ट से दुगुना डेडरेन्ट तक निश्चित करना राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1959 के नियम 16 (ब) के अनुकूल है ।

(2) पार्टी ने नये डेडरेन्ट को स्वीकार नहीं किया । काम तब स्वतः ही बन्द करना पड़ा । मजदूरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(श्री जुझारसिंह)

(3) जमा हुई राशि की वापसी का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि क्षेत्र पर पार्टी का कब्जा दिनांक 6-7-69 से 15-11-70 तक रहा।

(4) सिरोही जिले में बेस मेटल के के लिये जो अधिक उपयोगी खनिज था उसका सर्वेक्षण हो रहा है। उसके पश्चात् ही इस पर विचार हो सकेगा।

श्री केसरीमल : क्या राजस्थान में ऐसी खानें हैं जहां संगमरमर निकला है और क्या सरकार उनको अपने पजेशन में लेकर चलायेगी ?

श्री जुझारसिंह : प्रश्न समझ में नहीं आया। आप दुबारा रिपीट कर दीजिये।

श्री केसरी मल : जिन खानों का जिक्र किया गया है क्या राज्य सरकार उनको अपने हाथ में लेकर चलायेगी ?

श्री जुझारसिंह : हजारों की तादाद में खाने हैं। यह तो छोटीसी खान है। किसी कारण से डेडरेन्ट बढ़ाया गया। एक साल से बन्द कर दिया। प्रश्न कर्ता ने पूछा कि रकम एक साल से जमा है। वापिस नहीं लौटायी। मैंने कहा कि वापिस लौटाने का प्रश्न नहीं है क्योंकि उनका कब्जा रहा।

श्री केसरीमल : मेरा निवेदन यह है कि माल निकल रहा है और अब बन्द है। सरकार चलाये तो मजदूरों को मजदूरी मिले।

श्री जुझारसिंह : राज्य सरकार इतनी छोटीसी खान को हाथ में नहीं लेना चाहती जो दूसरा लीज होल्डर लेना चाहेगा तो उसको देंगे।

श्री जेठमल आर्य : यह खान बड़ी खान थी। मजदूरों को मजदूरी मिल रही थी। इसको बन्द कर दिया। इसलिये वे लोग बेकार हो गये। वापिस उनको करवायेंगे ?

श्री जुझारसिंह : रिन्यूअल के टाइम तक डेड रेन्ट डबल किया जा सकता है। उन पर ज्यादा लोड नहीं किया है। पार्टी नहीं चलाना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

आयुर्वेद रसायनशाला अजमेर का ऑडिट

1010. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या आयुर्वेद विभाग की अजमेर रसायनशाला के हिसाब का फरवरी, 1973 में ऑडिट करवाया गया है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट में डाइरेक्टर ने बाजार दरों से तीन तीन गुना ऊंची कीमतों का भुगतान किया गया है व गम्भीर अनियमितताएं व भ्रष्टाचार पाया गया है ?

(3) यदि हां, तो सम्बधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

आयुर्वेद मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, यह ऑडिट रिपोर्ट की प्रति जो यहां रखी गई है उसमें सरकार ने स्वयं ने यह महसूस किया है और माना है कि यह जो रसायनशाला में क्रय विक्रय हुआ है अनियमित है। ऐसी स्थिति में निश्चितरूप से हम यह जानना चाहते हैं कि इन अनियमितताओं के लिये कौन दोषी पाये गये हैं और उनको सरकार ने क्या सजा दी है और अगर नहीं दी है तो क्यों ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन करूं कि जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें आठ नौ इस प्रकार के ऑब्जेक्शन्स हैं जो वाकई गम्भीर हैं। इस विषय में एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने पहले से ही कागजात ले लिये हैं। टेण्डरों के कागज भी कब्जे में ले लिये हैं।

विभागीय जांच भी इसकी हम करने जा रहे हैं। एक बात निवेदन कर दूं कि जिस वक्त में डिमाण्ड के समय यह बात चली थी तब भी मैंने इस हाउस को आश्वासन दिया था कि इस विषय में एक हाई पावर कमेटी बनाकर रसायनशालाओं में किस प्रकार से खरीद होती है और क्या पद्धति चालू है और क्या उसमें डिफेक्ट है इन सबको देखकर ठीक नियमों में लिया जाय इस प्रकार की व्यवस्था की जावेगी।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा और जो सूची आपने सदन की मेज पर रखी और कहा गया कि रसायनशालाओं में परचेज के लिये एक समिति का गठन कर दिया गया था। उस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। और नम्बर 2 में कहा कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है उसमें अनियमितता का होना स्वीकार किया है परचेजेज में। आपके ये दो विरोधी उत्तर हैं। परचेज कमेटी की मीटिंग नहीं हुई और परचेज हो गई। अब हो गई तो कैसे हुई यह ? इसमें अगर अनियमितता हुई तो उस कमेटी का क्या कहना है ? कमेटी में आपके विभाग के सरकारी अधिकारी हैं। अगर उनकी लापरवाही से यह सब हुआ तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : इस कमेटी में विभाग के डाइरेक्टर हैं, डिप्टी डाइरेक्टर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेन्स हैं और भी एक-आध मेम्बर हैं इसमें। वे टेण्डर मांगते हैं वे ही तै करते हैं और उसके अनुसार माल खरीदते हैं। पेमेन्ट करते हैं। यह सारा काम किया जाता है। पर ये जो जो अनियमितताएं ऑडिट ने नोटिस की हैं, गम्भीर हैं। यह इस समिति के बावजूद हुई हैं और इस प्रकार के भी कार्य हुए हैं कि दो हजार तक के पावर जिन रसायनशालाओं के अधिकारियों को फाइनेन्स के रूल्स के मुताबिक हैं, उनको सरकम्वेन्ट करने के लिये दो दो हजार करके कई टुकड़ों में वही चीज कई हजार की ले ली। इस

Page No.7

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
तरह की अनियमितताएं हुई हैं। यह तो मैं मानता हूं। इसके लिये मामला एण्टी करप्शन विभाग को भी दे दिया गया है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव: क्या सरकार जब यह सब स्वीकार कर रही है तो इसमें डाइरेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह डाइरेक्टर ने नहीं किया है, जिनको परचेजिंग पावर दे रखी थी उन्होंने किया है। डाइरेक्टर की केवल सुपरवाइजरी नीग्लीजेन्स हो सकती है। अब जांच के बाद अगर यह बात सामने आती है तो डाइरेक्टर के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। इसमें कोताई की कोई बात नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। राज सरकार की लाखों रुपयों की इसमें हानि हुई है जो अत्यन्त स्पष्ट है। सरकार ने स्वयं ने यह स्वीकार कर लिया है। तब फिर यह कहना कि डाइरेक्टर की नीग्लीजेन्स है या नहीं इसकी भी जांच करनी है। यह सरकार का रवैया समझ में नहीं आया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप यह कहते हैं कि दो प्रकार की जांच आप करा रहे हैं इस मामले में। एक तो विजिलेन्स कमीशन के मार्फत या एन्टी करप्शन के मार्फत, कुछ भी कहिये, एक ही बात है, दूसरी बात आप कह रहे हैं विभागीय जांच की। अब आप बताइये कि विजिलेन्स कमीशन की या एण्टी करप्शन विभाग की जांच किन किन अधिकारियों के खिलाफ है और विभागीय जांच आपकी किन किन अधिकारियों के खिलाफ है ? फिर आप यह कह रहे हैं कि दोनों जांचें चल रही हैं तो इस बीच इन अधिकारियों को निलम्बित कर दिया जावे ताकि जांच निष्पक्ष हो सके।

श्री नारायणसिंह मसूदा : एण्टी करप्शन विभाग एक मामले की जांच कर रहा है और उन्होंने रेकार्ड कब्जे में भी लिये हैं। विभागीय जांच अभी एक सप्ताह पूर्व ही जब कि आडिट रिपोर्ट में अनियमितता दृष्टिगत हुई तो उसके आधार पर शुरू हुई है। विभागीय जांच के अन्दर सभी की पूरी जांच की जावेगी। इसमें अगर डाइरेक्टर की भी जिम्मेदारी आती है तो उसको भी देखा जावेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सब तो आपके रिकार्ड पर है उनके नाम ले लीजिये कौन कौन हैं ये लोग ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अभी इस विषय में जांच प्रारम्भ हुई है और अगर यह आवश्यक समझा जावेगा कि इस प्रकार की गम्भीर अनियमितताएं हैं तो उनको निलम्बित भी कर दिया जावेगा चाहे फिर वह अधिकारी कोई हो।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे यह कहना है कि ऑडिट रिपोर्ट में 3 मुख्य बातें हैं। एक तो यह कि जिन औषधियों की आवश्यकता नहीं थी वे खरीदी गईं और काफी तादाद में काफी खर्चीली खरीदी गई। उदयपुर में अगर उनकी जरूरत थी तो अजमेर में खरीदी गईं और अजमेर में जिनको जरूरत बताई गई उनको उदयपुर में खरीद कर अजमेर भेजा गया। ये सारी दवाइयां आज भी इन दोनों जगहों पर बिना उपयोग के पड़ी हैं।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
इनको भी बाजार भाव से सौ डेढ़ सौ रुपया अधिक देकर खरीदा गया है। वहां की फार्मेसी का जो व्यवस्थापक है उसने यहां तक किया है, कि टेण्डर लेने वाला वही, देने वाला वही, सेंक्शन करने वाला वही, और व्यापारी के खिलाफ पर पेमेन्ट लेने वाला भी वही। उसने स्वयं ने अपने दस्तखतों से पेमेन्ट विभाग से उठाया है। बाजार भाव से तिगुना चौगुना नहीं तो दुगुना तो अवश्य ही भाव देकर खरीदें की गई। तो क्यों न ऐसे व्यक्ति को जो पद पर बैठकर पद का इस तरह से दुरुपयोग करता रहा हो उसे डिसमिस कर दिया जाय? डिसमिस करने से पहले कम से कम उसे आप सस्पेण्ड तो तुरन्त करिये। इसमें क्या संकोच है आपको, यह समझ में नहीं आ रहा है। देरी करेंगे तो वह अन्दर बैठा बैठा अपने असर के द्वारा सारी जांच को ही बिगाड़ देगा। उसे ठीक तरह से होने नहीं देगा, सबूत नष्ट करेगा। पेमेन्ट उसने लिया। व्यापारी की तरफ से उसे कोई ओथोरिटीभी नहीं तब भी लिया। यह सारी बातें आडिट रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अगर ऐसी बात है तो जरूर सस्पेण्ड किया जावेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मसूदा साहब अगर मगर मत करिये। आप इसे सीरियसली लीजिये। आडिट रिपोर्ट आपने देखी होगी एक मन्त्री की हैसियत से जब आप सारे मुद्दों का जवाब दे रहे हैं तो, पहले मेरे प्रश्न के उत्तर में भी आपने सारे कागजात देखे होंगे, ये सारे तथ्य समें हैं, फिर यह अगर मगर कैसी?

श्री विजयसिंह : ये सारी गड़बड़ और घोटाले होते हैं उन लोगों के द्वारा जो मन्त्रीजी से भी अधिक पॉवरफुल हैं। इसलिये क्या करें मन्त्रीजी, इनको हां, हूं करना होता है। उनकी मूड में हां में हां मिलाना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में जब कि आप मैनेज नहीं कर सकते, तो अंग्रेजी दवाइयों की तरह सारी चीजें सारी दवाइयां आप भी बाजार से क्यों नहीं खरीदते, जैसे, झुंझु फार्मेसी है, कालड़ा वाले हैं, और अनेकों हैं जो आपको शास्त्रीय नियमों से बनाई शुद्ध आयुर्वेद औषधियां दे सकते हैं। फिर इस सारे भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले पचड़े में ही क्यों पड़ते हैं? बन्द करिये इस भ्रष्टाचार के अड्डे को।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय। सरकार ने बाकायदा एक सेन्ट्रल परचेज कमेटी बना रखी है: आडिट ने इन अनियमितताओं की तरफ ध्यान खींचा। तो इन अनियमितताओं की तरफ आडिट से पहले या साथ साथ इस सेन्ट्रल परचेज कमेटी ने भी सरकार का ध्यान खींचा क्या?

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप हाईपावर कमेटी बनावेंगे इसकी जांच के लिये तो इसका भी वही होगा जो आपकी सेन्ट्रल परचेज कमेटी का हुआ, आखिर उनमें भी तो आपके विभाग के ही टॉप आफिसियल बैठे हैं। वे ही इसकी भी जांच करेंगे तो यह निश्चित है कि अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट करने

Page No.9

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
ही नहीं है। राजेन्द्र जैन का मामला उदाहरण के रूप में मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। इनका मामला चल रहा है। लाखों के घोटाले का मामला है यह भी।

अब जब आप स्वयं मान रहे है कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं, ऑडिट रिपोर्ट आपके पास है और आप स्वयं कहते हैं कि दो दो हजार की दवाइयां खरीद कर लाखों की खरीद लीं। उल्टा सुल्टा सौदा कर लिया। भानुकुमारजी शास्त्री ने भी बहुत से तथ्य बताये हैं। आयुर्वेद विभाग की डिमाण्ड के वक्त भी 18 वैद्यों को रखने की बात और 64 में कार्यवाहियां करने के लिये कहा था। जिनकी आवश्यकता नहीं ऐसी लाखों की दवाइयां खरीद लीं। केसर कस्तूरी जैसी अत्यन्त महंगी चीजे खरीद लीं जिनका कतई कहीं उपयोग ही नहीं हुआ। लाखों की खरीद हुई है। सारी गड़बड़ियां हुई हैं। आप भी मानते हैं तो फिर आप सख्त कदम क्यों नहीं उठाना चाहते हैं?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : परचेजिंग कमेटी की मीटिंग हुए बिना ही लाखों की परचेज हो गई तो क्या इस परचेज कमेटी ने कभी इसकी शिकायत की कि हमारे बिना पूछे ही ये खरीदियां करली गई। नहीं तो यह भी प्राइमा फेसी स्पष्ट है कि ये सारे अधिकारी इस में दोषी हैं। इनका आप तुरन्त निलम्बित करिये। नहीं तो यह खतरा है कि जो जांच होगी उसको ये सभी मिलकर प्रभावित करेंगे।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या यह आश्चर्य नहीं है कि इस तरह की गम्भीर अनियमितताओं के सामने आने पर भी मन्त्री महोदय उन अधिकारियों से सन्तुष्ट हैं। जब इतना संगीन मामला उनके सामने आया तो वे बतावें उन्होंने क्या किया?

श्री गौरीशंकर : मैं क्या बताऊं। जो दवाइयां, औषधियां भेजी जाती हैं वे भी अजीब होती हैं। मंगाई जाती हैं सौंफ और भेजते हैं ये लोग संखिया। मंगाते हैं बुखार की दवा और भेजते हैं टट्टी की दवा। न जाने किस तरह का इनका काम करने का तरीका है?

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह संखिया भी ऐसा होगा जिसको बीमार को देने पर वह भी असर न करे। जिससे आदमी मरता ही नहीं।

श्री गौरीशंकर : कहते हैं या मंगाते हैं वे दवाइयां भेजते ही नहीं। जो भेजते हैं कभी कभार तो घास फूस भेजते हैं, बढ़िया दवाइयां भेजते ही नहीं।

दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे यह पांच हजार रुपये थे। उन वैद्यों को पता ही नहीं लगता कि दवा कितनी आई और कितनी मंगानी है। पांच हजार का दवा मंजूर है, दो हजार की मंगा लेते हैं और कुछ कहते हैं तो जवाब नहीं मिलता। लोग परेशान होते हैं। वहां मंगाये सौंफ और भेजे संखिया।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय को जो जानकारी इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई है, उसके अनुसार क्या वे यह

(श्री लक्ष्मणसिंह)
नहीं अनुभव करते हैं कि प्राइमा-फेसी ऐविडेन्स सफिसियेन्ट है, जिसके द्वारा इन लोगों को निलम्बित किया जाय और अगर निलम्बित नहीं किया जाता है तो जो भी मुद्दे उस पर हैं, लीपा पोती होकर खतम हो जायेंगे और सरकार को जानकारी में मुश्किलात होगी । इसमें सरकार का क्या अभिमत है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । मेरा एक सवाल यह है कि ऑडिट रिपोर्ट कब आई और यह फैसला एन्क्वायरी का कब किया और देर से किया तो उसका क्या आधार है ?

श्री हनुमान सहाय : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग में 6 लाख की केसर कस्तूरी का बिल बनाया है, वह सारा का सारा फर्जी बिल है । यदि आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी की जाय और यह भी पता लगाया जाय कि औषधालयों को कितनी केसर कस्तूरी डिस्ट्रब्यूट हुई है तब जाकर सही तथ्य सामने आयेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री नारायणसिंह : ऑडिट रिपोर्ट जैसा मैंने निवेदन किया एक सप्ताह से कुछ पूर्व ही यहां पर आई है । डिपार्टमेंट जांच कर रहा है । मैं यह निवेदन कर सकता हूं इसके जो मुख्य मुख्य पाइन्ट्स हैं वे आजकल में ही स्टडी किये हैं । यदि इसमें गंभीर अनियमिततायें हैं और मैंने आवश्यकता समझी तो विभाग से जानकारी करके जिनको निलम्बित करने की आवश्यकता होगी उनको निलम्बित भी करेंगे ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, अब भी विभाग से कोई जानकारी की आवश्यकता है क्या । अपने आप में स्पष्ट है । विभाग से बातचीत करके ऐक्शन लेंगे ? यह कोई आवश्यक नहीं रह गया है ।

श्री नारायणसिंह : इसके अलावा जो स्टोर परचेज कमेटी है, उसमें भी अगर लेतलाली हुई तो ऐक्शन लिया जायेगा ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वह तो आज तक मिली नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : भविष्य में अनियमिततायें नहीं हों, इसकी कौनसी व्यवस्था की है, यह बता दीजिये ।

श्री नारायणसिंह : भविष्य में हाई पावर कमेटी बनाकर परचेजिंग सिस्टम कैसा रखा जाय, इसके बारे में विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशन लाल ।

कस्बा फागी में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

1011. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा फागी में श्री केसरा कुम्हार की जमीन जिसका खसरा नम्बर 3915 जो कि 7 बीघे के करीब है पर श्री जगदीशप्रसाद बोहरा

Page No.11

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
निवासी बगरू ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर श्री वोहरा ने बिना स्वीकृति के एक लघु उद्योग भी स्थापित कर लिया है ? यदि हां, तो क्या इसकी नियमानुसार किसी से स्वीकृति लेली थी ? यदि नहीं तो इस अनधिकृत कब्जों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध तहसीलदार, फागी की जनता तथा ग्राम पंचायत द्वारा शिकायतें भी की गई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन के सम्बन्ध में जिलाधीश, जयपुर ने भी कोई जांच की थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) उक्त भूमि पर से अनधिकृत कब्जे को राज्य सरकार कब तक हटाने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) :
(1) जी नहीं ।

(2) जी हां । श्री जगदीशप्रसाद द्वारा उक्त भूमि पर बिना स्वीकृति के चक्की आदि लगाई गई है । तहसीलदार फागी ने श्री जगदीशप्रसाद के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के तहत कार्यवाही की गई और दिनांक 3-2-69 को अनियमित रूप से लगाये गये लघु उद्योग, चक्की आदि को व मियाद एक सप्ताह हटाने के आदेश दिये और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 177 के तहत उप जिला अधिकारी, सांभर ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर कार्यवाही चालू है । इसके अतिरिक्त श्री जगदीशप्रसाद ने राज्य सरकार के समक्ष भी प्रार्थना-पत्र पेश किया जिस पर स्थगन आदेश दिनांक 1-9-72 को दिया गया और सरकार के समक्ष विचाराधीन है ।

(3) जी हां, शिकायतें प्राप्त हुई हैं परन्तु मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है, निर्णय होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी ।

(4) जी हां, जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है तथा राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है ।

(5) श्री जगदीशप्रसाद द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र निर्णय होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री जयकिशन तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह जगदीश प्रसाद बोहरा द्वारा वहां पर इल्लीगल कान्स्ट्रक्शन बनाया गया । मैं राज्य सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार ने इसको तुड़वाने के आदेश दिये थे और 500 रु. सरकार की ओर से मंजूर भी हो गया लेकिन फिर भी उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है ।

Page No.12

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, यह मामला इतना गंभीर है। यह जगदीशप्रसाद वोहरा एक पंचायत समिति का सरपंच है और सरपंच होते हुये दूसरी पंचायत समिति क्षेत्र में जाकर इस तरह अनधिकृत चेष्टा की है। इस बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह जमीन जगदीशप्रसाद वोहरा ने रामेश्वर कुम्हार से 4 बिस्वा दिनांक 18-11-68 को चार हजार में खरीदी थी और उसका नामान्तरकरण भी उसके नाम हो चुका है। सवाल यह है कि यह जमीन काश्तकारी भूमि खरीदी है इसलिए जब तक कोई इजाजत न हो उसको आबादी भूमि में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसलिये दफा 91 के तहत तहसीलदार के यहां दावा हुआ है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, टीनेन्सी एक्ट के तहत एक सरक्यूलर निकाला था।

"It has come to the notice of the Board of Revenue that the provisions of Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1971 (Act No. 5 of 1971) which has published in the Rajasthan Gazette Extraordinary."

श्री अध्यक्ष : मुद्दे की बात बता दीजिये।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : 55-54 धारा के तहत ऐसा नियम है टीनेन्सी एक्ट में कि किसी की जो खातेदारी जमीन है वह कम मात्रा में हो तो टुकड़े नहीं किए जाएं। फिर भी क्या यह सही है कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े करके अपना अधिकार जमा सकता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह सारी भूमि 9 बिस्वा थी जिसमें चार बिस्वा खरीदी है। यह मकान बनाया, बिना इजाजत के बनाया है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष। श्री नानालाल।

कुष्ठ रोग नियन्त्रण केन्द्र

1012. श्री नानालाल (राजसमन्द)। क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1971-72 में 20 नये राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियन्त्रण केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार ने प्रदान की थी तथा जिसके अनुसार सभी केन्द्र खोल दिए गए हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने किस आधार पर यह केन्द्र खोले हैं ?

(2) मातृ शिशु केन्द्र खोलने का क्या आधार है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी हां, राज्य में जिन स्थानों पर कुष्ठ रोग का प्रकोप अधिक पाया गया, उन स्थानों पर कुष्ठ रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(श्री हरिदेव जोशी)

(2) मातृ शिशु कल्याण केन्द्र निम्नलिखित आधारों पर खोले जाते हैं:—

(i) ग्राम की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो।

(ii) दान से भवन प्राप्त होने पर उसे प्राथमिकता दी जाती है।

श्री रामसिंह : क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है, उधारा और खीमसर पूरा का पूरा कुष्ठ रोग से पीड़ित है और जिला परिषद् ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है परन्तु उस गांव में कोई व्यवस्था नहीं की गई है?

श्री हरिदेव जोशी : नागौर केन्द्र में दो केन्द्र हैं मैं कह नहीं सकता क्या स्थिति है।

श्री रामसिंह : खीमसर और उधारा में नहीं है?

श्री हरिदेव जोशी : केन्द्र पर जो सर्व ऑफिसर कायम किया जाता है, वह है।

श्री रामसिंह : खीमसर और उधारा में नहीं है। वहां कुछ नहीं किया है।

प्रश्न संख्या 1013

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती भगवती देवी!

उपभोक्ता भण्डारों तथा सहकारी मिलों के हानि में चलने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

1014. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों, उपभोक्ता भण्डारों तथा सहकारी मिलों में राज्य सरकार द्वारा बड़े बड़े पदों पर सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं? यदि हां, तो फिर इनके हानि में चलने के क्या कारण हैं?

(2) ऐसे कितने राष्ट्रीयकृत उद्योग हैं जो अधिकारियों के अनुभव की कमी या लापरवाही के कारण बन्द हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) ऐसे कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को राष्ट्रीयकृत उद्योगों को हानि में ले जाने के कारण दण्डित किया है या अन्य विभागीय कार्यवाही की है?

राज्य मन्त्री (श्री जुझारसिंह): (1) जी हां। सहकारी मिलों एवं उपभोक्ता भण्डारों के हानि में चलने के कारण सूची में अंकित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीयकृत उद्योगों से सहकारी विभाग सम्बन्धित नहीं है।

(2) इसका सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

(3) इसका सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

सवाई माधोपुर में डी. एफ. ओ. का मुख्यालय

1015. श्री भरतलाल (वामनवास) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर, जिला वन विस्तार अधिकारियों के दृष्टिकोण से तीन भागों में बंटा हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस जिले में वनों का क्षेत्र काफी अच्छा है और सवाई माधोपुर की गेम सेंचुरी राजस्थान की ही नहीं भारतवर्ष की एक बहुत अच्छी गेम सेंचुरी है ?

(3) क्या इस जिले में सरकार अलग से पूरे जिले का डी. एफ. ओ. मुख्यालय सवाई माधोपुर में स्थापित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक मुख्यालय कायम कर दिया जायेगा ? और नहीं, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सवाई माधोपुर जिला के वन, दो वन मण्डलों के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तीन भागों में नहीं हैं।

(2) जी हां।

(3) फिलहाल ऐसी योजना नहीं है।

श्री भरतलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि दो भागों में बंटा हुआ है मैं जानकारी में लाना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिला एक तो डी. एफ. ओ. टोंक के नीचे है, कुछ हिस्सा डी. एफ. ओ., भरतपुर के नीचे है और कुछ हिस्सा जयपुर डी. एफ. ओ. के तहत है। तो आपने दो भागों में कहा, यह तो तीन भागों बंटा हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे जो सूचना है...

श्री भरतलाल : आपको सूचना गलत है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे सुन तो लें। सवाई माधोपुर तहसील टोंक के तहत करौली, सपोटरा भरतपुर के तहत हैं।

श्री भरतलाल : और गंगापुर जयपुर के नीचे है। अध्यक्ष महोदय, इसमें निवेदन यह है कि इतना बड़ा जिला और इसका फोरेस्ट एरिया बहुत बड़ा है और, अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक कारणों से इसका डी. एफ. ओ. हैडक्वार्टर टोंक रख दिया गया था और कुछ हिस्से भरतपुर और जयपुर के साथ मिला दिए गए। हम निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी गेम सेंचुरी बहुत अच्छा स्थान रखती है और उसके लिए अलग डी. एफ. ओ. हैडक्वार्टर नहीं रखने चाहिए और इसको तीन हिस्सों में बांट रक्खा है।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो गेम सेंचुरी है और टाइगर प्रोजेक्ट सेन्टर से आ रहा है उसमें इसको इन्क्लूड कर लिया है। $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का प्रावीजन इसके लिए रखा है और जैसा माननीय सदस्य

Page No.15

(श्री राजेन्द्र सिंह)
श्री भरतलाल जी कहते हैं कि अगर वहां पर अलग डी. एफ. ओ. कायम कर दें तो वहां जो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण भी अच्छी तरह से हो सकता है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी परमावश्यक समझता हूं कि सवाई माधोपुर जिले के लिए अलग डी. एफ. ओ. का दफ्तर सवाई माधोपुर में स्थापित होना चाहिए। यदि यह नहीं होता है तो मैं प्रशासनिक कमी सी अनुभव करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी टाइगर प्रोजेक्ट रणथम्भोर में स्थापित किया गया है और यह इस किस्म का राजस्थान में एक ही है इस दृष्टि से और भी इम्पॉर्टेन्ट हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि सवाई माधोपुर इसके लिए डिजर्व करता है।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक वन्य जीवों के संरक्षण का प्रश्न है उस रूप में तो यह डी. एफ. ओ. के तहत नहीं आता। डी. एफ. ओ. इसको एडमिनिस्टर नहीं करता.......

एक माननीय सदस्य : डी. एफ. ओ. ही करता है।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं करता है।

एक माननीय सदस्य : फिर कौन करता है?

श्री हरिदेव जोशी : गेम वार्डन करता है। जहां तक प्रॉन प्रिन्सिपल सवाल है कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक ही यूनिट होना चाहिए और अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में यूनिट नहीं होने के कारण एडमिनिस्ट्रेशन में भी असुविधाएं होती हैं और लोगों को भी असुविधा होती है; इसको मैं स्वीकार करता हूं और जैसे ही फर्स्ट अपार्चुनिटी मिलेगी मैं इसे देखूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल !

श्री लक्ष्मणसिंह: अध्यक्ष महोदय, देवीलाल जी का प्रश्न डूंगरपुर की प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है। मुझे अधिकार तो नहीं है पूछने का लेकिन आपकी आज्ञा हो और जानकारी हो सके तो प्राप्त करना चाहूंगा। यह उनका सुझाव है यह भी मेरे ख्याल से अच्छा ही सुझाव है। इस सम्बन्ध में प्रशासन को आपत्ति हो तो एक बात है और अगर सुझाव स्वीकार करते हैं तो अति उत्तम है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल !

आसपुर तहसील के दीवानी एवं फौजदारी मामले

1016. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सलूम्बर कस्बे से आसपुर केवल 15 मील पड़ता है?

(2) क्या यह सही है कि आसपुर तहसील का दीवानी फौजदारी का अधिकार क्षेत्र डूंगरपुर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट डूंगरपुर के अन्तर्गत है?

Page No.16

(श्री देवीलाल)

(3) क्या यह सही है कि सलूम्बर सब डिवीजन की खेरवाड़ा तहसील का अधिकार क्षेत्र भी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट डूंगरपुर के अन्तर्गत है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि जिन सिद्धान्तों पर खेरवाड़ा तहसील का दीवानी फौजदारी अधिकार मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के अन्तर्गत कर दिया गया है उन्हीं सिद्धान्तों पर आसपुर तहसील का दीवानी, फौजदारी अधिकार क्षेत्र मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट सलूम्बर के अन्तर्गत क्यों नहीं रखा जा रहा है जब कि सलूम्बर आसपुर के बहुत नजदीक है व दैनिक 10 बस सर्विसों से जुड़ा हुआ है ?

न्याय मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां, डूंगरपुर में सिविल जज की कोर्ट है जिसका अधिकार क्षेत्र डूंगरपुर जिला व उदयपुर जिले के सब डिवीजन की खेरवाड़ा तहसील पर है । अतः मुन्सिफ मजिस्ट्रेट डूंगरपुर का अधिकार क्षेत्र भी डूंगरपुर जिला (सागवाड़ा तहसील को छोड़ कर जहां पर अलग मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का कोर्ट है) व खेरवाड़ा तहसील पर रखा गया है ।

(4) जी हां । आसपुर तहसील जिला डूंगरपुर का अधिकार क्षेत्र सिविल जज डूंगरपुर को है । अतः उसी के आधार पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर का वह अधिकार क्षेत्र रखा गया है ।

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा तो इतना ही निवेदन है कि आसपुर क्षेत्र सलूम्बर से 15 मील है और आसपुर-डूंगरपुर का फासला 30 मील है तो सुविधाजनक जो भी व्यवस्था हो, सरकार को प्रशासनिक सिद्धान्त के अनुसार इस पर विचार करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, । श्री मोहनलाल छंगाणी !

देवस्थान के मन्दिर

1017. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग के अधीन किसी भी श्रेणी के मन्दिरों को किसी एक व्यक्ति को सौंपने की राज्य सरकार की नीति नहीं है ? यदि हां, तो राजस्थान बनने के पश्चात् कितने व्यक्तियों को इस प्रकार मन्दिर सौंपे गये ?

(2) गत 5 वर्षों में राज्य सरकार ने किन किन व्यक्तियों को उक्त नीति के आधार पर किस किस स्थान पर कौन कौन सा मन्दिर सौंपा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि एक पण्डित मिश्र को माह फरवरी, 1973 में राज्य सरकार द्वारा जयपुर में कोई मन्दिर सौंपा गया है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ?

(4) उक्त सौंपे गये मन्दिर की चल एवं अचल सम्पत्ति कितनी है ?

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(5) क्या यह सही है कि पण्डित मिश्र ने पूर्व में भी मन्दिर के लिए प्रार्थना-पत्र दिए थे ? यदि हां, तो किस किस तिथि को उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

देवस्थान मंत्री (श्री नारायण सिंह) : (1) साधारणतया देवस्थान विभाग के अधीनस्थ मन्दिरों को किसी व्यक्ति को सौंपने की सरकार की नीति नहीं है। राजस्थान बनने के पश्चात् 9 व्यक्तियों को मन्दिर सौंपे गये हैं।

(2) केवल 3 व्यक्तियों को मन्दिर सौंपे गए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) माह फरवरी, 73 में किसी को कोई मन्दिर नहीं सौंपा गया है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) श्री हरिकान्त मिश्र ने एक प्रार्थना-पत्र माननीय देवस्थान मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया था। जिसमें मन्दिर श्री चन्द्रमा जी या नवलकिशोर जी, जयपुर मिलने की प्रार्थना की गई थी। उनके शाक्त सम्प्रदाय की सेवा पूजा से परिचित होने व मदिरा का उपभोग करने से प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया गया।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आपने साधारणतया लिखा है कि हमारी पॉलिसी किसी भी इन्डीविजुअल को मन्दिर अलॉट करने की नहीं है, अब कौन से आपके कम्पलशन रहते हैं जिनमें इन्डीविजुअल्स को मन्दिर अलॉट करते हैं कृपया इसको स्पष्ट करें।

श्री नारायणसिंह : योग्यता हो, पण्डित हो, पुराना रिटायर्ड संस्कृत कॉलेज का प्रिन्सिपल रहा हुआ हो और इस प्रकार से समझा जावे कि यह मन्दिर को अच्छी तरह से रख सकेगा तो कई मन्दिर हैं उन मन्दिरों के अन्दर से मन्दिर सौंप दिया जाता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसमें रिटायर्ड मंत्रियों को भी सम्मिलत कर लिया जाये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपने क्राइटेरिया रखा है मेरा चार्ज है कि गलत रूप से उनको दिया गया है। श्रीकान्त ठक्कर ने कब एप्लाई किया मन्दिर के लिए. आपने इसको अलॉट कब किया ? इसकी एप्लीकेशन आपके पास कब आई ?

श्री नारायणसिंह : श्रीकान्त ठक्कर के बारे में नहीं पूछा था।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपने कहा कि पांच साल में तीन आदमियों को दिया गया मैं तीसरे के बारे में पूछना चाहता हूं कि जयपुर में श्रीकान्त ठक्कर को दिया उसमें कौन से गुण थे ? क्यों दिया गया ? पहले एप्लीकेशन इसकी रिजेक्ट हुई या एक्सेप्ट हुई ? कब एक्सेप्टेन्स हुआ यह जानना चाहूंगा।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि मदिरा का उपभोग करने वालों को कोई

Page No.18

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
मन्दिर नहीं दिया जा सकता तो क्या हम हमेशा के लिए मान कर चलें कि शाक्त मत के मानने वाले लोग हैं वह इस प्रकार की जो सुविधा दूसरे पण्डितों को दी जाती है उनको नहीं दी जायेगी ?

श्री नारायणसिंह : मेरे सामने दो प्रश्न आये । एक तो यह है कि श्रीकान्त ठक्कर को कब दिया गया । श्रीकान्त ठक्कर ने अभी अभी दरख्वास्त की थी और उनको योग्य समझ कर ही मार्च के महीने में यह मन्दिर दिया गया और इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न माननीय सदस्या ने पूछा कि शाक्त अनुयाइयों को मन्दिर दिया जाये या नही—यह अब मान्यताओं की बातें हैं । मान्यतायें किस प्रकार की रखें, आज शाक्त किसको कहा जाये, शैव किसको कहा जाये और दूसरे किसको कहा जाये । वेदों में क्या क्या चीजें उपयोग में आती थीं और अब क्या आती हैं, अब वैष्णव किसको कहा जाता है—यह विभिन्न परिभाषायें है लेकिन इस समय भारतवर्ष के कुछ भागों में तो ब्राह्मण जिसमें से कनोजिया ब्राह्मण भी हैं, बंगाली ब्राह्मण भी हैं, कश्मीरी ब्राह्मण भी हैं यह मांस आदि का उपयोग करते हैं और दूसरे सब करते हैं और राजस्थान में और गुजरात में इसके बारे में मुमानियत है। बल्कि कई जगह तो यह भी रखा गया है कि इस प्रकार के व्यक्ति बकरा चढ़ने के बजाय तन्दूर चढ़ा दें । इस प्रकार की अपनी भ्रमित मान्यताएं समझें या किसी प्रकार की समझें, पर हैं। तो राजस्थान की भावनाओं के अनुसार अगर कोई शाक्त मन्दिर में जा कर दारू मांस का सेवन करता है तो उसके प्रति विरोध होता है और उस विरोध को देखते हुए मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जब स्वयं जिस वक्त देवस्थान मंत्री थे उन्होंने भी इस रूप में इसको उचित नहीं समझा था। इसलिए यह उचित समझा गया कि जो मन्दिर में दारू मांस का उपयोग करें····

श्री लक्ष्मणसिंह : सेक्यूलर भावना में तो सब ठीक है ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उन्हें नहीं करना चाहिये, मन्दिर में नहीं करना चाहिये और मन्दिर के बाहर भी नहीं करना चाहिए । हमारे गोकुल भाई कहते हैं कि मन्दिर के बाहर भी नहीं करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : वह जगह भी बता दीजिए जहां खुदा न हो ।

नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री दिनेश डांगी : राजस्थान में जो अनुसूचित जाति के लोग जो विद्वान हैं, संस्कृत के पंडित हैं और आज की तारीख में मौजूद हैं तो क्या राज्य सरकार देवस्थान के मन्दिरों में उनको अपॉइन्टमैंट देने का विचार रखती है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : श्रीनाथ ठक्कर ने····

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी, स्थगित प्रश्न आपका आगे का, यह नहीं ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-3-73 व 29-3-73)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों पर व्यय की गई राशि

408. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वित्तीय वर्ष 1968-69, 1969-70 व 1970-71 में राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्यों पर व्यय की गई राशि में से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कितनी राशि सड़क निर्माण व अन्य कार्यों के लिए व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से व्यय की गई राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई थीं विशेषत: सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों की जांच का मामला मुख्य अभियन्ता केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया था ? यदि हां, तो किस दिन शिकायत प्राप्त हुई व राज्य सरकार ने किस दिन मामला जांच हेतु सौंपा ?

(4) उक्त जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को किस दिन प्राप्त हुई व किस किस अधिकारी को दोषी पाया गया ? अधिकारीगण के नाम मय पद के बताने का कष्ट करें।

(5) जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने दोषी पाये गये कर्मचारियों, अधिकारीगणों को क्या क्या दण्ड दिया व किस किस को ? विवरण बताने का कष्ट करें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों पर वर्ष 1968-69, 69-70 एवं 70-71 में सड़क निर्माण आदि पर क्रमश: 7,45,60,652, 38,25,18,877 एवं 19,36,65,642 रुपये की धनराशि व्यय की गई। (2) (3) (4) (5) सहायता विभाग से सम्बन्धित है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, पहले जो प्रश्न किया था वह 9-3-73 को उसे मंत्री महोदय ट्रान्सफर कर दिया अकाल सहायता विभाग को। इसके बाद इसको लिया गया 29-3-73 को तो वापिस ट्रान्सफर कर दिया सार्वजनिक निर्माण विभाग को और आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से मेरा उत्तर नहीं आ रहा है। मैं यह पूछता हूं कि जब एक्जीक्यूटिव मशीनरी अकाल की कोई भी हो, जब पी. डब्ल्यू. डी. है तो उसका उत्तर मुझे क्यों नहीं मिलता है।

श्री हरिदेव जोशी : आपने इस प्रश्न को इस तरह से ड्राफ्ट किया है कि जिससे दिक्कत आ रही है। अगर अलग अलग डिपार्टमेन्ट का अलग अलग ढंग से ट्रान्सफर किया होता तो शायद आपको अच्छी तरह से उत्तर मिल सकता।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पी. डब्ल्यू. डी. एक्जीक्यूटिव मशीनरी है....

Page No.20

श्री हरिदेव जोशी : एजेन्सी है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : एजेन्सी है तो आपको जानकारी होनी चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : जो जानकारी थी वह आपको दे दी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसके अलावा भी.......

श्री हरिदेव जोशी : इसके अलावा नहीं है वह नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री भँवरलाल भदादा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1?-3-73 व 26-3-73)

भीलवाड़ा जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों को बकाया

587. श्री भँवरलाल भवावा (भीलवाड़ा) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों का कब तक का पेमेंट हो चुका है ?

(2) आज दिन तक किस किस काम का कितना कितना पेमेन्ट किस किस महीने का देना है ?

(3) यह देय पेमेन्ट क्यों नहीं हो रहा है।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) केवल 2 कार्यों पर लगे मजदूरों को छोड़ कर बाकी सबका 25 मार्च, 73 तक भुगतान हो चुका है।

(2) जनवरी, 73 से मार्च, 73 तक का पांचों का वाडिया तालाब के कार्य का 2,712.52 पैसे एवं रघुनाथपुरा चरागाह कार्य का 1,882.62 पैसे मजदूरी के देने बकाया हैं।

(3) इन कार्यों की स्वीकृति न किये जाने से भुगतान नहीं हुआ है।

श्री भँवरलाल भवावा : इसके लिए क्या मजदूर सफर करेंगे साहब। स्वीकृति प्रदान की जावे पेमेंट करने की।

श्री हरिदेव जोशी : कलेक्टर ने 25 लाख तक की जो स्वीकृति मांगी थी वह 25 लाख की सारी सेंक्शन ले ली। अब उसके बाद में उन्होंने और दिया है और इनका चुकारा करना है तो कौन से काम काटना चाहते हैं वे बतला दें हम दे देंगे सेंक्शन।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान सहाय।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16-3-73)

राज्य में मेडीकल डिस्पेन्सरीज

591. श्री हनुमान सहाय (बैराठ) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में पृथक् 2 श्रेणी की कुल कितनी मेडीकल डिस्पेन्सरी कहां कहां हैं और इन गांवों की आबादी कितनी कितनी है ?

(श्री हनुमानसहाय)

(2) क्या यह सही है कि 2,000 से कम आबादी वाले स्थानों पर 2 से 4 मील की दूरी के अन्दर डिस्पेन्सरी स्थापित कर दी गई है और ऐसे स्थानों पर जिनकी आबादी दो से पांच हजार तक की है और जहाँ पर हायर सैकेन्डरी स्कूल आदि भी हैं वहां 5 से 15 माइल की दूरी तक कोई डिस्पेन्सरी स्थापित नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ने नवीन मैडीकल डिस्पैन्सरी स्थापित करने हेतु कोई योजना तैयार करवाई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार हायर सैकेण्डरी स्कूलों के साथ साथ उन ग्रामों में मैडीकल डिस्पैन्सरी स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत लम्बा है और अभी इसका उत्तर नहीं आ पाया है।

श्री अध्यक्ष : श्री करणसिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : लम्बे सवाल का उत्तर नहीं आता है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : लम्बे समय में आता है :

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26-3-73)

मुख्य अभियन्ता कार्यालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

744. श्री करणसिंह (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो 5 साल से अधिक इसी कार्यालय में कार्य कर रहे हैं ?

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका 1 साल में दो या इससे अधिक बार स्थानान्तरण किया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सूची (अ) संलग्न है।

(2) वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री करणसिंह : कब तक हो जावेगी।

श्री हरिदेव जोशी : पूरे राजस्थान की सूचना मांगी है जब आ जाएगी तब दे देंगे।

श्री करणसिंह : मुख्यालय की मांगी है।

श्री हरिदेव जोशी : पूरी मांगी है। यह लिखा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कितने ऐसे कर्मचारी हैं।

प्रश्न संख्या 748

श्री अध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ चौधरी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री प्रतापसिंह !

स्थगित प्रश्न

दिनांक 26-3-73

गूदोलाव झील किशनगढ़

761. श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किशनगढ़ स्थित गूदोलाव झील की मरम्मत व विकास का दायित्व किस विभाग पर है ?

(2) क्या सम्बन्धित विभाग में विगत 25 वर्ष में इस झील पर कोई विभागीय धनराशि खर्च की है ?

(3) क्या यह सही है कि इस झील से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है ? यदि हां, तो वार्षिक राजस्व आय कितनी है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त झील में पूरा पानी भरने पर झील के टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाता है ? यदि हां, तो इस खतरे को टालने के लिए सरकार क्या कोई कदम उठायेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): अध्यक्ष महोदय, यह तालाब जो है वह म्यूनिसिपल बोर्ड का है और म्यूनिसिपल बोर्ड का होने से हमारे से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसको सम्बन्धित विभाग को भेज दिया गया है।

श्री प्रतापसिंह : राजस्व तो आप प्राप्त करते हैं ?

श्री राजेन्द्रसिंह : इससे पिलाई होती है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हमारे क्षेत्र में नहीं होती है। अगर म्यूनिसिपल बोर्ड के क्षेत्र में होती है तो उनका वास्ता है, हमारे से सम्बन्ध नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : राजस्व तो आप लेते हैं या नहीं ? अगर राजस्व आप लेते हैं तो....

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अर्ज किया कि सिंचाई विभाग से वास्ता नहीं है। म्यूनिसिपल बोर्ड का यह तालाब है इसलिए हम न तो आबियाना लेते हैं और न....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : राजस्व लेते हैं तो राजस्व विभाग से सम्बन्धित है वह भी आपके पास है।

(व्यवधान—कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे—अश्रव्य)

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। कोई भी तालाब म्यूनिसिपल कमेटी से सम्बन्धित कैसे हो सकता है। इसमें खेती होती है, इसके द्वारा सिंचाई का कार्य भी होता है, खेती होती है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।

Page No.23

श्री रामचन्द्र चौधरी : म्यूनिसिपल बोर्ड की लिमिट में होने से इसका सम्बन्ध म्यूनिसिपल बोर्ड से है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री प्रतापसिंह : क्या आप इसके लिए, इसका राजस्व लेने के लिए म्यूनिसिपल बोर्ड को ही अधिकृत कर देंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से सवाल है।

श्री प्रतापसिंह: नहीं साहब, इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26-3-73)

रायपुर भूंठा ग्राम का कुआ

767. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के रायपुर भूंठा गांव में एक व्यक्ति के पास ऐसा कुआ है जिसमें अथाह पानी है और उस पानी से वह व्यक्ति अपनी खेती के अलावा अन्य किसानों की सैंकड़ों बीघा खेती की सिंचाई करता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वह व्यक्ति सिंचाई पेटे खेती की पैदावार का एक तिहाई और किसी किसी से आधा भाग वसूल करता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कुए को अपने हाथ में लेकर किसानों को इस भारी लूट से बचाने तथा बिचौलियों की प्रथा समाप्त करने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी):
(1) जी हां।

(2) जी हां, राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ऐसे कुए जहां पर हैं जहां पर अथाह पानी है और इस प्रकार सिंचाई होती है उनसे आधा हांसिल खेती की उपज का लेने के लिए कोई कानून में व्यवस्था करने का विचार सरकार ने किया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसे तो यह प्राईवेट कुआ है और पहले तो इससे काफी सिंचाई होती थी और ऐसा लगता था कि बहुत पानी है। लेकिन इस साल में ऐसा नहीं है। कल ही मैं इसको देख कर आया हूं। दो कुओं से जितनी सिंचाई हो सकती है चालीस एकड़ के आस पास। अब तो यह सवाल ही नहीं है कि वह दूसरों को पानी दे सकेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पीछे का जो रिकार्ड आपके पास है क्या कि उससे साबित हो सके कि इस कुए से उस किसान ने, उस कुए के मालिक ने इर्रीगेशन के लिए दूसरों को पानी दिया और जमीन भी सिंचित होती रही है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हां, यह हुई भी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या कोई कानूनी तरीका है कि इस तरह से दूसरों को पानी दे सकता है और उससे चाही लगान सरकार वसूल नहीं कर सकती। इस तरीके से सिचाई के लिए कोई पानी बेच सकता है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस तरह से कानून का प्रश्न बनाना चाहें तो वह तो दूसरी बात है लेकिन वह तो दोनों का आपस का वास्ता है। गवर्नमेंट इसमें बीच में कहां आती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर कानून में प्रावधान हो तो इस प्रकार से पानी बेचने पर सरकार उससे चाही लगान वसूल कर सकती है। अगर कुए में पानी ज्यादा है तो वह अपनी जमीन पर अपने कुए से सिंचाई कर सकता है उससे बाहर उसको अधिकार नहीं है। क्योंकि जो खातेदारी हकूक हैं उससे अधिक हकूक नहीं हो जाते है। इसलिए अगर पानी ज्यादा है तो उसका फायदा किसी व्यक्ति को नहीं मिल कर सरकार को मिलना चाहिए।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ऐसा कोई कानूनन प्रावधान नहीं है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री लक्ष्मणसिंह : इसके अन्दर किसी व्यक्ति विशेष की चीज नहीं है। पानी और हवा पर सरकार का अधिकार है किसी व्यक्ति का नहीं है। इसको सरकार को लाइटली डिसमिस नहीं करना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Sub-letting of right in water is sub letting of land. इस बात का माननीय मंत्री जी विचार करेंगे। Right in land cannot be sub-let against the Tenancy Law. Therefore, it is violation of law.

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30-3-73)

चूरू फतहपुर सड़क

869. **श्री मोहरसिंह** (चूरू), **श्री रावतराम आर्य** (आपर); **श्री लूनाराम** (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू से फतहपुर सड़क निर्माण कब चालू हुआ था? उस पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है और क्या क्या काम हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि अब भी इस सड़क की हालत अच्छी नहीं है ? यदि हां, तो इसको कब तक ठीक करवा दिया जावेगा ?

(3) सरकार इस सड़क के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करवाने के लिए कितनी बार विधान सभा में आश्वासन दे चुकी है ? इन आश्वासनों को पूरा न करने का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): इस सड़क का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में आरम्भ हुआ था। लगभग 12,76,000/- रुपया व्यय

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

हुआ है। फतेहपुर की ओर से आधा किलोमीटर को छोड़ कर मेटलिंग का कार्य 14 किलोमीटर पूर्ण हो चुका है।

(2) रामगढ़ की ओर से 2 किलो मीटर की दशा अच्छी नहीं है। विचाराधीन है।

(3) इस विभाग को आश्वासन की जानकारी नहीं है।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी यातायात मंत्री भी हैं। राजस्थान रोडवेज की बसें भी वहाँ पर चल रही हैं। अभी तक इस सड़क का टुकड़ा ठीक नहीं हो पाया है। यह खतरनाक स्थिति है। हम यह आश्वासन चाहते हैं कि इस टुकड़े की शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करवाई जाए।

श्री झाबरमल सुंडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी क्षेत्र है, मैं यह पूछना चाहता हूँ····

श्री अध्यक्ष : आप भी जानकारी लीजिए।

श्री सांवरमल : अध्यक्ष महोदय, फतेहपुर की आम सभा में मुख्य मंत्री श्री सुखाड़ियाजी ने यह घोषणा की थी कि इसकी मरम्मत करवाई जाएगी। आज इसको बीस साल हो गए हैं। अभी तक यह कार्य नहीं हुआ है। क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस बारे में आश्वासन देंगे?

श्री हरिदेव जोशी : आश्वासन इसलिए नहीं दे रहा हूं. वे पूरे नहीं होते हैं. आश्वासन दूंगा और पूरा नहीं होगा तो आप फिर कहेंगे कि वह पूरा नहीं हुआ है।

श्री सांवरमल : इसके लिए तो आश्वासन दे दें।

श्री रावतराम : फतहपुर और चूरू के बीच में एक मील का टुकड़ा है वह रामगढ़ के पास है, करीब है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि फतेहपुर और चूरू के बीच मे एक मील का टुकड़ा है। फतेहपुर, रतनगढ़ और चूरू को रोड़वेज की बसें भी चलती हैं। इस सड़क में गड्ढे हैं। यह महत्वपूर्ण सड़क है और जयपुर से गंगानगर के शॉर्टेस्ट रूट हैं। इसलिए फतेहपुर और चूरू के बीच, जो यह छोटा सा टुकड़ा रह गया है इसको ठीक करवा दें।

श्री हरिदेव जोशी : फेमीन में क्यों नहीं करवा लेते हैं आप। अगर यह इतना इम्पारटेन्ट रूट है तो मैं इसके लिए जो क्रेश प्रोग्राम है और उसमें जो मेटेरियल कम्पोनेन्ट चाहिए वह अलॉट करवा दूंगा और आप इसको क्रेश प्रोग्राम में ले लीजिए।

श्रीमती जमुना सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है····

श्री हरिदेव जोशी : सीकर जिले के कलेक्टर और एम. एल. ए. ने कहा नहीं है। वे वर्क तय करते हैं तो इसको इम्पारटेन्स क्यों नहीं देते हैं।

श्री झाबरमल : इस सड़क के ऊपर 90 हजार का खर्चा हो चुका है। कलेक्टर

(श्री झावरमल)
ने इन्टरेस्ट लिया है। उन्होंने वर्क भी शुरू करवा दिया लेकिन चीफ इन्जीनियर ने पत्र लिखा कि इसको बंद कर दो। यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ली गई थी और दो डिवीजनों को जोड़ने वाली है। दो बड़े शहरों को जोड़ने वाली है इसलिए यह वर्क पूरा कराया जाना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसके लिए लाख, डेड लाख सेंक्सन्ड कर सकता हूं अगर आप इसको जरूरी समझते हैं तो। चाहें तो 50 हजार और दे दूंगा परन्तु आप कलेक्टर से कहिये कि इसकी योजना बना कर केश में सेंक्सन्ड कर दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कलेक्टर आपका है हमारा नहीं है।

श्री झावरमल : हमें विश्वास है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सदन में दिया हुआ आश्वासन है परन्तु इसकी विभाग को जानकारी नहीं है। ऐसी कौनसी प्रक्रिया हो, तरीका हो कि जो आश्वासन पांच पांच बार सदन में दिए जाए और उसकी जानकारी मंत्री महोदय और विभाग को हो सके। मंत्री महोदय फरमाते हैं कि विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने सदन में अभी यह निवेदन किया है कि अगर माननीय सदस्य इसकी अरजेन्सी को समझते हैं तो मैटेरियल कम्पोनेन्ट की स्वीकृति दे दूंगा बशर्ते कि आप अपनी कमेटी से प्रपोजल्स भिजवाएं। मैटेरियल कम्पोनेन्ट के लिए स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री छंगाणी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30-3-73)

भूमि अलॉटमेन्ट की जांच

881. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 28 जनवरी, 1970 को तत्कालीन राजस्व मन्त्री ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि विभिन्न तहसीलों में जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, अन्य पुलिस अधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य राजस्व कर्मचारियों व इनके रिश्तेदारों द्वारा अनधिकृत रूप से गत 5 वर्षों में आवंटित की गई भूमि को निरस्त करने के लिए जांच की जावेगी व ऐसे आवंटनों को निरस्त किया जावेगा ?

(2) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए किस अधिकारी को कब आदेश दिये व किस किस तिथि को राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हुए ?

(3) प्राप्त प्रतिवेदनों के क्या परिणाम रहे। अब तक कितने अधिकारीगण एवं इनके सम्बन्धियों के नाम अनधिकृत रूप

(श्री मोहनलाल छंगाणी,
श्री श्रीराम गोटेवाला)
में कृषि भूमि का आवंटन होना पाया गया।

(4) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर कितने आवन्टनों को निरस्त किया गया ?

(5) राज्य सरकार द्वारा कितने अधिकारियों को जिन्होंने आवन्टन करवाया व कितने अधिकारियों को जिन्होंने आवंटन किया, के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी है क्यों कि विस्तृत जानकारी चाही गयी है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मार्च, 72 से मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप चाहें तो अधूरी जानकारी दे दूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हम पूरी जानकारी चाहते हैं। आपके पास जो अधूरी जानकारी है वही दे दें और जो सूचना रह जाए उसका उत्तर पूरा का पूरा पत्र द्वारा भिजवा दें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जितना है उतना ही ले लो। सदन अब 180 दिनों के बाद मिलेगा। और वह भी एक दिन के लिए।

श्री खेतसिंह : ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यस प्लीज।

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (1) जी हां।

(2) वैधानिक आवंटन निरस्त करने का कलेक्टर को अख्तियार है और वह कार्यवाही कर रहा है।

(3) अभी तक 18 जिलों से उपलब्ध सूचना के आधार पर 262 ऐसे मामले पाए गए उनमें से जिलाधीश, चूरू द्वारा 12 आवंटन निरस्त किए गए हैं। बाकी के लिए कार्यवाही जारी है। अन्य लोगों के विरुद्ध जांच के उपरान्त ही कार्यवाही की जा सकेगी।

इनमें से भीलवाड़ा में 45, चित्तौड़गढ़ में 174, चूरू में 27 और बूंदी में 100 बाकी जिलों में नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप ऐसा करें कि जो आपके अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों ने जमीन ली है उनकी लिस्ट हमारे पास में भिवा दें। राज्य सरकार ने जो आश्वासन दिया है कि इनको निरस्त किया जाएगा परन्तु यह पूरा नहीं हुआ है। अभी मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि सिर्फ 12 आवंटन ही निरस्त किए गए हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि इनको कब निरस्त करेंगे। सारी की सारी जमीन को निरस्त करने के लिए यहां पर आश्वासन दिया गया है परन्तु इस आश्वासन को आज तक इम्प्लीमेन्ट नहीं किया है। इसलिए यह सूचना आप हमें लिखित रूप में भेज दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आश्वासन कमेटी बनी हुई है उस कमेटी से इसकी कार्यवाही करा लीजिए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपने पूरा उत्तर नहीं दिया है। पारशल उत्तर दिया है। टोटल लिस्ट हमें नहीं मिली है। जो अश्योरेन्स कमेटी है उसके जिम्मे तो यह है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके पास आंकड़े मार्च, 70 से उपलब्ध हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि 262 में से, जो आवंटन आपके अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों को हुए उनमें से सिर्फ 12 के खिलाफ ही अब तक क्यों कार्यवाही की गई है। 250 व्यक्ति अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। जनवरी, 70 में यह अश्योरेन्स आपने दिया था और यह अप्रेल, 73 चल रहा है। इसमें अश्योरेन्स कमेटी क्या करेगी? सदन में जो आश्वासन दिया जाता है तो उसको मन्त्री महोदय को पूरा करना चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हमने तो आश्वासन दिया है परन्तु आश्वासन समिति ने क्या किया है, वह बता दीजिए। जो इन्फरमेशन होगी वह भेज देंगे लेकिन इस में ज्यादातर केसेज चित्तौड़ के हैं। जांच के लिए इन केसेज को रेवेन्यू बोर्ड को भेजा है। हम यह प्रबन्ध कर रहे हैं कि रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य को इन केसेज की जांच के लिए चार छः महीने के लिए चित्तौड़ में बिठा दें ताकि ये सब साफ हो जाएं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप लिस्ट जरूर भिजवा दें।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : निरस्तिकरण के आधार में माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं। वह वन मैन्स कमेटी है या उसमें और भी सदस्य होते हैं। इसकी जानकारी दें कि निरस्त किस आधार पर किया गया है? जो आदमी निरस्तिकरण की जानकारी करके कर रहे हैं वह वन मैन्स कमेटी है या और भी सदस्य होते हैं जानकारी के लिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : चित्तौड़ का मामला है इसमें जाकर 2,500 केसेज हैं उनमें से 200-250 केसेज कलेक्टर ने निपटा दिये हैं और उनमें से कुछ कैन्सिल भी किये गये हैं। चित्तौड़ के मामले ज्यादा हैं तो वहीं जाकर वह तय कर देंगे।

श्रीमती निर्मला कुमारी : मैं मन्त्री महोदय से यह जवाब चाहती हूं कि जो निरस्त किये गये हैं वह कलेक्टर के माध्यम से किये गये हैं या कोई कमेटी है जिसके आधार पर निरस्त किये गये हैं। जबकि अलॉटमेन्ट एक कमेटी के द्वारा किये जाते हैं तो कमेटी के निर्णय से ही वे निरस्त हो सकते हैं तो यदि वह वन मैन्स कमेटी है तो वन मैन्स कमेटी द्वारा किये गये निरस्तिकरण का आधार कहां तक सही होगा? इसके बारे में मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ, मन्त्री महोदय।

श्री मोहनलाल छंगाणी : एक ही प्रश्न है। यह जो अलॉटमेन्ट कैन्सिल हुए हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है।

(व्यवधान)

Page No.29

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक आखरी सवाल रह गया है उसका भी जवाब दे दें, वह माननीय सदस्यों से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता था दिलवाना लेकिन क्या करूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप चाहते थे तो कौन मना करता।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय देना चाहें तो दे दें।

(विराम)

(अन्य तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

तेली घाव एनीकट का कार्य

1003. श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में कुछ वर्ष पूर्व निर्मित तेली घाव एनीकट जिस दिन बन कर तैयार हुआ था उसी रात जोर का पानी आ जाने के कारण टूट कर बह गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग ने स्थानीय ग्राम पंचायत व पंचायत समिति, बांदीकुई के तकाजों के बावजूद भी आज तक उसके पुनर्निमाण अथवा मरम्मत के कार्य को हाथ में नहीं लिया है जिससे स्थानीय जनता में काफी रोष है ?

(3) अब विभाग इस कार्य को कब तक हाथ में लेने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) धनराशि की कमी के कारण इस विषय में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

ग्राम दरीबा की खान

1004. श्री मालाराम (नीम का थाना): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत दरीबा, तहसील नीम का थाना में मोदी परिवार को राज्य सरकार ने किसी पत्थर की खान का लीज दे रखा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खान करीब 150-200 फुट गहरी जा चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त खान में मजदूरों के काम करने के लिए बिजली, हवा आदि का कोई प्रबन्ध नहीं है और न प्राथमिक चिकित्सा के कोई साधन उपलब्ध हैं ?

(4) क्या ऐसी अवस्था में सरकार ऐसी खतरनाक खान को तुरन्त बन्द कराने

(श्री मालाराम)
की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक सरकार कार्यवाही करने का आश्वासन देती है ?

उत्तर

(1) जी हां, दरीबा पंचायत क्षेत्र में श्री मोदी मिनरल ग्राईंडिंग मिल्स प्रा. लि., नीम का थाना के नाम खडग बीजपुर के नाम से वेराईटीज का एक खनन पट्टा स्वीकृत है।

(2) जी हां। इस खनन पट्टे क्षेत्र में पहाड़ी पर एक पिट 450 की ढलाव गहराई में 150 फीट गहरा है। उसमें कार्य फिलहाल बन्द है।

(3) उक्त पिट में कार्य बन्द होने के कारण बिजली, हवा आदि व प्राथमिक चिकित्सा के प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं है।

(4) उक्त पिट में कार्य बन्द है। अत: प्रश्न नहीं उठता।

मेजा फीडर के अन्तर्गत आई भूमि का मुआवजा

1008. श्री जवाहरमल जाट (सहाड़ा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में मेजा फीडर के अन्तर्गत काश्तकारों की उपजाऊ जमीन आई है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने काश्तकारों को कोई मुआवजा अब तक दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? जिन लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है उसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

जी हां। अधिकांश काश्तकारों को जमीन के बदले जमीन दे दी गई है। कुछ काश्तकारों ने जमीन लेना स्वीकार नहीं किया। उनके लेण्ड एवार्ड जारी करने हेतु जिलाधीश को लिखा गया है। एवार्ड जारी होते ही उन काश्तकारों को भुगतान कर दिया जावेगा।

खारची तहसील में सेटलमेन्ट का कार्य

1013. श्री दलपतसिंह (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(2) क्या खारची तहसील में सेटलमैंट की अवधि समाप्ति 2029 तक थी तो री-सेटलमेन्ट इस समाप्ति के पूर्व क्यों कराया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि खारची तहसील में सम्वत् 2029 से री-सेटलमेन्ट के परचे बांटे गए हैं और लगान बढ़ा कर लगाया गया है ? यदि हां, तो यह किस नियम के तहत लगाया गया है ?

(3) क्या खारची तहसील के काश्तकारों द्वारा राजस्व विभाग से किए गए नामान्तरकरण एवं री-सेटलमेन्ट का लगान दो हजार तीस से लागू कराने आदि का पेश हुआ ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

[redacted] **Page No.31**

(राजस्व मंत्री)

(2) यह सही है। लगान बढ़ोतरी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की घोषणा, दिनांक 25-3-70 के अनुसार ही लगान निर्धारित किया गया है।

(3) जो नामान्तरकरण राजस्व विभाग द्वारा किए गए हैं उनको भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्बन्धित रिकार्ड में अमल किया गया है। सम्वत् 2030 से री-सेटलमेंट लागू करने के सम्बन्ध में आयुक्त, भू-प्रबन्ध, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र आये हैं। लेकिन इस तहसील की भू-प्रबन्ध अवधि संवत् 2029 से 2048 तक की निश्चित है जो ठीक है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26-3-73)

नामान्तरकरण के मामले

748. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार नामान्तरकरण पंचायतों की जगह खुद ही सीधा कर देते हैं? अगर हां, तो क्यों?

(2) नागौर जिले में ऐसे कितने मामले हैं जिनका नामान्तरकरण सीधा तहसीलों में किया गया है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऐसे नामान्तरकरण करना अवैधानिक नहीं है? अगर है, तो ऐसा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि तहसीलदार नामान्तरकरण पंचायतों के स्थान पर स्वयं ही कर देते हैं। अगर पंचायत दो माह तक नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करते है तो राजस्व मण्डल के आदेशानुसार तहसीलदार उप क्षेत्रीय अधिकारी की स्वीकृति से स्वयं कर सकते हैं।

(2) निम्नलिखित तहसीलों द्वारा नामान्तरकरण सोपे हो तहसीलदारों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं:—

(1) तहसील जायल	38
(2) तहसील डेगाना	303

(3) इस सम्बन्ध में जांच हेतु सम्बन्धित उपक्षेत्रीय अधिकारियों को लिखा जा रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नीम का थाना के ग्राम गुहाला का मन्दिर

655. श्री हनुमान सहाय (बैराठ) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीम का थाना तहसील में कुल कितने मन्दिर हैं? क्या ग्राम गुहाला में श्री गोविन्द जी का मन्दिर है? यदि

(श्री हनुमानसहाय)
हां, तो इसके पुजारी को मासिक भोग के लिए कितनी धनराशि दी गई है और किस किस महिने और किस किस वर्ष में ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मन्दिर के पुजारी को 7.50 रुपये मासिक दिया जाना वर्ष 1943 से स्वीकृत किए जाने का निर्णय किया जा चुका है? यदि हां, तो अब तक पेमेन्ट क्यों नहीं किया गया और कब तक किए जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) तहसील नीम का थाना, जिला सीकर में सहायता प्राप्त 21 मन्दिर हैं। ग्राम गुहाला में श्री गोविन्द जी का कोई मन्दिर सहायताप्राप्त नहीं है।

(2) जी नहीं ।

मीरपुर दुग्ध सहकारी समिति लि., जिला सिरोही

656. श्री जैठमल आर्य (रेवदर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिरोही जिले में मीरपुर दुग्ध सहकारी समिति लि. का गठन कब हुआ तथा समिति के कुल कितने और कौन कौन सदस्य हैं और वे क्या कार्य करते हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) मीरपुर दुग्ध सहकारी समिति का उद्देश्य क्या है तथा अब तक समिति ने कुल कितना टर्न ओवर किया और इसकी कार्यशील पूंजी कितनी है ?

उत्तर

(1) मीरपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. का गठन दिनांक 8-5-72 को हुआ। उसके 18 सदस्य हैं। सदस्यों की सूची मय उनके व्यवसाय के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त समिति का मूल उद्देश्य ग्राम के सरप्लस दूध को एकत्रित कर अन्यत्र विपणन करना है। समिति ने पंजीयन से अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। समिति की कार्यशील पूंजी रु. 186.15 पैसे है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अलवर जिला ग्राम सेवा सहकारी समिति, हरसोरा

657. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिला ग्राम सेवा सहकारी समिति, हरसोरा का चुनाव कब हुआ और उसके कौन-कौन अधिकारी हैं ?

(2) सोसाइटी को जिला को-ऑपरेटिव बैंक से कब कब और कितना कितना ऋण प्राप्त हुआ और उसमें से कितना ऋण चुकाया है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम सहकारी समिति के अधिकारियों ने किसानों से ऋण

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

वसूल कर लिया है मगर सेन्ट्रल बेंक को जमा नहीं कराया है ? यदि हां, तो कितना रुपया वसूल हो चुका है ?

(4) उक्त सहकारी समिति का कितना-कितना रुपया किस किस के जिम्मे बकाया है और उसके वसूल न होने का क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

आयुर्वेद रसायनशाला जोधपुर

658. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर आयुर्वेद रसायनशाला के इन्चार्ज ने फरवरी 1973 के अन्तिम सप्ताह में 44 हजार रुपये की स्थानीय खरीद की है जबकि खरीद का कोई अधिकार नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि कोषाधिकारी ने उक्त खरीद के बिल पास करने से मना कर दिया और राज्य सरकार को भिजवा दिया ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त इंचार्ज के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि जोधपुर आयुर्वेद रसायनशाला प्रभारी ने केवल फरवरी, 1973 के अन्तिम सप्ताह में 41 हजार की औषधि स्थानीय क्रय की, खरीद के रसायनशाला प्रभारी को अधिकार हैं।

(2) यह सही है कि कोषाधिकारी ने सितम्बर, 72 से फरवरी, 73 तक के लगभग 4,01,83,931 रु. के बिलों को एकत्रित कर प्रभारी रसायनशाला को वापिस कर दिया तथा अपनी आपत्तियों की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भी दी। जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि प्रभारी ने अपने अधिकार का उल्लंघन किया है, तब तक दण्ड देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एण्टीकरप्शन डिपार्टमेण्ट द्वारा इस बारे में जांच की जा रही है।

राता-भाटा बांजोरा फीडर

659. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राता-भाटा बांजोरा फीडर, उप-खण्ड ब्यावर, जिला अजमेर पर लेबर रेट पर किसी कार्य का ठेका श्री माधोलाल टांक को दिया गया था ? यदि हां, तो उनको कार्य पूरा होने पर अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया ? और अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा।

उत्तर

जी हां। अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। वित्तीय अनुदान के लिये सहायता विभाग को लिखा हुआ है। स्वीकृति प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जावेगा।

पार्वती कैनाल से सीपेज

660. श्री रामलाल (मेड़ता) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पार्वती कैनाल का सीपेज इतना बढ़ गया है कि

(श्री रामलाल)
पार्वती कैनाल क्षेत्र में खरीफ की फसल तो बिल्कुल ही नहीं होती है तथा रबी की फसल भी 1/4 रह गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पार्वती कैनाल का सीपेज यदि नहीं रोका गया तो पांच वर्ष के अन्दर अन्दर सारा नहरी क्षेत्र अबादी के लिहाज से बर्बाद हो जायेगा। यदि हां, तो क्या सरकार सीपेज को रोकने के लिये ड्रेनेज बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

सिरोही जिले के ग्राम पोसीतरा के काश्तकार

661. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की मेर माण्डवाड़ा पंचायत क्षेत्र में पोसीतरा ग्राम के निवासी श्री लखमाराम आदि काश्तकारों को नहरी एरिया में लगभग 83 एकड़ भूमि पर सिंचाई विभाग द्वारा एक बार पानी देकर गेहूं की फसल बोई गई थी ? यदि हां, तो गेहूं बोने के पश्चात् पानी क्यों नहीं दिया गया ? इसके लिये दोषी कौन है ?

(2) क्या यह सही है कि संरपच व श्री प्रतापसिंह और सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता श्री हरिसिंह ने मिल कर ग्राम की जोड़ की सरकारी जमीन पर लगभग 80 बीघा गेहूं बोकर पानी देने के लिये श्री लखमाराम आदि के खेत में पानी नहीं दिया ? यदि हां, तो क्या अवैध काश्त करने वाले सरकारी कर्मचारी की फसल कुड़क करके गरीब काश्तकारों को मुआवजा दिया जायेगा ?

उत्तर

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

तहसील टौंक के बांध मासी और दौलतसागर के कमाण्ड एरिया की जमीन

662. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील टौंक में बांध मासी व दौलत-सागर के कमाण्ड ऐरिया में किस्म जमीन चारागाह को क्यों नहीं शामिल किया गया? यदि सम्मिलित किया है तो यह जमीन किस किस गांव में व किस किस बांध के नीचे है ? ब्योरेवार लिस्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

तहसील टौंक के बांध मासी व दौलत-सागर के कमाण्ड एरिया में किस्म जमीन चारागाह को शामिल किया गया है। सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

सरपंच, पंचायत दिशनाऊ, पंचायत समिति, फतेहपुर के विरुद्ध शिकायतें

663. **श्री सांवरमल मोर** (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री खड़गसिंह सरपंच, पंचायत दिशनाऊ, पंचायत समिति, फतेहपुर (सीकर) के खिलाफ कई गम्भीर आरोपों के कारण पंचायत मन्त्री द्वारा 13-8-70 को रिव्यू खारिज कर दी थी ? अगर हां, तो उक्त सरपंच अभी तक कार्य कैसे कर रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच द्वारा पंचायत मन्त्री को रिव्यू की सुनाई का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया तो वाला बाला यह पत्रावली विधि विभाग से पंचायत मन्त्री ने क्यों मंगवाई और आज तक उक्त सरपंच को कार्य से पृथक् क्यों नहीं किया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्री खड़गसिंह सरपंच व श्री भागीरथसिंह उप सरपंच को वार्डों के सम्बन्ध में तीन बार बाद जांच दोषी पाया गया ? यदि हां, तो कलेक्टर सीकर व अतिरिक्त विकास आयुक्त पंचायत, जयपुर ने राज्य सरकार को दोनों को सस्पेन्ड करने के वास्ते लिखा तो उन्हें अभी तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

उदयपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व परिवार नियोजन केन्द्र

664. **श्री नानालाल** (राजसमन्द) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार किस आधार पर तथा कितनी जनसंख्या वाले गांवों में चिकित्सालय बनाती है ?

(2) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिवार नियोजन केन्द्र एक ही जगह होने पर दोनों के चिकित्सकों में वैमनस्य बढ़ता है ? यदि हां, तो फिर दोनों केन्द्रों को एक जगह क्यों रखा जाता है ?

(3) उदयपुर जिले में दोनों प्रकार के केन्द्र एक ही जगह कहां कहां पर हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राज्य में नवीन डिस्पेन्सरी खोलने हेतु निम्न आधारों को ध्यान में रखा जाता है:—

1. ग्राम की जनसंख्या 3,000 से 5,000 हो।

2. ग्राम के आस पास 5 से 10 मील के क्षेत्र में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो।

3. दान से भवन प्राप्त होने पर उसे प्राथमिकता दी जाती है।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) उदयपुर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र जिनका मुख्य स्थान एक ही जगह पर है उनका ब्योरा निम्न प्रकार है:—

1. राजसमन्द 2. आमेट 3. सनवाड़ 4. कुरावड़ 5. कोटड़ा 6. रेलमगरा 7. रोचेड़ 8. धरियावद 9. केलवाड़ा 10. खमनोर 11. सायरा 12. कानोड़ 13. ऋषभदेवजी 14. जाड़ोल 15. बरार 16. झाड़ोल 17. देवगढ़ 18. सलूम्बर।

चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समितियों की निजी आय की राशि

665. **श्री श्रीनिवास शारदा** (निम्बाहेड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की किन किन पंचायत समितियों की निजी आय की कितनी कितनी राशि किन किन बैंकों में जमा है ?

(2) क्या पंचायत समितियों की जमा निधि का ब्याज पंचायत समितियों को मिल रहा है।

(3) यदि ब्याज नहीं मिल रहा है तो किस की गल्ती से एवं इससे पंचायत समितियों को कितनी हानि उठानी पड़ रही है ?

(4) क्या सरकार पंचायत समितियों को अधिकृत नहीं करना चाहती कि वे अपनी निजी आय की राशि को ऐसे बैंकों में जिनसे अधिकाधिक ब्याज मिल सकता हो, अमानती खातों में रख सकें ?

उत्तर

(1) किसी भी पंचायत समिति की निजी आय की राशि बैंक में जमा नहीं है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार ने ये आदेश प्रसारित किये हैं कि निजी आय में बचत की राशि ब्याज देय पी. डी. खाते में रखी जा सकती है। मगर उसमें शर्त ये है कि वह राशि कम से कम 90 दिन तक रहनी चाहिए।

सोजत रोड से फौलाद जाने वाली सड़क की मरम्मत

666. **श्री दलपतसिंह** (खारची): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सोजत रोड से फौलाद जाने वाली सड़क बहुत टूटी फूटी है और इस सड़क की बनने के बाद कभी मरम्मत की गई ? यदि हां, तो कब कब की गई और कितना खर्चा इस पर हुआ ? और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या हर वर्ष उक्त सड़क पर मिट्टी डाली जाती है ? यदि हां, तो उस पर सरकार को क्या खर्च करना पड़ता है ?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) कुछ स्थानों पर सड़क की दशा अच्छी नहीं है। उपलब्ध धन राशि के अनुसार वर्ष 69-70 से फरवरी 73 तक निम्न धन राशि व्यय की गई है:-

वर्ष	मरम्मत
1969-70	रुपये 12,283
1970-71	रुपये 12,280
1971-72	रुपये 10,164
1972-73 (फरवरी तक)	रुपये 22,868

(2) स्थायी विभागीय दो गेंग अर्थ-ब्लाइंडिंग कार्य करती हैं जिस पर अब 19,868 रुपये व्यय होता है।

सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर एवं सर्वेलेन्स वर्कर की नियुक्तियां

श्री बनवारीलाल (निवाई): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के मलेरिया विभाग में वर्ष 1972-73 में कितने सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर एवं सर्वेलेन्स वर्कर की नियुक्ति की गई? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने व्यक्तियों की उपरोक्त पदों पर नियुक्ति की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त नियुक्तियों में 28 प्रतिशत सुरक्षित स्थान के हिसाब से अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया?

उत्तर

(1) 2 सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर्स एवं 173 सर्वेलेन्स वर्कर की नियुक्ति की गई।

(2) 2 सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर एवं 54 सर्वेलेन्स वर्कर्स अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 12 स्वर्णकारों के प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी गई।

(3) जी हां।

स्मालपॉक्स वेक्सीनेटर्स की नियुक्ति

668. **श्री बनवारीलाल** (निवाई): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निम्नलिखित स्मालपॉक्स वेक्सीनेटर्स की नियुक्ति कौन कौन सी तारीख से हुई।—

(1) श्री राधेश्याम,

(2) श्री प्रभूलाल जैन,

(3) श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा,

(4) श्री भंवरसिंह,

(5) श्री प्रतापसिंह,

(6) श्री शब्बीर खां,

(7) श्री गणपतलाल जाखाल।

(2) अब उपरोक्त वेक्सीनेटर्स किस पद पर कहां कहां काम कर रहे हैं?

Page No.38

(श्री बनवारीलाल)

(3) क्या उपरोक्त कर्मचारियों में से किन्हीं को पदोन्नत किया गया ? यदि हां, तो किस पद पर एवं कब ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नियुक्ति की तिथि उनके नामों के सम्मुख अंकित है:—

नाम	नियुक्ति तिथि
1. (1) श्री प्रभुलाल जैन	22-5-64
(2) श्रीरामेश्वरप्रसाद शर्मा	3-10-62
(3) श्री भंवरसिंह	17-12-72
(4) श्री प्रतापसिंह	26-11-63
(5) श्री शब्बीर खां	15-10-62
(6) श्री गरणपतलाल	1-11-62

(7) श्री राधेश्याम टीकाकार नामक विभाग में 12 व्यक्ति कार्यरत हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(1) श्री राधेश्याम	29-1-64
(2) श्री राधेश्याम	20-11-62
(3) श्री राधेश्याम	24-6-63
(4) श्री राधेश्याम	14-8-63
(5) श्री राधेश्याम	24-2-63
(6) श्री राधेश्याम	16-4-67
(7) श्री राधेश्याम	30-3-64
(8) श्री राधेश्याम	3-9-63
(9) श्री राधेश्याम	7-12-64
(10) श्री राधेश्याम	15-6-64
(11) श्री राधेश्याम	22-6-61
(12) श्री राधेश्याम	22-7-64

2. उक्त टीकाकारों के वर्तमान पद व स्थान का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

क्रम सं.	नाम	वर्तमान पद	कार्यरत स्थान का नाम
1	2	3	4
(1)	श्री प्रभूलाल जैन	कनिष्ट लिपिक	कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जयपुर।
(2)	श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा	कनिष्ट लिपिक	कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जयपुर।
(3)	श्री भंवरसिंह	टीकाकार	प्रा. स्वा. केन्द्र, कैथून, (कोटा)
(4)	श्री प्रतापसिंह	बी.सी.जी. कला प्रवीण	क्षय निवारण केन्द्र, सीकर
(5)	श्री शब्बीर खां	बी.सी.जी. कला प्रवीण	क्षय निवारण केन्द्र, झूंझुनूं
(6)	श्री गरणपत लाल	टीकाकार	प्रा. स्वा. केन्द्र, कोटखावदा, (जयपुर)
(7)	श्री राधेश्याम	टीकाकार	जोधपुर

(चिकित्सा मंत्री)

1	2	3	4
(8)	श्री राधेश्याम	टीकाकार	करौली
(9)	श्री राधेश्याम	टीकाकार	अलवर
(10)	श्री राधेश्याम	टीकाकार	उदयपुर
(11)	श्री राधेश्याम	टीकाकार	भीलवाड़ा
(12)	श्री राधेश्याम	टीकाकार	करौली
(13)	श्री राधेश्याम	टीकाकार	भरतपुर
(14)	श्री राधेश्याम	टीकाकार	चूरू
(15)	श्री राधेश्याम	टीकाकार	बांसवाड़ा
(16)	श्री राधेश्याम	टीकाकार	बांसवाड़ा
(17)	श्री राधेश्याम	टीकाकार	करौली
(18)	श्री राधेश्याम	टीकाकार	चूरू

(3) जी हां। उपरोक्त कर्मचारियों में से केवल निम्नलिखित को निम्नलिखित पदों पर चयन कर पद स्थापित किया गया है, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान पद	कब से
(1)	श्री प्रभूलाल जैन	कनिष्ट लिपिक	11-8-70
(2)	श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा	कनिष्ट लिपिक	31-12-70
(3)	श्री प्रतापसिंह	बी.सी.जी. कला प्रवीण	5-6-67
(4)	श्री शब्बीर खां	बी.सी.जी. कला प्रवीण	24-8-71

शिक्षा कर की राशि

669. श्री चेतराम (टोडा भीम) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, बामनवास एवं पंचायत समिति, टोडाभीम, में शिक्षा कर का कितना कितना रुपया किन किन सरपंचों को दिया गया है जिसको उन्होंने स्कूल भवनों में नहीं लगाया है तथा यह रुपया कितने कितने समय से इनके पास है ?

(2) क्या सरकार ने कानूनी कार्यवाही (पी. डी. आर.) के तहत करके उक्त धनराशि को उनसे वसूल करने की कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? और क्या अब उचित कार्यवाही कर इस धनराशि को वसूल कर तत्सबन्धित भवनों में लगाने की कृपा करेगी ?

(स्थगित किया गया)

चूरू जिले में क्रेश कार्यों की स्वीकृति

670. **श्री मोहरसिंह (चूरू)** : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले के लिये क्रेश कार्यों की स्वीकृति 71-72 के लिये कब हुई ? स्वीकृति पत्र की प्रति सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) चूरू जिले के लिये क्रेश कार्यों की स्वीकृति 72-73 के लिये कब हुई ? देरी होने का क्या कारण ? इस देरी के लिये कौन जिम्मेदार है।

(3) क्या अन्य जिलों में इसी प्रकार देरी से स्वीकृति दी गई है ? सम्बन्धित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

जैसलमेर-समधनाना सड़क के निर्माण का ठेका

671. **श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर-समधनाना सड़क 24 माईल से 5. माईल तक के निर्माण का ठेका मैसर्स भंवरलाल एण्ड बोहरा ब्रदर्स को दिया गया था ? यदि हां, तो कब और कितने रुपयों का ?

(2) इस कम्पनी को अब तक किन किन तारीखों में कितना कितना भुगतान किया जा चुका है ? और इससे एक्स्ट्रा आइटम्स का कितना भुगतान किया गया है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि एक्स्ट्रा आइटम्स के लिये भुगतान करने से पूर्व उपयुक्त अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी ? यदि नहीं तो किस 2 भुगतान के लिये ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी और कब कब ?

(4) क्या यह सही है कि एक्स्ट्रा आइटम्स का भुगतान स्वीकृत दरों से अधिक दर पर किया गया ? यदि हां, तो किस किस आइटम्स का तथा क्यों ?

(5) क्या ऐसे अनधिकृत भुगतान के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि इन एक्स्ट्रा आइटम्स के सम्बन्ध में कार्यवाही अधिकारियों द्वारा उनके उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(7) ठेकेदार को ठेकों की शर्तों के अतिरिक्त कितना 2 एडवान्स अन्य प्रकार का कितना 2 सामान एवं सुविधा कब कब दी गई ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत ठेकेदारों को भुगतान

672. श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 72 से लेकर 31 मार्च 72 तक किस किस ठेकेदार को किस किस कार्य के लिये कितनी कितनी रकम का भुगतान किया गया ?

(2) इस रकम में ठेके की रकम के अतिरिक्त कितना कितना एक्स्ट्रा आइटम्स का भुगतान किया गया ?

(3) एक्स्ट्रा आइटम्स का भुगतान उपयुक्त अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से किया गया था या नहीं ? यदि हां, तो ऐसी स्वीकृति किस किस भुगतान के सम्बन्ध में कब कब प्राप्त हुई थी ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

सीकर जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्य

673. श्री झाबर मल (फतेहपुर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में सन् 1971-72 में क्रेश प्रोग्राम के तहत कौन कौन से कार्य हाथ में लिये गये तथा कुल कितने आदमियों को काम में लगाया गया ?

( ) क्या यह सही है कि सन् 1971-72 में जिले के लिये निर्धारित कुल रकम खर्च नहीं हो सकी ? यदि हां, तो किन कारणों से कितनी रकम लेप्स हुई ?

(3) क्या सन् 1972-73 में क्रेश प्रोग्राम के लिये निर्धारित कुल रकम खर्च होने के अनुमान हैं ? इस वक्त कितने स्थानों पर काम चल रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि जरूरतमंद लोगों के लिये क्रेश कार्य शुरू नहीं किये जाकर कार्य वहां शुरू किये गये हैं जहां कि मजदूर नहीं मिलते ? यदि हां, तो क्या सरकार जहां मजदूर उपलब्ध हों वहां कार्य चालू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां। तकनीकी एवं लम्बी प्रणाली होने के कारण स्वीकृत राशि में से 6,29,704) लेप्स हुए।

(3) 12.50 लाख की निर्धारित राशि में से 75,000/- अन्य जिले के लिए डाइवर्ट जनवरी, 73 में किये गये थे जबकि कार्य की प्रोग्रेस ठीक नहीं थी। बाकी राशि खर्च हो गई है। 32 स्थानों पर कार्य चल रहा है।

(4) इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

Page No.42

मशीनों का भुगतान

674. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कुछ मशीनें एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, आर. एम. सी. II कैनाल सर्कल, कोटा ने मैसर्स मेहरचन्द्र एन्ड सन्स, जयपुर से किराए पर ली थी ? यदि हां, तो उनका भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ है जबकि कार्य समाप्त हुए डेढ़ साल हो चुका है ? तथा अब भुगतान कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

यह मामला अभी एक्जामिन किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद भुगतान कर दिया जावेगा।

सांख्यिकी विभाग के कर्मचारी

675. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मन्त्री, सांख्यिकी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सांख्यिकी विभाग के कर्मचारियों का स्थाईकरण अभी तक क्यों नहीं किया गया जबकि इस हेतु नियमों में स्पष्ट प्रावधान एवं राज्यादेश हैं ?

(2) उक्त विभाग के निदेशक श्री वर्मा को एक ही पद पर गत 16 वर्षों से क्यों रक्खा जा रहा है जबकि राज्य में प्रत्येक अधिकारी के प्रत्येक 3 वर्ष बाद स्थानान्तरण की व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) नियमानुसार जिन व्यक्तियों का स्थाईकरण किया जा सकता उनका किया गया है।

(2) निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी का पद तकनीकी है, प्रशासनिक सेवा का नहीं है अतः इस पद के लिये 3 वर्ष की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती।

सांख्यिकी सहायकों का चयन

676. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) क्या मन्त्री, सांख्यिकी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायकों का चयन करने के लिए 1965 के बाद डी. पी. सी. बैठी ? यदि हां, तो क्या 1965 के चयनित व्यक्तियों का सबका पद पर स्थाईकरण हो गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस वक्त 8 पोस्ट सांख्यिकि सहायकों की रिक्त पड़ी हैं ? यदि हां, तो इन्हें क्यों नहीं भरा जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदों को भरने के लिए कोई विज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसमें कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पदों के लिए पूर्व में पोस्ट ग्रेज्युएट तृतीय श्रेणी वालों को भी अधिकृत माना गया था ?

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

(5) क्या यह सही है कि 1965 में चयनित लेकिन 6 अस्थाई सांख्यिकी सहायकों को इसमें शरीक न होने के लिए पोस्ट ग्रेज्युएट द्वितीय श्रेणी रखी गई ?

(6) क्या यह सही है कि 1965 की डी. पी. सी. में चयनित 7 सहायकों को स्थाई किया गया और उनमें 6 व्यक्ति ग्रेज्युएट तृतीय श्रेणी के ही हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सांख्यिकी सहायकों के पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए वर्ष 1966 में भी डी. पी. सी. बैठी थी। 1965 में पदोन्नति द्वारा चयनित व्यक्तियों में से 7 को स्थाई कर दिया गया है।

(2) जी हां, यह सही है कि राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के अधीन सांख्यिकी सहायकों के 18 पदों से भी अधिक पद रिक्त पड़े हैं। इन रिक्त पदों को पदोन्नति व सीधी भर्ती दोनों ही माध्यम से राजस्थान सांख्यिकी अधिनस्थ सेवा नियम, 1971 के अनुसार भरे जाने की कार्यवाही चालू है।

(3) व (4) जी हां, यह सही है कि उक्त पदों में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था। इन पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए नियमानुकूल शैक्षणिक व अन्य योग्यता ही विज्ञापन में दी गई हैं। जी हां। केवल पूर्व में ही नहीं आज भी स्टेटिस्टिक्स में डिप्लोमा के साथ पोस्ट ग्रेज्युएट तृतीय श्रेणी वाले सांख्यिकी सहायक के पद के लिए योग्य पात्र हैं।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। सातों ही ग्रेज्युएट तृतीय श्रेणी के हैं।

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का वाहन

677. श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या मन्त्री आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में राजकीय वाहन है ?

(2) यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत वह वाहन कब खरीदा गया ?

(3) क्या उपरोक्त वाहन के बारे में कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां, केवल एक वाहन है।

(2) निदेशालय के प्रशासनिक एवं योजना कार्य को सबल बनाने की योजना के अन्तर्गत यह वाहन वित्तीय वर्ष 1971-72 में खरीदा गया।

(3) जी हां, महालेखाकार राजस्थान के दिनांक 28-8-72 के निरीक्षण प्रतिवेदन में वाहन के बारे में ऑडिट ऑब्जेक्शन हुये हैं जिनको निरस्त करवाने की विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-2-73 व 2-3-73)

राजस्थान में सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत सड़कों का ठेका

678. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत अब तक राजस्थान में कौन कौन और कितनी कितनी मील सड़कों का निर्माण हुआ है ? इनमें से कितनी सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है और कितनी सड़कों पर कितना और कहां पर कार्य चालू है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) इन सड़कों का निर्माण किन किन ठेकेदारों से करवाया गया ?

(3) ऐसे प्रत्येक ठेकों की मूल रकम कितनी कितनी थी और अन्तिम भुगतान कितना कितना हुआ है ?

(4) किन किन ठेकेदारों के कितनी कितनी रकम के बिल भुगतान के लिए विभाग के पास विचाराधीन पड़े हैं और कब कब से ?

(5) उपरोक्त ठेकेदारों में विभाग की कितनी कितनी रकम कब से बकाया पड़ी है और इसका अब तक भुगतान न होने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सूची (अ) में अंकित है।

(2) वांछित सूचना सूची (अ) में अंकित है।

(3) वांछित सूचना सूची (अ) में अंकित है।

(4) सूचना एकत्रित की जा रही है, जो आने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(5) सूचना एकत्रित की जा रही है। जो आने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27-3-73)

सड़क निर्माण कार्य में अवाप्त सरकारी भूमि का मुआवजा

434. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत उन भूमि खण्डों को भी अवाप्त करने की कार्यवाही की जाती है जो भूमि वास्तव में राज्य सरकार की बिला कब्जा भूमि होती है तथा ऐसी कार्यवाही में भूमि अवाप्ति अधिकारियों द्वारा प्रायः राजकीय भूमि अवाप्त करके उसका मुआवजा गलत दावेदारों को दे दिया जाता है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त कार्यवाही में आवश्यक पक्षकार होते हुये भी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

भूमि अवाप्ति अधिकारियों द्वारा जिलाधीशों को सूचना दिये बिना प्राय: एक पक्षीय कार्यवाही में एवार्ड तय किए जाते है?

(3) क्या यह सत्य है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर द्वारा सन् 1969-70 में बाड़मेर जिले की निम्नांकित राजकीय भूमि को ही अवाप्त करके कुछ व्यक्तियों को लाखों रुपयों का मुआवजा दिया गया है और इन मामलों में जिलाधीश, बाड़मेर को बिना सूचित किये एवं राज्य सरकार को पैरोकारी का अवसर प्रदान किए बिना ही एक पक्षीय एवार्ड जारी किए गए हैं: —

(क) सीमा सुरक्षा दल के रहवासी क्वार्टर्स हेतु अवाप्ति भूमि।

(ख) बाड़मेर से चौहटन बाई पास रोड़ में अवाप्त भूमि केसेज।

(ग) सिणधरी गडरा रोड़ में अवाप्त भूमि केसेज।

(4) यदि यह सत्य हो तो क्या राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक जांच एवं कार्यवाही करने को तत्पर है?

(5) तहसीलदार के दर्जे के अधिकारी को भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त क्यों किया जाता है ?

(6) जब भूमि अवाप्ति अधिनियम में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करने के अधिकार जिलाधीशों को ही प्रदत्त हैं तो उन अधिकारों को तहसीलदारों के पद के अधिकारियों को क्यों डेलीगेट किया जा रहा है ? यदि जिलाधीश की शक्तियों को डेलीगेट करना ही आवश्यक हो तो क्या यह डेलीगेशन परगना अधिकारियों या वरिष्ठ आर. ए. एस. अधिकारियों को वांछनीय नहीं हैं ?

(7) क्या सरकार भूमि अवाप्ति अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके यह शक्तियां परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर को प्रदान कर और उनके निर्णय व एवार्ड को अपील जिलाधीश के समक्ष होने का प्रावधान करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) साधारणतया सरकारी पड़त भूमि को अवाप्त किये जाने की कार्यवाही नहीं की जाती है और न ऐसे व्यक्ति को मुआवजा ही दिया जाता है जो मुआवजा पाने का अधिकारी नहीं है।

(2) दफा 11 (1) भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 के तहत नोटिस विभाग अधिकारी को दिया जाता है।

(3) मामले की जांच करवाई जा रही है। वस्तुस्थिति प्रत्येक के सामने अंकित कर दी गई है।

(क) सीमा सुरक्षा दल की अवाप्त भूमि श्री चतुर्भुज अग्रवाल की कनवरटेड आबादी भूमि एवं इमारती पट्टा शुदा थी, जिसका एवार्ड सीमा सुरक्षा दल के प्रतिनिधि श्री अर्जनसिंह की उपस्थिति में दिया गया है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(ख) बाड़मेर (चोहटन) बाईपास में अवाप्त भूमि सब आबादी भूमि थी। जिन दावेदारों ने इमारती पट्टे पेश किये हैं उन्हीं को मुआवजा दिया गया है।

(ग) कनवरटेड आबादी एवं पट्टा इमारती शुदा जमीन अवाप्त की गई है। और मुआवजा भुगतान हकदार को किया गया है।

(4) जांच करवायी जा रही है।

(5) भूमि अवाप्ति के कार्य को सम्पन्न कराने हेतु किसी भी अधिकारी को भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

(6) परिस्थितिवश जिलाधीश के अधिकार किसी भी अधिकारी को दिये जा सकते हैं।

(7) यह राजस्व विभाग से सम्बन्धित है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30-3-73)

बड़े काश्तकारों से अवाप्त की गई भूमि का अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को आवंटन

543. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सीलिंग कानून के लागू हो जाने के बाद कितनी भूमि बड़े बड़े काश्तकारों से अवाप्त की गई तथा इनमें से कितनी भूमि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित की गई? इसमें से कितने भूमि का कब्जा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिलवाया गया?

—

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30-3-73)

जिलाधीश नागौर द्वारा कर्मचारियों के स्थानान्तरण

546. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नांवा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिलाधीश, नागौर ने जिला कार्यालय व तहसील कार्यालयों के कर्मचारियों के गत 2 साल की अवधि में किस किस के व कब कब और क्यों स्थानान्तरण किए हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन अनियमित स्थानान्तरणों के कारण राज्य सरकार को कितना टी. ए. व डी. ए. कर्मचारियों को देना पड़ा?

उत्तर

(1) जिलाधीश, नागौर द्वारा वर्ष 1971 व 1972 में जिन जिन कर्मचारियों के जब जब स्थानान्तरण किये उनकी सूची संलग्न हैं। ये स्थानान्तरण कर्मचारियों के एक स्थान पर अधिक समय तक रहने, पदों

(राजस्व मंत्री)
में कमी आने, नये पदों के सृजन होने तथा प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं।

(2) कोई अनियमित स्थानान्तरण नहीं किया गया जिस पर टी. ए. डी. ए. देना पड़ा हो।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27-3-73)

खनिज लीज

453. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितनी खनिज की लीज किन किन को कब से कहां कहां किन शर्तों पर सरकार ने दे रखी है? क्या एक ही किस्म के खनिज की लीज अलग अलग पार्टी को अलग शर्तों पर दे रखी है? यदि हां, तो किन किन को और क्यों ?

(2) बीकानेर जिप्सम लिमिटेड को किन किन खनिजों की लीज कहां कहां किन किन शर्तों पर कब से दे रखी है? क्या बीकानेर जिप्सम लिमिटेड कं. में राज्य सरकार का भी हिस्सा है? यदि हां, तो कब से कितना हिस्सा है तथा इनमें कितनी पूंजी लगी हुई है व उपरोक्त कम्पनी का संचालन किस तरह से होता है? राज्य सरकार का इसके संचालन व नियंत्रण में कितना हिस्सा है ?

(3) बीकानेर जिप्सम लिमिटेड में कुल कितने मजदूर काम करते हैं? साल भर में कितना जिप्सम निकलता है ? सालाना आमदनी कितनी है व सरकार को इससे रॉयल्टी व आमदनी के रूप में कुल कितनी आय होती है ?

(4) क्या सरकार का उपरोक्त कम्पनी द्वारा निकाले गये जिप्सम की बिक्री की दर पर कोई नियंत्रण है ?

(5) क्या सरकार का उपरोक्त कम्पनी के व्यय पर किसी तरह का नियंत्रण है ? यदि हां, तो किस तरह का ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या राज्य सरकार ने एफ. सी. आई. को भी जिप्सम खनिज की लीज दे रखी है ? यदि हां, तो कब से कहां कहां पर किन किन शर्तों पर ?

(7) क्या एफ. सी. आई. द्वारा ली गई जिप्सम की लीज पर कोई खास तरह का प्रतिबन्ध या शर्त लगाई है ? यदि हां, तो क्या और किस तरह की शर्त लगाई है? क्या ऐसी ही शर्त बीकानेर जिप्सम लिमिटेड पर भी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(8) क्या यह सही है कि एफ. सी. आई. को दी गई लीज की शर्त के कारण उनके द्वारा निकाले हुये खनिज में से काम में आने वाली किस्म जमीन में गाड़ दी जाती है ? यदि हां, तो उनके द्वारा कहां, कहां कितनी खनिज की मात्रा व हर महीने जमीन में गाड़ दी जाती है ? इस तरह से गाड़े हुये खनिज की अनुमानतः क्या कीमत हो सकती है ?

(श्री गोपाल जोशी)

(9) क्या एफ. सी. आई. ने कभी अपने काम न आने वाली किस्म को जो बेकार जमीन में गाड़ दी जाती है बिक्री करने के लिये आवेदन किया? यदि हां, तो कब और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि:—

(1) श्री मोहम्मद गफ्फारअली और श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा ने टोंक में जनता द्वारा कल अनाज की कुछ बोरियों को लूट लिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, मनोहरलाल और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने भरतपुर जिले के समस्त काश्तकारों तथा व्यापारियों की इस मांग के सम्बन्ध में कि अनाज के मूल्य 110 रु. प्रति क्विन्टल किये जायें, एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री लक्ष्मीनारायण और श्री सुरेन्द्र चन्द शर्मा, सदस्य विधान सभा, ने गत 30 जनवरी को तहसील थानागाजी के बामनवास के सरपंच द्वारा गेहूँ व चीनी के सरकारी कोटे को ब्लैक में बेच देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं सदन में आज खाद्यान्न के वितरण पर और वितरण से सम्बन्धित प्रश्नों को लेकर माननीय खाद्य मन्त्री जी एक वक्तव्य देंगे। अतः यदि माननीय सदस्य चाहें तो उस समय इन स्थगन प्रस्तावों में उठाये गये प्रश्नों की चर्चा की जा सकती है। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय खाद्य मन्त्री जी आज अपना वक्तव्य दिन के 3.00 बजे देंगे।

(4) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है:—

(1) जयपुर शहर में पीने के पानी की व्यवस्था खराब होती चली जा रही है। इस विषय में सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। अतः मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(2) जयपुर शहर के विद्युत् विभाग की लापरवाही के कारण कई स्थानों पर बल्ब और ट्यूब लाइट बन्द पड़े हैं। विद्युत् मण्डल के बजट पर सदन में हाल ही में पूरी चर्चा हो चुकी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्त्व का भी नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(3) जयपुर नगरपरिषद् में सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। यह प्रश्न किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और अविलम्बनीय लोकमहत्त्व का भी नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष) .

(4) चम्बल नदी पर बना हुआ पुल टूट गया है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक-महत्त्व का नहीं है। अतः मैं स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(5) सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, रामानन्द अग्रवाल व केशरीमल, सदस्य विधान सभा ने देवस्थान विभाग के एक इन्सपेक्टर द्वारा लक्ष्मण मन्दिर, भरतपुर की एक सम्पत्ति पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्त्व का नहीं है। इस प्रस्ताव में घटना की कोई तिथि भी नहीं है और यह पुराना सवाल मालूम पड़ता है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, आपने मेरे चारों स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार किया है, और मैं इस सम्बन्ध में ··· ··

श्री अध्यक्ष : आपने स्थगन प्रस्तावों का मूल्य कम कर दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मूल्य कम नहीं किया है। जन-जीवन से सम्बन्धित प्रश्न हैं·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनको भ्रम हो गया है कि नगर परिषद् जयपुर की मीटिंग यहां हो रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर के किसी मोहल्ले में जाकर आप देखें तो पानी का प्रेशर जो निर्धारित समय में राजस्थान का वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट दे रहा है वह पर्याप्त नहीं है। इस कारण से पहली मन्जिल पर भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जयपुर के शहर की जो कच्ची बस्तियां हैं वहां पर कई मोहल्लों में पानी नहीं मिलता है, उदाहरण के तौर पर परसरामपुरा कागदीवाड़ा। इस प्रकार की अव्यवस्था है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि गरमियों का मौसम आ रहा है और सदन 1 महीने बाद मिलेगा, इस बीच में जयपुर शहर के अन्दर पीने के पानी की अव्यवस्था है जो आप बनास योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं इस कारण से होने वाली है।

एक ओर तो सरकार पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रही है और दूसरी ओर लोगों के पानी के बिल बढ़ बढ़ कर तीन तीन गुने आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि पानी के मीटर्स ठीक नहीं और हवा की सुरसुराहट के आधार पर ही वे चलते हैं। इसलिए मन्त्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो गड़बड़ हो रही है कि पानी के बिल बढ़ बढ़ कर आ रहे हैं और गरमी के दिन आने वाले हैं तो उनमें लोग दुखी हो जाने वाले हैं तो इस व्यवस्था में सुधार करें।

दूसरा मेरा निवेदन बड़े लोक महत्त्व का है कि जयपुर शहर की चार दीवारी के भीतर आप उसके प्रमुख बाजारों में चले जायं तो आपको बिजली की लाइनों में बल्ब और ट्यूबलाइटें फ्यूज हुए मिलेंगे। विद्युत् विभाग उनको नहीं बदल रहा है

Page No.50

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपको ध्यान दिलाऊं कि जयपुर शहर के विकास के लिए जो कमेटी बनी हुई है उसमें यह तय हुआ था कि जयपुर के प्रमुख बाजारों में ट्यूबलाइटों के लिए अन्डरग्राउण्ड केबल विद्युत् विभाग लगायेगा और विद्युत् विभाग ने सारी जिम्मेवारी ले लेने के बाद वह केबल्स नहीं डाले हैं, इसलिए ट्यूबलाइट लगाने के लिए किसी गली से लेड वायर ले जाना पड़ता है। यदि वह केबल डाल दिये जाते तो वोल्टेज ज्यादा मिलता तो ट्यूबलाइटें जो बन्द हो जाती हैं वह बन्द नहीं होती। वे लेड वायर के आधार पर लगी हुई हैं और आंधी चले तो लेड वायर गिर जाय और खम्भे में करेन्ट आ सकती है। वर्षा के दिनों में आंधियां चलेंगी और ट्यूबलाइटें बन्द होंगी और खम्भों में करेन्ट आ जायेगा। आप त्रिपोलिया बाजार में चले जायं या चांदपोल में चले जायं तो आपको भयंकर अन्धकार मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कल मामूली सी वर्षा हुई थी तो उसमें दो तीन घन्टे बिजली बन्द रही। पुराने लेड वायर लगे हुए हैं। इस प्रकार से आन्धी आजाने के कारण जयपुर में 2-3 घन्टे बिजली गायब रहे और इस प्रकार बाजार में अन्धकार रहे तो मैं विद्युत् मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बाजारों में ट्यूबलाइटों के लिए केबल डालने थे वह डलवा दें जिससे बाजार की ट्यूबलाइटें ठीक जलें।

एक मेरा स्थगन प्रस्ताव सफाई के बारे में है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर नगर परिषद् इस काम में अक्षम रही है। गटर्स बन्द पड़ी हुई हैं और जगह जगह पर कूड़ा पड़ा हुआ है और गटर में से कूड़ा उठाने का काम जयपुर म्युनिसिपेलिटी नहीं कर सकती है। (व्यवधान) गरमी का मौसम आ गया है और लोग हैजे से मरेंगे तो हालत खराब हो जायगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो सम्बन्धित मन्त्री जी हैं उनको जयपुर नगरपरिषद् को आदेश देना चाहिए कि जयपुर शहर में जो गटर लाइन बन्द पड़ी हुई हैं उनकी सफाई करें और कूड़ा करकट जो गन्दी नालियों में भरा हुआ है उनकी सफाई करायें।

चम्बल का पुल जो टूटा है यह बड़े महत्त्व का विषय है। उसके कारण सारा यातायात अवरुद्ध हो गया है और सम्बन्धित मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पुल खराब क्यों बना और किस प्रकार के घपले हुए और पुल क्यों टूटा इस सम्बन्ध में जांच करने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं दो मिनिट लूंगा। तहसील चाकसू, फागी और दूदू अकालग्रस्त क्षेत्र हैं। वहां पर चारा आया, एक गाड़ी में 75 मन था,

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेंट मोशन है आपका ?

श्री मूलचन्द सामरिया : जी, मेरा है। तहसीलदार ने 75 मन की बजाय 125 मन की कीमत दी.......

श्री अध्यक्ष : कौनसा है, फर्मा तो दें।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने पेश किया है।

Page No.51

श्री अध्यक्ष : कौनसा एडजोर्नमेंट मोशन है ?

श्री मूलचन्द सामरिया : अकालग्रस्त क्षेत्र के सम्बन्ध में है.......

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं। आप बेवकूफ बनाकर नहीं बोलें।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने दिया था, जब व्यवस्था हो रही थी मैं बाहर खड़ा था।

श्री अध्यक्ष : If you want permission, I can give you, but don't say that it is in adjournment motion.

श्री मूलचन्द सामरिया : जिस वक्त व्यवस्था फर्मा रहे थे, उस वक्त मैं बाहर खड़ा था। मुझे ध्यान नहीं है क्या व्यवस्था दी। लेकिन मैंने लिख कर दिया था। वह आ गया होगा।

तहसीलदार ने 125 मन की कीमत दी है। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अकाल के समय जानवरों को आप बख्श दें। मेरा इतना ही निवेदन करना है।

एक माननीय सदस्य : मेरे स्थगन प्रस्ताव की बात है, इजाजत हो तो कह दूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव की बात है, जरूर कहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, उसके सम्बन्ध में आपने व्यवस्था दी है कि इस समय की घटना नहीं है : वर्तमान की घटना नहीं है। घटना केवल दो दिन पुरानी है, विष्णुदत्त शर्मा, इन्सपेक्टर हैं, देवस्थान विभाग के अन्दर। समाज कल्याण मंत्री जी उपस्थित हैं, वह जानते हैं, विष्णुदत्त शर्मा सात साल भरतपुर के अन्दर रहा.......

श्री अध्यक्ष : No individual case please.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इंडिविजुअल केस नहीं है। मंत्रीजी के आदेश का प्रश्न है। लक्ष्मणजी का मंदिर है, उसकी बिल्डिंग नम्बर 18 है, इसको अपने नाम पर अलॉट करा लिया और चार हजार रुपया बिल्डिंग का किराया ले लिया। कलेक्टर ने केस हैण्ड ओवर किया लोक सेवा आयोग को। डाइरेक्टर को लिखा। डाइरेक्टर लोक सेवा आयोग ने एन्टी-करप्शन में दिया। यह राशि इन्सपेक्टर से वापिस जमा कराई गई, उसके खिलाफ इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट हुई। चार पांच इन्क्वायरी इस इन्सपेक्टर के विरुद्ध चल रही हैं। मंत्री महोदय के आदेश हैं तीन महीने का एडवान्स किराया देना चाहिए उस बिल्डिंग का, नम्बर 18 का अलॉटमेंट प्रेमचन्द के नाम हो गया, और तीन महीने का किराया जमा कराया गया। इस इन्सपेक्टर का ट्रान्सफर जयपुर में हो गया है और जयपुर में है। यह भरतपुर में पहुंचा और अपने बाप के नाम से एलॉटमेंट करवा कर, फर्जी एलॉटमेंट करा कर मंत्री महोदय के आदेश की परवाह नहीं की। वह वहां पहुंच गया और कानून को अपने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हाथ में ले लिया। मंत्री महोदय के स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, एलॉटमेंट का पट्टा मौजूद है, तीन महीने की एडवान्स जमा कराया, उसकी रसीद मौजूद है। इसने ताला तोड़ कर मंदिर की बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। मैं समझता हूं, इस प्रकार राज्य की व्यवस्था नहीं होने वाली है, यदि मंत्री महोदय के आदेश का अपमान और अवहेलना हो तो। मैं निवेदन करूंगा, मन्त्री महोदय जानकारी प्राप्त करें और अध्यक्ष महोदय आप उनसे कहें कि इस सम्बन्ध में दो शब्द कहें।

श्री सुरेशचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है, श्योराम वामनवास के सरपंच हैं और सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, अलवर बाजार में ब्लेक मार्केट करते हुये पकड़े गये ....

श्री अध्यक्ष : आपको मौका देता हूं, खूब बोलने का।

श्री सुरेशचन्द्र : मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : खूब बोलें।

श्री सुरेशचन्द्र : मैं निवेदन कर रहा था कि जो आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया, वह व्यक्ति गद्दार है, देशद्रोही है क्योंकि आज ऐसा मौका है कि लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, लोग भूख से तड़प रहे हैं— ऐसे मौके पर ब्लेक मार्केट करते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया, उसके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई, लेकिन वह जयकृष्ण शर्मा के बंगले पर ठहरा हुआ है और उसकी फाइल को आगे के. के. शर्मा नहीं भेज रहा है और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। इस प्रकार की हालत चल रही है, इससे लोगों में अविश्वास पैदा हो गया है। सरकार ऐसे लोगों को पनाह देती है, उनकी मदद करती है, ऐसे ब्लेक मार्केटियर के खिलाफ जिसे बाजार में रंगे हाथों पकड़ा, कोई कार्यवाही नहीं करती है। मेरा निवेदन है, मन्त्री महोदय इस पर स्टेटमेंट दें और जल्दी ही मुजलिम को गिरफ्तार करने की व्यवस्था करें।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव भेजा था, उसमें कहा था....

श्री अध्यक्ष : आज डिस्कस कर रहे हैं अनाज के बारे में। आपको बहुत जल्दी है, आपका पॉइन्ट बहुत जरूरी है?

श्री केसरीमल : दो मिनट के लिए निवेदन कर दूं....

श्री अध्यक्ष : अनाज के बारे में बहस हो रही है आज।

श्री केसरीमल : मन्त्री महोदय के ध्यान में आ जायेगा कि क्या हो रहा है आज।

श्री अध्यक्ष : कहने का हक है....

श्री केसरीमल : आपके थ्रू मंत्री महोदय के ध्यान में यह आ जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : मैं नम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा था, एक मिनिट रुक जायं, जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, एक घण्टे बाद में चर्चा हो रही है, उस पर दो दफा वक्त क्यों लें, एक दफा वक्त अभी ले लें, दूसरी दफा थोड़ी देर बाद ले लें, थोड़ा अभी ले लें, थोड़ा बाद में ले लें। इससे अच्छा, एक दफा ले लें।

श्री मीठालाल : मंत्री महोदय वक्त दे रहे हैं, उस पर चर्चा उठाने की इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय सदस्य इसलिए कहना चाहते हैं, मंत्री महोदय इस समस्या पर बोलें....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहते है वह हो गहीं गया।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : उससे पूर्व इस विषय में जानकारी कर लें।

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट में कह दीजिये।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, टौंक में स्थिति बनी है, वह इसलिए कि लोगों ने नाज छिपाया हुआ है, ब्लैक में बेचा है, उसे जनता ने अपने आप प्राप्त कर लिया है। ऐसी स्थिति ब्यावर शहर में पैदा हो गई है। सरकार नाज की ठीक से व्यवस्था करे – ऐसा नहीं हो रहा है। नाज बाजार में आने से रोकने के लिए बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े सेठ और खेतिह हर लोग लगे हैं। उन्होंने मिल कर ऐसी व्यवस्था की है, नाज शहर में नहीं आने दिया जाय। उन्होंने यह भी कहा है, नाज जला दिया जाय, किसी प्रकार से रोक दिया जाय लेकिन शहर में नहीं आने दिया जाय। ऐसी स्थिति में अराजकता की स्थिति पैदा हो जायगी। इसलिए मंत्री महोदय व्यवस्था करें कि नाज बाजार में आये और नाज की खरीद हो और सस्ती दुकानों पर बिके। ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो हालत भीषण हो जायेगी।

श्री जीथिंग : अध्यक्ष महोदय, मैंने 3 तारीख को स्थगन प्रस्ताव पेश किया था और आपने आश्वासन दिया था कि सत्र समाप्त होने से पहिले स्टेटमेंट मंत्री महोदय का हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : किसके बारे में ?

श्री जीथिंग : थानेदार काण्ड के बारे में। 3 तारीख को पेश किया था, आपने स्टेटमेंट दिलाने के लिए आश्वासन दिया था....

श्री अध्यक्ष : 3 तारीख को पेश किया है। मैंने गवर्नमेंट को जानकारी के लिए भेजा होगा। यह मैंने नहीं कहा।

श्री जीथिंग : आपने कहा था, सत्र समाप्त होने के पहले स्टेटमेंट दिला दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको जानकारी प्राप्त हुई या नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष : यह बात जानना चाहें कि जानकारी प्राप्त हुई या नहीं तो कृपा करके चेम्बर में आ जायं मैं बता दूंगा।

एक माननीय सदस्य : छः महीने के बाद आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : आज आ जायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अनाज की समस्या को लेकर भरतपुर की समस्या को लेकर, टौंक को समस्या को लेकर जो स्थगन प्रस्ताव रखे हैं, जबसे सत्र शुरू हुआ है तब से शायद यही लोकमहत्व का प्रश्न आया है और इस पर चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी चाहिए। आज अनाज के बारे में....

श्री अध्यक्ष : आज का दिन माननीय सदस्यों की भावना को समझ कर ही रखा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने जैसा निवेदन किया, मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे, उस वक्तव्य के बाद में स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछे जा सकते है। आज आवश्यकता इस बात की है कि भले ही हाउस को एक्सटेंड करना पड़े, राजस्थान को ढाई करोड़ जनता की स्थिति अन्नाभाव की हो गई है, इसलिए फूड राइट्स की स्थिति पैदा हो गई है। जोधपुर, टोंक, भरतपुर - सब जगह की मण्डियां सूनी पड़ी हैं। इसके कारण अनेक हो सकते हैं। लेकिन यह स्थिति कितनी भयावह है, कितनी भीषण है – इससे इसका अन्दाज लग सकता है कि टोंक में रास्ते में बोरी लूटी गई। मेरा निवेदन है कि जो आदेश प्रसारित किया है, वह एक तारीख से प्रसारित किया है....

श्री अध्यक्ष : यह उस वक्त कहिये, जब उस पर चर्चा हो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय वक्तव्य दें इससे पहले जो मुद्दे उठाये हैं उनके बारे में जानकारी कर लें...

श्री अध्यक्ष : हैं नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ताकि ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े।

श्री अध्यक्ष : जितने एडजोर्नमेंट मोशन दिये हैं वह उनके पास भिजवा दिये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रश्न यह है कि राष्ट्रीयकरण एक तारीख को किया गया, आदेश एक तारीख को जारी किया गया, लाईसेन्स के लिए लोगों के प्रार्थना-पत्र आ रहे हैं। लेकिन प्रार्थना-पत्र पर लालफीताशाही – रेड टेपिज्म के....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : XXX

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह निश्चित रूप से समझिये, ऐसी शक्तियां हमारे देश में हैं, जो राष्ट्रीयकरण के नाम पर सारे देश के अन्दर किसानों के द्वारा क्रांति लाना चाहते हैं। रूस में एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन रूस आत्म निर्भर नहीं हो सका, स्टालिन के जमाने में....

XXX माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : रूस कहां से आ गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : व्यापारियों से हड़ताल कराते हैं, इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि अनाज बाजार में न आवे, यहां यहां पर यह बात कहना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जनता को धोखा दे रहे हैं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अनाज की लूट कराते हैं और व्यापारियों को लाईसेन्स नहीं लेने देते हैं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : बाजार में अनाज बिकने नहीं देते हैं, देहातों से अनाज आने नहीं देते हैं। ब्लेक मार्केटिंग होता जा रहा है। यहां पर कहते हैं कि लोगों की यह भावना है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह स्थिति पैदा हो गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह उसी तरह का मामला है कि XXX

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : XXX

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह मामला किसानों का है····

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अनाज के मामले में अमेरिका आ जायेगा, सी. आई. ए. आ जायेगा-यह सब आ जायेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : गरीबों को पीटना चाहते हैं, गरीबों को मिटाना चाहते हैं....

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : XXX

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : XXX

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैं निवेदन करूंगा····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : XXX

श्री गिरधारीलाल भार्गव : XXX

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : XXX

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये। Please sit down, बैठिये। आप भी बैठिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन कर रहा था····

श्री अध्यक्ष : अनाज की समस्या पर आज डिस्कशन हो रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : गायत्री देवी के पल्ले के नीचे जीत कर आ गये।

(शोरगुल, अश्रव्य)

XXX माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गई।

Page No.56

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कृष्णाकुमारी के पल्ले के नीचे जीत कर आ गये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप इन्दिरा जी के पल्ले के नीचे जीत कर आ गये। उनकी मदद से जीत कर आ गये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मजदूरों का खून बहाने वाले हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : छोटे छोटे व्यापारियों की जिन्दगी खराब कर रहे हो।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : XXX

(शोरगुल, अश्रव्य)

पैरवी करते हैं बेईमान लोगों की।

श्री मीठालाल : राष्ट्रीयकरण कर दिया तो चिल्ला रहे हैं दोनों तरफ से।

श्री अध्यक्ष : इस विवाद से किसका सम्मान बढ़ा होगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : राजस्थान का सम्मान बढ़ा होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गरीब किसानों का शोषण हो रहा है, उसकी यहां पर बात कह रहे हैं, उपभोक्ता को किस आधार पर, किस भाव पर अनाज मिलेगा इसे तय कराना चाहते हैं। गरीब किसान बाद में किस भाव पर खरीदेंगे।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, [XXX] और [XXX] यह जो शब्द कहे गये हैं इन्हें कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरा निवेदन यह है कि अभी जो नोंक-झोंक हुई, उसमें सभी की दिलचस्पी तो रही, लेकिन जो शब्द दोनों तरफ से उपयोग में आए हैं, माननीय अध्यक्ष जी, आप देख लें, और जो उपयुक्त नहीं हैं, अनपार्लियामेन्टरी हैं, उनको मेरे ख्याल से, आप एक्सपंज कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : या रिप्लेस कर देंगे, आप चाहेंगे तो रिप्लेस कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : रिप्लेस नहीं, एक्सपंज कर दें।

श्री रावतराम : दोनों तरफ से माफी मांग लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माफी किस बात की मांग लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि रूस के अन्दर एक्सपेरिमेन्ट सफल नहीं रहा है। किसानों से जमीन छीनने के बाद भी आज इतने अर्से के बाद अमेरिका से धान मंगाना पड़ता है। यह तथ्य है जिसको छिपाया नहीं जा सकता है। आज भी रूस आत्मनिर्भर नहीं बन सका है।

XXX माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : यह उस वक्त फर्मा दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे लिंक करते हुए यह गलत पिक्चर पेश कर रहे हैं। इन्टरनल चीजों की जानकारी नहीं है।

(शोरगुल, अश्रव्य !)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रूस का नाम आया नहीं कि आप बोलने लगते हैं।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री जी ।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपकी आज्ञा से क्योंकि फूड का सम्बन्ध है, यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूँगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरी बात पूरी नहीं हुई।

सदन की मेज पर रखा गया विवरण

अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव, राजस्थान विधान सभा : महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1973।

(2) राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निबंधन) विधेयक, 1973।

(3) राजस्थान लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, 1973।

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973।

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1973।

(3) राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973।

(4) राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1973।

(5) राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1973।

(6) राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973।

(7) राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973।

(8) राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973।

(9) राजस्थान यात्री तथा माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973।

(10) राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1973।

(11) राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973।

शासकीय वक्तव्य

भीलवाड़ा के पुलिस सुपरिंटेंडेन्ट द्वारा एक विद्यार्थी की पिटाई सम्बन्धी

श्रीमती कमला बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है।

दिनांक 2-4-73 की शाम को करीब 8 बजे पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा, अपने आर्डरलो रतनसिंह एवं ड्राईवर मोहनसिंह के साथ पी. एस. भीलवाड़ा से अपने घर लौट रहे थे। जब वे भीलवाड़ा के मोहल्ला कचहरी रोड, नाथद्वारा सराय के पास एक तंग गली से, जहां पर दोनों तरफ मलवा पड़ा हुआ था और जहां केवल एक गाड़ी के गुजरने की जगह थी, से गुजर रहे थे तो एक साईकिल पूरी रफ्तार से सामने की तरफ से आई। साईकिल मलबे से फंस कर गाड़ी के सामने आ गिरी और साईकिल पर सवार श्री जगदीश त्रिपाठी, ए. ई. ओ. भीलवाड़ा भी गिर पड़े। इस घटना को लेकर एस. पी. एवं श्री त्रिपाठी के बीच काफी बोलचाल हो गई।

अब तक मौके पर काफी लोग एकत्रित हो चुके थे। इसके पश्चात् श्री त्रिपाठी को पकड़ कर मय साईकिल व थैला के गाड़ी में बिठाया और कोतवाली, भीलवाड़ा में मोहनसिंह ड्राईवर द्वारा पेश किया गया। थाने पर रिपोर्ट नं. 35, 8 पी. एम. दर्ज होकर दफा 34 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर उस वक्त उनकी डॉक्टरी मुआयना के लिये अस्पताल, भीलवाड़ा भेजा गया।

उस समय अस्पताल में डॉ. विनित कुमार ड्यूटी पर थे, उन्होंने श्री त्रिपाठी का मुआयना करके कहा कि रिपोर्ट अगले दिन भेज दी जायेगी। तत्पश्चात् श्री त्रिपाठी को मुचलके पर छोड़ दिया गया। दिनांक 3-4-73 को डॉक्टरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जबकि कई बार रिपोर्ट लेने के लिये कॉन्स्टेबल को अस्पताल भेजा गया लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट 5 अप्रेल, 1973 को सुबह प्राप्त हुई।

दिनांक 2-4-73 की रात को करीब 11.30 बजे श्री त्रिपाठी, ए. डी. एम. के मकान पर उनसे मिले और पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत की। इस पर ए. डी. एम. ने उन्हें कहा कि घटना से संबंधित तथ्य लिखकर उन्हें प्रस्तुत करें ताकि वे उस पर उचित कार्यवाही कर सकें। ऐसी रिपोर्ट श्री त्रिपाठी ने 3 या 4 अप्रेल को न दे कर दिनांक 4-4-73 की रात को करीब 9 बजे 200 प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर निवास स्थान पर नारेबाजी की और एक ज्ञापन उन्हें प्रस्तुत किया जिस पर पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने का उल्लेख था।

दिनांक 5-4-73 को करीब 150 छात्रों ने बाजार में घूम कर दुकानें बन्द कराने का प्रयत्न किया लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और शांति बनी हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें कुछ बातें, जो उन्होंने बताई हैं, उनके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह तथ्यों के विपरीत है, मेरे पास मेडीकल रिपोर्ट मौजूद है। इस मेडीकल रिपोर्ट के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लिये आपने कहा है कि 5 अप्रैल को आई। मेरे पास यह मेडीकल रिपोर्ट की ट्रू कॉपी है और असल रिपोर्ट भी मेरे पास है जो 2-4-73 की है और समय उसमें 8.25 का लिखा गया है। इसमें साफ लिखा हुआ है "Alcohol not taken, not intoxicated" और इसमें उस आदमी पर चार चोटें दर्ज हैं, एक तो आंख के पास जिसमें लिखा है Lacerated wound on the face : 2½" x½" x½" और दूसरा है Incisions : 2½" x½" x½", इस प्रकार से चार इनजरीज बताई हैं। तो यह रिपोर्ट वहां डॉक्टर के पास तो तैयार हो गई थी लेकिन यह रिपोर्ट वहां के पुलिस स्टेशन वाले ले नहीं गये क्योंकि वह डॉक्टर को फोर्स कर रहे थे कि उनको इन्टॉक्सीकेटेड बताये।

आपने अभी बयान में यह कहा कि वहां पर वह जो शख्स गिर गया, श्री जगदीश प्रसाद, यह असिस्टेंट ऐग्रीकल्चर ऑफिसर है और वहां पर लोग इकट्ठे हो गये। अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट गयी थी अस्पताल उसमें यह जाहिर किया गया है कि श्री जगदीश प्रसाद शराब के नशे में बेहोश थे और उनको किसी भी बात का होश हवास नहीं था। उसमें उन्होंने यह भी लिखा है कि यह शख्स इस तरह से शराब के अन्दर बेहोश है कि वह अपना नाम व पता बताने की हालत में नहीं है। और इसमें ऐसा सुना गया है कि पुलिस की तरफ से फोर्स किया जा रहा था कि वह उसको अपनी रिपोर्ट में इन्टॉक्सीकेटेड था। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट कोतवाली से गयी उसमें डॉक्टर साहब को यह लिख कर एनडोर्स की गयी है सेवा में श्रीमान् डॉक्टर साहब। इसमें यह लिखा है कि एक व्यक्ति शराब के नशे में मदहोश है और वह अपने नाम व पते बताने में असमर्थ है इसलिये आप इनका मेडीकल एग्जामिनेशन करके भेजे। अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत बात है कि वह नशे में था। उसमें जो रिपोर्ट मेडीकल डॉक्टर को आयी थी उसमें साफ लिखा है एलकोहोल नोट टेकन नोट इन्टॉक्सीकेटेड। उसने जो रिपोर्ट दी है 2-4-73 के प्रार्थना पत्र पर दी है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि वह नशे में नहीं था और उसके जो चोटें आयी हैं वह थाने के अन्दर आयी हैं। और डॉक्टर ने सर्टीफिकेट नहीं दिया। उसने तो साफ लिखा है कि वह नोर्मल हालत में था और उसने डाक्टर के सामने बिलकुल नोरमल बिहेवीयर किया। अध्यक्ष महोदय, जो एलीगेशन्स लगाये हुए हैं वह गलत है। सच तो यह है कि एस. पी. साहब की मोटर जो आ रही थी वह बहुत तेज आ रही थी और उनके सामने श्री जगदीश प्रसाद की साईकिल आ गयी जिससे वह गिर पड़े। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस एस. पी. ने सारा कांड किया है और उसको पकड़ कर हथकड़ी डाल कर उसे गिरफ्तार करके थाने में ले गये। और वहां पर उसने एस. पी. ने खुद ने उसको डन्डों से पीटा इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के पास इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उसके चोटें कहां लगीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कि जो कुछ हुआ है वह पुलिस थाने में हुआ और वहीं पर उसके चोटें आयी हैं। उसने चोटें बताई हैं और अध्यक्ष महोदय, उसे इस तरह से पीटा गया कि उसके नील पड़ गयो तथा आंख के पास ब्रूज पड़ गये तथा टांके भी आये। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि उसे बुरी तरह से पीटा गया यह वहां के लोगों से पता लगता है कि एस. पी. साहब ने अपनी मोटर का टक्कर से उन्हें पटका और फिर उसे पकड़ कर थाने में ले जाकर मारा। यह सभी चोटें कोतवाली में आयीं हैं। और एस. पी. साहब ने उसे पीटा है तथा उनके इन्सट्रक्शन्स से हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, इसके बाद से उसको ले जाकर थाने में इल्लीगल कनफाइनमेन्ट में रखा था और वहां पर ले जाकर उसे डन्डों से पीटा तथा उसे परेशान किया गया। अध्यक्ष महोदय, पहले ही एक शरीफ व्यक्ति को बिना कसूर गिरफ्तार करना तथा बाद में उसको पीटना तथा फिर उस इल्लीगल एरेस्ट को जायज बनाने के लिये उसको डॉक्टरी मुआयना करने यह कह कर रिपोर्ट के साथ में भेजना कि यह व्यक्ति नशे में बेहोश था। इसके अलावा यह कह रहे हैं कि डॉक्टर ने मैडीकल रिपोर्ट नहीं दी। यह 5 तारीख गलत है। अध्यक्ष महोदय, वहां की भीलवाड़ा के शहर की स्थिति बहुत ही गम्भीर हो रही है और एस. पी. के द्वारा किये गये इस इल्लीगल एक्शन के लिये वहां हड़ताल की स्थिति बन गयी है। वहां पर ए. इ. ओ. के कॉलेज का स्टूडेन्टस होने के कारण एजीटेशन किया है वे इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, चूंकि उस एस. पी. के खिलाफ में प्राइमाफेसी केस बनाया है इसलिये उसके खिलाफ में राज्य सरकार को चाहिये कि उसको ससपेन्ड करके, उनके खिलाफ में जुडिशियल इन्क्वायरी बैठा कर उसके स्टेटमेन्ट लेकर उसका प्रोसीक्यूशन किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं किया गया तो वहां की जनता में जो अनरेस्ट है उससे स्थिति बेकाबू हो जायेगी। इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि इसके लिये हाउस में एश्योरेन्स दिया जाय कि उसके खिलाफ में कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आप राज्य सरकार से यह आश्वासन दिलावें कि एस. पी. के खिलाफ में एक्शन लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह प्रश्न मेरी कॉन्सटीटयुएन्सी से ताल्लुक रखता है और मुझे इसके ज्याद फेक्ट्स पता है इसलिये मुझे निवेदन करने दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह जो सारी बात चल रही है भीलवाड़ा पुलिस के बारे में सारे भीलवाड़ा जिला के लोग परेशान हो गये है। अध्यक्ष महोदय यह एस. पी. साहब जहां जहां पर भी रहे वहां पर उसने ऐसे ही कान्ड किये हैं और वहां के इलाके के लोगों ने, एम. एल. एज ने उनकी शिकायत

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
करके उन्हें वहां से हटाया गया। अध्यक्ष महोदय यह पहले बाड़मेर थे तो वहां के सातों ही एम. एल. एज. ने उनके खिलाफ शिकायत की इसी प्रकार सिरोही में भी इनकी शिकायत हुई और अब भीलवाड़ा के सभी सदस्यों ने राज्य सरकार से यह मांग की है इन्हें तुरन्त हटाया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने दोषी माना है वह व्यक्ति ऐसा आदमी है जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। वह व्यक्ति एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर, भीलवाड़ा में है। यह व्यक्ति पहले मांडल पंचायत समिति में एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसर था, मैं उसको व्यक्तिगत जानता हूं वह शराब तो क्या बीड़ी सिगरेट तक नहीं छूता होगा। अब क्या है मैं नहीं कह सकता। इसके अलावा वहां पर इस पुलिस कोतवाल ने वहां पर यानी भीलवाड़ा में एक व्यक्ति को नंगा करके मारा तथा ऐसे शब्द काम में लिए जो मैं इस सदन में जुबान पर नहीं लाना चाहता, यह शिकायत गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को की गयी क्योंकि वह केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी था। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय कोतवाल, भीलवाड़ा ने एक कांग्रेस कार्यकर्त्ता के विरुद्ध इन तथ्यों पर बलात्कार का केस लगाया कि रात भर एक औरत अन्य मर्द के साथ एक दुकान में रहे सुबह जब औरत चली गई तो उस कार्यकर्त्ता को हथकड़ी डाल कर सारे गांव में फेरा गया एस. पी. साहब से शिकायत की तो उन्होंने कोतवाल का पक्ष लिया अध्यक्ष महोदय, मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि अगर यह एस. पी. बहुत ही काबिल है तो आप इसको ऐसे गोल्ड मेडल वाले एस. पी. को, आप हमारे भीलवाड़ा से हटायें। आज जो अभी श्री जगदीशप्रसाद ए. इ. ओ. के बारे में बात सदन में चल रही है उसके तथ्यों को देखते हुए यह पता चलता है कि यह चोटें पुलिस थाने में आयी हैं। अब यह लाठी से मारने से आयी और किसी बात पर इसमें डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन हो सकते हैं। लेकिन यह बात सही है कि इस सब काण्ड के लिये वहां का जो एस. पी. साहब है, दोषी है और उसके खिलाफ में राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, एक शरीफ आदमी के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाना जब कि वह इसका कोई दोष नहीं, उसको भीलवाड़ा से तुरन्त हटाया जाय बस यही मेरा निवेदन है। अगर आप नहीं हटायेंगे तो....

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें मैं आपकी भावनाओं को समझ गया हूं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस मामले में दो प्रश्न इसमें उठते हैं। एक तो यह है कि पुलिस ऑफिसर आई. पी. एस. है। पिटायी जिनकी हुई है वह भी पब्लिक सर्वेन्ट है। इसलिये इस मसले को सामान्य स्तर पर नहीं ले सकते हैं। आई. पी. एस. ऑफिसर ने पब्लिक सर्वेन्ट की पिटायी की यह ओफेन्स भी दूसरा बनता है।

इन्वेस्टिगेशन इन्जरीज का कराया। इस निर्णय पर आप पहुँचे कि आसानी से लग गयी, एक पक्ष यह हो सकता है। दूसरा यह है कि इन्जरीज इन्फिलक्ट की

Page No.62

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

गयी। तीसरा पक्ष यह है कि पत्थर से लगी। वेपन वुन्ड जैसी इन्जरीज हैं। लेसीरेटेड वुन्ड्स ओन दी फेस। Lacerated wound on the face एक लेसीरेट और एक वुन्ड। मान लीजिये नीचे गिरे तो लग गयी। फिर बड़े इत्मिनान से इस आदमी ने करवट ली। पीठ पर चोट आई। थाई पर चोट आई। पुलिस पिटाई इत्मिनान से नहीं करती। पुलिस जब बिगड़ती है तो भयंकर बिगड़ती है और आई. पी. एस. ऑफिसर बिगड़ता है तो उससे ज्यादा वह बिगड़ता है। इन्जरीज जो हैं उसी नेचर की हैं, बैक बोन पर, पीछे लगी यह सब लगता है कि किसी को सीरियस्ली जैसे पीटना है वैसे पीटा गया। पुलिस से पीटे गये, आई. पी. एस. से पीटे गये। पब्लिक सर्वेन्ट पीटा गया। आई. पी. एस नहीं पिटा। यह सामान्य शराब का प्रश्न नहीं है, यह सच है कि इसने कभी शराब ही नहीं पी, कागज में लिखा है कि शराब पी, फैल्सीफाई किस प्रकार इसको किया गया, इसको दबाने का किस प्रकार प्रयत्न किया गया है। दूसरे ओफेन्स में ले सकता था शराब पी तो। इसलिये इस सारे काण्ड की जांच करायें। ए. डी. एम. कोई वक्त नहीं रखता। एस. पी., ए. डी. एम. और डी. एम. को सेल्यूट देता है। यदि आप इसकी जांच ही कराना चाहते हैं तो आई. पी. एस. और पुलिस को इस सन्दर्भ में रखना चाहते हैं तो आप कृपा कर किसी न्यायाधीश से इसको जांच करायें इसमें शंका हो तो इनीशियल इन्क्वायरी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर से करवा लीजिये ताकि इसका आधार बन सके।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना नयी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार बार बार पुलिस को प्रोटेक्शन देने से इस प्रकार की घटनायें रोजमर्रा होने लगी हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि डॉक्टर ने एक दिन रिपोर्ट बाद में दी। मुझे ऐसी सूचना मिली है कि एस. पी. ने स्वयं जाकर डॉक्टर को धमकाया और कहा कि तुमको प्रमाण-पत्र देना होगा कि यह व्यक्ति शराब पिये हुए है। मैं डॉक्टर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने झूठा सर्टीफिकेट देने के लिए मना कर दिया। यह सारी परिस्थिति बनने के बाद राज्य सरकार एस. पी. को प्रोटेक्शन दे रही है यह बड़े ही खेद की बात है। राज्य सरकार, यदि इस प्रकार की घटनाओं पर सजग होती तो मैं निवेदन करूंगा कि गत वर्ष, मैं थानेदार की बात नहीं करता, हैड कॉनस्टेबल की भी बात नहीं करता किन्तु उदयपुर के एस. पी. द्वारा एक प्रधानाध्यापक द्वारा फिजिक्स डिपार्टमेंट में चोरी होने की पुलिस में शिकायत की तो उस प्राध्यापक को पीटा गया। इसको लेकर कॉलेज बन्द हो गये। आन्दोलन हुआ। उसके बाद धमकी दी। पुलिस से विरोध करके आप खड़े नहीं रह सकते। मैंने यह बात मुख्य मन्त्री जी से कही लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। उसी का परिणाम है कि स्थान स्थान पर एस. पी. यह करते हैं। निवाई में हैडमास्टर को बुला कर डांटा।

श्री अध्यक्ष : आप भीलवाड़ा पर ही कहें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पुलिस मैटर का प्रश्न है। भीलवाड़ा का यह काण्ड बड़ा ही शर्मनाक काण्ड है। जांच की, सही जांच की सम्भावना तक नहीं है जब तक कि वे वहां पर बैठे हुये हैं। आप उनको पहले सस्पेन्ड करिये और इसकी न्यायिक जांच करायें तब ही जाकर पता लगेगा कि पुलिस के बड़े अधिकारियों ने किस प्रकार से जनता पर अत्याचार मचा रखा है। पीटा जाता है, हथकड़ियां लगाई गईं और किस तरह से अच्छे नागरिक का अपमान किया जाता है।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय!

श्री अध्यक्ष : I will not allow a general debate.

श्री शान्तिलाल कोठारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी भावना को समझता हूं। आपकी तरफ से आपने कह दिया। और भी कई इम्पोर्टेन्ट कार्य बाकी हैं। इस पर सब का दृष्टिकोण आ गया है। अब तो केवल रिपीटिशन करना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट का पक्ष आ जाय।

श्री शान्तिलाल कोठारी : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनिट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जो भी पाइन्ट्स रखे हैं और जो गृह मन्त्री जी ने रखा है और हमारे साथियों ने जो पाइन्ट्स रखे हैं, अगर वे सच हैं, तो मुझे अफसोस है, मेरी पार्टी के सदस्यों ने जो कहा उसके आधार पर मन्त्री को पहले इन सब बातों को देखना चाहिये कि किस प्रकार से उनको फैक्ट्स दिए गए हैं, हाउस को भी आपने वे ही तथ्य दिए हैं जो आपके ऑफिसर्स ने आपको कहा है। आपके ऑफिसर्स ने भी शिर्क किया है अपनी जिम्मेदारियों से।

यह मुझे बिल्कुल शर्म की बात मालूम होती है कि इतना भयंकर इश्यू हुआ, इतिहास जिनका बाड़मेर का बताया, आपने पूर्ण विवरण देखा नहीं। इसलिए एकदम यह देखना होगा कि इस ऑफिसर को एकदम सस्पेण्ड करके उसके बारे में जितनी भी इन्क्वायरी हो सकती है वह होनी चाहिये वरना यह आदमी डॉक्टर हो, एम. एल. ए. हो और कोई ऑफिसर हो, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर सकता है। इतना ही नहीं इसका पुलिस फोर्स पर भी असर पड़ा है जिसके लिए न आपका प्रोटेक्शन होगा और न हमारा। अध्यक्ष महोदय, आपसे भी यह प्रार्थना है कि आप गवर्नमेन्ट को कहें....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री शान्तिलाल कोठारी : यह बात जरूरी है और इम्पोर्टेन्ट है....

श्री अध्यक्ष : और भी हैं।

श्री शान्तिलाल कोठारी : इसलिए उसको इमिडियेटली सस्पेण्ड करिये और

Page No.64

(श्री शान्तिलाल कोठारी)
उसके बारे में हम लोगों को, विश्वास हो, इस प्रकार की इन्क्वायरी की जाय ।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : सदन के उप नेता महोदय ने यह घोषणा की थी कि जहां तक सम्भव होगा हमारी यह नीति है कि हथकड़ियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पहले इस प्रकार के प्रसंग आये थे जब पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को हथकड़ियां लगा कर घुमाया और जो लोगों पर अत्याचार किए गए थे, उसको लेकर यह कहा गया था कि इस प्रकार हथकड़ियां नहीं लगाई जायेंगी । पुलिस द्वारा इस प्रकार के कृत्य जघन्य कृत्य हैं । मैं निवेदन करूंगा पुलिस एक्ट में, मेन्युअल में, गवर्नमेन्ट के सक्यूंलर्स में यह स्पष्ट है कि हथकड़ियों का प्रयोग उस वक्त हो जब अपराधी खूंखार हो । अफसोस की बात यह है कि भाडोल में ही कार्यकर्त्ता को हथकड़ियां डाली गईं । चौहटन का मामला है । बिजली के करेन्ट देने के जघन्य अपराध होते हैं पुलिस के द्वारा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : नये इश्यू रेज नहीं किए जायं तो अच्छा है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राज्य सरकार यह घोषणा कर दे कि कोई खूंखार अपराधी हो उसको हथकड़ियां डालें । किसी भी जुर्म में जब तक खूंखार अपराधी न हो तब तक हथकड़ियां नहीं डाली जावेंगी ।

श्री विजयसिंह (मांडल) : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री विजयसिंह : एक मिनिट । मैं वहां का रहने वाला हूं ।

माननीय मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया । वास्तविकता यह है कि उसको पीछे से धकेला है । आपने कहा कि वह सड़क पर गिरा । लेकिन उसको पीछे से ठोकर दी है । पीछे से ठोकर देने से आदमी गिरा है । जह गटर में गिरा है । कॉलेज में जा रहा था । शराब पीकर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता । मांडल पंचायत समिति में पिछले चार साल तक ए. ई. ओ. रहा है । मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं । एस. पी. ने उसके लिए यह रिपोर्ट दिलाई है कि वह शराब पीए हुआ था । मैं समझता हूं कि सिगरेट पीता हुआ भी आज तक मैंने उसको नहीं देखा है । इस रेपुटेशन का वह आदमी है । इस तरह से उसकी बाजार में पिटाई की गई है यह मैंने स्वयं भीलवाड़ा से टेलीफोन मिला कर बात की है । बाजार में पिटाई की है और कोतवाली में ले जाकर भी उसकी पिटाई की गई है । उसके बाद ये लोग डॉक्टर के पास ले गए हैं । जो डॉक्टर हैं विनीत नाहर उसकी रेपुटेशन सभी लोग जानते हैं । मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसकी जांच करावें कि यह डॉक्टर कितना बढ़िया डॉक्टर है । चाहे किसी भी तरह का आदमी हो परन्तु इस डॉक्टर जैसा कोई नहीं है । बहुत ही ईमानदार और निहायत शरीफ आदमी है । ऐसे व्यक्ति से शराब पीने की रिपोर्ट दिलवाई जाए,

(श्री विजय सिंह)
वह कभी नहीं देगा। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह गलत आदमी नहीं है। रिश्वतखोर तो पुलिस ऑफिसर हैं। और उनको संरक्षण दिया जा रहा है। उनके गलत कार्यों की राज्य की ओर से हिमायत की जा रही है, उनकी वकालत की जा रही है। जितने एम. एल. ए. हैं उन सबने इसके बारे में निवेदन किया है। इतना बड़ा काण्ड हो जाने के बाद भी उसको नहीं हटाया जा रहा है। क्या आप मेहरबानी कर के उसको निलम्बित नहीं कर सकते हैं। आप उसको वहां से हटाकर हैड ऑफिस में बिठा दें और उसके पीछे से डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करवायें। वरना आपको बिलकुल गलत इन्फरमेशन दी जा रही है, मिसलीड करके आपसे गलत वक्तव्य दिलवाया जा रहा है। यह बात बरदाश्त करने लायक नहीं है। इस तरह की बातें होती हैं और आप कोई स्टेप्स नहीं उठा पा रही हैं। इस तरह से आप उसको छुटकारा नहीं दे पाएंगी। इसकी जिम्मेदारी आपकी और पुलिस विभाग की है।

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़): इस घटना से संबंधित व्यक्ति को सभी जानते हैं। यह एक रेपुटेड आदमी है और गजेटेड ऑफिसर के नाते मांडल में नियुक्त हैं वे एक अच्छे आदमी हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि शराब पीकर एस. पी. साहब से वह कैसे टकराए हैं और शराब पीकर पीटा भी जाए तो उसको पुलिस के थाने में जाकर मारने का सवाल नहीं उठता है। इस घटना का जो डॉक्टर ने सर्टीफिकेट दिया है, वह सही है। भीलवाड़ा का प्रत्येक व्यक्ति इनको जानता है। डॉक्टर विनीत नाहर एक ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं यहां तक कि वे प्राइवेट प्रैक्टिस करने से इन्कार कर देते हैं। वे कहते हैं कि डॉक्टर को, जो सरकार तनख्वाह देती है, उससे उसका गुजरा चल सकता है। उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाए कि वह गलत रिपोर्ट देता है, तो यह गलत है। रिपोर्ट में वास्तव में जो घटना हुई है उसकी ही रिपोर्ट दी गयी है, पुलिस ने उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। पुलिस ने यह कहा है कि आप रिपोर्ट यह दीजिए कि यह शराब पीकर आया था और तीन दिन तक पुलिस उस रिपोर्ट को नहीं लेती है। इसका मतलब यह है कि पुलिस जो चाहे वही रिपोर्ट डॉक्टर दे और सही रिपोर्ट डॉक्टर देता है तो पुलिस उसको नहीं लेती है। यह एक गम्भीर घटना है और इसकी पूरी जांच करवाई जानी चाहिए और जब तक यह अधिकारी वहां पर रहेगा वह जांच निष्पक्ष रूप से नहीं होगी। जो तथ्य सामने आए हैं उसको देखते हुए इसकी जांच करना बहुत जरूरी है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, जो सिवंवेन्स ऑफ द्वेलेटस हैं उसको सड़क पर पीटने का हथकड़ी पहिना कर ले जाकर थाने पर पीटने का यह एस. पी. का मैलिशियस और रेवेन्जफुल एटीट्यूड है इसलिए मैं मांग करता हूं आपकी मार्फत कि सरकार इस आई. पी. एस. ऑफिसर को सस्पेन्ड करें और इसकी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करवायें तो इसका एक एग्जाम्पल सेट होगा।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के द्वारा, स्थानीय ए. डी. एम. के द्वारा जो रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हुई है उसके मुताबिक विवरण मैंने सदन के सम्मुख दिया है···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जरा जोर से बोलें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस विवरण में जो माननीय सदस्यों ने खामियां बताई है और एस. पी. के दुर्व्यवहार के बारे में, डॉक्टर की रिपोर्ट के बारे में जो आपत्तियां पेश की हैं उन सबको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की तरफ से भी जो ए. डी. एम. की रिपोर्ट है, उसको सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए डी. आई. जी. रेन्ज को इस सारे केस की तफतीश करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(भारी शोरगुल, सदस्यों द्वारा नो नो की आवाज, पुलिस की नहीं, ना ना की जोरों से आवाजें)

श्री रोशनलाल शर्मा : पुलिस वाले एक होते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Why do you protect him ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : He must be suspended.

(शोरगुल)

सरकार के हाथ में इतने फैक्ट्स हैं। फिर उसको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया जा रहा है।

श्री दीपंकर : इसको सस्पेन्ड करना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : You cannot force.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसको सस्पेन्ड किया जाना चाहिये। यह जुर्म है।

श्री अध्यक्ष : Let the Minister reply, first.

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं जो निवेदन कर रही हूं उसको आप कृपया शांति से सुनने की चेष्टा करें। जो आज तक तफतीश के दौरान वाकयात सामने आए हैं, वह मेरे सामने आये हैं वह स्थिति अभी मैंने सामने निवेदन कर दी है। अब इसकी डी. आई. जी. रेन्ज द्वारा तफतीश करवायी जायेगी और इस वक्त जो एस. पी. सहाब वहां पर लगे हुये हैं उनका स्थानान्तरण कर दिया जायगा। डी. आई. जी. की तफतीश के उपरान्त अगर वह दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

कई माननीय सदस्य : गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : इसको खतम करना पड़ेगा···

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मुझे खेद है कि समय अधिक लग रहा है······

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट हो गया है···

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मामला कितना सीरियस है अध्यक्ष महोदय, कि सारा सदन इस पर उद्विग्नता महसूस कर रहा है। प्राइमा फेसी केस एस्टेब्लिश हो गया है। अपने स्टेटमेन्ट में खुद ने माना है कि उन्होंने कोतवाली से अस्पताल में खुद भेजा है। यह खुद ने स्वीकार किया है। डॉक्टर की रिपोर्ट आपके सामने है इस प्राइमा फेसी केस के अन्दर कोई कमी नहीं है, इसलिये मैं समझता हूं कि इसका सस्पेन्शन इमीजिएटली होना चाहिये। डी. आई. जी. रेन्ज से तफतीश कराने का हमारा अनुभव सदा ही कटु रहा है। डी. आई. जी. द्वारा इन्क्वायरी करने से हमें सन्तोष नहीं होगा। हमको उन पर विश्वास नहीं है। इस सदन के माननीय सदस्यों का विश्वास नहीं हो सकता है। आप इसकी ज्युडिशियल इनक्वारी किसी न्यायाधीश से करवाएं। वह भी आई. पी. एस. हैं और डी. आई. जी. भी आई. पी. एस. होंगे, दो साल ज्यादा सीनियर हो सकते हैं। वे अपने कलीग के खिलाफ एक्शन लेंगे, यह उम्मीद करना गलत है। यह संभव नहीं है। इसलिए आप हाईकोर्ट के जज को मुकर्रर कर दीजिए नहीं तो डिस्ट्रिक्ट जज से इन्क्वायरी करवाइये।

श्री मोहनराज : सरकार का रुख बड़ा दुखदपूर्ण है।...

श्री अध्यक्ष : You can not force.

श्री विजयसिंह : He should be arrested and challaned.

श्री मोहनराज : बड़े ऑफिसर के विरुद्ध एक्शन लेने के लिए सरकार साहस नहीं दिखा पा रही है, यह आज सिद्ध हो गया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्यों द्वारा यह चिन्ता व्यक्त करना कि डी. आई. जी. प्रोटेक्शन देगा और राज्य सरकार भी उनके प्रोटेक्शन के लिए डी. आई. जी. को लगा रही है, यह गलत है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि पुलिस के द्वारा पुलिस के अनेक ऑफिसरों के खिलाफ इस प्रकार की तफतीश की गई है, जांच की गई है और उन व्यक्तियों को मोअत्तिल किया गया है, बरखास्त किया गया है। इसलिये यह कहना कि पुलिस वाले अपने महकमे के किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई निष्पक्ष जांच नहीं कर सकेगा और सही रिपोर्ट नहीं दे सकेगा, यह मैं नहीं मानती हूं....

श्री रोशनलाल : परसेन्टेज क्या है जो इन्क्वायरी की है और कितनों के खिलाफ रिपोर्ट दी है?...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट आइटम....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : I can not force them for a judicial enquiry. Take whatever action you may like.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूँगा जबरदस्ती इसको प्रेस्टिज क्वेश्चन न बनायें। इस सदन में चारों ओर से माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये हैं......

Page No.68

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Minister should consider it. What can I do?

श्री रामानन्द अग्रवाल : He is still an officer. आपका खुद गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के साथ में यह व्यवहार है। मैं यह जानना चाहता हूँ कल आपका कोई आई. पी. एस. ऑफिसर पिट जाय तो आपका क्या एटीट्यूड होगा। उसके लिए लाठी चार्ज, गोली चलाना बिलकुल जस्टिफाइड है। एक तरफ तो आप यह एटीट्यूड लें और दूसरी तरफ एक नागरिक है, एक स्टूडेन्ट है उसको इस तरह से ...

श्री मनोहर लाल (कामां) : ....(साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसको सस्पेन्ड भी नहीं करें।

श्री केदारनाथ :
श्री सुरेन्द्र व्यास : } (एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : हाउस जो मुनासिब समझे....

हाउस का वर्सन है। That is perfectly all right. The Minister should consider the consensus of the House but I can't force him.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सारे हाउस का वर्सन है, उसको सस्पेन्ड किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ इतने स्पष्ट तथ्य हैं। इस सारे सदन में सभी दलों के रहने के बावजूद गवर्नमेंट आई. पी. एस. ऑफिसर को प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसको संरक्षण देना चाहती है। इसके विरोध स्वरूप हम वाक आउट करते हैं....

(भा.क.पा. के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय इसके विरोध स्वरूप हम भी वाक आउट करते हैं।

(संसोपा के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण मन्त्री जी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन (1969-70) पर विचार

श्री औंकारलाल चौहान (समाज कल्याण मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की उन्नसवीं रिपोर्ट वर्ष 1969-70 जो दिनांक 8 मार्च, 1973 को सदन की मेज पर रखी गई थी, और जहां तक उसका राजस्थान से सम्बन्ध है, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : Any body wants to speak ?

श्री रामतराम (छापर): अध्यक्ष महोदय मैं इस रिपोर्ट पर आज हाउस में कुछ कहना चाहता हूं........ (विराम) ...... यह रिपोर्ट काफी अर्से के बाद हाउस में पेश की गई है। 1969-70 को रिपोर्ट को वैसे भी इसको काफी टाइम हो गया है। दो तीन साल का समय निकल गया और इस दो तीन साल के समय में बहुत सारी परिस्थितियां इस देश में और राजस्थान में बदलीं। उन सारे तथ्यों की जानकारी इस रिपोर्ट में मिली........

(4 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट को सदन में रख कर बहस करने का जो मौका दिया है, वह मैं ठीक समझता हूं। सबसे पहले माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में आदिम जाति और आदिम जन जाति के बहुत सारे आंकड़े आते हैं। उन आंकड़ों में कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। उन आंकड़ों के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। मैं खास तौर से आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि आज 25 साल के बाद इस देश में और खास तौर से राजस्थान में जो अनुसूचित जाति के लोगों की हालत है वह बहुत ही शोचनीय है और हम यह नहीं कह सकते कि आज राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति गरीब लोगों का खास तौर से आर्थिक विकास हुआ हो तो हमें सबसे पहले इस बात पर विचार करना होगा कि आज जो हरिजनों की हालत है और खास तौर से इन पिछले दो चार साल में जबसे अकाल पड़ा है, इस अकाल में हालत बहुत ही खराब हुई है। उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब हुई है और मेरा यह मानना है किसी बैकवर्ड जाति को ऊंचा उठाने के लिये जब तक हम उनकी आर्थिक हालत को नहीं सुधारते तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकता है। आज खास तौर से जो बात है, वह यह है कि सबसे ज्यादा पार्टी इस राजस्थान में है तो वह शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों में है। उनकी स्थिति यह है कि राजस्थान में उनको रोजगार के साधन नहीं हैं। रोजगारी कैसे दी जाय, क्या तरीका हो सकता है, इन लोगों को ऊंचा उठाने का क्या तरीका हो सकता है, इनकी आर्थिक हालत सुधारने का क्या तरीका हो सकता है और मैं यह मानता हूं कि आज जहां तक खेती का सवाल है, तो खेती करने वाले जो लोग हैं और जिनके पास अच्छी जमीन है, उनकी हालत ठीक हो सकती है लेकिन जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, उनकी हालत ठीक नहीं हो सकती है।

दूसरा आर्थिक स्थिति सुधारने का जरिया उद्योग धन्धों का हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, उद्योग धन्धों के मामलों में भी आज राजस्थान में खास तौर से बैकवर्ड लोगों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। उनकी क्या हालत है, आप जानते हैं। इसके अलावा तीसरा धन्धा व्यापार का हो सकता है। लोग बिजनेस करते हैं, बड़े धन्धे करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है और जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है तो वे व्यापार भी नहीं कर सकते हैं तो वह धन्धा भी उनके हाथ में नहीं है।

चौथा काम सर्विस का हो सकता है। सर्विस में भी इन जातियों के लोग ज्यादा

(श्री रावतराम)

नहीं आ पाये हैं। राजस्थान एक बैकवर्ड प्रान्त था, यहां लिखाई पढ़ाई के साधन नहीं हैं इसलिये पहले तो पढ़ ही नहीं सके और अब जो पढ़ कर आये हैं, मैं मानता हूं कुछ स्थान मिले हैं लेकिन जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिये था और जितना रिजर्वेशन है उसको न समाज कल्याण विभाग पूरा करवा सका है और न समाज कल्याण बोर्ड ही। और समाज कल्याण को तो क्या दोष दें, राज्य सरकार भी पूरा नहीं करवा सकती है तो समाज कल्याण विभाग क्या करा सकता है ? तो मेरे कहने का मतलब यह है और खास तौर से यह कहना चाहूंगा, आज इन लोगों के पास जमीन नहीं है मैं यह मान कर चलता हूं, जमीनें मिली भी नहीं हैं। आज सीलिंग का कानून आ गया उस सीलिंग के कानून से कहीं जमीन निकलने वाली नहीं है और अगर निकलेगी तो इन लोगों को तो नहीं मिलेगी और मैं यह कहना चाहता हूं यदि आप किसी हरिजन को 10-5 बीघा जमीन देकर कह सकते हैं कि इनका आर्थिक विकास हो जायेगा, कोई आर्थिक विकास नहीं होगा। मैंने इस हाउस में यह बात कही थी कि राजस्थान कैनाल में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीन दी हैं, अलॉटमेन्ट किया है। मैं मानता हूं एक एक मुरब्बा जमीन राज्य सरकार ने दी है। यह बात सही है लेकिन जिन लोगों को आज वहां जमीन दी है उनकी आप हालत देखिये कि क्या है। वहां से आने वाले माननीय सदस्यों से पूछिये आप। उन लोगों को एक एक मुरब्बा जमीन दी है और सरकार कहती है कि वह जमीन 1 लाख रुपये की है और यदि उस जमीन को ऑक्शन में बेचा जाये तो वह 2 लाख रुपये की है। इसलिए ऑक्शन नहीं करके अलॉटमेन्ट किया है और स्टेन्डर्ड रेन्ट के हिसाब से दी है। उसके बावजूद भी उस मुरब्बे के वह गरीब हरिजन सालाना रुपया जमा कराता है। एक गरीब हरिजन जिसके पास खेती का कोई साधन नहीं, उसके पास ऊंट नहीं, बैल नहीं और उस आदमी को आप एक मुरब्बा जमीन देते हैं तो वह पूरी काश्त नहीं कर सकता, वह दो हजार रुपया सालाना किश्त जमा नहीं करा सकता और अगर वह नहीं करा सकता है तो एक साल तो छूट जायेगा लेकिन दूसरे साल यदि वह किश्त जमा नहीं करायेगा तो उसके अलॉटमेन्ट को कैंसिल कर देंगे। यह क्या है ? तो मेरा कहना है कि जो आप जमीन देते हैं वह भी धीरे धीरे उनके हाथों से निकलती जा रही है और वह इसलिए निकलती जा रही है कि वह टाइम पर किश्त नहीं जमा करा सकता है। उसके पास पैसे नहीं हैं।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्षजी, जो बारानी एरिया है और दूसरे एरियाज में भी जो अलॉटमेन्ट किया है आये साल सुनते हैं और अखबारों में देखते हैं कि जयपुर में कोटा में, आपने जहां जहां भी अलॉटमेन्ट किया वहां पर लोग कब्जा लेने के लिए जाते हैं तो लोग उनको कब्जा नहीं देते हैं। यह आपको मालूम है और आपके पास इस तरह की शिकायतें भी आती हैं और उनके बारे में झगड़े होते हैं। मामूली आदमी सारे गांव के लोगों को नाराज करके काश्त नहीं कर सकता।

(श्री रावतराम)

जब मौके पर जाता है तो उसको कब्जा नहीं मिलता है और वह वापिस तहसीलदार के पास आता है तो उसको एक ही जवाब मिलता है कि हम क्या करें हमने तो पट्टा दे दिया तुम्हारी हिम्मत हो तो काश्त करो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहूंगा सिंचित एरिया में जो जमीन दी उसकी किश्तें कम करनी चाहिए और उसकी कीमत कम करनी चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी जो गरीब आदमी है, जो भूमिहीन है आपने उनको जमीन दी है लेकिन वह उनकी कीमत नहीं दे सकेंगे इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप राजस्थान में फिगर्स बतायेंगे कि इतने सारे गांवों में इतने हजार लोगों को जमीन अलॉट कर दी है और उनकी आर्थिक हालत ठीक हो जायगी मैं इसको नहीं मानता और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दूसरे कामों में इन लोगों को लिफ्ट मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे कामों में उद्योगों का सवाल सबसे पहले आता है। राजस्थान में हरिजन लोग अनेक तरह के धंधे गावों में और शहरों में करते थे। लोग बुनाई का काम करते थे, लोग चमार का काम करते थे, जूतियां बनाते थे, टोकरियां बनाते थे इस तरह के अनेक गृह उद्योग धंधे गांवों में फैले हुए थे उनमें यह लोग काम करते थे। आज वह सारे धंधे कहां गये? आपको गांव में कहीं बुनाई करने वाला बुनकर नहीं मिलेगा, आपको गांवों में जूतियां बनाने वाले नहीं मिलेंगे और वह इसलिए नहीं मिलेंगे कि आज हालत यह हो गयी कि बुनकर कपड़ा बनाते हैं तो उनको सूत नहीं मिलता है और अगर सूत मिल जाता है तो आगे मार्केट नहीं मिलता क्योंकि आज के युग में फैशन का युग है और मिल के कपड़ों के मुकाबले में गांव का जो शिल्पकार है जो कपड़ा बनाता है वह कभी नहीं ठहर सकता है। तो सारे के सारे उनके उद्योग धंधे छिन गये। एक तरफ राज्य सरकार बार बार कहती जा रही है कि हम उद्योग धंधे बढ़ा रहे हैं। आप किन के उद्योग धंधे बढ़ा रहे हैं आप उनके उद्योग धंधे बढ़ा रहे हैं जो 10 लाख की इन्डस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं जो कि एक दो करोड़ की इण्डस्ट्री लगाना चाहते हैं। आप उनको लिफ्ट दे रहे हैं जो कि करोड़ों रुपयों की इण्डस्ट्री लगाना चाहते हैं। जो गांवों में छोटी छोटी इण्डस्ट्रीज थीं वह सब आज चौपट हो गयी हैं। आपको मालूम है कि राजस्थान के अन्दर ऊन का कितना बड़ा धंधा था। राजस्थान का ऊन सारे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध था वह कोई जयपुर की चौपड़ पर पैदा नहीं होता था, वह गांवों में पैदा होता था और डेजर्ट एरिया में होता था। आज, उस एरिया में जहां ऊन पैदा होता है, जहां ऊन का प्रोडक्शन होता है और जो लोग भेड़ रखते हैं आज आपको ऊन की कताई का धंधा नहीं मिलेगा। आज गावों में स्त्रियां बेकार बैठी हुई हैं क्योंकि इस इण्डस्ट्री का जो धंधा था वह दूसरे लोगों ने ले लिया। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी मैं यह अर्ज करूंगा कि यदि हम छोटे धंधों में ग्रामस्तर पर लोगों को रोजगार नहीं देंगे तो गांधीजी ने यह

(श्री रावतराम)
कहा था कि गांवों से बेकारी की भीड़ शहरों की तरफ बढ़ेगी, बेरोजगारी आयेगी और झगड़े फिसाद होंगे। लेकिन आज हम गांधी जी की नीति को भूलते जा रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि इस अनुसूचित जाति की रिपोर्ट में कुछ नहीं है। दौरे होते हैं, घूमते हैं और सिफारिशें करते हैं। मैं आपको खास तौर से कहना चाहूंगा कि उन लोगों को क्या आप कोई साधन दे सकते हैं ? उनके पास जमीन नहीं, जमीन दे नहीं सकते आप 10 बीघा जमीन दे दें तो उससे उसका गुजारा नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने तो बोलना ही शुरू किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आज समय कम है और 3 बजे माननीय मंत्री जी का एक वक्तव्य भी है।

श्री नाथूराम (नागौरा) : हम तो इस रिपोर्ट पर ज्यादा बोलेंगे।

श्री बनवारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसका टाइम बढ़ाया जाये।

श्रीमती जमुना सोलंकी : हम बोलेंगे, इसका टाइम बढ़ाया जाये।

श्री बनवारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए पहले दो दिन रखे गये थे और अब दो घन्टे रह गये हैं यह हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है इसलिए मैं खास तौर से निवेदन करता हूं कि इसके लिए टाइम बढ़ाया जाये या फिर सदन को आगे के लिए बढ़ाया जाये। मौका दिया जाना चाहिए और जितने भी अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं उनके अनुभवों से वाकिफ इस सदन को होने दिया जाये।

श्री चेतराम : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय समाज कल्याण विभाग की मांग पर बहस चल रही थी तो शासन की तरफ से आश्वासन हुआ था और मैंने उस समय निवेदन किया था कि समय बढ़ाया जाये तो कहा गया था कि इस रिपोर्ट पर बहस होगी तो सदस्यों को पूरा टाइम दिया जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर बोलने की पाबन्दी नहीं लगाई जाये और जितना ज्यादा समय रखा जाये उतना होना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है और समय बढ़ाया जाये।

श्री रावतराम : मुझे बोलने दिया जाये। समय यों बरबाद नहीं किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाने की स्थिति तो शाम को 5 बजे बाद आयेगी। उस समय जो भी स्थिति होगी इस बात का ध्यान रखेंगे।

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों को रोजगार गांवों में ही देना चाहते हैं तो जो पुरानी इन्डस्ट्रीज हैं और

Page No.73

(श्री रावतराम)

छोटे उद्योग धंधे हैं उनके लिए आपको सर्वे कराना पड़ेगा और किस तरह से इन लोगों को मदद पहुँचा सकते हैं । इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष जो सर्विसेज का सवाल आता है । आज उनके साथ जस्टिस नहीं होता है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज पुलिस के महकमे को ले लें । इसमें आपने रिजर्वेशन कर रखा है । आज राजस्थान में जितनी भी पुलिस में भरती हुई है क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं, क्या आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि उनका रिजर्वेशन पूरा हुआ है ? हमारा दृष्टिकोण है ? हम यह कहते हैं कि इनके लोग लड़ नहीं सकते बहादुरी नहीं दिखा सकते । तो आपके लिए भी कहा जाता था जब अंग्रेज थे कि हिन्दुस्तानी कभी राज्य नहीं कर सकते लेकिन आज देखिये आप कर रहे हैं या नहीं । खाली आदेश प्रसारित हो जायें और उसके बाद छुट्टी हो जाये फिर चाहे कोई रखे या नहीं रखे । अलग-अलग महकमों की हालत यह हो रही है । विधान सभा में जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कमेटी बनी है उसके अन्दर बताया है । दिनांक 30-9-71 तक की कुछ डिपार्टमेंट्स से जानकारी चाही हैं । यह फिगर्स बताते हैं । प्रथम वर्ग में 1971 की भरती 3,583 लोगों की हुई और उसमें अनुसूचित जाति के लोग 202 थे और यह अनुपात 5.6 आता है । जबकि आप एक तरफ 17 पर्सेन्ट की बात करते हैं । दूसरे वर्ग में 32,646 की भरती की गयी और 1,730 की भरती हुई है और यह अनुपात 5.3 पर्सेन्ट आता है । तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने 17 परसेन्ट का कोटा पूरा कर लिया है । कौन इस बात की जांच कर रहा है ? आपके पास कोई तरह की कमेटी नहीं है । कोई इस तरह का तरीका नहीं है । आप कहेंगे कि समाज कल्याण विभाग में सेल कायम कर दिया है । कोई जरूरी नहीं है कि समाज कल्याण विभाग को इत्तला करें ही । पुलिस का महकमा है इण्डस्ट्री का महकमा है या आर. एस. इ. बी. का महकमा है वे क्या परवाह करते हैं. क्या होता है उनके सामने समाज कल्याण विभाग । अभी कुछ ही दिनों पहले आर. एस. इ. बी. में जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्ति हुई थी । मेरे खयाल में करीब 70 के करीब नियुक्तियां हुई । उनमें शिड्यूल्ड कास्ट के कितने लोगों को नियुक्ति मिली जब कि वहां केंडिडेट उपस्थित थे और क्वालिफाइड भी थे । इसके बाद में भी उनको पूरा रिजर्वेशन नहीं मिला. उनका कोटा नहीं दिया गया । मैंने परसनल चिट्ठी लिखी जोश जी को कि इस तरह के ये लोग जो डिप्लोमा होल्डर हैं, क्वालिफाइड हैं उन लोगों की यह हालत को जा रही है । मैं सबके लिए नहीं कहना चाहता, बहुत सारे ऐसे महकमे और अफसर हैं जो जिम्मेदार और सेवा भावी लोग हैं जो दिल से चाहते हैं कि जो ये गरीब लोग हैं, बेकवर्ड लोग हैं इनके साथ अन्याय करेंगे तो कहां मुंह दिखायेंगे । गवर्नमेंट के आदेश हैं उनका पालन करें । ये हिन्दू समाज के अंग हैं हरिजन लोग और बेकवर्ड लोगों को कमजोर रखेंगे तो हिन्दू समाज कमजोर होगा और हिन्दू समाज डूबेगा यदि इस अंग को इसी तरह से रखा गया । इस प्रकार की जिम्मेदारी को समझने वाले लोग मिलेंगे लेकिन कई

(श्री रावतराम)

महकमे ऐसे हैं, कई अफसर लोग ऐसे हैं जो यह नहीं करते हैं। हमारे जिले में इस तरह की कई भर्ती हुई तो वे दस की जगह दो को निकालते हैं। दो में कहां से रिजर्वेशन होगा। 15 की जगह 5 की बात करते हैं। कभी दो ले लिए, कभी तीन ले लिए, कभी चार ले लिए। धीरे 2 करके उन सब 15 को भर्ती कर लेते हैं और अपने तरीके से अपने लोगों की भर्ती कर लेते हैं। आपने इस सम्बन्ध में यह घोषणा कर रखी है कि किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाने की जरूरत नहीं है वह सीधे अप्लीकेशन दे सकते हैं लेकिन आज वह बात नहीं है। उनका भी नाम दर्ज कराना पड़ता है, वहां से एम्पलायमेंट कार्ड निकालना पड़ता है और यदि कोई भेंट पूजा नहीं करेगा तो उसका नाम नहीं जा सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या आपके पास कोई ऐसी मशीनरी है जो यह सब मालूम कर सके। आपके पास ऐसी मशीनरी होनी चाहिए। आपके पास उच्च अधिकार प्राप्त समिति राजस्थान में होनी चाहिए और इस हाउस में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस राज्य सरकार से मांग करता हूं कि आपको इस तरह की समिति बनानी चाहिए। आपने राजस्थान विधान सभा के सदस्यों की समिति बनाई यह है, यह बहुत बड़ी करीब 25 सदस्यों की समिति है, जो यह सारी चीजों को नहीं देख सकती। इसलिए आप छोटी सी समिति बनाइये। यह समिति सारे मामले पर विचार करें कि पांच साल में कितनी नियुक्तियां हुई हैं और उन नियुक्तियों में रिजर्वेशन के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से अनुसूचित जाति के और जन जाति के लोगों को रोजगार मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिलता है रोजगार तो इसका क्या कारण है। जब तक आप सख्ती से नहीं चलेंगे तब तक आप उसके साथ न्याय नहीं कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद प्रमोशन का सवाल आता है। आज प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होता। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले दिनों हाउस में यह घोषणा की थी कि हम इसको लेना चाहते हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप इसको लेना चाहते हैं लेकिन आपके लेने में माननीय मंत्रीजी देरी हो सकती है क्योंकि आपकी गति कछुए की तरह धीमी गति है। आप हरिजनों का विकास धीरे 2 करना चाहते हैं। 20 साल, 30 साल, पचास साल में करना चाहते हैं। अगर सारा विकास आपने ही कर दिया तो फिर आगे आने वाली पीढी क्या करेगी ? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हम यह चाहेंगे कि आप इसके प्रमोशन में रिजर्वेशन जब तक आदेश नहीं कर दें तब तक आप अपने सचिव को, मुख्य सचिव को तो यह आदेश भिजवा दें कि इस पीरियड में जो प्रमोशन दनादन दिए जा रहे हैं, इसलिए दिए जा रहे हैं कि प्रमोशन की बीमारी हरिजनों के नाम पर आने वाली है इससे पहले पहले जितना लाभ उठा सकते हो उठा लो और इस तरह से सब प्रमोशन दिए जा रहे हैं। तो आप कम से कम जब तक आपके आदेश न हों तब तक के लिए प्रमोशन रोक दिए जावें।

(श्री रावतराम)

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आज राजस्थान में हरिजनों के लिए शिक्षा की क्या हालत है। आपने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है यह हम मानते हैं। आपके सरकारी होस्टल भी चलते हैं और एडेड होस्टल भी चलते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ लेकिन आपने दूसरे प्रान्तों की स्थिति को भी देखा है। उनके फिगर्स भी आपने देखे कि वे लोग किस गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसके मुकाबले राजस्थान की क्या हालत है। आप दूसरे प्रान्तों की स्थिति देखें और उसके मुकाबले राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान की स्थिति बहुत खराब है। आज आप बीकानेर डिविजन में चले जायं, आप पूरे चूरू जिले में चले जांय, वहां की करीब 8 लाख की आबादी है, उसमें आपको एक सरकारी होस्टल और एक एडेड होस्टल मिलेगा। बीकानेर से गंगानगर तक जावें तो कहीं 2 पर होस्टल चलते हैं। उसमें आपके पचास लड़के, पचपन लड़के मिलेंगे। उन होस्टलों की क्या हालत है, आपने कभी जाकर देखा नहीं। आपके यहां के अफसर दूर करें नहीं, वहां मौके पर जावें नहीं······

श्रीमती जमना सोलंकी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बारबार यह कमेटी जो विधान सभा की बनी हुई है उसके बारे में कह रहे हैं और उस कमेटी के आधार पर जो आंकड़े तैयार किए गए हैं उनके बारे में कह रहे हैं, तो इस कमेटी ने तो बहुत काम किया है।

श्री रावतराम : माननीय सदस्या, यह विभागों द्वारा भिजवाये गए आंकड़े हैं, कोई रिलायबल आंकड़े कैसे नहीं है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके जो होस्टल हैं उनकी क्या हालत है। उन बेचारों से आप कभी मिले नहीं हैं, कभी आपने देखा नहीं है कि उनको कैसा खाना मिलता है कैसा उनको कपड़ा मिलता है। हाउस में इस बार ऐसे प्रश्न सामने आए हैं और मैं समझता कि बार यहां पर इस बात पर जोर दिया गया कि जो सरकारी होस्टल और एडेड होस्टल चलते हैं, उन एडेड होस्टल में ऐसे आदमियों को बैठा रखा है, उनको आप सब्सीडी देते हैं, उनको अनुदान दे रहे हैं, लेकिन इन चीजों का वे किस तरह से मिसयूज करते हैं। किस तरह का वे अनाज देते हैं, खाने पीने की चीजें देते हैं, कहीं पर कोई देखने वाला नहीं है। आप समझते हैं कि पूरा राम राज्य आ गया है। आप जयपुर से बाहर जाते नहीं, बाहर जावे नहीं, देखें नहीं कि वे किस प्रकार से काम चलाते हैं, किस प्रकार से अपनी दुकाने चलाते हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि आपने जो कुछ किया है क्या उसी से संतोष कर लिया है। आज राजस्थान में चालीस लाख हरिजन हैं और उनकी क्या स्थिति है। आज की एजूकेशन की जो आपने व्यवस्था रखी है, जो फेसेलिटीज दे रखी हैं क्या वे पर्याप्त हैं ? जो आप स्कॉलरशिप देते हैं समाज कल्याण विभाग से यह स्कॉलरशिप गांवों में समय पर पहुंचती नहीं और स्कॉलरशिप के अभाव में लड़कों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, कॉलेज छोड़ना

(श्री रावतराम)
पड़ता है। आज राजस्थान में भयंकर अकाल है अगर अकाल का सबसे भयंकर असर पड़ा है तो वह शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर पड़ा है और उनके लड़कों को स्कूल छोडने पड़ रहे हैं। आपके यहां से तो उसी स्टैंन पर स्कॉलरशिप जाती है और स्कॉलरशिप के अभाव में स्कूल की फीस के अभाव में लड़कों को स्कूल छोड़नी पड़ती है।

आज आपके समाज कल्याण विभाग का महत्व क्या रह गया है। क्या काम समाज कल्याण विभाग हरिजनों के लिए कर रहा है। समाज कल्याण विभाग सरकारी होस्टल चलाता है या स्कॉलरशिप बांटता है इसके सिवाय समाज कल्याण विभाग के पास कोई योजना नहीं है कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। केवल होस्टल चलाते हैं या स्कॉलरशिप देते हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज राजस्थान में आप शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं लेकिन अगर इन लोगों में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तो उनमें जाग्रति नहीं होगी और जाग्रति नहीं आएगी तो वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे और अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर सकेंगे। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, और आपको थोड़े से फिगर देना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में और दूसरे प्रान्तों में शिक्षा की क्या पोजीशन है। हालांकि यह रिपोर्ट 70 की है लेकिन मैं आपको इसी में बता देना चाहता हूं कि क्या स्थिति है। जो स्कूल जाने वाले बच्चों के नाम दर्ज हैं उनमें महाराष्ट्र में 66-67 में है 40,531, पांचवी क्लास में प्राईमरी में जाने वाले। इसके साथ राजस्थान में इनकी संख्या है 16,116। जहां महाराष्ट्र में 40,531 है वहां हमारे यहां 16, 116 हैं।

इसके अलावा लड़कियों को शिक्षा की भी बात है। मैं यह भी कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि आज लड़कियों की एजूकेशन का कितना महत्व है। जिस समाज में और जिस देश में लड़कियों में शिक्षा का अभाव है, लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं हैं, उस समाज का विकास नहीं हो सकता। और आगे आने वाली सन्तानों का विकास नहीं हो सकता। सरकार ने इस तरफ देखा नहीं। सोचा नहीं। बातें लम्बी चौड़ी करते है, बड़े-बड़े शहरों में आपने अपने लिये तो बड़ी बड़ी सुविधाएं जुटा ली हैं, बड़ा स्टैण्डर्ड की शिक्षा लड़के लड़कियों को सबको उपलब्ध है, पर उनके लिये आपने गांवों में और शहरों में भी क्या किया, जिनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपया आप खर्च करते हैं। शिड्यूल कास्ट और टाइब्स की लड़कियों के लिये आपने कितने स्कूल खोले ? इस मामले में जितने पीछे राजस्थान है, उतना भारत का कोई प्रदेश नहीं है।

यहां आप लड़को के लिये अच्छे होस्टल नहीं खोल सकते, खोले हैं तो उनकी व्यवस्था आप ठीक नहीं कर सकते, और लड़कियों की शिक्षा का जहां तक सवाल है, उस बारे तो शायद आपने कुछ सोचा ही नहीं है अभी तक। ऐसा लगता है। मैं पूछना चाहता हूं ओंकारलाल जी आपसे कि आजादी के 25 साल के अरसे में भी आपने शिड्यूल कास्ट और

(श्री रावतराम)
ट्राइब्स की लड़कियों को शिक्षा का अवसर नहीं दिया और आगे वह समय कब आवेगा जब आप उनको भी शिक्षा का अवसर दे पावेंगे ?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री रावतराम : मैं थोड़ा समय लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगर इस तरह एक एक व्यक्ति आधा घन्टा का समय लेंगे तो मुश्किल होगी।

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो मुद्दे कह कर अपना कथन समाप्त कर रहा हूँ। मै चाहता हूँ कि बालिकाओं की शिक्षा का आप प्रबन्ध करिये। अगर यह नहीं होगा तो सामाजिक विकास हमारा बहुत कम होगा।

एक बात और निवेदन करना चाहूँगा कि क्या सरकार यह प्रबन्ध नहीं कर सकती कि आज जो उद्योग धन्धे सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में चलते हैं और जिन उद्योग धन्धों को सरकार 80/90 प्रतिशत ऐड देती है, उनमें शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों को एक निश्चित पर्सेन्ट से नौकरियां अनिवार्य रूप से देनी लाजिम हो जाय।

इसके अलावा पंचायती राज के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा, आज पंचायत समितियों और जिला परिषदों द्वारा गांवों का समान विकास होगा और शिड्यूल कास्ट के लोगों को भी प्रगति करने का अवसर मिलेगा, यह आशा करके चलते थे वह आशा धूमिल हो गई। इसकी धीरे धीरे जो पिक्चर सामने आई और जो पैसा खर्च के लिये उनको ट्रान्सफर किया गया, शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों के भले के लिये खर्च किया जाने वाला पैसा भी ट्रान्सफर किया गया, उसका सही रूप से उपयोग नहीं किया गया। दूसरे दूसरे कामों में खर्च कर दिया पानी के प्रबन्ध के लिये हमारा पैसा इनको ट्रान्सफर किया गया। आपने भी दो-दो हजार रुपया ट्रान्सफर किया जहां बीस बीस हजार रुपया खर्च होता है एक एक कुएं में वहां दो हजार से वैसे भी होना जाना क्या था। आप दो हजार से कौनसी जगह कुआ बनाना चाहते हैं। यह हमारे साथ बहुत बड़ी मखौल सी है। आप कहते हैं अलग से नहीं बनावेंगे, दूसरी तरफ गावों में जन साधारण के कुओं से आप हमें पानी दिला नहीं सकते। आज भी परिणाम इसका यह है कि गरीब हरिजन आदिवासियों को वही गन्दा मैला पानी पीना पड़ता है। आज हरिजनों की गांव गांव में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आपने रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम बनाई। 20 पच्चीस लाख रुपया सरकार ने इसमें दिया है। इसकी भी देखभाल करनी चाहिये।

भविष्य में पंचायत समितियों और जिला परिषदों को रूरल डवलपमेन्ट प्रोग्राम में काफी अधिकार और पैसा मिलने वाला है। डवलपमेन्ट का करोड़ों का बजट उनके पास जाने वाला है। इसलिये शिड्यूल कास्ट के मन्त्री जी से मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि यह हमारी परीक्षा का और आपकी भी परीक्षा का दिन है। आज इन संस्थाओं में उचित रूप में हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

(श्री रावतराम)

अगर हमारे आदमी उचित मात्रा में इन संस्थाओं में नहीं गये तो हमारे साथ न्याय होने वाला नहीं है।

माना कि आज बहुत से शिड्यूल कास्ट के एम. एल. ए. हैं। एम. पी. भी हैं। आई. ए. एस. और आर. ए. एस. अधिकारी भी कुछ बने हैं। पर इससे हमें सन्तुष्ट होकर नहीं बैठना है। आज हमारा सारा समाज उठेगा तो हमारा विकास हो सकता है आप हम एम. एल. ए. या मंत्री या एम. पी. बन जावें तो इसको मैं विकास नहीं मानता। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि पंचायती राज में जो संस्थाएं बनने जा रही हैं उनमें हमारा पूरा प्रतिनिधित्व हो। विधान सभाओं में और संसद में रिजर्वेशन है तो इनमें भी हमारे लिये रिजर्वेशन होना चाहिये। तभी जाकर हम लोगों के पंच सरपंच आवेंगे और हमारा पूरा प्रतिनिधित्व हो पावेगा। रिजर्वेशन करना इसके लिये भी अनिवार्य होना चाहिये।

मैं जानता हूं लोग इसका विरोध करेंगे क्योंकि वहां आपकी संख्या अधिक होगी। अगर इसमें हम सफल होते हैं तो हमारा अधिक से अधिक भला हो सकता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा। इस रिपोर्ट में भंगी कष्ट मुक्ति का नारा लगाया है। मैं नहीं समझ पाया कि भंगी कष्ट मुक्ति के नाम से पैसा जो दिया जाता है और जिससे लोगों की फ्लश की टट्टियां बनती हैं इसमें भंगी को कहां कष्ट से मुक्ति मिली? यह बड़े शर्म की बात है कि जो आज अपने को एडवान्स्ड और सभ्य मानते हैं और इस बात का भी दम भरते हैं कि वे हरिजनों को ऊंचा उठाना चाहते हैं उनके समकक्ष लाना चाहते हैं, सभ्य नागरिक बनाना चाहते हैं वे सभी उससे मैला उठाना चाहते हैं। इसमें किसी को गिला नहीं है। कोई परवाह इनको नहीं है। आज भंगी कष्ट मुक्ति के नाम से फ्लश की टट्टी बना दी। तो इसमें भंगी को कष्ट मुक्ति कौनसी हुई? वह तो मैला ऐसे ही उठावेगा। क्यों आप इस कलंक को दूर नहीं कर सकते। आप स्पष्ट घोषणा कर दीजिये कि आज से कोई मैला नहीं उठावेगा। सरकार अगर तय कर ले तो क्या कठिनाई हो सकती है।

सरकार ने निश्चिय किया कि वैश्यावृत्ति बन्द कर दी जाय। और वह बन्द हो कर रही। वैश्यावृत्ति समाज पर कलंक था और उस कलंक को दूर हटाने का आपने निश्चय किया तो हट गया। इसी तरह यह भी समाज के माथे पर कलंक है कि इन्सान का मैला इन्सान अपने सिर पर ढोये। आप निश्चय ही इसे दूर करना चाहेंगे तो यह दूर हो सकता है, अन्यथा नहीं।

फिर जिस दिन भंगी लोग स्वयं एक हो कर इसे बन्द कर देंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको शपथपूर्वक कहना चाहिये कि अब भंगी मैला नहीं उठावेगा कहीं पर भी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

Page No.79

(श्री रावतराम)
कहना बहुत चाहता था, पर समयाभाव से एक बात और कह कर समाप्त करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष जी, यह आपका घण्टा नहीं बज रहा है, सदन की घन्टी बज रही है।

श्री रावतराम : आज समय आ गया है कि हम राजस्थान से इन जातियों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पूरी तरह से पूरी शक्ति के साथ इसमें जुटें। कुछ को स्कॉलरशिप दे दी, कुछ होस्टल खोल दिए, पानी के लिए कहीं दो हजार दे दिया, कहीं किसी काम के लिए एक हजार बांट दिया इससे विकास नहीं हो सकता। मैं इन सारी बातों में कोई सार नहीं देखता। आपको सबको उठाना है, सबको रोजगार देना है तो इसके लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू करना होगा। अगर समाज कल्याण विभाग यह काम नहीं कर सकता तो समाज कल्याण का नाम मिटा कर और कोई कल्याण का नाम इसे दे सकते हैं। राजस्थान के चालीस लाख हरिजनों के लिए दो दो रुपया पर हैड भी आप मानें तो अस्सी लाख चाहिए इतनी गुंजाइश नहीं है यह मैं नहीं मानता। आपको इससे भी अधिक धनराशि खर्च करनी होगी। इसके लिए अलग से एक फुल फ्लेज्ड मन्त्री और विभाग क्रीएट करना होगा। इनको आर्थिक शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए काफी कुछ अभी भी करना होगा। नाम मात्र के काम अगर आप करना चाहें तो बात अलग है इस तरह से विकास होगा नहीं। करना है तो पूरे स्केल पर करिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल।

श्री मूलचन्द सामरिया : हमारा भी तो नम्बर आ गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : ऐसा मत कीजिये।

श्री भगराज चौधरी : नाम किस क्रम से दिए गए हैं यह हमें मालूम हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि आसन का काम नहीं है। आप अपने चीफ व्हिप से पूछिए।

श्री भगराज चौधरी : मेरा दूसरा नम्बर पर नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास नहीं है।

श्री बनवारीलाल (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष, सबसे पहले तो मैं इस बात पर अफसोस जाहिर करता हूं कि आज जिस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है वह हिन्दुस्तान की 20 फी सदी जनता से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं और राजस्थान की 28 पर्सेन्ट जनता से ताल्लुक रखने वाली बात है, और सदन की जो गैदरिंग है वह भी अफसोसजनक है। वैसे तो बड़ी सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन चूंकि आज यह मसला खास तौर से है, इसलिए प्रायः सभी लोग गायब हैं, और मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो 28 पर्सेन्ट का रेश्यो है उस हिसाब से अगर इस समय मन्त्री मण्डल के माननीय सदस्य

(श्री बनवारीलाल)
उपस्थित रहते तो इनको हमारे दुःख दर्द के बारे में सही जानकारी मिलती।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : शेम, शेम, एक बीमार मन्त्री है और कोई मन्त्री नजर नहीं आता है।

श्री बनवारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष, यह रिपोर्ट जो हमारे सामने है, जिसके ऊपर विचार किया जा रहा है, वह 1969-70 की है। चार साल पहले की बात है। चार साल के अन्दर बड़ी भारी तब्दीलियां होती हैं। रोज कुछ ना कुछ नई बात सामने आत है। कुछ मिटता है। कुछ बनता है। आज चार साल पहले की बातों के ऊपर हम किस रूप में बैठ कर बातें करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, अब डेढ़ मन्त्री हैं। पौन पौन दो मन्त्री हैं। इस हिसाब से डेढ़ मन्त्री उपस्थित हैं।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : यह पसन्द नहीं है, आपका माप दण्ड पौन मन्त्री और आधे मन्त्री का। यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है।

श्री मनोहरलाल : हम तो आपको भी मन्त्री से कम नहीं समझते हैं।

श्री रावतराम : यह तो इनकी आदत है कि गरिमा नहीं रखते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप जो कहें वहीं पुष्प मैं अर्पित कर दूं।

श्री बनवारीलाल : इस पूरी रिपोर्ट को देखने पर पता लगता है कि पूरे हिन्दुस्तान में। इन 25 सालों के बाद भी आज हरिजनों के लोगों पर, आदिम जाति के लोगों पर जो जुल्म-ज्यादतियां की जाती हैं वह ठीक नहीं हैं, बड़ी ही खेदजनक बात है, जिसका निदान सरकार नहीं कर पा रही है........

श्री मनोहरलाल : माननीय उपाध्यक्ष आज शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के माननीय विधायक भी पूरे उपस्थित नहीं हैं, वह भी हाजिर नहीं है, इसलिए हम वाकआउट करते हैं।

(श्री मनोहरलाल एवं श्री मूलचन्द सामरिया ने बहिर्गमन किया)

श्री बनवारीलाल : आपको तो जाना ही था। मुझे ताज्जुब था कि आज आप बैठे हुए हैं। आपने यह बहाना बना लिया।

श्री मनोहरलाल : आपको शर्म आना चाहिये कि आप बैठे हुए हो।

श्री बनवारीलाल : इस रिपोर्ट में अध्याय 19 हैं। उन अध्यायों के नीचे कुछ बातें इसके अन्दर वर्णित की गई हैं—आयुक्त को प्राप्त शिकायतों की जांच। यह नाम इस चेप्टर का है और उसके अन्दर जो डेटा दिये गये हैं वह इस प्रकार हैं। इस पीरियड में यानी 1969-70 में जितनी शिकायतें कमिश्नर महोदय को प्राप्त हुई हैं उनकी तादाद 1903 है और जिस चालू वर्ष की यह रिपोर्ट है उसमें

(श्री बनवारीलाल)

शिकायतें हैं 2522। इसका मतलब हम यह निकाल कर चलते हैं कि हमारी शिकायतें जो पहले साल में हुई उससे शिकायतों का नम्बर कुछ ज्यादा है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारे खिलाफ जुल्म बढ़े हैं। हमको जो न्याय मिलना चाहिए था वह न्याय नहीं मिला। अब इसके अन्दर अस्पृश्यता एवं उत्पीड़न इसकी शिकायतें 380 हैं। पिछले वर्ष की रिपोर्ट इस सम्बन्ध की नहीं है, लेकिन मेरी यह मान्यता है, मेरा यह विश्वास है कि निश्चित रूप से ज्यादा रहा होगा, क्योंकि एज ए होल इसकी तादाद ज्यादा है। कृषि से संबंधित 195, शिक्षा संबंधी 210, आबादी सम्बन्धी 170, सेवा संबंधी 1486 और विविध 811 कुल मिला कर 2522 शिकायतों का विवरण इसमें दिया हुआ है।

इस रिपोर्ट से ऐसा मालुम होता है कि राजस्थान के बारे में कमीशन ज्यादा जागरूक नहीं है। जबकि आन्ध्र प्रदेश के कुछ ऐसे उदाहरण दिये हैं तो वह अस्पृश्यता के इसके अन्दर 17-18 हैं तो राजस्थान का एक ही उन्होंने कोट किया है जब कि स्थिति बिल्कुल भिन्न है। हमारे राजस्थान में बड़े बड़े शहरों को भले ही छोड़ दें जहां शायद छुआछूत की मात्रा कम हो गई है, लेकिन गांवों के अन्दर बिल्कुल स्थिति वही की वही है। आज नहाने के लिए न तो घाट खुला है, न पनघट खुला है, न खाट खुली है और न कोई। जैसी 20 साल पहले उसकी हालत थी आज भी है। खाने-पीने के बारे में बड़ी शिकायतें आती हैं। हरिजनों को खाना अच्छा नहीं दिया जाता है, उनको अच्छा पहनने नहीं दिया जाता है। उनको सामान्य कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता है।

इसमें, श्रीमान, कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर जो प्रोविजों हैं उन प्रोवीजों के तहत हमें जो प्रोटेक्शन दिया गया है वह मैं समझता हूं वह नेगेटिव आस्पेक्ट है। सरकार यह मान कर चलती है कि कॉन्स्टीट्यूशन के हिसाब से यह हमने अधिकार दे दिया है। काले का भेद नहीं करेंगे, धर्म का भेद नहीं करेंगे, गोरे का भेद नहीं करेंगे, जाति का भेद नहीं करेंगे, लिंग का भेद नहीं करेंगे। यह कॉन्स्टीट्यूशन बहुत पवित्र पुस्तक है हमारे लिए, लेकिन स्थिति दूसरी तरह की है। गांवों में बड़ी मात्रा में ऐसे आदमी रहते हैं जिनके हजारों सालों के संस्कार इस तरह के भरे हुए हैं कि वह आज भी ज्यों के त्यों भरे हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं थोड़ा सा इस संबंध में हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के समाज के बारे में वर्णन करना चाहता हूं कि इनकी सामाजिक जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया बड़ी विचित्र है। उसका इस प्रकार से शोषण करते हैं कि उसको पता नहीं लगता है। एक उर्दू कवि का शेर इस संबंध में बिलकुल फिट बैठता है—"कफस की बिजलियों में न जाने क्या तरकीब रखी है कि हर बिजली करीबे आशियां मालूम होती है" उस आदमी के साथ ऐसा सुनियोजित षडयन्त्र किया जाय कि, उसको पता भी न लग पाये और उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाय। उदाहरण की बात है कि जिस हरिजन समाज को अछूत के नाम से पुकारा जाता है, जिसको पिछड़े वर्ग के

(श्री बनवारीलाल)

नाम से पुकारा जाता है, जिसको आदिम जाति के नाम से पुकारा जाता है, वह उसी षडयन्त्र मोहब्बत के बायस हुआ है। यह सम्पूर्ण समाज ने मिलकर षडयन्त्र किया इन लोगों के खिलाफ, और उस अवस्था को पहुंचा दिया कि जिसकी आदमी कल्पना नहीं कर सकता है कि अपना मैला उसके सिर पर उठवाते हैं और संसार में जितने भी गये गुजरे काम हैं वह उनके सर पर थोपे जाते हैं। काम बांटने वाली बात है यह तो कर दी, लेकिन कुछ मेन्टल एक्शन भी है और उस मेन्टल एक्शन की काम्युनिटी खड़ी करदी उसके लिए एक उदाहरण मैं देता हूं। सांसी नाम की एक जाति है हरिजनों की, अनुसूचित जाति के लोग हैं उसके लिए कुछ इस किस्म का एटमासफियर क्रियेट कर दिया है कि चोरी का पेशा उनके लिए तय कर दिया गया है चोरी सिर्फ यह है लोग करते हैं। सारे कुकर्म उनके सिर पर थोप दिये। यह मेन्टल एक्शन है उसके हिसाब से कम्युनिटी बना दी। यह बड़ी खेदजनक बात है। उस प्रक्रिया के लिए आज के लोग दोषी नहीं बन सकते। हम उसमें समाज के अन्ततोगत्वा अंग हैं। इसलिए हमारा परम पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है, हमको उस बारे में सोचना चाहिए, हमें उस बारे में विचारना चाहिए और निदान देना चाहिए। हमारे हिन्दू समाज के अन्दर पूरे समाज को एक शरीर की उपमा दी है। सचमुच समाज का सारा भाग शरीर का हिस्सा है। सिर का भाग ब्राह्मण है, पेट का भाग वैश्य है, भुजा क्षत्रीय है और पैर शुद्र हैं। इस तरह से कास्टिज्म चला। समाज के हर भाग को डिफाइन कर दिया। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि समाज को जब हमने शरीर की उपमा दी है और शूद्र को शरीर का हिस्सा मान रखा है। यह मनोवैज्ञानिक बात है कि शरीर के जितने हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा, एक भाग को पीड़ा रहे तो वह भाग प्रमुख हो जाता है, दूसरे गौण हो जाते हैं। सिर में दर्द होता है तो सिर प्रमुख हो जाता है और दूसरे हिस्से गौण हो जाते हैं। पैर में कांटा चुभ जाय तो पैर प्रमुख हो जायेगा, बाकी शरीर गौण हो जाता है। इस प्रकार पिछड़े वर्ग जिसको शूद्र सम्बोधित करते आये हैं, वे लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, वह प्रमुख होना चाहिए। लेकिन वह प्रमुख नहीं हो पाये हैं। इसलिए आप समाज के इस हिस्से की पीड़ा का निदान कीजिए, उसका इलाज निकालिए। पिछले पच्चीस सालों में केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने बहुत बहुत कानून बनाये हैं। यह कहा गया कि कानून के जरिए से अस्पृश्यता मिटा दी जायेगी, अशिक्षा मिटा दी जायेगी, उद्योग धन्धे दिये जायेंगे, इकानामिक कन्डीशन खराब है, उसको सुधार कर ऊंचा उठा दिया जायेगा। लेकिन इसके बावजूद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, कि यह वर्ग थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित किया था, जिस मन्जिल पर पहुंचना था उस लक्ष्य और मन्जिल से बहुत दूर हैं। जहां तक छुआछूत का प्रश्न है, जब तक यह उन्नत लोगों की जिम्मेदारी नहीं होगी कि छुआछूत हटायें तब तक इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। जाति के हिसाब से, काम के विभाजन या दूसरे हिसाब में जब तक व्यवस्था चलती

(श्री बनवारीलाल)

रहेगी। जाति के हिसाब से, काम के विभाजन या दूसरे हिसाब से जब तक व्यवस्था चलती रहेगी तब तक यह बात चलती रहेगी इसलिए मेरा निवेदन करना है, जो सिस्टम हमने किया है विज्ञापन का, अखबारों का, वह ठीक नहीं है। अगर यह ठीक नहीं है कि कोई और ऐसा तरीका निकाला जाय, दुबारा बैठा जाय और इस पर विचार किया जाय और सही तरीके का इस्तेमाल किया जाय ताकि इस वर्ग का चहुमुखी विकास हो सके। इस वर्ग के चहुमुखी विकास के लिए कई योजनायें हमने बनाई। उनका हम क्रियान्वयन करवा रहे हैं, वह करवा रहे हैं उस ब्यूरोक्रेसी से, जिसका नजरिया अपर क्लास का है। मैं मानता हूं, ब्यूरोक्रेसी में अपर क्लास के लोग हैं। उनका दृष्टिकोण हिन्दू समाज से सम्बद्ध है। उनका दृष्टिकोण पिछड़े वर्ग के लिए साफ नहीं है। कुछ ऑफिसरों की बात छोड़कर मैं आपसे यह कहता हूं, मेरे अनुभव की बात है, बहुत से लोग दिल दिमाग से चाहते हैं और उसके अनुसार एक्शन करते हैं कि इस वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचायें। लेकिन आम ऑफिसरों की नीयत यह है, वह कहते हैं, नहीं नहीं, यह फालतू की बात लगा रखी है, अछूतों को दूर रखा जाय। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रश्न है, इसके लिए भी कहते हैं कि, यह लोग अनपढ़ हैं, बेढंगे हैं और गिरे हुये हैं। बहुत से लोग रोजगार की तलाश में हैं लेकिन इसके बावजूद इस क्लास के लोगों को न लेकर अपर क्लास के लोगों को लिया जाता है। जो अपर क्लास से सम्बन्धित लोग हैं, वह ऑफिसरों के घर में जाकर चढ़ावा पहुंचाते है इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों का हक मार दिया जाता है। आपने रिजर्वेशन का तरीका अपना रखा है, रावतराम जी ने कहा कि एक तरीका अपना रखा है, कि एक व्यक्ति को रख लेते हैं और कुछ समय बाद उन्हें निकाल देते हैं। क्या करे? सरकार ने विचार करके रोस्टर सिस्टम एप्लाई किया है, अब ठीक ठीक चलता रहेगा और लोगों को यकीनन राहत मिलेगी। लेकिन मैंने पिछली बार एक बात अर्ज की थी इस सम्बन्ध में कि रोस्टर सिस्टम तो आगामी भर्ती के बारे में है, उसमें 28 पर्सेन्ट का कोटा है, वह शायद दे देगी। लेकिन हमारी मांग यह नहीं है कि आगामी भर्ती में कोटा दिया जाय। लेकिन हमारी मांग यह है कि सरकार की नीति यह हो, अब तक जो स्ट्रेन्थ है, उसका कुल 28 पर्सेन्ट होना चाहिये। इसका निदान यह है कि रजत जयन्ती वर्ष की अवधि है, इस अवधि को और बढ़ाया जा सकता है और बढ़ा कर 28 पर्सेन्ट का कोटा पूरा किया जा सकता है। लेकिन दूसरे भाई कहेंगे कि हमारा हक मारा जायेगा, कुछ लोग एज बार हो जायेंगे। मेरा निवेदन है कि आपने जिस प्रकार दूसरे लोगों को स्कॉलरशिप दी है, वह इन्हें दी जा सकती है या फिर एज लिमिट बढ़ाई जा सकती है लेकिन कम से कम हमारे ध्यान में यह बात आनी चाहिये कि जो सरकार का नियम है, उसके हिसाब से इसका क्रियान्वयन करना चाहिये।

अब मैं, श्रीमान्, कुछ बातें अपने राजस्थान के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। जो रिपोर्ट है, इसमें एक उदाहरण दिया है कि इस किस्म की शिकायत इनके पास पहुंची, उसके बारे में जो उनका मत है, वह मैं बता देता हूं। माननीय मन्त्री जी इसका जवाब अपने उत्तर में दे दें। उन्होंने

(श्री बनवारीलाल)

अपनी तरफ से सरकार को लिखा कि इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है। इसमें यह बताया गया है, राजस्थान के अजमेर जिले के एक ग्राम के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का ग्राम के उच्च जाति के व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले मृत-पशुओं को उठाने से इन्कार करने पर, अपमान किया गया एवं उन्हें भीषण परिणाम की धमकी दी गई और यह भी कहा गया कि उच्च जाति के व्यक्तियों ने पंचायत इकट्ठी की तथा ग्राम के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अनुसूचित जाति के परिवारों के शौचादि के लिए भी उच्च जाति के खेतों में प्रविष्ट होने से रोक दिया गया। ऐसा कहा गया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के मुखिया की, जिसने पंचायत निर्णय पर आक्षेप किया था, अगले दिन, जब वह खेत में शौच के लिए गया हुआ था, हत्या कर दी गई और उसका शव पास के एक कुए में फेंक दिया गया। मामला सम्बन्धित अधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया जिन्होंने रिपोर्ट दी कि ग्राम में निवासियों की एक पंचायत की गई। इस प्रकार की घटना का वर्णन किया गया है, यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस वक्त, इस युग में इस प्रकार की बात की जाती है। इसके साथ ही, चूंकि यह आयुक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में सम्बन्धित रहे हैं, उन्होंने इस बारे में जानकारी चाही थी, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर नॉन कोपरेशन रहा है सरकारी आफिसरों की तरफ से और जो पूरी जानकारी चाही थी वह नहीं दी है। उन्होंने यह जानकारी भी चाही थी कि अस्पृश्यता के कितने केसेज पूरे राजस्थान में हुए? इसकी भी कम्पलीट जानकारी नहीं मिली है। समाज कल्याण विभाग की यह स्थिति है कि उसमें जो कोटा मिलना चाहिए जिले के हिसाब से, विभागों के हिसाब से, वह नहीं मिलता है। इसलिए मेरी अर्ज यह है, श्रीमान्, जिस तरीके से, जिस गति से हम चल रहे हैं, वह गति नाकाफी है। इस गति को तीव्र करना पड़ेगा और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ विशेष सुविधायें देनी पड़ेगी जिससे उनका सामाजिक उत्थान हो, उनका आर्थिक उत्थान हो और शैक्षणिक उत्थान हो। सामाजिक उत्थान के बारे में जो छुआछूत की बुराई है, इसको कैसे खत्म किया जाय। इस सम्बन्ध में सारे सिस्टम किये जा चुके हैं, मेरा निवेदन है कि शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा और भारी बजट का हिस्सा खर्च होता रहा है। स्कूलों के अन्दर शहर के लड़के ही नहीं पढ़ रहे हैं, उनमें काश्तकारों के लड़के भी पढ़ रहे हैं, वहां लड़कियां भी पढ़ रही हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षा के अन्दर कुछ ऐसा सब्जेक्ट रखा जाय, ऐसा पाठ्यक्रम रखा जाय, जिससे यह हो कि अस्पृश्यता की धारणा बचपन में ही साफ हो जाय। जो पुराने लोग मौजूद हैं, बहुत मुमकिन है उनके दिमाग से यह बात न निकले, लेकिन जो नई संतति उभर कर आ रही है, उनके दिमाग में कम से कम ऐसी बात न रहे इसलिए स्कूल में इसकी तालीम देनी चाहिये, ऐसा पर्टीक्यूलर सब्जेक्ट होना चाहिये, जिसके माध्यम से अस्पृश्यता की बात उनके दिमाग से साफ हो जाय।

दूसरा निवेदन है कि हम इनकी आर्थिक

(श्री बनवारीलाल)

स्थिति मजबूत करने की बात करते हैं, उद्योगों की बात करते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं लेकिन एक मुख्य मुद्दा यह है कि इनके जिम्मे लोन्स हैं। इन हरिजनों व आदिम जाति के लोगों में 90 प्रतिशत लोग कर्जदार हैं और बनिए के कर्जदार हैं। जो भी आप हरिजनों को लाभ पहुँचाते हैं सीधा बनिए की जेब में जाता है। लोन किस बात का है ? 70 प्रतिशत लोन इस किस्म का है कि जो शादी व्याह या मृत्यु भोज के लिए ले लिया। तो इस तरफ सरकार को निगाह डालनी चाहिए और कर्जों से मुक्ति दिलानी चाहिए वरना तो इनकी जितनी आमदनी है उसकी आधी से अधिक ऋण चुकाने में जाएगी, आधी से अधिक जिंदगी उसको चुकाने में जाती है। इसके लिए पर्टीक्यूलर स्कीम होनी चाहिए कि इनकी जो अनप्राडक्टिव डिमांड्स हैं उनके बारे में कोई निश्चित तरीके का प्रोग्राम होना चाहिए। सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, थोड़ा और करे और उनको कर्ज से मुक्ति दिलाये।

भूमि आवंटन के बारे में प्रायः सदन में रोज जिक्र चलता रहता है कि हरिजनों को फलां जगह मिली लेकिन कब्जे नहीं दिए गए, अगर दे दिए गए तो पटवारी ने गलत जगह नाप दी, अतिक्रमण के केसेज हो गए और सारी जमीन उनसे छीनी गई। दूसरी बात यह कहते आए हैं कि सीलिंग में जमीन मिलेगी, यह महज खयाल है, कोई जमीन नहीं मिलने वाली है क्योंकि पिछले 10 साल से यह बात चल रही है कि सीलिंग होगी तो मैं समझता हूं कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी इस हैसियत में नहीं रहेगा कि अपनी अधिक जमीन को अपने पास रखे, सब डिस्पोजल कर चुके सरकार रेग्यूलराइज कर चुकी, लिहाजा हम समझें कि सीलिंग के तहत जमीन मिल जाएगी तो गलत है।

गांवों में कोई जमीन बाकी नहीं है। अगर कोई जमीन बाकी है तो वह ऊबड़ खाबड़ व बंजर है। वह अपना श्रम खर्च करता है, पैसा खर्च करता है और फिर भी ऐसी स्थिति आती है कि वह मुकदमेबाजी में फंसकर सारी जायदाद बेचता है और गांव छोड़ कर शहर के लिए रवाना हो जाता है, कोई दिल्ली तो कोई बम्बई, कलकत्ता, बम्बई चले जाते हैं। मेरा इस संबंध में पर्टीक्यूलर सुझाव है। मेरी ऐसी मान्यता है कि 33 %. जमीन जंगलात के अन्दर रिजर्व होनी चाहिए, यह इंटरनेशनल फिगर है, हमारी नेशनल फिगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब में 22 प्रतिशत जमीन जंगलात की रिजर्व्ड है और राजस्थान में शायद कुछ कम है, 22 प्रतिशत तक भी हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। चूंकि अब जमीन आप के पास गांव में नहीं है और भूमिहीन हरिजन काश्तकारों को आप जमीन देने की नीयत रखते हैं और क्योंकि पहले ही जंगलात के हिसाब से कम हैं, थोड़ी और कम हो जाए, पूरा भरतपुर भरा पड़ा है जंगलात से, अलवर भरा पड़ा है। हमारे टोंक भी है, जयपुर में भी और बीड़े बहुत सी जगह हैं। ऐसी जमीनों के बारे में विचार किया जाए, उनका कुछ भाग हरिजनों के लिए, आदिम

Page No.86

(श्री बनवारीलाल)

जाति के लोगों के लिए, सुरक्षित किया जाए और गांव के गांव बसाये जायें उनको एड दीजिए, खाद दीजिए, बीज दीजिए। यह मेरा कान्क्रीट सुझाव है जिससे उनसे कुछ लोगों का भला हो सकता है। वरना तो यह जमीन के आवंटन की समस्या पूरी नहीं होगी। अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ है तो कुछ जिले ऐसे हैं राजस्थान में जिनमें मुख्य धंधा पशुपालन है लेकिन कुछ तहसीलों में पशु-पालन मुख्य धंधा नहीं है लेकिन उनके अन्दर बहुत बड़े चरागाह होते हैं। उनकी स्थिति यह है कि जिन बड़े काश्तकारों के पास 100-150 बीघा जमीन है, वे अतिक्रमण भी कर लेते हैं क्योंकि उनकी लाठी में जोर है इसलिए कोई नहीं बोलता है। अगर थोड़ी सी चरागाह की जमीन पर नाजायज कब्जा हरिजन कर लेता है तो पूरा गांव परेशान हो जाता है। तो इसके अन्दर मेरा सुझाव है कि जो भी ऊबड़ खाबड़ जमीन रह गई है, जिसको चरागाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको चरागाह में कन्वर्ट किया जाए और जो अच्छी काबिल काश्त जमीनें हैं, उन जमीनों पर अधिकार करके हरिजनों को थोक के रूप में एलॉट की जाए। एक दो एलॉट करेंगे तो फिर उनको मार कर निकाल देते हैं, फिर आपके पास शिकायत आएगी लेकिन जब थोक का प्रश्न होगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा और कुछ चरागाह ऐसे हैं जो आधा बीघा पर जानवर के हिसाब से भी कुछ ज्यादा हैं। वहां जानवर कम हो गए तो ऐसी जमीनें उनको रिलीज करके इनको दी जानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक मिनट और बोलूंगा। पहले ही आपने कह दिया था कि जिस दिन रिपोर्ट आए उसी दिन बोलने का अवसर दिया जाएगा।

भूमि-आवंटन के सिलसिले में प्रश्न खड़ा होता है लेकिन स्थिति यह है कि पर्टीक्यूलर वर्ग का हम जनरल क्लास से भला करना चाहते हैं, वह समझ में नहीं आता। जब इनकी जमीनों पर अतिक्रमण हो जाए तो वे जाकर अदालत में दावा करें, अदालत में जो सब लोगों के लिए प्रावधान है, उसी के तहत यह कार्यवाही हो सकती है, वह हमारे लिए इतनी घातक हो जाती है कि किसी केस में तीन साल, किसी केस में चार साल किसी में पांच साल लग जाते हैं या तो वे केस को ही छोड़ देते हैं या गांव छोड़ देते हैं। क्योंकि टेनेन्सी बिल हमारे विचाराधीन है, उसके अन्दर इस प्रकार का प्रावधान रखा जाए कि जो हरिजनों की जमीनें हैं उन पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर ले तो उनको उस विशेष कानून के अन्दर राहत दी जाए। टेनेन्सी बिल के अन्दर ऐसा सेक्शन रख दिया था जिससे गड़बड़ हो गई थी, बिफोर लास्ट ईयर, क्योंकि सरकार जागरूक थी, फौरन संशोधन करके ठीक कर दिया। वहां धारा 183 बड़ी घातक सिद्ध हो गई। जमीन पर कब्जा कर लिया तो सरकार केस एन्टरटेन नहीं करती। सबके संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टेनेन्सी बिल के अन्दर ऐसा प्रावधान रखा जाना चाहिए और जो लोग अतिक्रमण करें उनके लिए विशेष कानून बनना चाहिए और पुलिस को सत्ता हो

(श्री बनवारीलाल)

कि वह मौके पर जाकर अतिक्रमण करने वालों को हटाए। इससे लोगों को राहत मिल सकती है।

मैं एक पर्टीक्यूलर बात निवेदन करना चाहता हूं। गत वर्ष सदन में हाऊसिंग सहकारी समितियों के बारे में वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि हम सोसाइटीज के माध्यम से 4-4 हजार रुपये प्रत्येक हरिजन, अनुसूचित जाति व आदिम जाति के लोगों को मकान बनाने के लिए देना चाहते हैं। यह स्कीम इतनी अच्छी थी कि तमाम राजस्थान में जगह जगह हरिजन, अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग इन स्कीमों को क्रियान्वित कराने के लिए पीछे पड़ गए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में समाज कल्याण मन्त्री ने यह बताया था कि सिर्फ 12 लाख रुपये ही वितरित किया जा चुका है, जबकि उपाध्यक्ष महोदय, वह राशि करीब दो करोड़ रुपये थी, जो कि वितरित होनी चाहिये थी और खर्च होनी चाहिए थी। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस ओर राज्य सरकार की प्रगति बहुत ही कम है। दो करोड़ में 12 लाख रुपया ही खर्च करना क्या प्रगति है? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर गड़बड़ी हुई है। इसकी हमें डेप्थ में जाना चाहिये। इसको मिलने के लिए क्या कानूनी अड़चन है। इसके बारे में मुझे यह भी निवेदन करना है कि हमें जो पैसा मिले वह एक साथ मिलना चाहिए। आज हमारी को-ऑपरेटिव सोसाईटीज के जो सदस्य हैं, इस लोन की प्राप्ति के लिए, उन्हें पचास पचास चक्कर जयपुर के काटने पड़ते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे को-आपरेटिव सोसाईटीज के सदस्य जो हैं, वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए उसमें कुछ कानूनी खामियां उनके प्रार्थना-पत्रों में रह जाती है जिससे उनको लोन नहीं मिलता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन सभी रिक्वायरमैंट्स को पूरा करने के लिए, राजस्थान सरकार को चाहिये कि हमारे राजस्थान के जितने भी प्रोमिनेन्ट अखबार हैं उनमें एडवरटाइजमैन्ट के रूप में, इसमें कैसा प्रार्थना-पत्र होना चाहिए और उसके साथ साथ यह भी होना चाहिए छपा हुआ कि इस प्रकार यह फार्म भरा जाना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था अखबारों में, कम से कम एक हफ्ता तक होनी चाहिए। ताकि आम जनता को इसकी सामान्य जानकारी हो जाए और आज जो इन लोगों को असुविधा होती है, वह असुविधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आज को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के लोग गांवों से आते हैं और बाबू लोगों से मिलते हैं लेकिन इसमें फार्म अपूर्ण होने से लोगों को परेशानी हो जाती है इसलिए यह व्यवस्था हो जाये तो इन लोगों को काफी सुविधा हो सकती है। अन्यथा नहीं होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो ही मिनट में समाप्त कर दूंगा। बस इसको समाप्त कर दूं। इसके अन्दर जो को-ऑपरेटिव सोसाईटीज हैं उनकी फोरमेलिटीज पूरी हो जाए तो यह दो करोड़ रुपया राज्य सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा

(श्री बनवारीलाल)

है, वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और यह जो मकानों की समस्या बनी हुई है वह समाप्त हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा में हमने गान्धी शताब्दि के अवसर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को भूमि का अलॉटमैन्ट किया गया था। यह भूमि का अलॉटमैन्ट जयपुर में नगर विकास न्यास द्वारा अलॉट की गई थी। लेकिन अकारण ही उन लोगों को जमीन जो दी गई थी वह कैन्सल करदी गई थी। क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि उन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके खिलाफ में शिकायतें थी। पर मेरा निवेदन यह है कि सभी के खिलाफ तो शिकायतें नहीं थीं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से समाज कल्याण मन्त्री, विभाग के मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि वे दुबारा उस केस को देखें और उसमें जो लोग जिनाइन थे, जिनके केसेज जिनाइन थे उनको फिर से कन्सीडर किया जाय। मैं कोई सिफारिश नहीं कर रहा हूं लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जिनाइन केसेज के अन्दर तो वापिस कन्सीडरेशन करके उनको जमीनें अलॉट की जाय अगर वही जमीन, जो उनको अलॉट की गई थी वह अगर उनको अवेलेबल नहीं हो सके तो उन्हें दूसरी जगह कहीं पर जमीनें दिलाने की व्यवस्था करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि जब शिक्षा मन्त्री राव साहब मसूदा थे तो उन्होंने यहां पर सदन में यह कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जायेगी और उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप उन्हें मत दोहराइये। उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल : अभी समाप्त कर रहा हूं साहब सिर्फ एक यही पॉइन्ट निवेदन कर दूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को दी जाय। इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह छात्रवृत्ति दो भागों में बांटी जाती है। पहली तो उन बच्चों के लिए जो कि एक से लेकर पांचवी कक्षा में पढ़ते हैं। दूसरी पांचवी से 11 क्लासेज से आगे, तो उसके बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें व्यवस्था बहुत ही कम है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा के सेशन में भी निवेदन किया था, पांचवी से लेकर आगे 11 वीं कक्षा तक के क्लासेज के विद्यार्थियों को सिर्फ 10 पर्सेन्ट या पांच पर्सेन्ट लोग ही उसमें ऐसे होंगे जिन्हें कि छात्रवृत्ति मिलती है। जबकि इस गरीब तबके के लोग सभी एक्सपेक्टेशन करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही कम है, गरीबों और पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं अब सभी को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, इसमें कटौती नहीं की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, कि वे

(श्री बनवारीलाल)
वित्त मन्त्री महोदय से इस बारे में पुनः मांग करें और इस केस पर फिर कन्सीडरेशन करने की व्यवस्था करावें, ताकि उन गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके । और वे पढ़ लिखकर आगे बढ़ सकेंगे।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति व आदिम जातियों के आयुक्त की 19 वीं रिपोर्ट और समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट सदन के विचाराधीन है। इन दोनों रिपोर्ट का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें काफी बातें मालूम होंगी। उपाध्यक्ष महोदय, आयोग ने अपनी रिपोर्ट आज से दो तीन वर्ष पहले दी लेकिन हमारे हाउस में वह आज तक डिस्कस नहीं हो सकी। राज्य सरकार को इस रिपोर्ट को साल भर पहले ही सदन के सामने लाकर पेश करके उस पर विचार करना चाहिए था। लेकिन अब आज जब इस रिपोर्ट को विचारार्थ रखा है जबकि आज सदन का अन्तिम दिन है. अगर इस सदन के बीच के दिनों में रखा जाता तो मैं समझता हूं काफी ठीक रहता, क्योंकि उस समय सदन के माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करते और सरकार भी उनके दिए हुए सुझावों पर कुछ कार्यवाही करती लेकिन इससे स्पष्ट होता है राज्य सरकार का रवैया साफ मालूम होता है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति रखती है? उपाध्यक्ष महोदय, आज आयोग एक निष्पक्ष एजेन्सी की तरह रिपोर्ट राष्ट्रपति को संविधान की धारा 338 के तहत समर्पित करता है। और उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के बारे में सारी रिपोर्ट देती है। लेकिन हमारी सरकार बार बार उसकी उपेक्षा करती है और जितना उत्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों का होना चाहिए उतना नहीं करती है। राज्य सरकार को कमीशन जो सुझाव देता है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भूमि की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। कमीशन की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए भूमि के बारे में कितनी भूख है आयोग ने बताया है कि····

श्री उपाध्यक्ष : आयोग ने जो भी बताया है वह आप ही लोगों से पूछ कर बताया है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : आयोग ने अपनी रिपोर्ट को, पैरा दो II के अन्दर बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों से अन्दर जमीन की बहुत ही भूख है और जहां पर मैदानी इलाके हैं वहां तो बहुत ही थोड़ी जमीन इन लोगों को दी गई है। इन गरीब किसानों का जबरदस्त शोषण किया जा रहा है और जिन गरीब लोगों को मैदानों में जमीन मिल गयी थी उन्हें वहां से हटाया

(श्री नाथूराम)

जा रहा है। रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि जिन भूमिहीनों को गान्धी सेन्चुरी के अवसर पर भूमि अलॉट की गयी थी आदिवासियों को कब्जा आज तक नहीं मिला है। और कई लोगों को सिर्फ अलॉट की गयी, वह वापिस अलॉटमेन्ट केन्सल कर दिया गया है। इस तरह आप उपाध्यक्ष महोदय, देखलें कि किस प्रकार से आज आदिवासियों का शोषण हो रहा है। यह बड़े ही शर्म की बात है कि जब राज्य सरकार ने गान्धी शताब्दि के अवसर पर आदिवासियों को जो कि भूमिहीन थे, उन्हे भूमि अलॉट की लेकिन उन्हें भूमि का कब्जा नहीं दिया गया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर के. एल. राव जो कि भारत सरकार के सिचाई और शक्ति मन्त्री हैं, उन्होंने यह संसद में बताया कि आज जो आदिवासियों को जमीन अलॉट की जाती है या जिन अनुसूचि तजाति और जन जाति के लोगो को जो कि भूमिहीन हैं उन्हें जमीन वहां अलॉट की जाती है जहां पर पहाड़ और जहां पर कि जंगल हैं उपाध्यक्ष महोदय, आज इन पहाड़ी क्षेत्र में जो जमीन दी गयी है उसमें जंगलों को काट दिया गया है और वहां से मिट्टी बहकर आगे मैदान में जहां पर कि डेम्स के ऐरिया है वहां आजाती है। आज हिमालय की तराई में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगो को जो जमीन अलॉट पहाड़ी क्षेत्र में हुई उसका असर भाखरा के जलाशय पर पड़ा और उसकी अनुमानित उम्र जो कि 500 साल थी वह अब मिट्टी उसके अन्दर बहकर जमा हो जाने से करीब 300 साल हो गयी। इसके अलावा आज गुजरात में कडाणा बांध बनाया जा रहा है उससे भी हजारों की तादाद में आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के हैं उन्हे काफी नुकसान होगा। हमारे केन्द्र के जो सिंचाई मन्त्री हैं उन्होंने कहा है कि इन आदिवासी लोगों को छोटी छोटी पहाड़ियों पर जमीन क्यों अलॉट की जा रही है। आज वहां पर जमीन अलॉट होने से पहाड़ के ऊपर जो जंगल हैं वह समाप्त हो जायेगे और वहां से मिट्टी का ढेर वह कर नीचे डेम के अन्दर बह कर आ जायेगा और उससे काफी नुकसान होगा। इससे राजस्थान को भी नुकसान है और गुजरात को भी नुकसान होगा। इसलिये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि कडाणा बान्ध से होने वाले नुकसान से गरीब आदिवासियों को बचाया जाय। क्योंकि इससे काफी तादाद में आदिवासी लोग प्रभावित होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गुजरात सरकार को चाहिये कि इस बान्ध के बनने से जिन आदिवासियों को नुकसान हो रहा है उन्हें जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने पोंग डेम पर लोगों की जमीन पर कब्जा किया गया उन्हें जिस तरह राजस्थान सरकार ने राजस्थान केनाल में जमीन करीब तीन लाख एकड़ दी है उसी तरह आप इन लोगों को भी दूसरी जमीन अलॉट करें। आज आप करोड़ों रुपयों का खर्चा कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार आदिवासी लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज डूंगरपुर और बांसवाड़ा के हजारों आदिवासी लोग इससे प्रभावित होंगे।

(श्री नाथूराम)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आज कई आदिवासी और हरिजन डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ऐसे हैं कि जो जमीन के लिए जगह जगह भटकते हैं लेकिन सरकार आज तक उन भूमिहीनों की समस्या को हल नहीं कर पायी है। सीलिंग कानून बनाने के लिये 54-55 में कमेटी बनायी। कानून पास कर दिया और आज लागू कर रहे हैं। लोग वर्षों की प्रतीक्षा में थे कि भूमिहीनों को जमीन मिलेगी लेकिन लम्बे अर्से तक सरकार ने कानून का उपयोग ही नहीं किया। पास कर लिया था। फिर भी नहीं किया। बड़े बड़े जमींदार, शक्तिशाली लोगों ने बड़े बड़े फार्म बना लिये हैं और भूमिहीन वैसे ही भूमि के लिये तरस रहे हैं।

जंगल के रहने वाले जो आदिवासी हैं वे थोड़ी बहुत जमीन पर कब्जा करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। क्रान्तिकारी कानून सरकार ने बनाया लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। कोई भी कानून बनाये लेकिन पालन नहीं करेंगे तो गरीबों का शोषण ही होता रहेगा।

शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के बारे में भी यही हालत है। सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया और हर साल खर्च हो रहा है, लेकिन बेकारी बढ़ाने की शिक्षा हो रही है। समाज कल्याण विभाग ने ध्यान दिया होता तो कम से कम आज आदिवासियों में इस प्रकार की शिक्षा नहीं होती। उच्च शिक्षा और साधारण शिक्षा के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

पेज 267 पर डॉ. अम्बेडकर के विचार मैं आपके सामने रखूंगा जो उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में बताये। यहां मैं सुझाव दूंगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को हमें समष्टि रूप में उठाने का, न कि व्यक्तिगत रूप में यत्न करना चाहिये। यदि हम इनमें से कुछ लोगों को वकील, डॉक्टर और अन्य प्रकार के व्यावसायिक बना देंगे तो फिर कोई भी इन्हें घृणा की दृष्टि से नहीं देखेगा। मेरे विचार में इन्हें ऊपर उठाने के लिये यही उपाय है। इनके लिये प्राइमरी या हायर सैकेण्डरी स्कूल खोल देने से इस दिशा में सफलता नहीं मिलेगी। प्रारम्भिक शिक्षा में 100 विद्यार्थियों में 80 स्कूल छोड़ जाते हैं और 20 ही पढ़ाई जारी रखते हैं। मेरा यह सुझाव अनोखा सा है। मैं सुझाव दूंगा कि इनके लिये स्कूल या तो इन्हीं लोगों की बस्तियों में अथवा अड़ौस पड़ौस के किसी केन्द्रीय स्थान पर खोले जाएं। ऐसे प्रारम्भिक स्कूलों में से सर्वोत्तम विद्यार्थी छांट लिये जायं और उन्हें उनके माता पिता (अभिभावकों) से परे रख कर उनकी शिक्षा, खाने, पीने, कपड़ों और रहने की वहां पर ही पूरी व्यवस्था की जानी चाहिये। उनके मैट्रिक तक की शिक्षा पास कर लेने पर फिर उन्हें कालेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिये कालेज में भर्ती कराना चाहिये और वहां उनकी पढ़ाई की फीस देनी चाहिये। तत्पश्चात् उनमें कुछ अच्छे विद्यार्थियों का चुनाव करके उन्हें यूरोप, जर्मनी, फ्रान्स, अमरीका और ऐसे ही अन्य विदेशों में

Page No.92

(श्री नाथूराम)

बढ़िया शिक्षा प्राप्ति के लिये भेजना चाहिये।

कमीशन ने सुझाव दिये हैं इस प्रकार के, लेकिन हमारी सरकार ने इस ओर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया है। एक भी व्यक्ति को बाहर नहीं भेजा है। शिक्षा के लिये छात्रावास खोले जाते हैं। वर्षों से कहते आये हैं हमारे लिये, संस्थायें खोल रहे हैं। 90 परसेन्ट सरकार खर्चा करती है। 10 परसेन्ट हिसाब झूठे जोड़ देते हैं। बच्चों को न पेट भर कर खाना मिलता है और न ही कपड़ा मिलता है और न अन्य सामग्री मिलती है। छात्रावास खोले तो सरकार द्वारा खोले। 10 परसेन्ट के झूठे हिसाब लेते है वे नहीं लेने चाहिये। उनको पूरी सुविधा देनी चाहिये। सैकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी के साथ छात्रावास भी खोलने चाहिये तब ही पिछड़े वर्ग को शिक्षा में उन्नति मिलेगी।

समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति दोनों की आबादी है। वहां पर लड़कियों के लिये छात्रावास खोलने चाहिये और शिक्षा के लिये प्रयत्न करना चाहिये। आपने बाबा आदम के जमाने का कानून बना रखा है कि पांचवी कक्षा तक शिक्षा होगी। जहां आपने अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये हैं वहां कानून में तब्दीली करके आपको लड़कियों के लिये छात्रावास खोलने चाहिये। ताकि उनको शिक्षा मिल सके। बेरोजगारी इस प्रकार बढ़ायी है, मैं आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। एक तरफ आदिवासियों के लड़के पढ़े लिखे नहीं मिलते और दूसरी तरफ मिलते हैं तो रोजगार नहीं देते। अनुसूचित जाति के 20,111 और अनुसूचित जन जाति के 6,542 बेरोजगार है। उनमें से बी. ए 491 और एम. ए. 55 अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जन जाति के 103 हैं। मैट्रिक अनुसूचित जाति के 16,368 और अनुसूचित जन जाति के चार हजार से ऊपर, कुल मिला कर 20, 999 अनुसूचित जाति के बेकार हैं और अनुसूचित जन जाति के बेकार 6,542 हैं। आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार से लाखों रुपया यहां खर्चा होता है। इस प्रकार बेकारी और बेरोजगारी फैलती जा रही है। आपने रोस्टर सिस्टम लागू किया लेकिन बिलकुल बेकार गया, असफल रहा। समाज कल्याण विभाग की ओर से कमेटी बनायी गयी। रोस्टर सिस्टम लागू किया गया। लेकिन रिजर्वेशन पूरा नहीं हो

(2.28 म. प.)

(श्री फूलचन्द, सभापति, पदासीन)

रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हर विभाग का सर्वे कराइये। इसकी अनुपालना नहीं हो रही है। बेरोजगारी को मिटाने के लिये और शिक्षा की उन्नति के लिये जो पैसा मिल रहा है उसको उपयोग करना चाहिये।

सभापति महोदय, सरकार कानून बना रही है लेकिन उसका पालन समय पर नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य नें भी राय दी और पहले भी अस्पृश्यता

(श्री नाथूराम)
निवारण का कानून बना लेकिन आज तक पालना नहीं हुई। उसके बारे में थोड़ा सा मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने अजमेर का किस्सा बताया। जब से यह कानून बनाया लेकिन सरकार ने छुआछूत करने वालों को आज तक सजा नहीं दिलायी। कमीशन की रिपोर्ट में बताया कि राज्य सरकार के तहत कोई प्रकरण नहीं दिया। एक भी अपराधी का नाम नहीं दिया। समय कम है वरना मैं सारे आंकड़े बताता, कमीशन की रिपोर्ट में साफ बताया है कि राजस्थान सरकार ने छुआछूत को दूर करने की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं इनमें भी छुआछूत का भूत है। कई विभाग इसकी पालना नहीं करते हैं। एक उदाहरण पेश करता हूं। जैसा कि डाक्टर अम्बेडकर ने बताया कि इस तरह से शिक्षा दी जावेगी और डाक्टर या अच्छे पद पर ये लोग आवेंगे तो छुआछूत का रोग दूर हो सकता है। मैं इनके विभाग का हो एक उदाहरण पेश करता हूं। एक क्लर्क इस तरह से लिखता है :

"The District Employment Officer, Pali.

Sir,

Shri R. C. Dholpuria is using the same pots, jugs and glasses which we use for drinking water in office.

Since Shri Dholpuria is from the Scheduled Caste community, it is therefore requested that he may kindly be asked not to use common glasses and pots, or a separate jug and glass may kindly be arranged for him.

Respectfully submitted.

Yours faithfully,
S. K. Saksena,
Jawant Raj Sonigra
Udai Lal Hingar."

इन तीनों ने इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया। उनका एक अफसर है आर. एन. भण्डारी। उन्होंने आदेश दिया कि इनके लिये अलग से व्यवस्था की जावे। आज श्रम विभाग में भी पढ़े लिखे लोगों के साथ यह बरताव किया जा रहा है तो गांवों में अनपढ़ लोगों के साथ जो बरताव होता होगा उसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। मैं इस पत्र की फोटो कापी को सदन की मेज पर रखता हूँ। ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं सस्पेण्ड किया जाता है और क्यों नहीं छुआछूत करने के अपराध में केस चलाया जाता है।

श्री सांवरमल : सस्पेण्ड नहीं, इन्हें तो निकाला जावे।

श्री नाथूराम : तो इस तरह के मामले में नरमी से काम नहीं चलता। हमारे यहां एक सैल बना है। 22 व्यक्ति हैं। सरकार का काफी पैसा खर्च हुआ। पर काम कितना किया ? एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि अनुसूचित जाति के एक मैट्रिक स्तर वाले को नौकरी लगाई।

(श्री नाथूराम)

चार नान-मैट्रिक वालों को नीचे की पोस्ट पर लगाया। इस तरह से पैसे का दुरुपयोग चारों ओर हो रहा है। पिछड़े वर्ग के पैसे का सही उपयोग किया जाना चाहिये। दुरुपयोग करके दूसरे लोग, जो इस पर मौज मनाते हैं यह तो पहले भी लोग इसी तरह से करते आये हैं इसे सख्ती से रोका जाना चाहिये।

आज हमारे कमजोर बच्चों के लिये, गर्भवती महिलाओं के लिये जो पैसा आता है उसका भी दुरुपयोग होता है। कोटा में गुड़ खरीदा गया। इस गुड़ के बारे में डाक्टरों की रिपोर्ट थी कि यह गुड़ ऐसा है जो जहरीला है। इसे जानवर भी नहीं खा सकते। इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। सदन में भी इस बारे में पूछा गया था। सरकार ने क्या कार्यवाही की यह सदन के सदस्यों को भी पता नहीं। गरीबों के नाम से पैसा आता है और अफसर लोग उससे अपने परिवार की पालना करते हैं। तो इस तरह को गलती करने वालों को भी कड़ी सजा दी जानी चाहिये। नहीं तो पैसे का दुरुपयोग ऐसे ही होता रहेगा।

बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश में इस काम के लिये अलग से मन्त्री होता है और उसका अलग से पूरा विभाग होता है। राजस्थान में भी सरकार को इस तरह करना चाहिये ताकि राज्य सरकार इस काम को बराबर देख सके। नहीं तो भारत सरकार से पैसा आता रहेगा और लोग यहां उसका इसी तरह से दुरुपयोग करते रहेंगे।

सागड़ी प्रथा, वैसे कानून के लिहाज से कहने को, समाप्त करदी गई, पर सरकार ने इसके बारे में कोई भी सर्वे आज तक नहीं कराया कि इसका किस सीमा तक उन्मूलन हुआ है और किस सीमा तक यह आज भी जिन्दा है। आज भी सौ दो सौ रुपयों के ब्याज के पेटे लोग काम करते हैं। पांच साल तक ब्याज पेटे काम करेंगे। सिर्फ उसे खाना मिलता है वह भी केवल एक आदमी को। आदिवासी परिवार में पांच छ: व्यक्ति होते हैं, अमूमन आज अकाल में उनको एक समय रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। जिस परिवार में सागड़ी प्रथा के अन्तर्गत एक को रोटी मिलती भी है वह भी शाम को भूखा ही घर आता है। न उसके पास जमीन है, न कोई और कमाने खाने का साधन। आप कल्पना कर सकते हैं कि पांच साल एक आदमी रोटी साटे काम करता रहेगा, ब्याज के पेटे, तो पांच साल में उसका परिवार क्या खावेगा क्या पीवेगा। किस तरह से पनपेगा। सरकार इसकी सर्वे कराकर इस तरह के मामलों में कड़ाई से कानून का पालन कराए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आज भी हजारों की तादाद में ये लोग सागड़ी प्रथा के शिकार हैं। गुजरात में भी जाते हैं तो दो तीन सौ रुपये में हाली रहते हैं, और एक आदमी पेट भरता है। बाकी भूखों मरते हैं। आप सागड़ी प्रथा की इस बीमारी को तो कम से कम दूर करिये।

कमीशन ने भी इस सरकार की आलोचना की है और कहा है कि आप लोग पिछड़ी जाति के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते।

Page No.95

(श्री नाथूराम)—

सभापति महोदय, आज आदिवासियों का करीब करीब वैसा ही शोषण हो रहा है जो पचास साल पहले होता था। करोड़ों रुपया भले ही सरकार ने कहने के लिये खर्च कर दिया हो पर लाखों की तादाद में आज भी ऐसे परिवार हैं जिनको एक टाइम खाना नहीं मिलता। इसलिये निवेदन करता हूं कि भारत सरकार से जो पैसा मिलता है उसका एक एक पैसा हमारे भले में खर्च किया जाय।

पंचायतों का आज भी वही हाल है। हमारे प्रतिनिधि हैं। उनको जाजम पर नहीं बैठने देते। पर राजस्थान सरकार, मौन है इस मामले में भी।

सभापति महोदय, इसी तरह से पानी के लिये निवेदन करना है। पैसा खर्च भी होता है इस विभाग की ओर से और कहा जाता है कि दो हजार की जनसंख्या के गांव में या कस्बे में नल लगाये जावेंगे। पर आज होता क्या है, इस पैसे से सवर्णों के मोहल्लों में नल लग जाते हैं, और आदिवासी लोगों के मोहल्ले मुंह ताकते रह जाते हैं। पैसा आता है आदिवासियों के नाम से पर नल लगते हैं दूसरे दूसरे मोहल्लों में। यही हाल बिजली का है। आप स्वयं मौके पर पधार कर कभी देखें तो सही, मन्त्री जी। मैं तो निवेदन करता हूं समाज कल्याण मन्त्री जी गांव गांव का दौरा करके सही हालात अपनी आंखों से देखें। राष्ट्रपति जी ने भी शिड्यूल्ड एरिया घोषित किया है बांसवाड़ा, डूंगरपुर को। यहां भी प्रावधान है कि गवर्नर साहब को वहां पर दौरा करके देखना चाहिये कि वहां कितना विकास हुआ है। गवर्नर साहब दौरा करते हैं, लेकिन पांच साल में भी कभी नहीं देखा। शिड्यूल्ड एरिया में दौरा करेंगे तो आपको सारी स्थिति का पता लग जायगा—आदिवासियों का क्या शोषण हो रहा है ? उनके नाम पर शिक्षा का जो पैसा आता है, बिजली का जो पैसा आता है, स्वास्थ्य का जो पैसा आता है वह उनको मिलता नहीं है सारा का सारा पैसा हजम कर जाते हैं। इसलिये मैं सरकार को आपके द्वारा निवेदन करता हूं राज्य सरकार को जो पैसा भारत सरकार से मिलता है, उसका सही उपयोग हो। अगर स्टाफ रखा जाता है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रशासन पर खर्च होता है लेकिन वास्तविक जो फायदा आदिवासियों को मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता है। उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा देना चाहिये और पिछड़े हुए क्षेत्र के आदिवासियों को, हरिजनों को जो पैसा मिलना चाहिये, वह पूरा देना चाहिए। उस पैसे का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होवे और उत्थान के लिये काम हो, यही मैं निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री मुंशीलाल महावर।

(श्री मूलचन्द सामरिया के बार बार व्यवधान करने पर अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री मुंशीलाल महावर (बस्सी) : माननीय सभापति जी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट 1969-70 सदन में प्रस्तुत

(श्री मुंशीलाल महावर)

हुई। उसमें हमारे राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कुछ प्रगति और कुछ आंकड़ों को जानकारी मिली। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं शिड्यूल्ड कास्ट्स की जो भी जातियां इस राजस्थान में है उनकी आज राजस्थान में 75 लाख के करीबन की आबादी है, उसके बावजूद जो प्रगति हुई है वह सन्तोषजनक नहीं है। आज हम देखते हैं शैक्षणिक विकास में 1965-66 में 573 लड़के और 7 लड़कियां पढ़ती थीं, 1966-67 में 402 लड़के और 22 लड़कियां हैं वहां मध्य प्रदेश में जबकि 2652 लड़के और 3072 लड़के तथा 247 व 143 छात्रायें पढ़ती थीं। हम यह देखते हैं अन्य स्टेट्स के मुकाबले में हमारी छात्रायें और छात्र नहीं पढ़ रहे हैं जबकि हमारी सरकार एक समाजवादी अर्थ व्यवस्था चाहती है, उस समाजवादी अर्थ व्यवस्था के तरीके पर जा रही है। ऐसे समय में हम देखते हैं कि जो आंकड़े हैं, शैक्षणिक विकास जो होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उनके शैक्षणिक विकास के लिये गवर्नमेंट ने ज्यादा सुविधायें नहीं दी हैं। आज जो छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं वह इतनी निम्न दर पर दी जा रही हैं, वह बहुत कम हैं जबकि मंहगाई इतनी बढ़ती जा रही हैं, उस हिसाब से आज छात्रवृत्तियां नहीं दी जा रही हैं।

दूसरी बात जो योग्यता प्राप्त करके छात्र जाते हैं उनको भी छात्रवृत्तियां नहीं दी जा रही हैं। मैं यह मानता हूं आज शिक्षा के स्तर पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को पूर्ण शिक्षा भी नहीं दी जाय तब तक यह उम्मीद नहीं करते हैं कि उनका विकास हो सकेगा। राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स का स्तर एक सामाजिक स्तर पर नहीं है, आज उनके साथ सोशियल जस्टिस नहीं है। आज गांवों में देखें चाहे शहरों में देखें उनके प्रति असमानता का व्यवहार है चाहे शैक्षणिक कार्यों में समझिये और चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिये। आज भारतीय समाज उन को असमानता की दृष्टि से देखता है। मैं यह मानता हूं 25 साल में यह कुछ दूर हुई है लेकिन जितनी होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है। हमारी सरकार ने समानता..........

श्री मूलचन्द सामरिया : अन्तर काफी बढ़ गया है, असमानता मत कहिये, अन्तर ज्यादा बन गया है.......

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय सभापति, अगर सरकार इतना प्रयत्न नहीं करती तो आज कई शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग बी. कॉम., एलएल.बी. करके विधान सभा के सदस्य बन गये, ये नहीं बनते।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह तो स्वतंत्रता जो दूसरे लोगों को है....

(बराबर मा. सदस्य के बोलते रहने पर, अश्रव्य)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बीच में नहीं बोलें, आपको मौका मिलेगा।

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने ऐतराज किया है। कुछ अंश तक सही है लेकिन

(श्री मुंशीलाल महावर)

जितना अन्तर देखते है, उतना नहीं है। इन 25 सालों में प्रगति हुई है। जो छुआछूत 25 साल पहले थी आज नहीं रही है। इतना कहूंगा शिक्षा के स्तर मे भी कुछ हमारे विद्यार्थी पढ़ लिख कर आये है लेकिन शिक्षा के प्रति जो रुचि होनी चाहिये वह नहीं है, उसकी वजह है और वह वजह यह है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजकीय सेवायें, गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। मैं तो पहले की अर्थ व्यवस्था में भी यह मानता था जहां मनुष्य समृद्धि में भी क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर था, जिस तरह की वर्ण व्यवस्था थी उस वक्त भेदभाव नहीं था लेकिन सामाजिक बन्धनों की वजह से कटुता आ गई थी। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उन पर सवर्ण जाति के लोग भेदभाव करते हैं और सामाजिक समानता का व्यवहार नहीं करते हैं। आज जो उन लोगों को मौका मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता है।

यहां तक जो रोस्टर सिस्टम चालू किया गया है उसमें भी सुधार आया है। आज जो शिड्यूल्ड कास्टस के लोग पढ़ लिख कर तैयार हुये हैं उनको सर्विसेज नहीं दी गई तो एज्यूकेशन का जो इनसेन्टिव है, वह समाप्त हो जायगा। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जो परसेन्टेज रखा है, उससे ज्यादा रखा जाना चाहिये। उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में सर्विसेज दी जानी चाहियें।

दूसरी तरफ उनको जमीन अलॉट की है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जहां जमीनें अलॉट की हैं, वह कागज में जरूर अलॉट हो गई है लेकिन वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया है। जिस प्रकार रेवेन्यू विभाग इस मामले में निकम्मा साबित हुआ है मैं समझता हूं किसी डिपार्टमेंट ने इतना निकम्मापन नहीं किया होगा। यदि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कुछ पैसे मिल जाते हैं तो कुछ मिल जाता है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के पास पैसे कहां से आयें, आज पावर्टी लाइन से भी वे नीचे हैं, गरीबी की विषम स्थिति में फंसे हुये हैं, वे रेवेन्यू विभाग को पैसे नहीं दे पाते हैं और उनका काम किसी प्रकार भी नहीं बनता है। आज इस बिलो पावर्टी लाइन से राजस्थान सरकार तो क्या भारत सरकार भी नहीं निकाल पाई। आज अनुसूचित जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कम से कम मजदूरी मिलती है। आज श्रम विभाग ने समाज कल्याण के लिये जो 125 रु. मिनिमम की बात कही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, यह तो चाय पानी में खर्च कर देता है। आप किसी स्तर पर भी समानता से नहीं लाये हैं. आज शिड्यूल्ड कास्टस गुलामी में फंसा हुआ है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, पंचम योजनाओं के जरिये उनके आर्थिक विकास करने के लिये, उनको अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के लिये प्रयास करें। हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना आने जा रही है। उसमें समाज कल्याण मन्त्री इस बात को पूरी तरह देखें कि एक स्टेट वेलफेयर पॉलिसी के आधार पर नहीं बल्कि सोशियल पेटर्न पर कोई योजना तैयार करें ताकि पांचवी योजना में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को आर्थिक स्तर पर बराबर लाया जा सके, इतना प्रयास किया जाना चाहिये। मैं यह देखता हूं एग्रीकल्चर

(श्री मुंशीलाल महावर)
सेक्टर में जहां करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और जबकि इस राजस्थान में 75 लाख अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोग हैं, राज्य सरकार उन पर कितना खर्च करने जा रही है।

कुटीर उद्योग जिन पर जीवन निर्वाह होता था उन पर भी स्वतन्त्र पार्टी और राजा महाराजाओं की............

श्री मूलचन्द सामरिया : बिलकुल पता ही नहीं है, ये क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने 25 साल में कमर तोड़ दी। राजा महाराजा का कोई भूत सवार हो रहा है क्या ?

(दोनों मा. सदस्यों के एक साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

......बहुमत तो आपके साथ है.......
(पुनः व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज। आॅर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि बीच में बोलने की कोशिश न करें.......

श्री मुंशीलाल महावर : किसी शिड्यूल्ड कास्ट्स के सिर पर बोझा रख कर....

श्री मूलचन्द सामरिया : मुख्य मन्त्री तो सामन्तों के दीवान रहे हैं.......

(व्यवधान, अश्र)

श्री मुंशीलाल महावर : आज पूंजीपतियों ने जो उनका धन्धा छीना है। आज बाटा की फैक्टरी ने इस उद्योग में लगे हुये लोगों का धन्धा छीन लिया इन मशीनरियों के जरिये उन गरीबों का सारा धन्धा छीन लिया गया। जो कुछ रोजगार की दशा मिलती थी वह बिलकुल बन्द हो गई इस तरह से मैं यह कह सकता हूं कि जो गरीबों का तबका है, जो आर्थिक तरीके से गिरा हुआ है, आज उनको जब तक बराबरी के लेवल पर नहीं पहुंचायेंगे तब तक हम उनका कुछ भला नहीं कर सकते और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम आर्थिक कार्यक्रम उनके लिए तैयार नहीं करें।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में और कुटीर उद्योगों के बारे में राज्य सरकार ने काफी काम किया है लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिये जो कार्यक्रम चल रहे हैं और जो दूसरे, छोटी छोटी सोसाइटीज के जरिये, कार्यक्रम चल रहे हैं वह इतने ज्यादा सन्तोषजनक नहीं हैं। आज वैज्ञानिक युग में पूंजीपतियों को समाप्त करना है और इनके मुकाबले प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो साइन्टिफिक वे में और वैज्ञानिक तरीके से मशीनों से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को उन धन्धों में लगाना पड़ेगा जिससे कि पूंजीपतियों के मुकाबले में वह आ सकें। जैसे कि पावरलूम स्कीम है इसका लाभ उन लोगों को मिला है जो कि पैसे वाले थे। आज राजस्थान का गरीब बुनकर है उसको वह लाभ नहीं मिला। आज उनके लिए प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो कुटीर उद्योग धन्धे थे उनको वैज्ञानिक तरीके से नया

(श्री मुंशीलाल महावर)
रूप देकर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का आर्थिक उत्थान किया जाना चाहिए और पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की स्कीम्स तैयार की जानी चाहिए।

आवास के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। कमीशन ने बताया है कि राजस्थान में सन् 1966-67 में कोई मकान बनाने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राज्य सरकार हमारे यहां हाउसिंग सोसाइटीज के जरिए मकान बनाने जा रही है और 4000 रुपये का बिना ब्याज के ऋण दिलाया जा रहा है, वास्तव में इसके मिलने में कुछ कठिनाइयां हैं जिसको समाज कल्याण मन्त्री जी जानते हैं और सभी माननीय सदस्य भी जानते हैं। तो मैं इतना निवेदन करूंगा कि उनका सरलीकरण किया जाना चाहिए और इस तरफ पैसा देने में थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि एक तरफ ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में पूंजीपति रहते हैं और जबकि गरीब झोंपड़ी में रहता है जो मेहनतकश मजदूर है, जो सड़कें बनाता है, जो कल कारखानों में मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, जितने भी बड़े बड़े बांध बनते हैं वह गरीबों की मेहनत से और पसीने से बनते हैं, सारे रचनात्मक कार्य गरीब ही करते हैं, लेकिन आज उनका एक्सप्लाइटेशन होता है। आज उनको सही वेजेज नहीं मिल रही है। मजदूर यूनियनें बनी हैं लेकिन वह इतनी प्रभावशाली नहीं हैं कि वह अपने हकों को ले सकें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन मेहनतकश लोगों के लिए, उनके रहने के लिए झोंपड़ों की जगह मकान बनता है तो मैं कह सकता हूं कि समाज में कुछ व्यवस्था की जा रही है और उनको उत्थान की तरफ ले जाया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो मैं इसके साथ ही साथ पंचायती राज के प्रभाव के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और उसके हितों की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करूंगा कि पंचायती राज में जहां जिला परिषदें और पंचायत समितियां होती हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए रिजर्वेशन रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ उनके लिए पानी की और कुओं की व्यवस्था की जानी चाहिए और जो दूसरे कुए हैं वहां वह पानी लेने के लिए जाते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल होती है तो उनके कुओं के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट रखा जाना चाहिए।

अस्पृश्यता के बारे में इतना निवेदन करूंगा कि कानून के जरिए तो इसका निवारण कर दिया गया है लेकिन व्यवहारिक जीवन में आज भी लोगों में छुआछूत की भावना है। लेकिन यह सब सामाजिक परिवर्तन से होगा और उसमें यदि आज हमारी सरकार और हमारे जितने भी राजनैतिक दल हैं इस तरफ पूरी तरह से आगे आकर कदम बढ़ायें तो मैं मानता हूं कि छुआछूत को

(श्री मुंशीलाल महावर)

भावना धीरे धीरे दूर हो सकती है। आज अन्तरजातीय विवाह की बात तो छोड़िये, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बराबरी की जो जातियां हैं, उनमें भी विवाह नहीं होते। यह सब धीरे धीरे इन्स्टीट्यूशनल चेंजेज के जरिये होगा। सामाजिक परिवर्तन आयेगा और सामाजिक परिवर्तन के साथ ही साथ वैज्ञानिक अन्वेषणों के साथ कुछ परिवर्तन आते हैं तो उसमें यह जरूरी है कि राजनैतिक दल इसमें कुछ पहल करें। इसके साथ ही साथ विधान सभा में भी कुछ रिजर्वेशन रख कर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए लेकिन मैं मानता हूं कि आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जो पापुलेशन है वह ज्यादा बढ़ गयी है इसलिए.......

श्री मनोहरलाल : 50 भी कुछ नहीं कर सकते। आप इधर आइये मैं खाट खड़ी करता हूं।

श्री मुन्शीलाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य हमेशा खाट खड़ी करने में ही लगे रहते हैं।

श्री सभापति : वह अपना काम कर रहे हैं आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री मुन्शीलाल : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजनैतिक अधिकार ज्यादा प्राप्त हुए हैं वह पापुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन ज्यादा होना चाहिए...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इनकी खाट खड़ी करनी चाहिए वह तो हनुमानगढ़ में की जा रही है। यह दो सामने बैठे हैं।

श्री मुन्शीलाल : आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बैंकों में पैसा लेने के लिए जाते हैं तो उनसे गारन्टी ली जाती है या उनकी तरफ उदासीनता का व्यवहार रहता है इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार इस तरफ ध्यान दे और जो फाइनेन्शल इन्स्टीट्यूशन्स हैं चाहे आपका राष्ट्रीयकृत बैंक हो, चाहे कॉमर्शियल बैंक हो, चाहे को-ऑपरेटिव सेक्टर हो...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह तो गाय और बछड़े दोनों बैठे हैं।

श्री मुन्शीलाल : उनको वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए और उनको कामों में लगाया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

मैं एक दो मिनट और निवेदन करूंगा।

आदिवासी लोग, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में और उनकी नियुक्तियों के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। इसके साथ ही राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है हमारे पश्चिमी क्षेत्र में रेगिस्तान सबसे ज्यादा है, वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को पशुपालन के धंधे में और दूसरे धंधों में लगाया जाये और उनको आर्थिक सहायता दी जाये। इसके साथ ही साथ औद्योगिक इकाइयों में भी इनका रिजर्वेशन रखा जाना चाहिये और उद्योगों में भी लाइसेंस परमिट वगैरह का रिजर्वेशन रखा जाना चाहिये। मैं यह देखता हूं कि जहां मनी का स्रोत बहता है, द्रव्य

(श्री मुन्शीलाल)

का श्रोत बहता है वहां पर बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग आगे आ जाते हैं और गरीब तरसता रह जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अच्छी स्कीम है, उनके अन्दर ही इनको लगाया जाना चाहिये। इनको टैक्नीकल एजूकेशन ज्यादा से ज्यादा दी जाकर स्किल्ड लेबर बनाकर नेशनेलाइज्ड कार्यक्रमों में इनवाल्व किया जाना चाहिये। इतना कहते हुये निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार और कांग्रेस सरकार ने इस तरफ काफी प्रयास किया है इन पिछले 25 सालों में और जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। लेकिन इस वैज्ञानिक युग के बढ़ते हुए चरण को देखते हुए जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का विकास तेजी से होना चाहिए वह नहीं हुआ है। आज चन्द्रमा पर पहुंचने की बात करते हैं जब कि आज जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की स्थिति है उसको आप सभी जानते हैं। आज उनके पास न पहनने को कपड़ा है, न रहने को मकान है और न खाने को रोटी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिए यहां आप सब व्यवस्था करें ताकि कार्यक्रमों के जरिये उनको उत्थान की तरफ ले जाया जा सके। तो मैं मान सकता हूं कि उनको राजनैतिक आजादी के साथ ही साथ आर्थिक आजादी भी मिले।

धन्यवाद।

श्री सभापति : मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि माननीय खाद्य मन्त्री 3 बजे अभी जो वक्तव्य देने वाले थे वह किन्हीं कारणवश 4 बजे वक्तव्य दिया जाएगा। श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, आज जिस विषय पर सदन में चर्चा हो रही है यह वास्तव में हिन्दुस्तान और राजस्थान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार के लिए हम यहां इकट्ठे होकर विचार विमर्श कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले मैं यह निवेदन करूं सभापति महोदय, कि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक उत्थान के साथ अगर यह देखा जाय कि इस सरकार की इन शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के प्रति कितनी रुचि है इसका पता तो ट्रेजरी बैंचेज की तरफ देखने से ही लग सकता है कि आज जब इस पर विचार हो रहा है तो राज्य सरकार के वे मंत्रीगण, जो कैबिनेट रैंक के हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो कुछ राहत देने के लिए कुछ एश्योरेन्स दे सकते थे, सब गायब हैं और जो तिरस्कृत और अनाथ लोग हैं जिनके पीछे कोई बैकिंग नहीं है और जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इस तरह के नीरस वातावरण में इस पर चर्चा हो रही है। यह साक्षात्कार इस बात का प्रमाण है कि सरकार शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लिए कितना कुछ करना चाहती है।

सभापति महोदय, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे गहन प्रश्न पर, जो कि समाज के लिए, देश के लिए चुनौती के रूप में है, अगर सरकार का यह रुख रहता है तो फिर यह दशा, जो शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब की, जो हो रही है वह होती रहेगी, उनके लिए दूसरा और कुछ हो नहीं सकता है। जहां तक कास्ट और ट्राइब के प्रश्न पर अनुसूचित जाति और

(श्री मूलचन्द सामरिया)
अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट है, उसके पैरा नम्बर 12 में आर्थिक स्थिति के बारे में जो दिग्दर्शन करवाया गया है उसका एक छोटा सा उदाहरण ...

श्री केसरीमल : मेरा ख्याल है कि आज का सेशन तो शिड्यूल्ड कास्ट का ही सेशन है, बाकी लोग तो यहां हैं नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : या तो कांग्रेस के विद्रोही हैं या शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : I would like that all may be counted as Scheduled Castes.

श्री मूलचन्द सामरिया : पैरा नम्बर 12.......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं तो आपकी गोद में आने वाला हूं चिंता ही मत करिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : पैरा 12 में उन्होंने लिखा है :

"विभिन्न राज्य सरकारों ने आदिम जातियों की भूमि के अत्याक्रमण को रोकने के लिए कई विधियां निर्धारित की हैं किन्तु सरकारी पदाधिकारियों तथा अधिकांश सामाजिक या राजनैतिक कार्यकर्ताओं का यह अनुभव रहा है कि जो आर्थिक सहायता आदिम जाति के लोगों को पहुंचनी चाहिए वह वस्तुत: उन तक नहीं पहुंच पाई है"

और इस प्रकार रास्ते में ही वह सहायता इधर उधर हो जाती है। इसलिए सरकार, जो भी योजना बनाती है, वह नाम मात्र के लिए और लोगों को भ्रम में डालने के लिए, उनको चकमा देने के लिए बनाती है और इसका आदिम जाति और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को डायरेक्टली कोई नतीजा नहीं मिल रहा है और वहां पर कोई सहायता नहीं मिल रही है।

एक प्रश्न के उत्तर में प्रश्न नम्बर 633 अतारांकित, उसमें यह पूछा गया था कि यह सरकार, सभापति महोदय, इस तरह से डींग हांकती है, बहुत शेखी की बात करती है कि हम आदिवासियों और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मकान बनाने के लिए मुफ्त जमीन देते हैं, लेकिन उस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने साफ स्वीकार किया है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। इस तरह को जमीन देने का प्रश्न ही नहीं उठता। सभापति महोदय, जो कोई भी योजना बनती है वह सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, गलत प्रचार करने के लिए इस तरह के नारे लगाते हैं। जहां तक शि. कास्ट और ट्राइब में लोगों को मकान बना कर दिए जाने का प्रश्न है, उसके जवाब में इस सदन में मंत्री महोदय ने यह फरमाया था कि मकानों का अलॉटमेंट नहीं किया बल्कि मकानों के मलबे का अलॉटमेंट किया गया। अलॉट होने से पूर्व ही सारे मकान ध्वस्त हो चुके थे। तो इस प्रकार किस तरह से मैं समझ नहीं पाता कि सरकार इन लोगों के मकानों की समस्या को हल करना चाहती है और उनके लिए मकान की व्यवस्था करना चाहती है।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

अब मैं उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में निवेदन करूं सभापति महोदय, कि उनके मुख्य चार धन्धे हैं। मजदूरी, नौकरी खेती और उद्योग। इन चार धन्धों के बारे में अब मैं आपके सामने बहुत संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूंगा। जहां तक मजदूरी का प्रश्न है इस पर शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब का अधिकार है, अनस्किल्ड लेबर और खास तौर पर नगरपालिकाओं में मल मूत्र, गन्दी नालियों की सफाई के मामले में मैं कहता हूं कि किसी दूसरे व्यक्ति को इसमें एण्टर करने का साहस भी नहीं हो सकता है और जितने भी स्वीपर्स होते हैं, जितने भंगी होते हैं उन पदों पर शत प्रतिशत नौकरियों में इन्हीं लोगों को लगाने के लिए नगरपालिकाओं में रिजर्वेशन होता है। और इसके अलावा जितनी स्किल्ड लेबर है उनका प्रतिशत क्या है, वह इस रिपोर्ट के द्वारा और हमारे यहां पर जो समाज कल्याण की समिति बनी थी उसके आधार पर क्या है यह तो मैं बाद में निवेदन करूंगा।

दूसरा धन्धा खेती का है जिसमें ये अधिकांश खेतिहर मजदूरी करने वाले हैं। इसके बारे में निवेदन करूं कि आज शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लोगों के पास में जमीन दो प्रतिशत भी मुश्किल से कब्जे में होगी। इस तरह की विभिन्न रिपोर्ट प्रकाश में आई हैं कि फैक्चुअली और एक्चुअली पजेशन कितनी जमीन पर इनका है तो इस बारे में यह बात सामने आई कि इनका पजेशन [illegible] है और नगण्य रूप में [illegible] में है और गांधी शता[illegible] रजत जयन्ति के वर्ष में इस प्रकार की घोषणा की थी कि इनको प्रिफरेंस दिया जाएगा और यह घोषणा की थी कि गांधी शताब्दी वर्ष में सारे के सारे हरिजन आदिवासियों को जमीन दे दी जाएगी। लेकिन यह सरकार भी कितनी चतुर है और कितनी चतुराई के साथ धोखा देती है। जितनी अच्छी जमीन थी वह तो इस गांधी शताब्दी के वर्ष में दूसरे लोगों को दे दी, जितनी अच्छी जमीन थी वह या तो नाम मात्र को अलॉट की या किसी को अलॉट ही नहीं की गई। जो अलॉट की गई वह जमीन या तो पहाड़ी तलहटी के अन्दर या ऐसे ऊबड़ खाबड़ जगह पर जमीन अलॉट की कि उसको तैयार करने में ही उनके बाप की जो कमाई थी जिसको लगा कर वे नंगे हो सकते थे, साधनहीन बन सकते थे, इस तरह की जमीन उनको अलाट करके सरकार ने एक तरफ तो उनको धन्धे पर नहीं लगाया बल्कि उनके पास जो कुछ था पूर्वजों का वह भी उस जमीन पर, उस जमीन को उपजाऊ बनाने में लगा दिया लेकिन उससे उपज नहीं मिल सकी। इस तरह के जितने भी अलॉटमेंट होते हैं वह सरकार की निगाह में है। जो कुछ जमीनों का अलॉटमेंट हुआ है वह कागजों में हुआ है और जो हुआ है वह भी अगर देखा जाय तो ऐसी जमीनों का हुआ है जो जमीनें निकम्मी होती हैं, जो उपजाऊ जमीनें नहीं है, जो ऊसर हैं, जो कंकरीली होती हैं, पथरीली होती हैं, रेगिस्तानी होती हैं, जिस पर उपज की आशा नहीं होती, ऐसी जमीन अलॉट [illegible] इसके अलॉटमेंट के [illegible]दय, मैं आपके

(श्री मूलचन्द सामरिया)

माध्यम से निवेदन करूंगा कि सदन में कई बार इस बारे में चर्चा हुई कि इन लोगों को, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को एक्चुअली कब्जा नहीं करने दिया जाता है । उनके सिर फोड़ दिये जाते हैं, पीटा जाता है और उन पर मुकदमे बना करके उनको अत्यन्त बर्बाद कर दिया जाता है । और जो जमीन उन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए ली वही जमीन उनकी बर्बादी का कारण बन जाती है । इस तरह की सरकार की नितियां हैं । जब सरकार के पास इतना बड़ा प्रपंच है, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा लवाजमा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है तो कोई कारण नहीं है कि अलॉटमेंट होने के बाद जिस व्यक्ति को अलॉटमेंट हुआ है उसको कब्जा नहीं दिला सके । लेकिन सरकार तो खुद जान बूझ कर इस तरह की बातों को प्रोत्साहित करती और इस तरह के एक्शन को प्रोत्साहन देती है । कारण यह है कि सरकार को इन लोगों का, हम लोगों का मत लेने के लिए उनके लिए ऐसी घोषणाएं तो करनी पड़ती हैं, लेकिन जब कार्य रूप में परिणित करने का सवाल आता है तो वह सरकारी मशीनरी के अधीन होता है और सरकारी मशीनरी कैसी है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है । अगर मंत्रीगण इस बात को चाहें, निष्पक्षता के साथ चाहें, ईमानदारी के साथ चाहें, इसका पालन करना चाहें तो मैं कहता हूं कि कोई भी अधिकारी मिनिस्टर की गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकता है । और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ व्यवहार किया जावे, उनको दण्डित किया जा[illegible] उनको मुकद[illegible]

फंसाते हैं, उनको बर्बाद करते हैं लेकिन सरकार इस बारे में मौन रहती है और मौन लगा कर इस तरह के नाटक करवाती है । उसका एक ही उद्देश्य है कि अगर वास्तव में उनका जमीन पर कब्जा हो गया, अगर उनकी आमदनी बढ़ी, साधन बढ़े तो आजाद तरीके से सोचने लग जायेंगे, आजादी के तरीके से सोचना शुरू किया, अगर स्वाभिमानी तरीके से सोचना शुरू कर दिया तो जो कांग्रेस के साथ में नीति के आधार पर न होकर और हम कमजोरी के आधार पर हमारा आर्थिक पतन का आधार है हमारी अशिक्षा का अन्धेरा लगा हुआ है । हो सकता है दूसरे धंधे में लगा दें तो खड़े होकर स्वाभिमानपूर्वक आवाज उठावें इसलिए इनको बंधा रखा जाता है, उनके स्वाभिमान को नाश कर के । इसी तरह से उनके पीछे मुकदमे भी लगा दिए जाते हैं । इस तरह की मेहरबानी उनके ऊपर मत करिए । इसी तरह से मकानों के लिए जो जमीनें दी जाती हैं सभापति महोदय, वह जमीन किसी भी गांव में जाकर देखेंगे, मंत्री महोदय पधारें, मैं यह निवेदन करूंगा कि नाले पर उनको जमीन अलॉट की जाएगी, उनके आसपास गड्डे होंगे, गंदगी का ढेर होगा । वहां इन लोगों को जमीन एलॉट की जाती है, जहां पर खाद के गड्डे होंगे या फिर पहाड़ की तलहटी में जमीन एलॉट की जाती है या फिर श्मशान के आस पास जमीन एलॉट की जाती है । यह माना जाता है कि कास्ट और ट्राइब्स के लोग हैं वे इन चीजों को बर्दाशत कर लेंगे, बर्दाश्त कर सकते हैं । [illegible] लोगों को नीची कीमत की [illegible] मैं यह निवेदन करना [illegible] लोगों को अच्छी आबादी

(श्री मूलचन्द डागरिया)

जज बनायें लेकिन यह सरकार यह नहीं कर सकती है, क्योंकि यह सरकार अपने आप में अपाइन्टेड सरकार है, इलेक्टेड सरकार नहीं है। यह सरकार इन्दिरा गांधी की चमचा सरकार है और यह सरकार यह बात नहीं कह सकती है। कितने आदमी आपके ज्युडिशियल सर्विसेज में हैं। आपने इनके लिए 28 परसेन्ट का रिजर्वेशन कर रखा है। परन्तु यह रिजर्वेशन नहीं है। यह एक परसेन्ट से ज्यादा नहीं हो सकता है। आज यहां कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को इन पोस्टों पर नहीं रखा जाता है।

इसी तरह से यह कमेटी की रिपोर्ट है। समाज कल्याण समिति की रिपोर्ट है। उसके अनुसार में यह निवेदन करूंगा कि प्रथम श्रेणी, सेकेन्ड क्लास आफिसर, थर्ड क्लास आफिसर, इन तीनों ही जगह पर इनकी संख्या नेगलीजेबल है। कुछ जगह पर कास्ट के लोग हैं। इसका भी एक रीजन है। कास्ट में भंगी आते हैं। म्युनिसिपैलिटी में जो हरिजन कि पोस्ट होती है, उस पर इनको नौकरी पर रखा जाता है। ये लोग स्वीपर का, सफाई का कार्य करते हैं। इनका जरूर कुछ परसेन्टेज बनता है। आदिम जाति के लोग सफाई का कार्य नहीं करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अलावा सफाई के किसी भी धन्धे में इन लोगों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, सरकार यह डींग मारती है कि आर. ए. एस., आई. ए. एस. और आई. पी. एस. को कम्पीटेटिव एग्जामिनेशन के लिए यूनिवर्सिटी में एक सेल मुकर्रर कर दिया है जिसमें ये लोग ट्रेनिंग लें, परीक्षाएं लें और परीक्षा में सम्मिलित हों। मैं सरकार से इसका नतीजा जानना चाहता हूं। सरकार इसका नतीजा बतावे कि क्या आया है? सरकार यह सिद्ध करे कि 28 प्रतिशत का जो उसने कोटा तय किया है क्या इस व्यवस्था से वह पूरा हुआ है। इसलिए निवेदन करूंगा कि नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वह आज नहीं है और यह दुःख की बात है, जिसकी मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं। यह जो कमेटी है, उसमें यह जो रिपोर्ट मांगी है, उससे जाहिर होता है कि गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट्स इस दिशा में कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इन विभागों के अधिकारियों का सोचने का तरीका इन लोगों के हित में नहीं है। बड़ी संख्या में, मेजोरिटी में सोचने का यही तरीका है। इन विभागों ने जो रिपोर्ट नहीं दी है उसका एक मात्र कारण यही है कि इन विभागों में कास्ट और ट्राइब्स के लोगों का प्रतिनिधित्व नाम मात्र का है और ये विभाग अपने मुंह को छिपाने के लिए समिति के समक्ष उपस्थिति होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ट्राइब्स और कास्ट के लोगों के लिए, जो कमेटी का गठन किया गया है, अधिकारीगणों को इस कमेटी की परवाह नहीं है। वे कमेटी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं। साक्षात्कार के लिए वे कमेटी की मीटिंग में आते नहीं हैं। यह कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेविल पर जाकर कास्ट और ट्राइब्स के लोगों में जानकारी करना चाहे तो रजिस्टर इसको

(श्री मूलचन्द सामरिया)
में जमीनें दी जानी चाहिए और लोगों के साथ मिक्सअप होने के लिए यह जरूरी है कि इनको आबादी की जमीन के साथ साथ जमीन दी जाए।

सभापति महोदय, आर्थिक क्षेत्र में जहां पहले खेती का प्रश्न आता है, उसके बाद नौकरी का प्रश्न आता है। आप स्वयं जानते हैं कि पिछले 25 सालों से कांग्रेस गला फाड़ फाड़ कर ट्राइब्स और कास्ट के लोगों को नौकरी में लगाने की बात कह रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितना सामाजिक उत्थान किया है। कितना बराबरी का दर्जा दिलाया है। समाजवाद का नारा देकर क्या इनका उत्थान किया है ? क्या आज भंगी और ब्राह्मण को एक कर दिया है ? क्या दोनों में समानता आगई है ? मैं चुनौती के रूप में इस सरकार से पूछना चाहूंगा कि इस सरकार के मंत्रीगण पधारकर यह मिसाल दे सकते हैं कि जयपुर शहर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, कलक्टर के पद पर किसी हरिजन या शिड्यूल्ल कास्ट और शिड्यूल्ल ट्राइब्स के व्यक्ति को नियुक्त किया है ? सभापति महोदय, इस सरकार को नीति छुआछूत को खतम करने की है, यह भी एक खोखलापन है।

सभापति महोदय, आज एक बहुत बड़ा व्यापारियों का तबका है, खाद्य व्यापारियों का, दुकानदारों का, इसमें भी कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को काट दिया गया है। पीढ़ियों से कटे हुए हैं। इस तरह की कोई स्कीम हमारे प्रान्त में नहीं है और न ही इस प्रकार का कोई वातावरण ही पैदा हुआ है कि खाद्यन्न का व्यापार कोई कास्ट और ट्राइब्स के लोग कर सकें। अगर किसी ने यह व्यापार भी किया तो साधारण लोग भी वहां से परचेज नहीं करेंगे। इस तरह की कोई दुकान खुल जायगी तो तो कोई बिक्री उसकी नहीं होगी। जो सामान वहां होगा उसको वह स्वयं ही खा सकता है। यह सरकार की समानता की नीति का सब से बड़ा उदाहरण है। आर्थिक दृष्टि से शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों के लिए क्या तौर तरीका हो सकता है, यह विचार किया जाना चाहिए। मजदूरी, खेती, दुकानदारी के अलावा एक नौकरी का धंधा और हो सकता है। इस विषय पर निवेदन करने से पूर्व सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आज राजस्थान में कितने कास्ट और ट्राइब्स के लोग आई. ए. एस. और आई. पी. एस. ऑफिसर है ? राजस्थान के कितने लोग फारेन सर्विसेज में है ? राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के कितने लोग हायर ज्यूडिशियल सर्विस में है, कितने कोर्ट के जजेज हैं ? कितने गवर्नर के पद पर नियुक्त किए हैं और कितने विदेशों में राजदूत हैं ? किसी को राजदूत बना कर नहीं भेजा है। किसी भी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों के नाम को राजस्थान सरकार ने अपने आका को रिकमन्ड नहीं किया है। गवर्नर बनाना या न बनाना यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है परन्तु आज सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और स्टेट गवर्नमेन्ट में कोई डिफरेन्स नहीं है, दोनों ही सरकार आज एक पार्टी की हैं। आप अपने पार्टी के नेताओं की चमचागिरी करते हैं तो यह भी रिक्वेस्ट करें कि हमारे राजस्थान के इतने लोगों को गवर्नर बनावें इतने लोगों को

(श्री मूलचन्द सामरिया)

नहीं दिखाए जाते हैं। यह उसका प्रतिवेदन है। स्थिति यह है कि समिति के पास उसका समिति अधिकारी नहीं है। इस प्रकार एक नेग्लीजेबले समिति बना कर कुछ एम. एल. ए. को इसमें ले लिया गया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स का इस समिति से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके प्रतिवेदन से जाहिर होता है कि राजस्थान सरकार इसके अलावा कोई दूसरी कार्यवाही भी नहीं कर रही है। सबसे मुद्दे की बात यह है कि मजदूरों को मजदूरी नहीं है, खेती के लिए सरकार उनको जमीन नहीं दे रही है, दुकानदारी कोई करे तो उनके सामान को कोई खा पी नहीं सकता है, नौकरियों में भी कोई जगह नहीं है। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस ने इन कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को आज मुर्दे की स्थिति में लाकर छोड़ दिया है। यह कांग्रेस सरकार का फर्ज है कि वह इन मुर्दों को खुद जलावे, खुद ही इनका क्रिया कर्म करे। वास्तव में आप चाहते हैं कि इन लोगों की दुर्दशा दूर हो तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को धन्धे के अगावें, इन लोगों के लिए हर क्षेत्र में रिजर्वेशन रहना चाहिए। क्योंकि मैं यह समझता हूं कि जो छोटी छोटी छात्रवृत्तियां आपने दी हैं, मकान बनाने के लिए जो सहायता आपने दी है, तो यह पैसे की मदद देकर कितने दिन आप इनको भिखारी के रूप में रखेंगे? इसलिए इनका स्वाभिमान खत्म हो गया और कास्ट और ट्राइब्स के लोग सिर ऊंचा उठा कर नहीं बोल सकते हैं। सरकारी प्रतिनिधियों ने इनको भिखमंगे की स्थिति पर पहुंचा दिया है। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या की मदद से उनकी सरकार बनती है। वे इनके साथ में हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या में और इतनी बड़ी तादाद में एम. एल. ए. भी हैं। लेकिन उनका चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है। इन लोगों का स्वाभिमान खत्म हो गया है। हर पार्टी में, जिस पार्टी में भी वे हैं, मैं अपने आपको एक्जेम्प्ट नहीं करता हूं, वे दबाकर इस पोजीशन में रख दिये जाते हैं कि उनकी खुद की कोई आवाज नहीं है। अपने बारे में कहना चाहते हैं तो बड़ा सोच-समझ कर कहना पड़ेगा। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इनकी दुविधा को शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को भिखारी-प्रथा से हटाना चाहते हैं, अगर इनको स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं, इनको खुद को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, अगर यह चाहते हैं कि यह लोग भी इज्जत के साथ रह सकें, तो सरकार को चाहिए कि आने वाले 10-20 सालों के लिए इण्डस्ट्रीज में इनका रिजर्वेशन कर दें। जितने उद्योग राजस्थान में चालू किये जायेंगे उन उद्योगों में पहले 28 परसेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को देने के बाद दूसरे लोगों को कारखाने इरेक्ट करने और मशीनरी लगाने की परमिशन दी जायगी। तो मैं समझता हूं कि सरकार की नियत साफ है, और आज तक जो कुछ किया है उसके लिए क्षम्य हो सकती है। लेकिन इस ओर सरकार कदम न उठावे और सरकार का इरादा इनको भिखारी,

(श्री मूलचन्द सामरिया)

गुलाम, नम्बर दो के नागरिक के रूप में रख कर इनका शोषण करने का ही और इनके अन्धविश्वासों, नासमझी, भुखमरी और कमजोरी का फायदा उठा कर इनको इस अवस्था में रखना चाहती है तो जिस दिन ये जागृत होंगे उस दिन सरकार को उठाकर फेंक देंगे।

मेरे एक भाई ने यह फरमाया था कि सरकार इनके लिए काफी तरक्की कर रही है इसका जवाब तो बाद में दूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह सरकार के मन्त्री, जो शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को विकलांग करते हैं, जिनको नगण्य पावर दिये हुए हैं, या वास्तव में काम करने वाले नहीं हैं, यह हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए कास्ट और ट्राइब्स के दो शख्स बैठे हैं। यह दिल और दिमाग से जमे हुए हैं और आज इनकी पावर एक एम. एल. ए. से ज्यादा नहीं हो सकती है। कोई कार्य रूप में योजना यह स्वयं प्रतिपादित नहीं कर सकते हैं, नहीं तो मैं समझता हूँ कि यह इस दुर्दशा को बरदाश्त नहीं कर सकते। अगर यह दावे के साथ कहें कि राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दो टाइम भोजन मिलता है, यह हिम्मत के साथ कहें कि उनको दो टाइम चना भी मिलता हो तो मैं समझूंगा कि सरकार जो बकवास करती है उसमें कुछ सचाई है।

वास्तविकता यह है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का इतना शोषण हो चुका है, उनकी इतनी गरीब स्थिति हो चुकी है, उनको कितनी लाचारी और दुर्दशा में रखा हुआ है वह आप गांवों और बड़े बड़े शहरों के अन्दर जा कर देखें। उन गरीब लोगों के लिए, उन पिछड़े हुए लोगों के लिए, हरिजनों के लिए और आदिवासियों के लिए एक टाइम भोजन भी उनको नसीब नहीं होता है। अगर सरकार छाती ठोक कर यह कहने को तैयार हो कि दोनों टाइम उनको भोजन मिलता है तो कल ही मैं उन लोगों को यहां लाइन लगा सकता हूं जो यह कहेंगे कि मंत्रीजी हम दो टाइम भोजन नहीं करते हैं।

समाजवाद का हमारी सरकार नारा देती है तो किसी भी मोहल्ले से आप पास हो जायेंगे, कास्ट और ट्राइब्स वालों के तो आपको पता लगेगा कि उनकी क्या स्थिति है ? सभापति महोदय, सरकार करोड़ों रुपया शहरों के विकास पर लगा रही है, लेकिन जो इन लोगों की गलियां हैं, इनकी कच्ची बस्तियां हैं, जैसे मोहल्ला खटीकान, कागदीवाड़ा इनका यदि आप दिग्दर्शन करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिनिस्टर साहब और पदाधिकारी वहां पर एक-दो घन्टे रुकें तो उल्टी करके न आयें तो मेरा कान पकड़ कर बाहर निकाल दें। वहां पर गन्दा पानी निकलने का कोई हिसाब नहीं। 5-5 फीट की गलियां हैं, कूड़े से भरी हुई। उनके मकानों में कोई वेन्टीलेशन नहीं है और न कोई न लेट्रिन की वहां पर व्यवस्था है। आज हमारी सरकार जयपुर की सड़कों को चौड़ा करा सकती है। आज हमारी सरकार अपने वायदे के मुताबिक बड़े बड़े पार्किंग सेन्टर बना सकती है, धनी इन्सानों के लिए वहां फव्वारों के लिए पानी का इन्तजाम कर सकती है, लान लगा सकती है, लेकिन

(श्री मूलचन्द सामरिया)

गरीब हरिजनों के मोहल्लों में फलश को लेट्रिन नहीं लगा सकती और डींग इस तरह की मारती है कि हम कच्ची बस्तियों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। इससे ज्यादा और शर्म की बात नहीं हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति : 25 मिनिट हो चुके हैं।

श्री मीठालाल : मंत्रीजी बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं। बोलने दें।

श्री मनोहरलाल : उनकी नसबन्दी कर दी गई है मंत्रीजी की।

श्री मूलचन्द सामरिया : वह अन्धकार में हैं और भ्रान्त हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको भय था कि कहीं मंत्रीजी....

श्री मूलचन्द सामरिया : जो सरकार 25 साल से शासन कर रही है और जिस महात्मा गांधी ने हरिजनों को गले लगाने के लिए यह कहा था कि हरिजन तो मेरी आत्मा है और अगर मैं मरूं तो हरिजन के घर जन्म लूं, लेकिन उस महात्मा गांधी के चेले चांटों ने आज इन हरिजनों को मजबूर कर रखा है कि इनकी गन्दगी को साफ करे हरिजन। इनको हैजा हो जाय तो इनकी टट्टी और उल्टी भंगी को उठाना पड़ेगी, अगर ये टी. बी. के मरीज हों तो इनका थूक भंगी को उठाना पड़ेगा, बच्चे अगर टट्टी कर दें तो भंगी को उठाना पड़ेगा। दुनियां के इतिहास में इतना जलील, इतना नीच काम किसी भी व्यक्ति तो क्या बिल्ली और कुत्ते और जानवरों से नहीं कराया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का हमें इसका भान भी नहीं होता है। इस कारण हमारी नासमझी है और हमारे ऊपर इन्होंने जादू करके हमारे ऊपर इन्होंने वशीकरण कर रखा है। यह समझने का मौका नहीं देते हैं और शिक्षा के पास में जाने नहीं देते हैं और स्वतन्त्रता के वातावरण में विचरण नहीं करने देते हैं।

श्री ओंकारलाल : आप जादू के वश में कब तक आने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रतापसिंह : आप वहां से भाग जायेंगे तब।

श्री मूलचन्द सामरिया : मुझे आपकी दुर्दशा को देख कर बड़ा दुःख होता है। आपकी दुर्दशा को देख कर दिल भर गया है।

यह सरकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उद्धार की बात करती है और इसके लिए शराब को साथ में रखती है। दिन भर की मजदूरी, जिसमें दिन भर के भोजन के अलावा कुछ नहीं निकलता है, वह कपड़े और उनके जेवर, और बर्तन सभी ठेकेदारों के माध्यम से बिकवा कर सरकार वापिस ले लेती है। सरकार के मंत्रियों को शराब पीना है तो खूब पियें, अधिकारीगण खूब पियें, लेकिन हरिजनों को, जिनको आप पिछड़ा हुआ समझते हैं और सहायता देते हैं कृपा करके उनको तो

(श्री मूलचन्द सांभरिया)

बल्कि, और उनके ऊपर पाबन्दी लगा दें कि कोई भी नॉन इन्कम टैक्स पेयर गरीब आदमी शराब नहीं छू सकता। आपके पास पैसा है और आपको शौक है तो पियें लेकिन क्यों एक पैसा देकर उन हरिजनों से सारे साधन ले लेते हैं ? सभापति महोदय, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि एक शराबी आदमी था वह अपनी औरत के कपड़े ला कर आ कर कहता है कि दो रुपये दो नहीं मैं मर जाऊंगा। मैं उस आदमी को सदन में पेश कर सकता हूं, उस आदमी को मैं मिनिस्टर महोदय को पेश कर सकता हूं जो कि अपनी औरत का घाघरा और लुगड़ा बेच कर शराब पीता है। मैं कहता हूं कि आप मजबूर हैं शराबबन्दी नहीं कर सकते हैं तो मैं कहता हूं कि इनका कल्याण करने के लिए आपने जो समाज कल्याण विभाग खोल रखा है उसको आप बन्द कर दें उसके बजाय अगर आप शराब बन्दी करते हैं तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का कुछ उद्धार कर सकते हैं और उनके शोषण की बात को खत्म कर सकते हैं। सरकार ने बहुत से कानून बनाए हैं, लेकिन आज भी कास्ट या ट्राइब के लोगों की मृत्यु भोज जैसी बुराई में आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर सके हैं। इसका कारण यह है कि बहुत शिथिलता के साथ कानून का पालन किया जाता है, और लोगों को छूट दी जाती है। ऐसे काम करके तो वह लोग बरबाद हो जायेंगे।

सरकार ने सूची दी है उसके अन्दर बताया है कि 9 जिलों में कानूनी सहायता दी है, 9 जिलों में 76 आदमियों को कानूनी सहायता एक साल में दी। मैं समझता हूं, किसी गांव में आग लग गई होगी, 76 मुलजिम हो गए होंगे, उन पर एक मुकद्दमा चला होगा। यह एक मुकद्दमे की बात हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कानूनी सहायता कितने लोगों को किस प्रकार दी ? 76 लोग किस प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करने से लाभान्वित हुए हैं ? पैरवी इन लोगों की गम्भीरता से हुई ? मैं समझता हूं कि पैरवी उनकी अच्छी नहीं हुई होगी और दे ले के कर काम कराया होगा। कानूनी पैरवी इन लोगों की अच्छी कहीं नहीं हुई है। इसलिए खामख्वाह की बात करते हैं कि फ्री पैरवी के लिए कानूनी सलाहकार मुहय्या करते हैं। कानूनी सहायता मुहय्या करें तो मेरा निवेदन है कि चीफ मिनिस्टर और मंत्री अपने व्यवहार में परिवर्तन करें क्योंकि इनकी नकल साधारण लोग किया करते हैं। जब वोट लेने जाते हैं तो कहते हैं, आ भाई चेतराम, तू मेरा दोस्त है। और जब वोट ले लिए तो उसके बाद में भस्मासुर हो जाते हैं। जैसे महादेव और भस्मासुर की कथा है, वरदान पाकर महादेव को ही भस्मासुर भस्म करने पर उतारू हो गया उसी तरह कांग्रेस हरिजनों को भस्म करना चाहती है। हरिजन उन्नत बन जाय—यह कहने का आपका साहस नहीं हो सकता है।

मैं निवेदन करूंगा कि आज शैक्षणिक आधार पर जो छात्रवृत्ति दी जाती वह नाकाफी है, नगण्य है। केवल केन्द्र की छात्रवृत्ति ऐसी है जिसके आधार पर बच्चा साल भर पढ़ सकता है।

आप छात्रावास बनाते हैं, वह कास्ट और ट्राइब्स के अलग अलग हैं। मेरा

(श्री मूलचन्द सामरिया)
निवेदन है कि जो जन साधारण के छात्रावास हैं, वहां जो कास्ट और ट्राइब्स के 25 बच्चे हैं, उनकी उन छात्रावासों में व्यवस्था नहीं करते हैं। अलग छात्रावास रख कर उनके गले में बोर्ड लटका रखा है, यह कास्ट और ट्राइब्स के हैं इनके साथ छूआछूत करनी चाहिए यह नीचे हैं। इस प्रकार छात्रावासों की व्यवस्था अलग करते हैं, इससे अलगाव की भावना पैदा होती है और कास्ट और ट्राइब्स के छात्रावास के लड़के स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वह समझते हैं हम नीचे हैं, हम इनके बराबर नहीं हैं। इसलिए सरकार व्यवस्था करे कि कास्ट और ट्राइब के लोगों को जो छात्रावास की फैसेलिटी मिलती है, वह उन्हें जनरल छात्रावास में दें और जनरल छात्रावासों का खर्चा उन्हें मुहैय्या करें। उन छात्रावासों में सीट बढ़ानी चाहिए, जिससे बड़े कहे जाने वाले लोगों के बच्चों के साथ, सवर्णों के बच्चों के साथ वह उठें, बैठें और उनमें तहजीब आये और जैसे जैसे उनमें शिक्षा बढ़े उनमें बात करने का तरीका आये ......

श्री सभापति : आधे घण्टे से ज्यादा आपको समय दे चुका हूं। माननीय सदस्य काफी है।

श्री मूलचन्द सामरिया : दो मिनिट।

श्री भगराज चौधरी : दूसरे कोई बोलने वाले नहीं हैं।

श्री मीठालाल : इधर से आप ही बोलने वाले हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : दो मिनिट और बोलूंगा।

श्री सभापति : दो मिनिट बोल लीजिए। दो मिनिट से अधिक की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं जानना चाहूंगा कि हायर एजूकेशन के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी है ? कितने छात्रों को विदेश भेजा है ? कितने छात्रों को टेक्निकल एजूकेशन दिलायी ? कितने छात्रों को औद्योगिक शिक्षा दिलायी ? मैं निवेदन कर रहा हूं, नाम मात्र के लिए मैट्रिक बना कर आप शिक्षित की परिभाषा में लेना चाहते हैं, दस्तखत करना सिखा कर शिक्षित की परिभाषा में लेना चाहते हैं। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि यह छोटे छोटे बच्चों का सवाल है, वह पढ़ने जाते हैं तो मास्टर उनसे फ्लश लेट्रिन साफ कराते हैं। इसमें शर्म नहीं आती है। यह डूब मरने की बात है। छोटे बच्चों से फ्लश लेट्रिन साफ कराते हैं, छोटे छोटे बच्चों से पालिश कराते हैं—यह कराते शर्म नहीं आती है. दस बारह साल के बच्चों से ऐसे काम लेते हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि पावर लूम बन्द हो गए है, पावर लूम बन्द नहीं हो गए हैं, उनमें कटौती कर दी है और उस कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। बिजली में कटौती हो गई है, इस कारण लोग बेरोजगार हो गए हैं। वह लोग भूखे मरेंगे।

आप राजनैतिक दृष्टि से कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को लड़ाते हैं। कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को आपस में लड़ाते हैं, कोई भी ऐसा संदर्भ छेड़ दिया जाता है

(श्री मूलचन्द सामरिया)
जिससे दंगा हो जाय, ऐसी बात न हो जाय कि और तरह से सोचना शुरू कर दें। मैं कहूँगा कि राजनैतिक कारणों से लड़ाते हैं, वह न करके, सब मतभेदों को छोड़ कर, ऊंच नीच को छोड़ कर जो कास्ट के लोग पिछड़े हुए हैं, जो ट्राइब के लोग पिछड़े हुए हैं, उनको एक सूत्र में बांध कर सरकार समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है और उन्हें उनके अधिकार दे सकती है। इसमें भी सरकार कोई अहसान नहीं करेगी, पच्चीस वर्ष के अन्दर उन्हें कुछ भी नहीं दिया है, यह उसके केवल ब्याज के रूप में आप कर सकते हैं। मैं कांग्रेस के साथियों से निवेदन करता हूं कि आपने नेताओं की चापलूसी की है, मैंने नेताओं की चापलूसी की है। यह चापलूसी काम नहीं देने वाली है। चापलूसी के कारण हम पीछे हो रहे हैं। आप मंत्री नहीं बनने वाले हैं। इसलिए आप अधिकार की मांग करें। आप अकेले रह कर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप गुट में पड़ गये तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने नेता पर दबाव डालें और दबाव डाल कर अधिकार ले लें। क्या कारण है कि जो 28 प्रतिशत रिजर्वेशन किया है, उसकी पूर्ति न करें। जो आफिसर नहीं करते हैं उनका एक्स्प्लेनेशन काल किया जाय। अभी कोई अधिकारी नहीं करता है तो चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में लाते है कि फलां आदमी ने ऐसा कर दिया लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। नाम बता देने पर भी कुछ नहीं होता है। जो कास्ट और ट्राइब के मोहल्लों में नल बिजली लगाते हैं, नगरपालिका के माध्यम से, वह नल बिजली लगती नहीं है। आप पैसा देते हैं म्यूनीसिपैलिटी को, तो म्यूनीसिपैलिटी पर जिस आदमी का प्रभाव होता है, उस आदमी को बिजली देनी है तो मोहल्ले में उसके घर तक ले जाकर बिजली देंगे। मेरा निवेदन है कि जो भी और लोग हैं उनको बिजली दी जाय। आज कास्ट और ट्राइब के लोगों को बिजली नहीं मिलती है। कृपा करके कास्ट और ट्राइब की बस्तियों में यह काम करें। भंगी कष्ट मुक्ति की बात कही है। इसके लिए फ्लश लेट्रिन का कोई कानून बनाना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा काम करवाते हैं उनको सजा होनी चाहिए....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दो मिनिट मागे थे, दो मिनिट हो गये।

श्री मूलचन्द सामरिया : सम अप कर दूं।

इस तरह जो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं यह कास्ट और ट्राइब के लोगों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गुलाम बनाने के लिए कर रहे हैं। इसको बन्द करें और सही मायने में उद्योग धन्धों में प्रतिनिधित्व देकर कुछ करें। जब तक गुलाम बनाने की प्रवृति को खत्म नहीं करेंगे तब तक कास्ट और ट्राइब के लोगों की स्थिति में अन्तर नहीं होने वाला है। जयहिन्द।

श्री मीठालाल : इस वास्ते डूब मरने की बात है।

श्री ओंकारलाल : पानी भर लिया है क्या ?

श्री मीठालाल : बरसात में भर लेना।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा !

श्री मनोहरलाल : मेरा नम्बर है ।

श्री सभापति : इनके बाद आपका नम्बर आ जायगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : संभापति महोदय, सदन में उपस्थिती देख कर बड़ा दुःख होता है। सबसे गम्भीर मसले पर विचार करें, यह देश की सबसे बड़ी समस्या है, राष्ट्रीय आन्दोलन की सबसे बड़ी देन है, राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण इस समस्या को मुख्य समझा है और हमने राष्ट्र के लाखों लोगों को जाग्रत किया है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, जब हम सारे भारतवर्ष की सबसे गम्भीर समस्या पर विचार करे हैं, आज सदन के अन्दर न नेता मोजूद हैं, न उप नेता मौजूद हैं। इस बात से स्पष्ट होता है कि इस राज्य के नेता, उप नेता राज्य के आदिवासी और हरिजनों को इस समस्या को कितनी गम्भीरता से लेते हैं। पहले मैंने सदन के अन्दर यह बात कही थी, आज भी हरिजन स्त्रियों की आबरू-अस्मत की सुरक्षा नहीं है। आज भी भयंकर अन्याय और भयंकरतम सामाजिक उत्पीड़न पिछड़े वर्ग के लोगों पर हो रहा है। सदन के नेता ने कहा कि हमने एक सेल बना दिया है, वह सेल बड़ी कठोरता से हरिजनों को सामाजिक उत्पीडन से मुक्ति दिला रहा है। लेकिन वह स्वयं सदन में उपस्थित नहीं हैं। हरिजन और आदिवासी सदस्य अपने क्षेत्र के अन्दर होने वाले भयावह अन्याय की बात कहें तब भी सदन के नेता सदन में बैठने से डरते हैं ऐसे जैसे कि केवल आदिवासियों और हरिजनों का मसला है, इस प्रकार का सारे सदन का वातावरण आपका बना हुआ है जो कि खेदजनक है । महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं उस दिन मानूंगा कि देश ने कोई प्रगति की है जिस दिन इस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हरिजन होंगे। मैं भी एक कल्पना करके चलता हूं कि इस राजस्थान के अन्दर जो आदिवासियों की संख्या है वह सारे भारतवर्ष में एक विशिष्ट स्थान रखती है। उनकी भी उन्नति उसी दिन होगी जब इस राजस्थान का भी मुख्यमंत्री कोई हरिजन होगा। आज अगर आंकड़ा देखें तो सारे देश की 55 करोड़ आबादी में 12 करोड़ आबादी आदिवासियों और हरिजनों की है और राजस्थान में अगर आप देखें तो राजस्थान में 2.57 करोड़ में से आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग 72 लाख हैं, यह संख्या भारतवर्ष में अपना एक अनोखा स्थान रखती । भारतवर्ष में सबसे बड़ी आबादी इन जाति के लोगों की राजस्थान में है। गंगानगर की 2 लाख आबादी याने 3.70 प्रतिशत हरिजन हैं और 5 हजार करीब पिछड़ी जनजाति के हैं और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पिछड़ी हुई जनजाति के लोगों की आबादी बहुत अधिक है। इस प्रकार पिछड़े हुए लोगों का राजस्थान में अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है। इस सारी आबादी के अनुपात में अगर आदिवासी कमिश्नर की रिपोर्ट का अध्ययन किया जाए तो पिछड़ी जाति और आदिवासियों के अनुपात को देखते हुए भारतवर्ष के अनेक राज्यों के मुकाबले

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

राजस्थान में हरिजनों के उत्थान के लिए शिक्षा के लिए खर्च की गई राशि बहुत कम है। अगर हम धरती के अनुपात को देखें तो सारे भारतवर्ष में वितरण के लिए राजस्थान में सबसे अधिक धरती है। उपलब्ध प्रति व्यक्ति धरती का क्वांटम देखें तो प्रति व्यक्ति सबसे अधिक धरती का क्वांटम भी राजस्थान में है। अगर उस अनुपात में आदिवासी और हरिजनों को वितरित की हुई धरती देखें तो राजस्थान में सबसे कम होगी।

राजस्थान में हरिजनों के सामाजिक उद्धार के लिए न्याय दिलाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है वह भी मैं निवेदन कर देता हूं। 1951-52 से लेकर 1971-72 तक 929 लाख रुपए इस मद के अन्दर व्यय हुआ है। इसमें से आर्थिक विकास के लिए खर्च किया गया है 440 लाख रुपए, अगर आप हरिजन व आदिवासियों की आबादी को देखें, उस अनुपात में व्यय को देखें, तो यह आटे में नमक के समान भी नहीं है। शिक्षा के लिए आज तक केवल 387.96 लाख, आवास और अन्य मदों के लिए एक करोड़ खर्च हुआ है। इस प्रकार 62 बड़े बड़े आदेश गजट के अंदर विभिन्न प्रकार के आदिवासियों के लिए निकले हैं, जिनकी कॉपीज मेरे पास हैं, लेकिन 62 आदेशों का क्या इम्पैक्ट है? इसकी कोई रिपोर्ट नहीं। लेकिन अगर विभिन्न रिपोर्टों को देखें, हम अगर उदयपुर शिक्षा संस्थान की रिपोर्ट को लें या अन्य रिपोर्ट को लें, इसी कॉलेज के प्रोफेसर भंवरलाल अजमेरा की रिपोर्ट देखें, तो इम्पैक्ट बहुत कम है। भारतवर्ष में किसी प्रांत में इतना कम इम्पैक्ट नहीं होगा। 62 आदेशों को कागजों के अन्दर बड़ी खूबी से सजाया गया है। बरकत साहब जिस सेल की डींग मारते हैं, वह सेल कहीं नजर नहीं आती है। सबसे पहले हरिजनों को नौकरी दिलाने का प्रश्न ले लीजिए। कुछ शिक्षा संस्थानों और रिसर्च संस्थाओं ने सारे विभागों में से जिन 58,623 कुल कर्मचारियों के केसेज लिए उनके अंदर आदिम जातियों के केसेज लिए तो उनके अध्ययन के अनुसार 3,205 स्थान आदिम जाति के लोगों को मिले जो 5.5 प्रतिशत है। फर्स्ट क्लास अधिकारियों में 3 584 लोगों को लिया गया जिनमें से आदिम जाति केवल 83 लिए गए याने 2.3 प्रतिशत। सेकेन्ड क्लास सर्विस में 32,615 में से आदिम जाति के लोग, 1 2.4 याने 4 प्रतिशत होते हैं। थर्ड क्लास सर्विस में 10,001 में से 388 इन जातियों के लिए गए जो केवल 4 प्रतिशत होता है। केवल फोर्थ क्लास सर्विस आदिवासियों के लिए रह गई वह भी बड़ी संख्या में नहीं। कुल 12,375 चतुर्थ श्रेणी में लिए गए जिनमें से 1,450 आदिवासी केवल 12 प्रतिशत होता है। यह टार्गेट अचीव नहीं किया 16 पर्सेन्ट बिलो दी टार्गेट और बहुत सीजेबुल आंकड़ा नहीं है। इसके अतिरिक्त शिक्षा पर 387.96 करोड़ व्यय हुआ और इसमें से केवल पिछले 10 वर्षों में केवल पहली योजना के बाद 3.32 प्रतिशत बढ़ सका 397 लाख व्यय करने पर 10 वर्ष में आदिम जातियों की शिक्षा की प्रगति पर केवल 3.2 प्रतिशत है। अब इस संबंध में आंकड़ा काफी गंभीर है। आदिम जातियों

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

की मैट्रिक पास वालों की संख्या केवल 864 जनजातियों की संख्या 40,75,580 उसमें से केवल 387 लाख रुपए खर्च करके 864 शिक्षित मैट्रिक पैदा कर सके। इसमें साक्षरता देखें तो उसकी स्थिति भी बहुत गंभीर है। भारतवर्ष में कुल साक्षरता का आंकड़ा 29.46 प्रतिशत, राजस्थान में 19.07 प्रतिशत और आदिमजाति का आंकड़ा साक्षरता का केवल 7.2 प्रतिशत। आज इतने वर्षों के बाद 60 लाख आदिम जातियों में से केवल चंद आदिवासी पैदा कर सके। मैंने सदन में प्रश्न भी पूछा था कि आदिवासियों को शिक्षित नहीं कर सके, धरती नहीं दे सके, स्वतंत्रता के बाद आज तक 1,58,556 आदिवासियों को 5,73,958 एकड़ धरती दी, प्रति व्यक्ति को 3.5 एकड़ दी। भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्रों में धरती बनानी पड़ती है, पत्थर हैं, चट्टान हैं, चट्टान को तोड़ कर कर उस पर मिट्टी को ढो कर खेतों का निर्माण करना पड़ता है। जिसके पास 5-6 एकड़ धरती है वह दरिद्र है और जिसको आपने 3 एकड़ धरती दी उसके लिए कौनसी शब्दावली का प्रयोग करें, उससे अधिक महान दरिद्र कौन है ?

इसके अलावा उन क्षेत्रों में भी सागड़ी प्रथा अभी तक भी है। सबसे निंदनीय इस युग के अन्दर कोई प्रथा हो सकती है तो सागड़ी प्रथा हो सकती है। मैंने तो इस सदन में पूछा था कि पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में सागड़ी प्रथा को दूर करने के लिए हमने कितनी राशि खर्च की। उत्तर आया एक अधेला भी नहीं किया। मैंने पूछा मनीलैन्डर्स बिल द्वारा इनको बोहरों से सागड़ी को मुक्त कराने के लिए सदन में बड़ी बड़ी बातें की थीं, कितने केसेज मनीलैन्डर्स के खिलाफ आज तक बनाए गए, तो उत्तर आया एक भी केस मनीलैन्डर्स के खिलाफ नहीं बना। तो किसलिए यह कानून बनाया गया था ? बोहरों के दो दलों में लड़ाई हो रही है आपस में गोलियां चल रही हैं, मैं समाज कल्याण मंत्री को चैलेंज करके कहता हूं आज भी राजस्थान का आदिवासी सागड़ी प्रथा में ग्रस्त है, आज भी उदयपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर के अन्दर सागड़ी रखे जाते हैं, आज भी वे गुलाम हैं, ज्योमैट्रिकल प्रोग्रेशन से ब्याज देते हैं। सभापति महोदय, वह आज भी गुलाम हैं और मैं तो यह कहूंगा कि सभापति महोदय वह लोग गुलामों से भी बदतर हालत में हैं। आज उनको जिन लोगों को भी जमीन दी गयी है वह 3 से लेकर पांच पर्सेंट तक जमीन दी गई है। मैं आपको जानकारी के लिये यह भी बता दूं सभापति महोदय, कि वह उन लोगों को दी गई है, जो कि उन हरिजनों में संभ्रान्त परिवार वाले हैं या प्रिविलेज्ड क्लासेज के आदमी हैं। या वह लोग हैं जो कि राजनैतिक पार्टियों से लिंक हैं बाकी गरीब लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। जैसे ग्रासिया व भील लोग, जो कि बहुत ही गरीब हैं जिनके पहनने को कपड़ा नहीं है और खाने को कुछ भी नहीं है। सभापति महोदय, जो आजादी से पहले, जिस तरह भूमिहीन थे, वह आज भी उसी तरह भूमिहीन ही हैं। सभापति महोदय, अब थोड़ा मैं जब लैण्ड की बात चली है तो उसके अलावा भी उनकी हालत क्या है उसका

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

वर्णन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज भी हमारे जो हरिजन लोग है वह सर पर मैला ढोने का कार्य करते हैं। आज के समाज का सबसे इम्पोरटेन्ट इश्यू है। आज आप समाजवाद की बातें करते हैं, लोगों को समाज में बराबर स्थान देने की बात करते हैं, तरह तरह के नारे लगाते हैं लेकिन इससे ज्यादा खराब हालत एक मनुष्य की क्या हो सकती है कि एक मनुष्य का मैला दूसरा मनुष्य अपने सर पर ढोये। आज भी हम देख रहे हैं कि हरिजन लोग मैला उठाये उठाये शहर में घूमते हैं। तो फिर मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने क्या सुधार इन पच्चीस सालों में किया है और सभापति महोदय, खुद राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि अभी भी सर पर मैला ढोने की निकृष्ट पद्धति हमारे समाज में पायी जाती है। और उसे समाप्त कर देना चाहते हुए भी हम उसे समाप्त नहीं कर सके हैं। सभापति महोदय, आज जो रिपोर्ट्स इस बारे में, जो सालों साल राज्य सरकार की निकलती है, उसमें यह साफ प्रस्तुत है कि अभी तक हम हरिजनों के सर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त नहीं कर सके हैं। आज भी भंगी लोग सभापति महोदय, उसी हालत में जो पहले थे, हैं। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि राज्य सरकार ने इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिये कुछ राशि रखी है। इसके अलावा दूसरी स्टेट्स के अन्दर भी इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिये उन राज्य सरकारों ने पैसा खर्च किया है। मैं आपके सामने सभी ब्यौरा देना चाहूंगा और आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक क्या प्रगति हुई है। इसमें राजस्थान सरकार ने सन् 68-69 में इस कार्य-क्रम में करीब एक लाख रुपया व्यय किया। सभापति महोदय, जब कि राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र इन आदिवासियों का है, जिसमें कि आसिया, भील, मीने तथा हरिजन लोग भरे पड़े हैं। उनके लिये सिर्फ एक लाख रुपया व्यय हुआ। जबकि दूसरे स्टेट्स में इसको देखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हमारे यहां को देखते हुए बहुत ही कम हैं। महाराष्ट्र ने करीब चार लाख 34 हजार रुपये व्यय सन् 68-69 में इस कार्य के लिये किया। पश्चिमी बंगाल ने एक लाख 53 हजार रुपये इसके लिए खर्च किया। जम्मू काश्मीर ने करीब दो लाख रुपये व्यय किया सन् 69-70 में, हमने करीब दो लाख 75 हजार रुपये व्यय किया। जबकि बिहार ने पांच लाख रुपये और तामिलनाडु ने 9 लाख रुपये, महाराष्ट्र ने तीन लाख रुपये, उत्तर प्रदेश ने साढ़े चार लाख व्यय किया, गुजरात ने करीब दो लाख रुपये व्यय किया। कहने का मतलब यह है कि जब राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की संख्या दूसरी स्टेट्स से बहुत ज्यादा है लेकिन खर्च हमने उनके विकास के लिये बहुत कम किया। सभापति महोदय, हरिजनों के विकास के लिए जो खर्च सन् 69-70 तक किया गया वह 27 लाख रुपया था। सभापति महोदय, यह व्यय आदिवासियों के विकास खंड में, जो किया गया, वह बहुत ही कम है। जबकि भारत सरकार ने अपने रिपोर्ट में, जो कि हैदराबाद में इसके लिये कमीशन ने रिपोर्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

दी उसमें लिखा है कि जो पैसा राजस्थान सरकार को खर्च करना चाहिये था वह राज्य सरकार ने खर्च नहीं किया। जबकि दूसरे स्टेट्स ने बहुत अधिक खर्चा किया। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि आसाम ने 72 लाख रुपये व्यय किये, बिहार ने 93 लाख रुपये, तथा गुजरात ने 74 लाख रुपये तथा मध्यप्रदेश ने 172 लाख रुपये तथा उड़ीसा ने 110 लाख रुपये व्यय किये। जबकि हमारे यहां पर उनको देखते हुए आदिवासियों की हालत बहुत ही भयानक रूप से खराब है। सभापति महोदय, बड़े दुःख की बात तो यह है कि हमारे यहां पर पंचायत समितियों में पैसा अलॉट किया हुआ खजाने में पड़ा रहा लेकिन वह पैसा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के ऊपर खर्च नहीं किया गया। और उसका नतीजा यह निकला कि वह पैसा लैप्स हो गया और जो हरिजनों की हालत सुधारने के लिये, जो विकास कार्यक्रम करने चाहिये थे वह नहीं हो सके। सभापति महोदय, इस तरह तीन विकास खंड तो राजस्थान में सर्वे किये जाने पर ऐसे पाये गये कि जिनमें खासतौर से जैसलमेर, भीलवाड़ा वगैरहा की पंचायत समितियों ने इस पैसे को इधर उधर इधर काम में नहीं लिया और वह पैसा लैप्स होता गया। सभापति महोदय, कोई पूछने वाला नहीं था कि यह कार्य क्यों नहीं हुआ? यह पैसा कैसे लैप्स हो रहा है? सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा धरती के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास सभी लिस्ट है। उससे यह पता लग सकता है कि आज तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों को कितनी धरती मिली है। सभापति महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 5365 गांवों में जमीन आदिवासियों को अलॉट करनी थी, जिसमें हमने 40065 एकड़ जमीन प्राप्त की उसमें सिर्फ उन्हें 11406 एकड़ जमीन ही दे पाये। जबकि जमीन एक लाख 35 हजार 453 एकड़ जमीन प्राप्त करनी थी। इसी प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 26761 एकड़ जमीन प्राप्त कर सके जबकि राज्य सरकार को 153509 एकड़ जमीन प्राप्त करनी थी। इसमें सिंचाई के एरिये में 3009 एकड़ जमीन इरीगेटेड आदिवासियों में बांटनी थी। सभापति महोदय, इस प्रकार आज तक इनको 70 लाख एकड़ जमीन इन लोगों में बंटनी चाहिये थी, लेकिन नहीं बांटी जा सकी। हां यह बात जरूर है कि इन्होंने धरती कुछ बांटी पर वह भी हरिजनों में और आदिवासियों में सिर्फ कुछ संभ्रान्त लोगों को ही दी वह भी तीन एकड़ से अधिक नहीं। इस तीन एकड़ जमीन से हरिजनों का क्या विकास हो सकता है इस प्रकार सभापति महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर जब कि सन् 1959 के दो अक्टोबर को गान्धी शताब्दी भारत सरकार मना रही थी तो उसमें यह तय किया गया था कि 50 प्रतिशत जमीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को दी जायेगी। तो उसमें इन्होंने 2 लाख 62 हजार 731 व्यक्तियों को जो जमीन बांटी वह 12 लाख 756 एकड़ जमीन बांटी। इससे जो ऐवरेज प्रतिशत पड़ता है वह पांच एकड़

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

जमीन से ज्यादा नहीं होता । सभापति महोदय, जबकि टारगेट प्रति व्यक्ति को 25 बीघा जमीन अलॉट होनी चाहिये ऐसा था । लेकिन उन लोगों को सिर्फ तीन एकड़ या चार एकड़ जमीन की एवरेज जमीन हाथ लगी । अब सभापति महोदय, एक व्यक्ति तीन एकड़ जमीन में क्या पैदा कर सकता है और वह भी अगर पहाड़ी क्षेत्र आ गया तो वहां क्या मिलेगा वहां तो पत्थर हैं ।

(3.59 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो उपाध्यक्ष महोदय आप भी देखें कि क्या व्यवस्था रही ।

(समय-समाप्ति सूचक-घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो बैठते ही घन्टी बजादी ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले ही सदन में अर्ज कर दिया था कि आज का दिन रिजर्वेशन डे है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तो उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे भी रिजर्वेशन व्यक्तियों में समझें । उपाध्यक्ष महोदय, तीन लाख व्यक्तियों को नहीं तीन लाख 62 हजार 43 व्यक्तियों को 30 लाख एकड़ जमीन मिली इसमें भी उन लोगों को जमीन अच्छी जगह मिली जो कि विशिष्ट हरिजनों में से आते थे । और उनको भी प्रत्येक को दस एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं मिली है । यह है हरिजनों के साथ न्याय राजस्थान में । उपाध्यक्ष महोदय, 30 लाख एकड़ जमीन अलॉट दो-अक्टोबर सन् 1959 से लेकर 30 सितम्बर सन् 1970 तक हमने, जो लेण्ड सेन्ट परसेन्ट अलोट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को करने का नारा देते थे, वह नहीं दे सके । इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, इस टर्म को भी आगे एक्सटेन्ड किया गया वह था 14 नवम्बर, 1970 तक । इस छोटे से पीरियड में 5117 लोगों को 22 हजार एकड़ जमीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को अलॉट और हुई । इसी प्रकार टोटल 92266 एकड़ जमीन 29292 व्यक्तियों को और अलॉट की गयी । इन सभी का हिसाब लगायें तो उपाध्यक्ष महोदय, वह पांच या 6 एकड़ जमीन से ज्यादा प्रति व्यक्ति नहीं पड़ी । यह मैं फैक्ट्स एस्टेब्लिश करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे अधिक अलॉटमैंट राजस्थान केनाल क्षेत्र में है । हाई पावर कमेटी बनी थी, शोभाराम कमेटी । वह अलॉटमैंट की जांच कर रही है । हाई पावर कमेटी को जो रिपोर्ट दी गयी है कि 69-70 में 12 लाख जमीन ऐसी थी जो इर्रीगेटेड थी और 40 लाख बारानी थी । कुल 72 लाख एकड़ जमीन 70-71 में करीब 2.2½ लाख एकड़ को कुछ धरती अलॉट की गई थी । 60 लाख एकड़ बेकार पड़ी थी । 69-70 में यह मन्जूर किया कि 30 लाख एकड़ । 2½ लाख में से 40 हजार हरिजनों को अलॉट हुई । सरकार कहती है कि एक तहसील में 90 परसेन्ट कर दिया और 15 तहसील

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

में 50 परसेन्ट कर दिया और हरिजनों की दी । सदन में मैं चेलेन्ज करना चाहता हूं कि सर्वे कमेटी बिठा दीजिये । लोटरी निकलती है, हरिजन के नाम नहीं निकलती है । विशिष्ट आदमियों के नाम निकलती है । बेगड़ और मालाखेड़ा में 5 हजार एकड़ जमीन ली जा रही है । आपके सामने एक्स चीफ सेक्रेटरी भाला साहब का नाम प्रस्तुत करता हूं मिसाल के तौर पर । चक 6 में भाला सहाब ने ली । जीतसिंह, भजनीसिंह, लालसिंह मुरब्बा 205 के 25 बीघा और मुरब्बा 192 के 25 बीघा चक 6 ए. में जीतसिंह, भजनीसिंह को अलॉट कर दिया था । हरिजन का बेटा सिर पर कफन बांध कर फिर रहा रहा था । कब्जा नहीं दिया । 30 हजार में बेच दिया । भाला सहाब ने किस कानून से जमीन ली और किस कानून से बेची । क्या भूमिहीन किसान थे । मुझे इसकी जानकारी दी जाय । आई. जी. पी. गोवर्धनसिंह ने रयखाना तहसील में 7 मुरब्बा जमीन ली एक्स जागीरदार के रूप में । चेयरमैन आर. सी. बी. को तलवाड़ा के आस पास 18 मुरब्बा जमीन है जो 500 एकड़ से अधिक होती है । 24 मुरब्बा राजस्थान केनाल क्षेत्र में ली और ऐसे बच्चों के नाम से ली जो पैदा ही नहीं हुए । इन सारी की सारी जमीनों पर हरिजन बैठे थे । हरिजनों को जमीन अलॉट हुई । उनकी बेदखलियां हुई । 7 चक एल. सी. जहां चीफ इन्जीनियर राम नारायणजी ने हरिजन की जमीन ले ली । यह सदन से कैंसल हुई । हजारों ऐसे हैं जो उनकी जमीनें लेकर बैठे हैं । विशिष्ट आदमियों को लाटरियां निकलती है 90 हजार की । हरिजन की लाटरी निकलती है तो 500 के टीबे और 1000 के टीबे पर पहुंच जाती है । यह सरकार हरिजनों को ऊंचे टीबों पर बैठा कर शंकर भगवान का हरिजन शंख बजाये, यह चाहती है ।

मैं चेलेन्ज करके कहता हूं कि 90 परसेंट बढ़िया भूमि इन बड़े बड़े अधिकारियों को अलॉट हुई । सेठ साहूकारों को बढ़िया मुरब्बे अलॉट हुए हैं । बेहतरीन से बेहतरीन मुरब्बे इन सब लोगों को अलॉट हुए हैं । आप इसकी जांच करवा लीजिये ।

एक और चेलेन्ज करके कहता हूं कि सारे थानों से केसेज मंगायें कितने थानों में केसेज इन्स्टीचूट हुए ? प्रश्न पूछा था इस सम्बन्ध में आज तक कोई उत्तर नहीं मिला । आप यह सब देखिये । आपको पता चलेगा । 10 हजार से अधिक केसेज 107 और 151 के हैं । अव्वल तो हरिजनों को मिलता है टीबा । हरिजन को यदि अच्छी जमीन मिल भी गयी तो या तो उसको कब्जा नहीं मिलता है और मिल गया तो हटवा दिया । 90 परसेंट केसेज में हरिजनों को आज तक कब्जा नहीं मिला है । किसी को कब्जा मिल जाय तो उनके खिलाफ 107 और 151 के केसेज दर्ज होते हैं । उनको आप देखें तो पता चलेगा कि 90 वर्ष के बूढ़े के खिलाफ 107 और 151 के मुकद्दमें कि उससे उनको जान का खतरा है । भूपति ने 95 साल की औरत के खिलाफ 107 और 151 के केसेज दाखिल कराये । थाने में उसको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि यह कह दे और हमारे सामने लिख दे कि मुझे जमीन नहीं चाहिये । बस राजीनामा हो गया और बेदखल हो गया । फलाने रामजी कालू रामजी का कब्जा तस्लीम करते हैं ।

एक माननीय सदस्य : करती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हण्डा : जांच करवा लीजिये । गंगानगर का थाना एक इजेक्टिंग एजेन्सी है । वह हरिजनों को इजेक्ट करता है ।

यदि आप सही स्थिति देखना चाहते हैं तो देखिये । नहरों में पानी नहीं है । किसी हरिजन की नहर को स्टेडी कर लीजिये । खीचीया माइनर । सब मेघवाल बैठे हैं । इसको तीन दफा खुदवाया 14 अगस्त, 72 से हरिजनों को खुदाई का पैसा नहीं दिया । उनके हाथों में छाले पड़ गये । उन्होंने कहा कि इस माइनर में पानी छोड़ा तो कहने लगे कि तीन हजार रुपया लाओ तो इस माइनर में पानी छोड़ें । आज तक एक बूंद पानी भी उस माइनर में नही पहुंचा । सारे के सारे सरकारी अलॉटो हैं । चुवते हरिजन बेदखल हो गये । फसलें कुर्क हो गयीं । पानी नहीं लगा तो काश्त कहां से होती ? तीन एल. सी., फोर एल. सी. और सेवन एल. सी. तीनों हरिजनों के गांव हैं । गंग कैनाल से पानी नहीं मिलता । राजस्थान नहर से पानी सैंक्शन कराया । तीन साल मे पानी लग रहा था । अचानक राजस्थान कैनाल बोर्ड को यह अहसास हुआ कि गलत पानी लग रहा है । सीधी सीधी बात है । प्रति चक 15 हजार रुपया गरीब मेघवालों से मांगा गया । छः साल से राजस्थान नहर का पानी लग रहा था उन तीन मोगों को बन्द कर दिया गया । सात हजार एकड़ स अधिक जमीन को पानी मिलता था, वह बन्द हो गया । और फिर ? एम. पी. पन्नाल ल जी बारूपाल और मैं दोनों गये चीफ इन्जीनियर के पास । एक तरफ तो छः साल पहले गंग कैनाल बन्द हो गई । राजस्थान का भी अचानक पानी बन्द कर दिया गया । हमने कहा कि एक तरफ से तो पानी दें । अगर राजस्थान नहर का नहीं देते तो गंग नहर का दो । पर वह तैयार नहीं हुए । बहुत धक्का धक्की के बाद चालू हुआ । 1½ महीना मुश्किल से गुजरा होगा कि फिर कहा गया तीस हजार रुपया लाओ । तीस हजार देने की वहां किसकी औकात थी । वे तीनों के तीनों मोगे फिर बन्द कर दिये गये । उनके कपड़े बिकवा दिये इन लोगों ने । उनकी फसलें चोपट हो गई । सरकार का पैसा वे नहीं दे पाये, लोगों से जो उधार लाये वह नहीं दे पाये । उनके सामान, कपड़े, लत्ते सभी कुछ बिक गये । एक नहीं, ऐसी रोमान्चकारी घटनाओं से गंगानगर का सारा जिला भरा पड़ा है । अगर एक सर्वे कमेटी इस काम के लिये बिठाई जावे तो आपको मालूम होगा कि गंगानगर, जो हरिजनों की सबसे अधिक आबादी का जिला है, वहां कई लोगों को जमीनें मिलीं तो कब्जा नहीं मिला । कइयों को मिलीं तो बेदखल कर दिया । लोगों ने उनकी जमीनें हड़प लीं । 90 प्रतिशत हरिजनों को आज केवल कागजों में जमीनें मिली हुई हैं । असल जगह धरती अलॉट नहीं हुई, अलॉट हुई तो कब्जा नहीं मिला । कब्जा मिला तो बेदखल कर दिये गये । बेदखल नहीं किये गये और कुछ जमीन मिली तो पानी नहीं दिया जाता, उनकी फसलें चोपट करा दी जाती हैं । भ्रष्टाचार का और जोर जुल्म का चारों ओर बोल बाला है ।

उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा करिये अन्त में मैं हरिजनों पर होने वाले जुल्मों की कुछ कहानियां और अर्ज करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : विस्तृत रूप से नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिल्कुल संक्षिप्त रूप में । बिल्कुल शार्ट में कहूंगा ।

सबसे पहले तो अर्ज करना चाहूंगा कि कुछ इस प्रकार की भी स्थितियां हैं सारे गंगानगर जिले में कि जमीनें हरिजनों के नाम से ले ली और सरकारी बकाया उन जमीनों की हरिजनों के नाम से निकल रही है। इसका एक बहुतरीन केस अर्ज कर रहा हूं ।

78 जी. बी ए. चक है । 33 मुरब्बा जमीन हंसराजजी कमरा, हरिसिंहजी कमरा, कमरा मीन्स रूम, जिसमें दाखल होने के बाद बेचारा हरिजन निकलता ही नहीं । सन् 55-56 से ये कमरा साहब 31 मेघवालों के नाम से जमीनें काश्त कर रहे हैं उनको । अनूपगढ़ में और राजलदेसर में । 2½ लाख की रकम इन जमीनों के पेटे मेघवालों के नाम सरकार के कागजों में बकाया निकलती है। आज भी हरिसिंहजी हंसराजजी कमरा और उनके लड़कों का कब्जा उन खेतों पर है । पर रकम उन हरिजनों के नाम से बकाया निकल रही है ।

श्री बीरबल : एक कमरे की बात नहीं है हरिजनों को दो दो बार जमीनें अलॉट हुई । पर अभी तक सैंकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको कब्जा नहीं दिया गया है । वहां तो जगह जगह कमरा ही कमरा हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हरिजनों के लिये कमरे ही कमरे हैं । तो बलबीरजी यही मैं अर्ज कर रहा था । ये कमरे साहब सबसे बढ़ चढ़ कर हैं । 2½ लाख की रिकवरी है । मेघवालों के नाम । थोड़े दिन पहले पुलिस गई । 12-2 बजे का दिन का टाइम । मेघवालों के घरों में पैर रखा और उनको पीटना जारी किया । जमीन हरिजनों के नाम । कब्जा कमरों का । वे कहते हैं हमने तो अपनी जमीन 55 से देखी नहीं । हमने उस जमीन की शक्ल नहीं देखी । काश्त करने के लिए हमारा कब्जा तो कराओ पहले । हम तो यह 2½ लाख क्या और भी कोई बकाया होगी तो वह भी भर देंगे । पर वहां सुनने के लिये थोड़े आये थे वे । वे तो अपनी नंगी कारस्तानी करने आये थे इस आड़ में ।

और तो और इस हरिसिंह ने जो अनूपगढ़ मण्डी का चयरमैन भी है, हरिजनों के 80 मकान गिरवा दिये । एक मसजिद गिरवा दी । परचा दर्ज है थाने में कि अपने 300 रिश्तेदारों को नाजायज कब्जा कराया । हरिसिंह जी कमरा और परशोरामजी विनोर के, उनके खिलाफ शिकायत हुई, शो काज नोटिस जारी हुए । पर रिपोर्ट में डाईरेक्टर ने लिख दिया कि कमरा साहब के सारे के सारे जवाब गलत हैं । पर फिर भी म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसीडेण्ट की हैसियत से हरिजनों के मकान गिरा रहा है, मसजिद गिरा रहा है । पुलिस में परचा दर्ज होता है । पर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती ।

म्यूनिसिपल बोर्ड रायसिंहनगर के चेयरमैन ने एक जाट के मकान में आग लगवा दी । आस पास में आग लगाई ।

और तो और उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने दो तीन दिन पहले भूतपूर्व डिप्टी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मिनिस्टर द्वारा हरिजन महिला पर किये गये व्यभिचार की कहानी कहो। इसकी कहानियां तो वहां गली गली में है। ये एक ही नहीं हैं। कलैक्टर गंगानगर को पत्र लिखा। विजय नगर मण्डी के 700 हरिजनों की दर्खास्त भेजी। कम से कम बीस गांवों के लोगों की दर्खास्तें भेजीं। दर्खास्तों को सुनना और उन पर कार्यवाही करना तो दूर रहा उल्टे आज उन हरिजनों का खाना, पीना, उनका घर से बाहर निकलना बन्द कर रखा है।

श्री मनोहरलाल : व्यभिचार से तो छुआछूत दूर होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो वह तो आप जाने। आप इसमें जाकर देखिये। हरिजनों को भगाया है, उनकी औरतों को, बहू-बेटियों के साथ व्यभिचार किया है, सरे आम किया है, दिन दहाड़े किया है। हट्टा रोड़ी का किस्सा है। चारों तरफ हरिजनों के मकान हैं। गांधी जयन्ति के अवसर पर स्वतन्त्रता के 25 साल बाद वहां ऐलान किया कि हम हरिजनों को रहने के लिये प्लाट देंगे। पर आज तक वहां पांच पर्सेन्ट हरिजनों को प्लाट नहीं मिले। हजारों दर्खास्तें कलेक्टर गंगानगर के पास भेजीं। विजय-नगर अकेले की 500 दर्खास्तें हैं। 25/25 साल से पड़ी हैं। प्लाट एक को भी अभी तक नहीं मिला।

अमरसिंह, वाली, भूसागर, सूरावाली, भगवानदासपुरा आदि कई गांवों की सैंकड़ों दर्खास्तें भेजीं। हरिजनों को प्लाट दो। भगवानपुरा गांव में। 200 घर हैं हरिजनों के। पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं। पर शराब का ठेका है ठीक उस गांव के बीच में। पीने को पानी नहीं पर शराब खूब मिलती है। रात को गांव के ही नहीं आस पास के सरदार और चौधरी लोग वहां पहुंच जाते हैं और खूब शराब में धुत्त होकर फिर कोई इस हरिजन के घर में घुस जाता है कोई उस घर में घुस जाता है, जिसकी जहां मन में आई उस घर में घुस जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति वहां हैं और रात भर उन हरिजन लोगों की घरों की बहू-बेटियों की इज्जत दिन रात लूटते रहते हैं।

इसी प्रकार की स्थिति सूरावाली की है। धन्ना नायक नामक एक सज्जन वहां रहते हैं। 17 मार्च, 72 की घटना है। रजीराम सन आँफ पूरणराम धनाराम नायक उनके घर के अन्दर 8 बन्दूक-धारियों को दोपहर को ढ़ाई बजे बाहर बिठा कर अन्दर घर में घुस गया और हरिजनों की बहू-बेटियों के साथ दो ढ़ाई घंटे तक व्यभिचार करता रहा। डी. एस. पी., एस. पी. के पास शिकायत की गई। पर परचा नहीं लिया पुलिस ने। आखिर तंग आकर राजीनामा करना पड़ा।

इसी तरह का किस्सा भांकड़ावाली गांव में विद्यावती का किस्सा मशहूर है। मेघवाल की लड़की विद्या। ब्लिट्ज में जिसकी कहानी निकली है। मांगीराम छाकड़ ने दिन दहाड़े उसकी अस्मत को लूटा। विद्या थाने में रिपोर्ट करने गई। मंगतूराम विद्या के पिता को, जो साथ

Page No.123

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गया उसको बड़ी बेरहमी से पीटा गया। उसे थाने से निकाल दिया गया। थाने में जाने के बाद औरत विद्या को पकड़ कर गलियों में से घसीटते हुए ले जा कर अपने घर में ले गया। सारा गांव देख रहा था। किसी को हिम्मत उसे छुड़ाने की नहीं हुई। तीन तीन लोगों ने बारी बारी से उसके साथ व्यभिचार किया। विद्या दुबारा थाने में गई तो उसे वहां से धक्का देकर निकाल दिया। अगले दिन थानेदार उसके घर में गया और उस भागीरथ के घर पर बैठ कर शराब पी थी। उसके घर के चबूतरे पर बैठ कर पी थी और बाद में मांगू और विद्या को पीटा। मजिस्ट्रेट को इस्तगासा दिया। पर इसका असर उल्टा हुआ। दीपसिंह रायसिंहपुरा के रामजीवाल स्योपत कस्बा वाले को-आपरेटिव बैंक के डाईरेक्टर मौजूद हैं! नकली पति बनाया गया विद्या का। 150 मील दूर नकली पति से दर्खास्त दिलाई। और दफा 100 में वारन्ट लेकर थाना रायसिंहनगर में पहुंचे। थाने में उसको लेकर सारे दिन बिठाये रखा। उन पर अत्याचार होता रहा पुलिस थाने में। जब मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया तो वह भय से थर थर कांप रही थी। भय के मारे वह बयान नहीं दे पा रही थी। विद्या को होश नहीं था। मजिस्ट्रेट पूछे जा रहा है और वह हां, हूं, हां कह रही थी। इतनी भय से त्रस्त थी और वहीं मजिस्ट्रेट के कार्यालय में बेहोश हो कर गिर पड़ी। दो दिन बेहोश रही। यह है अन्याय और अत्याचार की कहानी। जहां गरीब हरिजनों पर उनकी बहू-बेटियों की इज्जत पर ये पुलिस वाले और वहां के नामी गरामी असामाजिक तत्व मिल कर जुल्म तोड़ते हैं। अत्याचार ढाते हैं।

हरिजनों की बारात पहुंची भांकरावली में। पीलीबंगा का सेठ भांकरावली गांव में पहुंच गया। घर का दरवाजा रोक कर बैठ गया। कहने लगा मेरे चार हजार कर्जे के चुका दो, नहीं तो छोरी को नहीं जाने दूंगा। लड़की इस घर से विदा नहीं होगी। लोगों ने पूछा कौनसा कानून है सेठ यह जिसके जरिये इस तरह से पैसा लेना चाहते हो? मैं वहां पहुंचा। कोई ताकत नहीं तेरी कि गांव की लड़की को विदा होते तू रोक सके। यह अपने घर से विदा होगी। तो यह है वह भयंकर अत्याचार और रोमांचकारी जुल्म जो इन गरीब हरिजनों पर वहां सभी लोग मिल कर तोड़ते हैं, दिन दहाड़े उनकी इज्जत लूटते हैं। उनको मारते, पीटते और चौपट करते है। गंगानगर के भूपति गंगानगर के गरीबों पर इस तरह के अत्याचार आये दिन तोड़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

यदि मैं इस प्रकार की कहानियां कहूँ तो सैकड़ों हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ ...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज राज्य के वित्त मन्त्री महोदय उपस्थित नहीं हैं। यदि सदन के उप नेता उपस्थित होते तो मैं उनसे पूछता आपका वह फ्लाइंग स्क्वेड, आपका स्पेशल सेल क्या कर रहा है? और अन्त में मैं केवल दो मिनिट और लूंगा। एक भंगी ग्रेजुएट की दर्द भरी

Page No.124

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कहानी सुनाना चाहता हूँ, उसको नोकरी मिल गई और किस प्रकार मजबूर होकर उसे नौकरी से स्तीफा देना पड़ता है। सेवा में, श्री राज्य परिवार नियोजन एवं मात्र शिशु कल्याण अधिकारी महोदय, राज्य परिवार नियोजन संस्थान, राजस्थान, जयपुर। कहानी लिखो पांचाराम, बहुत बड़े सुधारक हुये हैं अलवर के हैं ग्रेजुएट करके नौकरी की थी—

"मैं निम्न तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मजबूर होकर अपना त्याग-पत्र पेश कर रहा हूँ।

श्रीमान्, मैं एक हरिजन जाति का नवयुवक हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता बी. ए. है। मेरी नियुक्ति परिवार नियोजन संस्थान, उदयपुर में दिनांक 19-1-1971 की है। उदयपुर से मुझे ग्रामीण क्षेत्रों मे कार्य करने हेतु भेजा गया था जहां पर छुआछूत का भयंकर प्रकोप होने के कारण मुझे रहने को मकान व पीने का पानी भी नसीब नहीं हुआ था। मैंने अपने प्राणों की रक्षा के लिये सी. एल. छुट्टी देकर अपने घर आकर सांस ली थी। बाद में मेरा स्थानान्तरण अलवर के पी. एच. सी., गोविन्दगढ़ पर लगाया था। यहां पर भी मैं अछूत जाति का होने के कारण अनेकों बार ग्रामीणों द्वारा अनेक ग्रामों में अभद्र व्यवहार व अपमान को झेलता हुआ बड़ी मुश्किल से सेवा कार्य करता आ रहा था। लेकिन मुझे यहां से हटा कर पी. एच. सी., गन्डाला पर लगा दिया गया है।

श्रीमान् मैंने पी. एच. सी. गन्डाला पर दिनांक 26-3-73 को उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति रिपोर्ट चिकित्सा अधिकारी, गन्डाला को पेश की थी। छुआछूत के कारण जो सलूक उदयपुर जिले में मेरे साथ हुआ था वही उपरोक्त वर्णित सलूक पी. एच. सी. गन्डाला पर भी मुझे नसीब हुआ।

श्रीमान् पी. एच. सी., गन्डाला पर मैं अभी नया ही गया हूँ लेकिन मेरे सामने दिनांक 31-3-73 को स्टाफ मीटिंग में डॉक्टर साहब श्री गोपालसिंह चौधरी ना नसबन्दी कराये केस श्री रामअवतार शर्मा वेक्सीनेटर जिनके ऑपरेशन के बाद तकलीफ उत्पन्न हो रही थी, की बिना वजह डॉक्टर चौधरी ने मार पीट की। बाद में उन्होंने कहा कि मैं वेक्सीनेटर और एफ. पी. एच. ए. से सख्त नफरत करता हूँ। मेरे सामने जो बोलेगा उसका भी यही हाल होगा। मुझ से भी कहा कि तुम्हारा भी यह हाल हो सकता है। श्रीमान्, डॉक्टर चौधरी स्टाफ को गाली गलौच देने व मार पिटाई करने का आदि हैं। इनकी इस बारे में अनेक घटनायें हैं। कुछ घटनाओं की जांच भी की जा चुकी है। मुझे भी इस तरह की वारदातों के कारण मेरी जान व इज्जत का खतरा है।

श्रीमान्, आजादी के 25 वर्ष बाद भी राजस्थान राज्य में तथा ग्रामीण इलाकों में अभी तक भी छुआछूत का भयंकर बोल बाला है। ग्रामों में मुश्किल से एक दो घर मेहतर का होता है। जिनकी जिन्दगी छुआछूत के कारण जानवर से भी बुरी स्थिति में है। मैं पढ़ा लिखा नवयुवक हूँ, राज्य सरकार का कर्मचारी हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह जानवर से भी बुरी जिन्दगी गुजारने में असमर्थ हूं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

श्रीमान् की सेवा में मेरी दर्दनाक स्थिति तथा ग्रामीण क्षेत्र का व्यवहार जहां रूढ़िवादी परम्परा कायम है, ऊंच नीच का बोल बाला है तथा ब्राह्मणवाद, बनियावाद अन्य जातिवाद का असर है, मेरी जिन्दगी तथा इज्जत को दृष्टिगत रखते हुये और उपरोक्त वर्णित हालतों को महसूस करते हुये मेरा त्याग-पत्र मंजूर करें।"

यह भी आज हमारे समाज की उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति है। यह एक मेहतर जो बी. ए. पास कर लेता है। चार जगह जाता है और चारों जगह उसके साथ क्या व्यवहार होता है। हम स्वतन्त्रता के 25 वर्ष बाद इतने जन मानस पर नहीं आ पाये, यह हमारी स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खाद्य मन्त्री जी।

शासकीय वक्तव्य

अनाज के थोक व्यापार के सरकारीकरण के पश्चात् अनाज वितरण एवं अनाज व्यापारियों की हड़ताल सम्बन्धी

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश में गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का फैसला जनता के हितों को ध्यान में रख कर पूरे सोच विचार के बाद लिया है। सरकार के इस निर्णय के पीछे खास खास उद्देश्य ये हैं:—

(1) गेहूं की कीमतों की रोक थाम और कीमतो में बहुत ज्यादा उतार चढाव को रोकना।

(2) सभी राज्यों और प्रत्येक राज्य में सभी स्थानों पर गेहूँ की समुचित वितरण व्यवस्था कायम करना।

(3) गेहूँ की जमाखोरी रोकना जिससे बराबर वितरण होता रहे और लोगों को नाज मिलता रहे। सरकार के इस कदम से जहाँ एक ओर किसानों को अपनी उपज का निर्धारित मूल्य मिल सकेगा, उसके साथ ही उपभोक्ताओं को भी अपनी आवश्यकतानुसार गेहूँ सारे साल भर उचित व एक ही मूल्य पर प्राप्त हो सकेगा।

इस राष्ट्रीय नीति के अनुसार राजस्थान सरकार ने इस रबी की फसल, 1973 से गेहूं के व्यापार के नियमन के लिए राजस्थान गेहूँ (व्यापार विनियम) आदेश, 1973 प्रसारित किया है जो 1 अप्रेल, 1973 से लागू है। इस आदेश की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं:—

(1) थोक व्यापारियों का गेहूं का थोक व्यापार समाप्त कर दिया गया है। ऐसा करना यूं जरूरी हो गया है कि थोक व्यापारी फसल के वक्त गेहूँ के सस्ते भाव होने पर खरीद कर जमा कर लेते हैं जिससे फिर बाजार भाव के उतार चढ़ाव उनके हाथ में रहते हैं और क्षेत्रीय असन्तुलन भी होता

(श्री परसराम मदेरणा)

है क्योंकि वे गेहूं राज्य में और राज्य के बाहर दूसरे स्थानों को, उनके मुफीद भाव जहां हों, वहां भेज पाते हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत मुनाफा ज्यादा महत्व ले लेता है और जन कल्याण की भावना पिछड़ जाती है। यह कदम किसी खास तबके या समुदाय के खिलाफ नहीं है परन्तु एक दोषपूर्ण व हानिकारक व्यवस्था के खिलाफ है।

(2) यह थोक व्यापार का कार्य अब सरकारी एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। सरकारी एजेन्सियां इस समय भारतीय खाद्य निगम और राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम है। अन्य को भी सरकार इस काम के लिए नियुक्त कर सकती है।

(3) खुदरा व्यापारी अपना व्यापार बदस्तूर जारी रख सकेंगे यानि गेहूं का नया लाईसेन्स इस आदेश के तहत लेंगे और अन्य अनाज के व्यापार का लाईसेन्स राजस्थान फूड ग्रेन्स डीलर्स लाईसेन्सिग आॅर्डर, 1964 के तहत ले सकेंगे। गरज यह है कि एक ही खुदरा व्यापारी दोनों प्रकार के लाईसेन्स ले सकेगा और एक साथ एक ही स्थान पर उनके अन्तर्गत व्यापार कर पायेगा।

(4) ऐसे खुदरा व्यापारियों पर गेहूं के खरीद-बेचान में जमाखोरी को रोकने के विचार से कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं जैसे कि:—

(i) प्रत्येक खुदरा व्यापारी (जिसे "आदेश" में केवल "व्यापारी" या "डीलर" कहा गया है) एक दिन में किसान से 5 क्विन्टल से अधिक गेहूं नहीं खरीद सकता और एक साथ 25 क्विन्टल गेहूं से अधिक अपने पास नहीं रख सकता है।

(ii) "सरप्लस" घोषित क्षेत्र में वह खरीद केवल निर्धारित मण्डी, क्रय केन्द्र या क्रय बिन्दु पर ही कर सकता है। अन्य कमी के क्षेत्रों में वह खरीद किसानों से सीधे ही बिना किसी रोक टोक के कर सकेगा।

(iii) वह उपभोक्ताओं को गेहूं सरकार द्वारा निर्धारित विक्रय कीमत से अधिक दर पर नहीं बेच सकता।

(iv) खुदरा व्यापारी गेहूं किसान से सीधा खरीद सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी एजेन्सी से भी खरीद सकता है।

(5) उत्पादक यानि किसान 30 जून, 1973 के पश्चात् अपने पास 20 क्विन्टल से अधिक गेहूं नहीं रख सकता अर्थात् इस सीमा से अधिक गेहूं, जो उसके पास हो उसे 30 जून, 1973 से पहले पहले बेच देना उसके लिये आवश्यक है। यह मियाद इसलिए रखी है कि किसान को अपनी उपज बेचने के लिए कुछ समय चाहिए। साथ ही यह मकसद भी है कि वह अपनी आवश्यकता (स्वयं के लिए खर्च व बीज की जरूरत) से अधिक गेहूं को बाजार में दे पाये।

(6) उपभोक्ता एक दिन में एक क्विन्टल तक गेहूं खरीद सकता है। वह परिवार में सदस्यों की संख्या पांच या पांच से

(श्री परसराम मदेरणा)
कम हो तो दो क्विन्टल तक तथा सदस्यों की संख्या पांच से अधिक हो तो 5 क्विन्टल तक गेहूं एक साथ कुल अपने पास रख सकता है। इनमें ऐसे उपभोक्ता भी शामिल हैं जो गेहूं या आटा आदि खरीद कर पकाया हुआ खाना बेचते हैं, जैसे हलवाई, रेस्टोरेन्ट इत्यादि। ऐसे उपभोक्ता 5 क्विन्टल तक किसी भी समय गेहूं या गेहूं से बनाई गई आटा, सूजी मैदा इत्यादि रख सकेंगे।

(7) हर गांव में या कम से कम बड़े बड़े गांवों में ऐसे परचूनी व्यापारी होते हैं जो गेहूं व अन्य अनाज के साथ साथ तेल, साबुन, माचिस, बीड़ी इत्यादि भी रखते हैं व गांव के ऐसे व्यक्तियों की अनाज की जरूरतों को पूरा करते हैं, जिनका धन्धा काश्तकारी का नहीं होता है। ऐसे छोटे ग्रामीण व्यापारी (परचूनी) अपने ही गांव में किसान से अथवा स्थानीय हाट बाजार से सीधे किसान से एक दिन में दो क्विन्टल तक गेहूं खरीद सकता है और एक समय में 5 क्विन्टल तक गेहूं अपने पास रख सकता है।

(8) व्यापारियों के अब तक के लाईसेंस गेहूं के सम्बन्ध में रद्द समझे जायेंगे और गेहूं के लिए नये आदेश के अन्तर्गत नये लाईसेन्स लेने होंगे। छोटे ग्रामीण व्यापारी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा।

(9) राज्य को गेहूं की उपज के हिसाब से दो भागों से बांटा गया है। एक ऐसे क्षेत्र जहां गेहूं का बहुत उत्पादन होता है। इन क्षेत्रों को सरप्लस क्षेत्र कहा गया है और ऐसे क्षेत्रों में गंगानगर, अलवर, भरतपुर, टोंक, कोटा, बून्दी, झालावाड़, जयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, पाली, सिरोही, जालौर और भीलवाड़ा जिले की माण्डलगढ़ तहसील का क्षेत्र शामिल है। दूसरे वो क्षेत्र जहां या तो गेहूं पैदा नहीं होता है या बहुत कम तादाद में होता है।

(10) सरप्लस क्षेत्र में से गेहूं रेल, ट्रक या दूसरे किसी भी साधन से बिना परमिट बाहर ले जाना बना है। सरप्लस क्षेत्र में सरप्लस क्षेत्र की या राज्य की 5 मील की सीमा के अन्तर्गत तथा राज्य के दूसरे देश से लगी हुई 10 मील की सीमा के अन्तर्गत भी बिना परमिट दूसरे क्षेत्र से या सरप्लस क्षेत्र से गेहूं लाने की मनाही है। गेहूं लाने ले जाने से सम्बन्धी यह प्रतिबंध राज्य सरकार के लिए मिलिट्री क्रेडिट नोट पर तथा सरकार द्वारा नियुक्त एजेन्सी पर लागू नहीं है। वास्तविक मुसाफिर पर भी 10 किलो तक गेहूं (सफर के सामान के रूप में) ले जाने पर भी कोई पाबन्दी नहीं है।

(11) मण्डियां, क्रय केन्द्रों तथा क्रय बिन्दुओं पर पब्लिक एजेन्सी स्वयं या अपने एजेन्ट द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा तय किये भावों पर गेहूं खरीद करेगी।

(12) आदेश के प्रावधानों का उलंघन दण्डनीय है।

(13) सारांश यह है कि इस वर्ष 1973 से गेहूं का थोक व्यापार सरकार ने अपने हाथ में लिया है और व्यापारी,

(श्री परसराम मदेरणा)

छोटे गंवाई व्यापारी, उपभोक्ता तथा किसान सभी की गेहूं के खरीद फरोख्त तथा अपने पास रखने की मात्रा की सीमा तय कर दी गई है। गेहूं का थोक व्यापार अब सरकार द्वारा नियुक्त पब्लिक एजेन्सी ही कर सकती है।

(14) राज्य सरकार ने गेहूं के खरीद बेचान, लाने ले जाने, संग्रह करने आदि के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को "पब्लिक एजेन्सी" नियुक्त किया है। ये दोनों निगम राज्य की विभिन्न मण्डियों एवं निर्धारित स्थानों (क्रय केन्द्र तथा क्रय बिन्दु) पर किसानों से गेहूं की खरीद करेंगे। मण्डी तथा क्रय केन्द्रों के अतिरिक्त खाद्य निगम के डिपो तथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के गोदामों पर भी किसानों से गेहूं की खरीद की जा सकेगी।

(15) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस वर्ष रबी के लिए गेहूं की खरीद की दरें निम्नांकित निर्धारित की है:—

लाल गेहूं	74 रु. प्रति क्विन्टल
सफेद गेहूं	76 रु. प्रति क्विन्टल
बढ़िया किस्म गेहूं शरबती, सी. 591	82 रु. प्रति क्वि.

ये कीमत औसत अच्छे किस्म के गेहूं की है (एफ. ए क्यू.)। औसत से कम होने पर एक रुपये से तीन रुपये तक की कटौती दूसरी चीजों को मिलावट या गेहूं की खराबी के अनुसार की जा सकती है। गेहूं में निर्धारित मात्रा से ज्यादा नमी होने पर या घुन आदि लगे होने की सूरत में भी कटौती की जा सकती है।

(16) किसान से खरीद खाद्य निगम या राजस्थान राज्य सरकार व्यवस्था निगम के प्रतिनिधि गेहूं की खरीद की ऊपर कहे मुताबिक किस्म व कीमत तय करके करेंगे और गेहूं के मूल्य का भुगतान उसी दिन किया जायगा।

(17) कच्चे आढ़तियों की मार्फत भी किसान अपना माल तुला सकते हैं लेकिन कच्चा आढतिया कोई माल अपने पास नहीं रख सकेगा।

(18) गेहूं की किस्म के बारे में किसान को ऐतराज होने की सूरत में इनका फैसला एक कमेटी करेगी जिसके तीन सदस्य होंगे:—

1. सरकारी एजेन्सी के प्रतिनिधि

2. कृषि उपज मण्डी के प्रतिनिधि

3. राजस्व विभाग के प्रतिनिधि

समिति के कम से कम दो सदस्य सेम्पल की जांच कर अपना निर्णय देंगे, जो अन्तिम माना जायेगा।

(19) सरकार ने गेहूं के थोक कार्य करने वाली एजेन्सियों को यह हिदायत कर दी है कि गेहूं बेचने वाले किसानों को किस्म के सम्बन्ध में ऐतराज जल्दी से जल्दी तय किया जावे और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा व कठिनाई न हो।

सरकार द्वारा गेहूं का थोक व्यापार लेने का काम, जैसा ऊपर बताया गया है, जन साधारण की भलाई को मद्दे नजर रखते हुए उठाया गया है, जिसमें

(श्री परसराम मदेरणा)

छोटे व्यापारियों, किसानों व उपभोक्ताओं को लाभ पहुंच सके किन्तु सरकार की इस योजना का पूर्ण लाभ उठाने में आम जनता का सहयोग भी चाहिए विशेषतया: ।

(1) उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे गेहूं के मिलने के विषय में किसी प्रकार का भय व शंका नहीं करें। गेहूं बराबर एक ही कीमत पर मिलता रहेगा इसलिए गेहूं को कानून के खिलाफ अधिक परिमाण में एकत्रित करने की कोशिश न करें।

(2) गेहूं सस्ते गल्ले की दुकानों पर काफी तादाद में उपलब्ध कराया जायगा और व्यापारियों व किसानों से भी क्रय किया जा सकेगा।

(3) किसानों से अनुरोध है कि वे अपनी उपज मण्डियों में लाकर इस योजना का पूरा लाभ उठायें तथा जल्दी से जल्दी अपनी बचत का गेहूं पब्लिक एजेन्सियों को बेचें। गेहूं का भाव बढ़ने की बात सोच कर गेहूं एकत्रित न करें व न रोकें। किसान 30 जून के बाद 20 बोरी गेहूं से अधिक गेहूं न रख सकेगा। शंका होने पर जिस पर तलाशी आदि भी हो सकती है जिससे और भी कठिनाई पैदा होगी। हो सकता है कि पुराने थोक व्यापारी गलत फहमी पैदा करें और काश्तकारों को बहका कर मण्डियों में अनाज लाने से भी रोकें। यह भी हो सकता है कि वे अधिक दाम दिलाने का लालच भी दें, लेकिन यह सब बहकावे की बातें हैं। कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठायेगी इसलिए किसान इन स्वार्थवश बातें करने वाले लोगों के बहकावे में नहीं आयें और अपने माल की वाजिब कीमत प्राप्त करें।

(4) खुदरा व्यापारियों से अनुरोध है कि वे नये कानूनों के अन्तर्गत लाईसेन्स लें और अपना व्यापार प्रारम्भ करें। उनके लिए जो कीमत निर्धारित की जा रही है उनसे उनको पर्याप्त लाभ होगा। यह कानून थोक व्यापारियों के विरुद्ध किसी नफरत या बुराई की भावना से जारी नहीं किये गये हैं बल्कि बड़े व्यापारियों की मुनाफाखोरी को रोकने और छोटे व्यापारियों को रोजगार दिलाने और वाजिब लाभ देने की दृष्टि से किया गया है। अत: खुदरा व्यापारियों से अपील करूंगा कि जन हित में खरीद व फरोख्त निर्धारित सीमा में प्रारम्भ करें।

(5) गेहूं के व्यापार के सरकारीकरण से अनाज के व्यापारियों द्वारा राज्य सरकार की इस नीति के प्रति असहयोग करना आरम्भ कर दिया गया है एवं सरकार के प्रयासों को असफल बनाने हेतु गेहूं के अतिरिक्त अन्य खाद्यान्नों की बिक्री भी बन्द कर नई व्यवस्था को ठप्प कर देने व जनता में असन्तोष व भ्रान्ति पैदा करने की कार्यवाहियां शुरू कर दी गई है जिसके कारण जन साधारण को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है तथा कुछ माननीय सदस्यों ने व्यापारियों को इस कार्यवाही से पैदा हुई स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये हैं।

(6) व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न बराबर मिलते रहने की दिशा में जो भी अवरोध पैदा किए हैं उनका समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने निम्नानुसार कदम उठाये हैं:—

(श्री परसराम मदेरणा)

(i) भारत सरकार से राज्य को अप्रेल माह के लिए 35,000 टन गेहूँ और 25,000 टन माइलो आवंटित हुआ है उनका जिलेवार आवंटन कर जिलाधीशों को भेज दिया गया है। इस अनुसार गेहूँ अविलम्ब उठाया जा रहा है और सस्ते नाज की दुकानों द्वारा बेचना शुरू कर दिया है।

(ii) खाद्यान्न की सप्लाई लाइनों को बनाये रखने के लिए सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा खाद्यान्न के बाहुल्य क्षेत्रों (सरप्लस एरिया) से क्रय कर कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है।

(iii) राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से जहां पर कि मोटा खाद्यान्न उपलब्ध है क्रय कर राजस्थान में वितरण किया जाये।

(7) इस राज्य के लिए भारत सरकार द्वारा 55,000 टन माइलो आवंटित किया गया था किन्तु इस माइलो में नगण्य मात्रा धतूरे के बीज मिले होने के कारण इस माइलो का वितरण जन-साधारण में करना बन्द कर दिया गया था। अब इस माइलो का वितरण छनवा कर व बिनवा कर आरम्भ कर दिया गया है।

(8) हवा महल क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने राशन कार्ड देरी से बनने बाबत भी चिन्ता व्यक्त की है। इस संबध मे प्राप्त जानकारी के अनुसार हलफनामे मुताबिक जो लोग नये राशन कार्ड बनवाते हैं उनको राशन कार्ड के आवेदन-पत्र को 5 पैसे में क्रय करना होता है एव हलफनामा प्रथम श्रेणी के न्यायालय से 3 रु. के स्टाम्प पर प्राप्त करना पड़ता है व राशन कार्ड की 25 पैसे कीमत देनी होती है। इस प्रकार से 3.30 पैसे नियमानुसार व्यय करने पड़ते हैं जिससे झूठे राशन कार्ड बनाने पर प्रतिबन्ध रखा जा सके। अब तक जयपुर नगर के 1,47,829 राशनकार्ड बनाये जा चुके हैं। लगभग 250 आवेदन-पत्र नये व डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के लिए विचाराधीन हैं, जिनकी जांच की जा रही है और शीघ्र ही बनवा कर दे दिये जायेंगे। राशन कार्ड बनाने के समय यह एतिहात बरता जा रहा है कि राशन कार्ड का आवेदन-पत्र प्राप्त होने के एक हफ्ते में सभी कार्यवाही पूरी की जाकर राशन कार्ड उपभोक्ता को दे दिया जावे। सभी जिलाधीशों को राशन-कार्ड सुगमतापूर्वक देने एवं जिन लोगों को राशन कार्ड बना कर नहीं दिये गये हैं उन्हें भी शीघ्र जारी करने के पुनः आदेश दिये जा चुके हैं।

(9) थोक व्यापार का सरकारीकरण कोई साधारण उपाय न होकर एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन है। व्यापारीगण जन-समुदाय के समक्ष जटिलतायें, असुविधायें एवं परेशानियां उत्पन्न करने पर तुले हुए हैं। राज्य सरकार का थोक व्यापार को हाथ में लेने का पुख्ता निर्णय है। व्यापारियों द्वारा पैदा की गई इस प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है बल्कि इसके विपरीत व्यापारियों द्वारा, जो राष्ट्र विरोधी कार्यवाही की जा रही है, उसका मुकाबला सभी स्तरों पर सतर्कता और दृढ़तापूर्वक करने के लिए सरकार कृत संकल्प है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(10) यह एक परीक्षा का काल है जिसमें जनता एवं सभी राजनैतिक दलों को इस महान कार्य की सफलता हेतु सहयोग एवं समर्थन देना अपेक्षित है। इस संकट की घड़ी में सदन के सभी माननीय सदस्यों से, जनता व सभी राजनैतिक दलों से राज्य सरकार की अपील है कि वे इन अस्थायी परेशानियों और निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा, जो अवरोध उत्पन्न किए गए हैं, उनका मुकाबला करने और समाधान निकालने में सक्रिय होकर सहयोग प्रदान करें।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पैदा होते हैं जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है और स्पष्टीकरण के लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया अपने सारे भाषण के अन्दर, कि गेहूँ किस कीमत पर बाजार में उपलब्ध होगा। आज सारे राजस्थान में उपभोक्ता इस बात के लिए, चिंतित है कि एक तरफ से राष्ट्रीयकरण, हो गया, सरकारीकरण होने के पश्चात् खुदरा व्यापारियों के यहां पर माल मिलना बन्द हो गया, सारी मण्डियां सूनी पड़ी हैं। टोंक के अन्दर और राज्य के अन्य स्थानों पर, जहां जहां पर भी गेहूँ कहीं भी दिखाई देगा उसमें लूट खसोट की जा रही है। ऐसे समय में राज्य सरकार की ओर से आज विलम्ब के बाद में सदन में जो, वक्तव्य होने वाला था फिर वह टाला गया। लेकिन अब भी यह नहीं बताया गया, कि राज्य सरकार किस मूल्य पर उपभोक्ता को किस इश्यू प्राईज पर गेहूं देगी? यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस बारे में राज्य सरकार कि क्लियर थिंकिंग नहीं है, स्पष्ट घोषणा नहीं है। चाहे कितनी हो धमकियां दें कितने ही कण्ट्रोल और जुर्माने की बात करें लेकिन जो उपभोक्ता मण्डियों में जाते हैं, वह यह चाहता है कि उसका चूल्हा जले और बिलखते हुये बच्चों को रोटी देने के लिए किसी कीमत पर वह धान लेना पसन्द करेगी और इस कारण बहुत बड़ी अराजकता बढ़ेगी।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि यह किसानों के ऊपर सबसे बड़ा आघात है। किसानों से जो गेहूं खरीदने की कीमत तय की गई है, 76) रुपये के अन्दर लाल गेहूँ की कीमत 74), 76) और 82) रुपये क्वालिटी, के हिसाब से रखा है।

(व्यवधान)

और उसमें तीन रुपये तक की कटौती करने का इस नाम पर कि उसमें घुण लगे हुए है और किसी प्रकार की खराबी हो। उपाध्यक्ष महोदय, फूड आयल....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दो रुपये तो आप ऐसे ही खा गए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप तो पूरा ही खा जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपके आकार प्रकार को देख कर कहा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सब प्रकार की मंहगाई के बाद किसान के ऊपर यह जो भाव सरकार की ओर से नियत किया गया है, 72), 74) और 82) के अलग अलग क्वालिटी के ऊपर उसमें जो कटौती तीन रुपये की लगाई है, मेरा निवेदन है कि यह वास्तव में किसान के साथ में सबसे बड़ा अन्याय है और हम बड़ी बड़ी घोषणायें करें कि सामाजिक सुख सुविधा के लिए हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, लेकिन वस्तु-स्थिति का भी हमें देखना होगा। छः दिन सरकारीकरण का हो गए, एक तारीख से सरकारीकरण किया गया और 31 तारीख की रात को नोटिफिकेशन निकाला गया। मैं जानना चाहूँगा कि आपने इतने दिन तक क्या किया? राष्ट्रीयकरण का निर्णय बहुत पहले हो चुका था। राज्य सरकार को पता था कि हमें एक तारीख के बाद में थोक व्यापारियों को बन्द कर देना है। 1 तारीख से व्यापार बन्द हो जायगा और व्यापारी तो उसके पहले ही थोक व्यापार अपने प्रोटेस्ट के रूप में बन्द कर रहे थे। तो क्या राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं था कि वह इस बात को पहले से देखती, यह पुरानी कहावत है कि आग लगने के बाद कुआ खोदने के लिए बोरिंग कराया। इस प्रकार की अदूरदर्शितापूर्ण दृष्टि न रख कर दो तीन महीने से लाईसेंसिंग आॅर्डर जारी करके खुदरा व्यापारियों से अप्लीकेशन मंगवाते, लाईसेंस के लिए उनका प्रोसेसिंग होता और फिर एक तारीख को बिल्कुल सेट अप करके उपभोक्ता के पास धान पहुंच सके, इस प्रकार की योजना बनाते। मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल आवश्यक था। सरकार बताये कि उसने इस बारे में क्या विचार किया है?

उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह मालूम है कि बाजार में धान आना बन्द हो गया। थोक व्यापार बन्द हो जाने से, खुदरा व्यापारियों के पास लाइसेंस नहीं होने से और लाईसेंस के लिए हजारों की तादाद में अप्लीकेशन्स आई हुई हैं उनका लाल-फीताशाही से प्रोसेसिंग होगा। माननीय मन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया कि आपने छः दिन में कितने लाईसेंस इश्यु कर दिये और कितने खुदरा व्यापारियों को सक्षम बनाया जिससे कि वे उपभोक्ता को धान दे सकें। इस प्रकार की सूचना आने में ही मैं समझता हूँ कि आपको 10-15 दिन लग जायेंगे तो वास्तव में लाइसेंस इश्यु करने में कितना समय लगेगा। इसके अनुसार आज क्या स्थिति बन गई है, वह सबके सामने है। यहां पर मन्डी खाली पड़ी है। आज भले ही व्यापारी को गाली दे दें, छोटे बड़े व्यापारियों को जमाखोर के नाम पर गाली दे दें या और किसी नारे के नाम पर गाली दे दें लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि गाली देने से उपभोक्ता के पास में धान नहीं जाता है। उपभोक्ता को सुबह शाम अपने घर के अन्दर चिराग जला कर, अपने घर में चूल्हा लगा कर रोटी पकानी पड़ेगी। राज्य सरकार यह घोषणा करती है कि हमारा कल्याणकारी राज्य है। हम समाजीकरण करना चाहते हैं, हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो यह भी उनका उत्तरदायित्व है कि येन केन प्रकारेण कोई तरह से उपभोक्ता के पास

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

में चूल्हा जलाने के लिए धान पहुँचाये। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करती है तो केवल नारे बाजी, केवल स्लोगनों से, प्रगतिवाद की झांकी दिखाने से या दुनिया को यह दिखाने से कि हमने कितनी प्रगति कर ली है राष्ट्रीयकरण करके, एक अल्लाउदीन का चिराग जला दिया है जिससे हर घर में रोशनी हो जायेगी, हर चूल्हे पर चपाती बन कर आ जायेंगी, इस बात को उपभोक्ता मानने को तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि किसान के बारे में जो प्रावधान किया गया है कि 30 जून के पहले 2 स्टाक क्लियर कर दें और इसके साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी उपभोक्ता दो क्विण्टल से ज्यादा अपने पास में नहीं रख सकता। यह सारा प्रावधान उस दृष्टि से किया गया है कि उपभोक्ता के पास धान जमा नहीं रहे। हम यह जानना चाहेंगे कि आपने जब अभी तक लाइसेंस की व्यवस्था नहीं की, कौन खुदरा व्यापारी होंगे, किसान किसको अनाज बेचेगा, कौन लाइसेंसिंग अथारिटि है, कहां पर लाइसेंस देने का काम शुरू कर देंगे ? इस सब की व्यवस्था आपने की नहीं और केवल किसान पर बोझ डाल देना कि आपको 30 जून तक अपना माल निकाल देना है, यह उन पर सबसे बड़ा जुल्म होगा, अन्यायपूर्ण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि लाइसेंसिंग आर्डर के अन्दर यह जो आर्डर लाया गया है, इसके अनुसार एक व्यक्ति के पास में दो क्विण्टल से अधिक धान नहीं रह सकता। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो दो क्विन्टल धान को अपने पास में रखने का प्रावधान किया है वह केवल यह बताने के लिए किया है कि जमाखोर के पास में धान न रहे। लेकिन वस्तु स्थिति के अन्दर यह वर्केबल नहीं होगा और हर व्यक्ति को इसके कारण परेशानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि राष्ट्रीयकरण जब किया गया है जब कि हमारे यहां फैमिन का साल है, अकाल की परिस्थिति है और मंत्री महोदय ने कहा कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से 35 हजार क्विण्टल गेहूँ और 25 हजार क्विन्टल माईलो आ रहा है, जिसके कारण हम जनता को धान उपलब्ध करा सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और डिबेट में भी आपने स्वीकार किया कि यदि राज्य सरकार 8 किलो एक व्यक्ति के हिसाब से धान वितरण करे या बेचे तो कम से कम राज्य सरकार के पास में 1 लाख क्विन्टल ही नहीं 1 लाख 50 हजार क्विन्टल के करीब धान चाहिए। यदि यह आवश्यकता हमारी है और उस समय इस बात को महसूस किया जा रहा है कि सरकारीकरण का एक्सपेरीमेंट किया जा रहा है तो वर्तमान में, अकाल की अवस्था में, इन परिस्थितयों में, जब कि लाईसेंसिंग आर्डर विलम्ब से जारी किया गया है, यह योजना सफल नहीं हो सकती। इस समय राजस्थान की ढ़ाई करोड़ जनता को दाने दाने के लिए मोहताज करेंगे। 35 हजार क्विन्टल गेहूँ और 25 हजार क्विन्टल माईलो ये सब मिला कर, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री गुमानमल लोढा)

यदि मैं कहूँ कि एक व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक दो किलो भी नहीं हो सकेगा। डेढ़ दो किलो महीने भर का धान होगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अपेक्षा करूं कि राजस्थान की ढाई करोड़ जनता को दो किलो और डेढ़ किलो पर गुजारा कराना चाहते हैं और क्या यह राष्ट्रीयकरण का सबसे बड़ा वरदान होगा ? एक बहुत बड़ा कदम आप जिसको प्रगतिवादी कदम, जन कल्याणकारी कदम कहते हैं, उसमें एक व्यक्ति को सुबह शाम मिला कर एक छटांक गेहूं मिल सके, इसका भी प्रावधान नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय क्लेरिफिकेशन करें।

इसके बाद एक बात और है, उपाध्यक्ष महोदय, और वह यह है कि कच्चे आढ़तियों की व्यवस्था करने की बात कही गई है। कच्चे आढ़तिये किस प्रकार से होंगे, उसका क्या स्वरूप होगा ? जहां तक लाईसेंसिंग ऑर्डर का सम्बन्ध है, कच्चे आढ़तिये की व्यवस्था नहीं है तो फिर आपने राजस्थान में कच्चे आढ़तिये की कैसे कल्पना की, किस भावना से रखा और इसका क्या स्वरूप होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि खुदरा व्यापारी, जिसके माध्यम से राज्य सरकार आज अनाज का वितरण करवाना चाहती है या अनाज बेचना चाहती है, उस खुदरा व्यापारी की व्यवस्था न होने से, लाईसेंस न होने के कारण आज सारे राजस्थान में, सारे प्रदेश में अराजकता फैल चुकी है। यहां पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस प्रदेश में ही नहीं सारे राष्ट्र में हमारे यहां कुछ ऐसे तत्व हैं, अराजकतावादी तत्व हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो अपने आपको प्रगतिशीलता का जामा पहना कर, प्रगतिशीलता की घोषणा करवा कर सरकार से, कांग्रेस सरकार की ओर से इस प्रकार के काम करवाना चाहती है। कांग्रेस सरकार के मैनेजिंग एजेंट का स्वरूप अपने आपका बना करके उनको ऐसी परिस्थिति में डालना चाहती है जिससे कि वे ऐसी घोषणा कर दें जो प्रेक्टिकेबल न हों, इम्प्लीमेंट न हो सकें, प्रदेश में किसी प्रकार की शासन व्यवस्था कायम न रह सके। अराजकता बढ़ जाय। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, चेतावनी देना चाहूंगा राज्य सरकार को कि ऐसे स्वार्थी, प्रोग्रेसिव कहने वाले रिडिकूलस तत्वों से अपने आपको समाजवादी और कम्यूनिस्ट कह कर काम करने वाले तत्वों से सावधान रहें।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी कांग्रेस और कांग्रेस सरकार बड़ी भोली है जो पानी को पत्ता और रोटी को चोटी कहती है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने मुख्य मुद्दे रखने के लिए आपको समय दिया था, पूरी डिबेट के लिए नहीं। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय मैं समाप्त कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, रूस का एक्सपेरिमेंट इस बात का प्रतीक है कि पचास साल के प्रयास के बाद

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

रहे व्यापारियों के उपर जो अंकुश लगा था, छोटे व्यापारियों को जो समाप्त कर दिया गया था और किसानों के हाथ से जो भूमि छीन ली गई थी और वह सारी भूमि राज्य के हाथ में आ गई थी, वहां पर इस प्रकार से काश्त की जाती थी, उसको भी रूस को पचास वर्ष के बाद हटाना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार रशिया के अन्दर अनाज सरप्लस नहीं हो सका। आज भी रशिया अनाज अमेरिका से मंगवाता है। जितने किसान थे उनको साइबेरिया भेज दिया गया था जिस प्रकार तिब्बत में चीन ने खून खराबा कर के....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस वक्त आप जोधपुर में नीचे घुसे हुए थे, अन्डर ग्राउन्ड थे...

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप घुसे हुए थे। आप उस समय पाकिस्तान और चीन की सेनाओं के लिए खुफिया विभाग की कार्यवाही कर रहे थे। उनके सी. आई. डी. बन कर इस देश में कार्य कर रहे थे और हमारे लोग बाड़मेर में काम कर रहे थे....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो आपका दोस्त था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पाकिस्तान और चीन से संघर्ष करने वाले सिपाहियों के साथ हमारे लोग कंधे से कन्धा लगा कर बहादुरी के साथ काम कर रहे थे....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खून की नदियां बह गई।

श्री गुमानमल लोढ़ा : खून की नदियां आपने बहाई हैं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं और हमारे पास समय की कमी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जरूरत से ज्यादा आप खाते हैं...

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने पटवारी को मारा, पुलिस इन्स्पेक्टर को मारा और खून की नदियां बहा दी...

श्री उपाध्यक्ष : अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन कर रहा था और सरकार को आगाह करना चाहता हूं और यह सरकार को निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आप धान की व्यवस्था उचित मूल्य पर किसान से खरीदने की करें ताकि उपभोक्ताओं को धान मिले उसकी भी साथ ही व्यवस्था करें। अनाज का राजकीय केन्द्रीयकरण उतना ही खतरनाक है जितना की व्यापारी। आप इसलिए इस व्यापार में कम्पीटीटर के रूप में बाजार में आवें और उपभोक्ता को धान मिले यह आवश्यक है। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) .... एक मिनिट। यह निवेदन करूंगा कि विलम्ब से जो कुछ आपने किया है, आज यह विधान सभा का सत्र शायद आज के बाद कल नहीं होगा, कल हम नहीं मिलेंगे, इसलिए यह निवेदन कर देना चाहता

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हूं कि जगह जगह, स्थान स्थान पर यह समस्या आएगी। इसलिए इस समस्या को हटाने के लिए, इसके निराकरण करने के लिए आप क्रियात्मक कदम उठायें और उपभोक्ता को धान मिल सके इसके लिए भी उपयुक्त कार्यवाही करें।

श्री लणाराम : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिये। आप तशरीफ रखिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है हम हमारे दल की ओर से इस बात की पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जो अनाज का, ह्वीट का थोक व्यापार सरकार ने लिया है हमारा दल उसका स्वागत करता है।

श्री उपाध्यक्ष : (एक माननीय सदस्य से) Have your seat. I will call your name.

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन माननीय मन्त्री जी ने जो रूपरेखा, राजस्थान में किस तरह से इसको लागू कर रहे हैं, उसकी जो व्याख्या की है, हमारा यह ख्याल है कि वह बहुत अधूरी है। और जो उद्देश्य इस ह्वीट के ट्रेड को टेक ओवर करने में सामने रख रहे हैं उससे यह उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। हमारा यह ख्याल है कि अव्वल तो केवल गेहूं के थोक व्यापार हाथ में लेने से जो आप मिडिल मैन की प्राफिटरिंग, होडिंग और प्राइस लेविल से नीचा लाना चाहते हैं

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो स्टेटमैन्ट मिनिस्टर महोदय का होता है, उसमें जो स्टेटमेन्ट दिया है उस स्टेटमेन्ट का क्लेरीफिकेशन माननीय सदस्य आप चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा विषय लेना चाहेंगे तो उससे डिबेट का स्कोप बाहर नहीं जाएगा ? जो मैन फीचर हैं और वे क्लेरिफाई नहीं हुए हैं उनके बारे में आप क्लेरिफिकेशन चाह सकते हैं। Main points and main features should be put so that the Hon. Minister may reply. आप क्वेश्चन्स के रूप में कहें।

Questions for clarif cation which may be answered in the House.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय पहली बार हाउस में गवर्नमेन्ट की तरफ से स्कीम रखी गई है। बहरहाल उसमें क्या खामी है, क्या त्रुटि है...

श्री उपाध्यक्ष : I won't allow a deabte. It is not a motion it is a statement.

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्टेटमेन्ट तो है। हम उस पर अपना पाइन्ट आफ व्यू रख रहे हैं। ताकि गवर्नमेन्ट चाहे तो उस पर विचार कर सके और सुधार कर सके तो सुधार करें। हम अपना पाइन्ट ऑफ व्यू यहां पर रख देना चाहते हैं।

एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि खाने के अनाज में दूसरे अनाज की कीमतें एक साथ जुड़ी हुई होती हैं तो एक ही चीज का थोक व्यापार सफल

Page No.137

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होना मुश्किल है, जब तक दूसरे अनाज का थोक व्यापार हाथ में नहीं लेते हैं। इसलिए सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर सभी गेहूं ही खाने वाले नहीं हैं। बाजरा, जौ खाने वाले भी बहुत से हैं। इसलिए दूसरे अनाज के थोक व्यापार के ऊपर भी सरकार को विचार करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आपने इस स्कीम के अन्दर राशनिंग व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं किया है। हमारा यह ख्याल है कि आपको कम से कम शहर में, टाउन में तो कम्पलीट राशनिंग करना पड़ेगा, करना चाहिए और गांवों के अन्दर बड़ी तादाद में आपको चीप ग्रेन शाप्स खोलनी चाहिए ताकि वहां के लोग जिनके पास अनाज नहीं होता है या जो किसान नहीं हैं, जिनके थोड़ी खेती होती है उनको भी अनाज मिल सके। इसलिए आपको राशनिंग के सिस्टम पर गौर करना चाहिए। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का सिस्टम, जिसमें टाउन और शहरों में भी छोटे व्यापारी को, जिसको आपने डीलर कहा है, उसको डाइरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीदने का अधिकार दे दिया है। यह इसके अन्दर लूपहोल है। इससे आपके प्रोक्योरमेन्ट को नुकसान पहुंचेगा। इससे......

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की रिपोर्ट पर बहस समाप्त न हो जाए तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय रिपोर्ट पर बहस समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस स्कीम के तहत जो डीलर को डाइरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीदने का अधिकार दे दिया गया है, वह अनाज वापिस होर्डर्स और ब्लेक मार्केटिंग करने वालों के पास जाएगा। यह खतरनाक निर्णय है और गवर्नमेन्ट का इस पर पूरा कन्ट्रोल नहीं हो सकता है। इसका कोई रिकार्ड नहीं हो पाएगा कि कितना माल उसने प्रोड्यूसर से लिया है, कितना माल डीलर ने खरीदा है। केवल आप उससे रिटर्न लेंगे तो वह काफी नहीं है। और रिटर्न से माल रखने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। अगर आप डीलर को रख रहे हैं, जो कन्जूमर को धान बेचना चाहता है तो आप उसको धान डाइरेक्ट पब्लिक एजेन्सी से दीजिए। गवर्नमेन्ट की जो एजेन्सी है, एफ. सी. आई. है उसके जरिए आप खुदरा व्यापारियों को अनाज दें और इनको डाइरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीदने का अधिकार नहीं दिया जाए। जब इस तरह का अधिकार आप देंगे और जो तमाम मार्केटेबल सरप्लस हैं, उस तमाम मार्केटेबल सरप्लस को लेने की आप कोशिश करें तब जाकर यह प्रोक्योरमेन्ट ठीक होगा। आपकी इस स्कीम के तहत ट्रेडर को खुली छूट मिल जाएगी और कितना ही माल खरीदने का वह अधिकारी होगा। इसका मतलब यह है कि जिनकी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होडिंग कैपेसिटी है वह माल को लेकर इधर उधर रखने की कोशिश करेंगे और आप उनको नहीं पकड़ सकेंगे। इसलिए ठीक तरह से स्टाक बन सके और लोगों को अनाज मिल सके इसके लिए आपको लेवी सिस्टम लागू करना होगा। जो जमा करने वाले किसान हैं वे जल्दी अपना माल बाजार में नहीं लाएंगे। इसलिए इनको लेवी में लाकर, इस मार्केटेबल सरप्लस को लाने की कोशिश करना चाहिए। जो मौजूदा सिस्टम रखा है, उसमें केवल मार्केट में आएगा और उसको आप खरीद सकेंगे। उससे काफी सरप्लस रह जाएगा और आप इसकी एक्सीपीडियेन्सी को मीट नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हमारा यह निवेदन है कि इस स्कीम में आपने अभी तक कोई इश्यू प्राइस नहीं बताई कि प्राइस के उपर कन्ज़ूमर को साधारण सेल में मिलेगा। एक अप्रैल से यह लागू हो गया है, और मैं समझता हूं कि इस आर्डर के तहत जो कोई भी गेहूं खरीदे तो इस आॅर्डर के तहत जो सेलिंग प्राइस हो उन्हीं के तहत उसको खरीदना चाहिए। इसलिए आपको अपने स्टेटमेंट में यह डिक्लेयर करना चाहिये था कि इश्यू प्राइस क्या है, और उसका क्या आधार रखा है? देहात में सब जगहों पर, जहां पर फेयर प्राइस शाप्स हो, चाहे नीचे के गांवों में हों चाहे शहरों में हों वह युनिफार्म प्राइस और वह रीजनेबल प्राइस सब जगह होनी चाहिए और सारे सेल में होना चाहिए। उसकी व्यवस्था अभी तक आपने नहीं बताई है।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 30 जून की तारीख आपने रखी है किसानों को अपना माल बाजार में लाने की। उसके बाद आपकी क्वान्टिटी पर रेस्ट्रिकेशन लागू होगा इसको आप एक महीना आगे करके 31 मई कीजियेगा। 15 मई तक तमाम माल निकल आता है ताकि बाजार में माल बिकने को आए वर्ना 30 जून तक तो आप कह नहीं सकते कि आप बाजार में माल लाओ। अप्रैल चल रहा है इसका मतलब अप्रैल, मई और जून 3 महीनों का मौका आप होर्डर्स को दे देते हैं। होलसैल ट्रेडर्स को आप इतना मौका देंगे तो वह माल को होर्ड करेंगे और कानूनी तरीके से आप उस माल को निकाल नहीं सकते। इस तरह की दिक्कतें राजस्थान में पेश आ रही हैं और गवर्नमेंट आॅफ इंडिया से अनाज आपको जरूरत के लिए लेना पड़ रहा है। तो बहुत दिक्कतें पेश हो जायेंगी। इसलिए आप 30 जून के बजाय 31 मई लेटेस्ट डेट उसमें रखेंगे।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आपने जिक्र किया ट्रेडर्स के बारे में, जो होलसेल ट्रेडर्स हैं वह हर तरह की दिक्कतें आज पैदा कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इनके पास से ह्वीट का लाइसेन्स आपने कैन्सिल कर दिया है, लेकिन अब भी इनके पास दूसरे फूडग्रेन्स का लाइसेन्स है तो उनके खिलाफ भी है आपको आज कड़ा कदम उठाना चाहिए था। आज वे जो चना है, जो है, बाजरा है उनको होर्ड करके स्ट्राइक कर रहे हैं और सारी सोसाइटी को भूखों मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक आॅर्डर के तहत उनके फूडग्रेन्स के लाइसेन्स को कैन्सिल कर सकते हैं और जो मोटे फूडग्रेन्स

Page No.139

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं उनको खुले में बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक्शन ले सकते है लेकिन आप हाथ पर हाथ धर कर बैठ गए। यह किस तरह के व्यापारी हैं। वह स्ट्राइक की नीति को अख्त्यार करके आपकी सारी स्कीम को पूरी तरह से फेल करने को कोशिश कर रहे हैं और यहां आकर उनके प्रतिनिधि यह कहते हैं कि जनता भूखों मर रही है और बाहर कहते हैं कि हड़ताल करो ताकि जनता भूखों मरे और लोगों में असन्तोष हो और इस स्कीम को गवर्नमेंट वापस ले लेगी। इस तरह का डबल रोल वह लोग पैदा कर रहे हैं जो इस सदन में भी देखने को मिलता है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मौजूदा फूडग्रेन्स लाइसेंसिंग ऑर्डर है जिसके तहत आपने उनको लाइसेन्स दिए हुए हैं, उसके तहत और एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के तहत आपके पास एम्पल पॉवर्स नहीं हों तो इस सदन से लीजिए, पार्लियामेंट से लीजिए, और उन पॉवर्स को लेकर अपने आप यह करें ताकि इस तरह के एलिमेन्ट्स, जो एन्टीनेशनल एक्टीविटीज कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सकें। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति पैदा हो गई है और 30 जून तक आपने समय रखा है तो अभी तक कोई कानूनी तौर पर आप किसी को नहीं कह सकते। आप यहां के लोगों को कोई ताकत पहचान सकें वह आपको मालूम हो सके तो इतने दिनों तक कैसे काम चलेगा यह एक समस्या आपके समक्ष उपस्थित हो गई है। मैं उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को आज एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार के जरिए, जो भी आज स्टेटमेंट दिया है—रेडियो के जरिए, कलेक्टर्स के जरिए और अपने सूचना विभाग के जरिए, परचे निकाल कर पूरे गांवों में लाखों और करोड़ों की तादाद में इनको बटवायें। फिर गवर्नमेंट उन तमाम पार्टीज के सोशियल वर्कर्स हैं उनका सहयोग लेकर शहरों और कस्बों में और गांवों में जो अनाज है, गेहूं है, चना है, जो है इनको अपनी तरफ से कोशिश करके मोबिलाइज करना चाहिए ताकि उनकी जो स्कीम है, इस स्कीम को सेबोटेज करने की उसको मीट आउट कर सकें। अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट अपने आप आपरेट करेगा तो इस समय मार्केट अपने आप आपरेट नहीं कर सकता है क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट जो है वह रिवोल्ट कर रहा है और कुछ लोग उनकी पीठ पर हैं और वह किसानों को हर तरह से बहका रहे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अभी आपने अखबार पढ़े होंगे उनसे पता लगता है कि वे इस तरह का प्रचार कर रहे हैं किसानों के अन्दर कि तुम शहरों में जाओगे तो गिरफ्तार कर लेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं कि यू. पी. गवर्नमेंट ने कहा है कि देहात से माल ट्रान्सपोर्ट करने में जो खर्चा होगा तो उस खर्चे की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। देहात से परचेजिंग सेन्टर तक किसान गल्ला लायेगा तो उसके ट्रान्सपोर्ट चार्जेज सरकार वहन करेगी। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार इन बातों की स्टेडी करके इस तरीके से स्टेट अगर फेसिलिटी

Page No.140

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
देती है तो एक ही पैटर्न होना चाहिए और उसमें राजस्थान को किसी तरीके से पीछे नहीं रहना चाहिए।

जहां तक हमारा सवाल है हम चाहते हैं कि यह स्कीम पूरी तरह से कामयाब हो, और उसको कामयाब करने में हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार हैं, और उन तमाम एलिमेंन्ट्स से फाइट करने को तैयार हैं जो इसको सेबोटेज करना चाहते हैं और जनता को भूखों मारने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल !

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस राष्ट्रीयकरण से सबसे ज्यादा जो प्रभावित वर्ग है वह व्यापारी और किसान वर्ग है, और इस व्यापारी और किसान वर्ग में असन्तोष का फैलना एक तरह से स्वाभाविक है। जो इसमें मदद कर यह कहते हैं कि व्यापारी शोषण करता है, लेकिन एक भी कर्मचारी रिश्वत खाता हुआ निकाल दिया जायगा तो सारे हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी इकट्ठी होकर करोड़ों रुपयों का देश का नुकसान कर देती है। व्यापारियों ने तो यह नहीं किया। किसान एक तरह से बड़े संयम से आपके सामने इस ढंग से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ यह जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने जो भी किया है वह संयम से किया है। आन्दोलन, सत्याग्रह और प्रदर्शन करने का सब का अख्त्यार है। यदि कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलन करती तो करोड़ों रुपयों को आग लगाकर नुकसान कर देती। जो किसानों में असन्तोष है आज वह इस बात का है कि जो सरकार उपभोक्ताओं......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आज आन्ध्र और तेलंगाना में आप और जनसंघ आग लगा रहे हैं।

श्री मीठालाल : आज सरकार महज एक निगाह से देख रही है और वह केवल शहरी उपभोक्ताओं के लिए है। आज शहरी जनता और उपभोक्ताओं को राशन में चीनी मिलती है, सस्ते दामों पर और आज उनको कपड़े की जरूरत पड़े तो सस्ता कपड़ा उनको उपलब्ध करायेगी तो फिर किसान ने ही ऐसा क्या गुनाह किया है कि न उनको समय पर बिजली दी जाय, न समय पर बीज दिया जाय। बीज उनको जो दिया जाता है वह ढाई और तीन रुपये किलो दिया जाता है। किसानों में असन्तोष इस बात का है कि आज जब दूसरे उत्पादक अपनी चीजें मँहगे दामों पर देते हैं तो उनके उत्पादन की चीजें भी हमको उचित कीमत पर दिलाई जायं। इस वातावरण के अनुसार उनको भी सही तरीके से दी जायं। यह आप नहीं करते हैं तो किसान को किस ढंग से पाबन्द कर सकते हैं कि 20 क्विण्टल से वह ज्यादा नहीं रख सकता है। आप निश्चित रूप से सरकारी अधिकारियों को पाबन्द कीजिए कि उनको समय पर बिजली दी जायगी और उसमें कोई कटौती नहीं की जायगी। समय पर किसान को डीजल दिया जाय, समय पर किसान को बीज दिया जाय। अगर किसान को बीज, खाद उचित कीमत पर नहीं दिया गया और किसान को समय

(श्री मीठालाल)
पर न देने से नुकसान हुआ है, तो उसके एवज में सरकार द्वारा निश्चित राशि दी जाय, और उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाय।

इसी ढंग से जो अनाज का व्यापार सरकार ने अपने हाथ में लिया है, उसके विरुद्ध व्यापारियों ने जो कदम उठाया है, वह बहुत संयम से उठाया है। आप बता दीजिये, आपने व्यापारियों के लिए क्या सोचा है, व्यापारियों को आप क्या धन्धा देंगे। जो पचास हजार व्यापारी हैं और उनके आश्रित लोग हैं, जो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके बारे में क्या विचार किया है। जो मुनीम, गुमास्ता हैं, वह इस व्यापार की योग्यता रखते हैं। अगर सरकारी अधिकारी जायेंगे तो पैसा खायेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए यह जो काम करते हैं, उनके लिए क्या विचार किया है? आपने पल्लेदारों के लिए, छोटे छोटे मुनीम, गुमास्तों के लिए क्या किया है—इसकी आप घोषणा कर दें कि कितने समय में क्या कर रहे हैं।

मैं निवेदन करूंगा, रामानन्द जी ने थोड़ा मन्त्री जी को उकसा दिया है, चने, जौ के लिए भी सख्त कदम उठाने की घोषणा करें। रामानन्द जी ने उकसा कर आपकी पार्टी को नीचे पहुंचा दिया है। कुछ महीनों में जाकर इसका नतीजा मालूम पड़ेगा। इसलिए आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना चाहिए। वैसे माननीय मन्त्री संयम से निर्णय करते हैं, लेकिन ऊपर से दबाव आया दिल्ली से, उसके कारण वह मजबूर हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कच्चे आढ़तियों के बारे में क्या व्यवस्था की है? उनको आप लाइसेन्स देंगे। कच्चे आढ़तियों को सम्भव है कोई किसान ने बेचा तो वह एक दो क्विन्टल रात भर रख सकता है या नहीं? उसके लिए क्या लाइसेन्स होगा? क्या प्रक्रिया होगी? किस मार्फत से, चाहे सरकारी एजेन्सी लें, उपभोक्ता उससे ले लें, या सहकारी समिति से लें। इसके बारे में आप क्लीअर करें। खुदरा व्यापारी किसान से डाइरेक्ट खरीदेगा या सरकारी एजेन्सी से खरीदेगा और उपभोक्ताओं को किस कीमत पर वह बेचेगा?

इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्र में राशन कार्ड दिये हैं। जयपुर तो शहर है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो राशन कार्ड पुराने बने हुए हैं, वहां की जन संख्या के अनुपात से उनमें काफी फर्क मैं समझता हूं, 1961 की जन संख्या के मुताबिक राशन कार्ड बने हैं। उन राशन कार्डों पर गेहूं नहीं देते हैं, तो सड़ी मक्का ही मिल जाय, वहां पर जो चीनी दे रहे हैं वह 61 की जनसंख्या के माफिक दे रहे है, वह भी गांवों में नहीं भेजी है। मेरा निवेदन है कि आप राशन कार्ड की व्यवस्था कर दें, वहां पर जनसंख्या इस समय है उसके हिसाब से राशन भेजें और उसके हिसाब से गेहूँ भेजें।

इसके अतिरिक्त आपने यह निर्णय कर लिया है, लेकिन मिलों के बारे में किसी तरह की घोषणा नहीं की है। आपने चावल मिलों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है? इसके लिए अलग से क्या व्यवस्था करी? आप आटा मिल के लिए तो गेहूं देंगे लेकिन चावल मिल के लिए..........

Page No.142

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत आवश्यक बात है क्या ?

श्री मोठालाल : चावल मिल को मिलेगा नहीं तो चावल की व्यवस्था के लिए कहां जायेंगे ? चांवल आढ़तियों को दे देंगे तो वह उपभोक्ता को बेच सकेगा, लेकिन जो मिल हैं, वह उपभोक्ता को बेच सकेंगी या नहीं ? इसलिए जो मिल हैं उनके बारे में आप कोई घोषणा करें। अभी आपने कोई घोषणा नहीं की है।

इसके अतिरिक्त लेवी के मामले को लें। आपने बांसवाड़ा और मालपुरा के लिए तो घोषणा कर दी। लेवी हटा दी गई तो ज्वार, बाजरा, मक्का का एक दाना नहीं मिलेगा। आपने फर्माया कि दिल्ली से सलाह मशविरा कर रहे हैं और आप घोषणा कर देंगे और जहां पाबन्दी लगी हुई है वहां हटा दी जायगी। दिल्ली में तो सम्मेलन हो गया आप सलाह करके आ गये। लेकिन लेवी में आपको एक अनाज का दाना नहीं मिल रहा है, इसलिए लेवी नहीं हटायें।

इसके अतिरिक्त एक अप्रेल को आपने अनाज का व्यापार ले लिया। लेकिन 31 मार्च को जिनके पास लाइसेन्स मौजूद थे, उनके लाइसेन्स रिन्यू करके किसी को नहीं दिये हैं। इसमें क्या प्रक्रिया होगी। व्यापारी असमंजस में पड़े हुए हैं।

इसके अतिरिक्त आपकी योजना व्यापार का है, वह कितने रुपये तक की है। कितनी जगह पर कितना स्टाक करना चाहते हैं ?

आप उपभोक्ता को पाबन्द करते हैं कि पांच क्विन्टल से ज्यादा माल नहीं रखेगा। क्या वह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में गेहूं इसी रेट पर देंगे। आप घोषणा करिये, खर्च भी बढ़ेगा तो भी उस समय नवम्बर, दिसम्बर में इसी रेट पर देंगे.........

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न आ चुका है।

श्री मोठालाल : जिस भाव में आज बेच रहे हैं उसी भाव में आखिर के दिनों में भी बेचेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसानों के लिए व्यवस्था की है, वह तो समझ में आती है। लेकिन जो व्यापारी बेरोजगार हो गये हैं, उनके लिए क्या रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं—इसकी घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

श्री मूलचन्द सामरिया : एक प्रश्न पूछ लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार ?

श्री मूलचन्द सामरिया : ऐसा है, बीस क्विन्टल किसान के पास अनाज छोड़ेंगे, लेकिन उसका परिवार इतना बड़ा हुआ है कि उसको पचास क्विन्टल की आवश्यकता है तो तीस क्विन्टल वह सरकार की ऐजेन्सी से या खुदरा व्यापारी से खरीदेगा ?....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न दूसरे माननीय सदस्य ने पूछ लिया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : और किस भाव पर दिया जायगा, 73, 74, या 72 रुपये क्विन्टल पर ? उसे तीस क्विन्टल अनाज की जरूरत पड़ी तो वह तीसे क्विन्टल किस भाव से खरीदेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड ; प्रोफेसर केदार !

श्री केदारनाथ : मान्यवर, मैं स्टेटमैंट बड़े गौर से सुन रहा था । मैं इसे क्रान्तिकारी नहीं मानता, प्रोग्रेसिव मानता हूं । मैं इसका स्वागत करता हूं । मन्त्री महोदय, कभी हेजिटेन्ट थे लाने में, तो कभी स्केपिस्ट थे, कभी डिस्सेटिसफाइड थे । मैं तीनों बातों को वाच करता रहा । भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने यह टेक ओवर किया है, इकानामिक और लाजिक बेसिस पर टेक ओवर किया है । पॉलिटिकल एक्सपीडियेन्स पर नहीं किया है । इन दोनों में फर्क है । अगर पॉलिटिकल एक्सपीडियेन्स है तो स्लोगन में आता है, और टाइम बींग के लिए आ जाता है । मैं मान कर चलता हूं, भारत सरकार ने सोच समझकर टेक ओवर किया है, इसके पीछे इकॉनामिक लॉजिक है । मिडिल मैन समाप्त होंगे, मुनाफाखोर समाप्त होंगे । लेकिन इस स्टेटमैंट के माफिक सरकार और मुनाफाखोर का सीधा सम्बन्ध होगा । इस स्टेटमैंट से मिडिल मैन का कम्प्लीट एलीमीनेशन नहीं होगा । मिडिल मैन किसी न किसी तरह लिविंग फोर्स इससे रहते हैं । अगर रहते हैं तो स्टॉकिस्ट आपके मरे नहीं है । किसी न किसी रूप में आकर मिडिल मैन काम करेगा । इसके लिए जो भी कानून बनाना चाहें, जिस प्रकार से करना चाहें उसके बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए ।

दूसरी बात जो रिटेलर हैं और जो कच्चे आड़तियों की बात करते हैं, मान्यवर आइडोलोजिकल वे में सोचें तो यह सारा तबका आॅइडोलोजिकली टेक ओवर के हक में नहीं है । मैं फिर दोहराता हूं, माननीय खाद्य मन्त्री सुन लें, आप कच्चे आड़तियों पर विश्वास मत करें । अगर व्यापार चलाना चाहते हैं गवर्नमेंट ऐजेन्सी के रूप में तो प्रेसर से अनाज लें । कच्चे आड़तियों की आइडोलोजिकली इस टेक ओवर के पक्ष में नहीं है । देहातों में जो कच्चे आड़तिये हैं, उनके वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं और पूरे आइडोलोजिकल इस टेक ओवर के पक्ष में नहीं हैं । इस आइडोलोजिकल फ्रन्ट पर, पॉलिटिकल फ्रन्ट पर आपको फाइट करनी है और आइडोलोजिकल फ्रन्ट पर फाइट करनी है ।

स्टेटमैंट होने के बाद यह मालूम हुआ, आज भी मार्केट में दो मार्केट कायम रहेंगे, एक तो कन्ज्यूमर जायेगा फेयर प्राइस शॉप पर, और उपभोक्ता रिटेल प्राइस पर लेने के लिए रिटेलर के पास जायेगा । इन दोनों में क्या फर्क रहेगा । आपकी फेयर प्राइस शॉप की क्या प्राइस रहेगी, जो रिटेलर अनाज बेचेगा, उसकी क्या कीमत होगी ? दोनों में फर्क कितना होगा ?

मान्यवर, टेक ओवर के सिद्धान्त को मानते हुए हमारे मार्ग में एक बाधा

(श्री केदारनाथ)

है काश्तकार, स्माल फार्मर है, वह पन्द्रह बीस दिन से ज्यादा अनाज नहीं रख सकता, उसकी रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं है। उनको केश बहुत जल्दी चाहिए क्योंकि उसकी बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। इसलिए माल मार्केट में लेकर आता है, तो उसे लेते ही पेमेन्ट हो जाय। कच्चा आड़तिया नहीं लेगा, हम खरीद लेंगे तो क्या मौजूदा कीमत पर दे सकेगा। इसके लिए फार्मर तैयार नहीं है कि मौजूदा कीमत मान ले। आज लोक सभा में बयान हुआ है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इस तरह फिक्स करें कि मोटे तौर पर कुछ पैसा उसके पास बच जाय ताकि आयन्दा के खर्चे को मीट कर सके, आयन्दा जिन्दा रह सके। मान्यवर, यू. पी., मध्य प्रदेश और भारत सरकार की बात हो गई और फैसला हो गया कीमत बढ़ाने का। आज देश में पन्द्रह बीस काश्तकारों के संगठन हैं, वह बड़े बड़े शहरों में प्रचार नहीं कर रहे हैं प्रचार कर रहे हैं देहातों में कि अपनी प्रोड्यूस मार्केट में नहीं लायें। वह एफेनिटी पैदा कर रहे हैं, ब्रदरहुड के नाम पर कह रहे हैं, ऊंची कीमत तब मिलेगी जब दो महीने रुक जाओगे, अनाज रिटेन कर लें। अनाज रिटेन न करने देने के लिए क्या करने जा रहे हैं? अगर प्रोक्योरमेंन्ट पॉलिसी ऐसी रहे कि स्केअरसिटी के वक्त जो सरप्लस आज लें, उससे उस वक्त मार्केट ऑपरेट कर सकें। स्केअरसिटी के वक्त, थोड़े दिन तक वेट करें और जिस भाव दे दें उसी भाव दे दें तो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग हैं उनके डिक्टेशन को नहीं मानेगें। आज लोगों क्रियेटेड है, पालिटिकल एक्सपीडियेन्सी है, आज लोगों में रिटेन करने की ताकत है, मार्केट की नॉलेज काफी है और रिसोर्सफुल कम्युनिटी है। वह आपके मामूली स्टेटमेंन्ट से या दो चार चेलेन्ज फेंकने से आपकी बात में नहीं आने वाली है। जब दोनों मार्केट्स हैं एक रिटेल प्राइस शाप दूसरी फेयर प्राइस शाप तो जो खाद्य निगम है वह मार्केटेबुल कास्ट केलक्यूलेट करता है, 20 प्रतिशत होता है। व्यापारी स्टाकिस्ट, जिनको हम मिडिलमेन कहते हैं, वह 10-15 प्रतिशत वसूल करता था, सारा कास्ट। खाद्य निगम आपकी पब्लिक एजेन्सी, काश्तकार से खरीदने के बाद अगर 20 प्रतिशत वसूल करते हो तो आप मिडिलमैन का पार्ट अदा करते हो। इसलिए आपको लाजमी इस कास्ट में कमी करनी पड़ेगी, 5 प्रतिशत हो, 7 प्रतिशत हो। हमारी पार्टी का स्टेण्ड है कि 3 पैसे से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, खेतोबाड़ी प्रोड्यूस है जो इंडस्ट्री का प्रोड्यूस होता है, आपस में फर्क 1½ गुना होना चाहिए, यह इकानामीकली लोजिक बेसिस है। चौथी बात जो मशीनरी आप रिप्लेस कर रहे हैं एक बाबू को व्यापारी की जगह पर बिठाते हो तो बाबू की लिमिटेशन्स हैं, उससे सारे का सारा इम्पलीमेंटेशन करवाना चाहते हैं। इससे बड़ी हार्डशिप होगी, बड़ी डिफीकल्टीज आयेंगी। आप जिस हौसले से स्टेटमैंट देते हैं मुझे शक है कि इम्पलीमेन्टेशन मशीनरी आप बाबू के द्वारा करवाना चाहते है, बाबू और व्यापारी में फर्क है। व्यापारी रात को याडं में सोता है, दुकान में सोता है, अपने आड़तिये को अच्छे ढंग से रखता है इसलिए बाबू का भरोसा न करें,

(श्री केदारनाथ)

पब्लिक पर्टीसिपेशन साथ में हो। देहातों में आप काश्तकारों की आर्गेनाइजेशन्स पैदा करें, शहरों में उपभोक्ताओं की आर्गेनाईजेशन्स पैदा करें। आइडियोलोजीकली स्माल प्रोड्यूसर्स आपके साथ में मिल जायं तब जाकर मिडिलमैन का एलिमिनेशन करेंगे। जो इस देश में लोएस्ट लेविल है, जिनका कन्जम्पशन आमदनी का 15-20 परसेंट है, उनका स्टेपुल फूड मोटा अनाज है, उसको सबसीडाइज्ड रेट पर, फेयर प्राइस शाप पर नहीं देंगे तब तक आपका मकसद पूरा नहीं होगा। जब तक देश में पैरलल इकोनामी चलेगी, ब्लैक मार्केटिंग की 15 हजार करोड़ रुपए की, तब तक डेफीसिट फाइनेन्सिंग होगा और न हो प्राइस स्पायरल को आप रोक सकेंगे, न ही टेकओवर स्कीम, जो चल रही है, उसमें आइंदा मिडिलमैन का कम्पलीट एलिमिनेशन कर पाओगे।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

आर्डर प्लीज। नियम 290 में बहुत साफ प्रावधान है कि इसमें कोई सवाल या डिबेट एलाऊ नहीं की जा सकती।

(श्री गफ्फार अली के कुछ बोलने पर)

आर्डर प्लीज। मुझे भी निवेदन करने का हक है। चूंकि यह मसला सार्वजनिक हित का था, बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए सदन में विभिन्न राजनैतिक दलों ने और उनके नेताओं ने अपने व्यू पाइंट्स मंत्री महोदय के समक्ष रखे। मैंने नियमों को रिलैक्स करते हुए अवसर दिया है। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने के लिए, डिबेट के लिए मौका देने में असमर्थ हूं। इसलिए जो भी माननीय सदस्य थे और राजनैतिक दलों के विभिन्न नेता हैं, उन्होंने व्यू पाइंट्स रखे हैं। मंत्री महोदय को उन व्यू पाइंट्स पर जवाब देने का मौका दें।

(कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री गफ्फार अली : मैं सिवा स्पष्टीकरण के और कुछ नहीं चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सारे माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे ?

श्री मूलचन्द सामरिया : केवल एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : आपने पूछ लिया। आप नियमों के अनुसार नहीं चलना चाहते।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रार्थना करूंगा कि दोनों स्थगन प्रस्ताव अनाज····

श्री लूणाराम : सिर्फ एक निवेदन करूंगा····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर में राशन कार्ड्स की जो अव्यवस्था है····

श्री उपाध्यक्ष : तशरीफ रखिए। मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं····

श्री लूणाराम : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं····

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर खड़ा है । माननीय गुमानमलजी लोढ़ा का मोशन नहीं था लेकिन चूंकि वह आपके दल के नेता हैं, इसलिए एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपके दल के नेता को मौका दिया जाए, दूसरी तरफ कहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव है, यह नहीं चलेगा । नियमानुसार चलिए । आप खड़े हो जायें और कहें कि जयपुर में यह है, वह है या तो भविष्य में अपने दल के नेता को मौका न दें और स्थगन प्रस्ताव जो माननीय सदस्य रखे वही बोलें । मैंने आपके (श्री गिरधारी लाल भार्गव से) दल को मौका दिया और एट लेन्थ, जितना समय देना चाहिए था उससे अधिक दिया । उसके बाद कहें कि जितने माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखे हैं, सबको समय दूं, यह उचित नहीं होगा । अगर हम प्रक्रिया से न चलेंगे तो सारे सदन का समय इसी में लग सकता है । मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इसमें जो महत्वपूर्ण मसला है, इस पर जितने व्यू पाइंट्स थीं, सामने आई हैं, उन पर मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण सुन लें और आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो तो रख लें, ऐसा नहीं है कि कोई रिजिडिटी है····

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरा एक सवाल है आपके इस आदेश के अनुसार एक तारीख के बाद और 30 जून तक किसी भी काश्तकार के पास खुद के उपभोग के लिए 20 क्विन्टल से ज्यादा अनाज नहीं रखा जाएगा लेकिन अगर उसके परिवार की आवश्यकता ···

श्री परसराम मदेरणा : आप इस प्वाइंट पर बोल चुके हैं ।

श्री लूणाराम : आज पश्चिमी इलाका सूखा ग्रस्त क्षेत्र है, जहां वर्षों से अकाल है, अनाज का नामोनिशान नहीं । मंत्री महोदय फरमाते हैं कि माइलो साफ करके भेज रहे हैं । हम कहते हैं कि बिना साफ किए हुए हो, धतूरा मिला हुआ ही माइलो हमको भेज दें, हम उसको साफ करेंगे या धतूरा मिला हुआ ही खायेंगे थोड़ा नशा होगा, कम से कम भूख से तो नहीं मरेंगे ।

श्री नाथूराम (बागीदौरा) : सरकार ने जो जबर्दस्त कदम उठाया है उसका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन 74) और 76)रु. का जो भाव रखा है वह बहुत कम है इससे किसान गेहूं पैदा करना बंद करेगा, भाव कुछ बढ़ाना चाहिए । किसान को खाद नहीं मिलता, 150) रु. में भी बीज नहीं मिलता । मोटा अनाज जैसे बाजरा, माइलो भी हमारे यहां नहीं है । माइलो चाहे धतूरा मिला हुआ हो, आप भेजो । लेकिन हमारे पहाड़ी क्षेत्र में अनाज बिल्कुल नहीं है, वहां आप कलेक्टर को आदेश दें कि धतूरा मिला हुआ माइलो ही भेजें । लोग साफ करके काम में लेंगे, लेकिन अनाज के बिना लोग भूखे मर रहे हैं ।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मैं गृहिणी के नाते विचार रखना चाहूंगी कि भारतवर्ष में यह आदत है कि····

श्री उपाध्यक्ष : अनाज की आवश्यकता पर बोलें । गृहिणी की आवश्यकता के ऊपर नहीं ।

श्रीमती उषा प्रकाश : अनाज की आवश्यकता के ऊपर ही बोल रही हूं। गृहिणी साल भर का अनाज प्रायः घर में रखती है। आपने दो क्विन्टल का प्रावधान रखा है. यह मेरी राय में कम है, इसे बढ़ाना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : बढ़ाना चाहिए।

श्रीमती उषा प्रकाश : प्राक्योरमेंट का सिस्टम बनाया है, उससे आपके और हमारे सामने एक मूल दिक्कत प्रेक्टिकली यह आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में काफी कह चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्रीमती उषा प्रकाश : मैं पाइन्ट कहूँगी, वह किसी ने नहीं कहा है। सरप्लस डिस्ट्रिक्ट्स में एक प्राब्लम किसानों के सामने यह आ सकती है....

श्री केदारनाथ : गृहिणी का पाइन्ट आफ व्यू सुना जायेगा तो केदार जी का पाइन्ट आफ व्यू सुना जाना चाहिए।

श्रीमती उषा प्रकाश : किसानों के सामने प्रेक्टिकल डिफीकल्टी आयेगी। आपने 24 पर्चेजिंग सेन्टर रखे हैं और 58 पर्चेजिंग पाइन्ट रखे हैं। यह कम है, किसान एक महीने के अन्दर सारा प्रोड्यूस मार्केट में ला सकेगा—क्या सरकार आश्वस्त है ?

दूसरा प्रश्न था, उपाध्यक्ष महोदय, जो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर तहसील हैं, जैसे मेरी तहसील वैर, सवाई माधोपुर और अलवर दोनों डिस्ट्रिक्ट के बोर्डर पर स्थित है और वहां के किसान के एक तरफ हिण्डोन मण्डी है. एक तरफ खैरथल मण्डी है। पास है नदबई पर्चेजिंग सेन्टर, वहां अपना नाज नहीं ले जा सकते क्योंकि न तो वहां के लिए रास्ता है और न सुविधा है। यह किसानों के लिए मुश्किल का काम हो जायेगा। वह सेलिंग के लिए नदबई या हिण्डोन जा सकते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत....

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्तिगत चर्चा का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती उषा प्रकाश : व्यक्तिगत नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट सरप्लस डिस्ट्रिक्ट है, पॉलिसी यह हो कि सरप्लस डिस्ट्रिक्ट के पास मण्डी हो जहां किसान जा सकें। इतनी सुविधा किसान को देनी चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : उपाध्यक्ष महोदय, तीन चार प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल।

श्रीमती उषा प्रकाश : एक प्रश्न आखिर में है वह यह है, किसान 25 क्विन्टल अनाज रख सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : आप भी भरतपुर के हैं।

श्रीमती उषा प्रकाश : आप भरतपुर के हैं लेकिन मेरा जो पाइन्ट है उसमें प्रश्न आम किसानों का है।

आपने अगली साल बीज के लिए क्या प्रावधान रखा है ? 25 क्विन्टल में से बीज के लिए नहीं रख सकता क्योंकि किसान को तीस, चालीस क्विन्टल की

Page No.148

(श्रीमती उषा प्रकाश)
आवश्यकता है पड़ सकती । नई जो व्यवस्था है, उसके अन्दर इस पर सरकार क्या सोच रही है ?

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, मेरे दो तीन क्वेश्चन हैं, एक यह है विशेष रूप से काश्तकारों के बारे में, उपभोक्ता के बारे में बहुत बातें कही गई हैं। हम....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्वेश्चन रखें।

श्री मनोहरलाल : मेरा प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री जी के सामने दूसरे देशों में, जहां कृषि का उत्पादन अधिक होता है, वहां एक सिद्धान्त है सब्सीडी का, काश्तकार को उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन के मुताबिक....

श्री उपाध्यक्ष : यह आ चुका है, कीमत का।

श्री मनोहरलाल : उन्होंने नहीं कहा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मेरा निवेदन है कि अनाज सब्सीडाइज तौर पर दिया जाय। काश्तकार को 110 रुपये क्विन्टल के भाव से मिले, और आप उपभोक्ता को 110 के भाव से न दें और 84 रुपये क्विन्टल के भाव से दें तो बीच की हानि सरकार उठाये। एक बात।

दूसरे, सरकार पैसा लगाना चाहती है व्यापार में, उस पैसे को व्यापार में न लगा कर सरकार उस पैसे को विकास कार्यों में लगाये, खेती में लगाये और जिनके पास पैसा है ...

श्री उपाध्यक्ष : पहले ऐसा है, नियमों का अध्ययन आप अवश्य करें। पालिसी स्टेटमैंट दिया है, उसके सम्बन्ध में प्रश्न पलाऊ किये हैं।

श्री मनोहरलाल : कृषि मंत्री जो काश्तकार है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : गफ्फार जी के स्थगन प्रस्ताव आठ दस हैं, उन सब पर वह बहस कर सकें, उतना समय उन्हें दिया जाय। मेरे भी पांच छः हैं।

श्री मनोहरलाल : सरकारी अधिकारी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता व्यापारियों से कह रहे हैं आप दो नम्बर का अनाज लाओ और अनियमित तरीके से लाओ और चाहे जिस दाम पर बेचो। यह सरकार की स्कीम फेल होने वाली है....

एक माननीय सदस्य : यह गलत बात है।

श्री मनोहरलाल : कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्त्ता गेहूं अनियमित तरीके से लाकर बेचने को कह रहे हैं जिससे मार्केट में गेहूं नहीं आये। मैं स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं, क्या आपके नेताओं ने, आपके अधिकारियों ने व्यापारियों को बुला कर कहा, गलत तरीके से, अनियमित तरीके से आप गेहूं लाओ और चाहे जिस दाम पर बेचो। यह खुद कानून तुड़वाना चाहते है, काश्तकारों से तुड़वाना चाहते हैं। प्राइस फिक्स की है 84 पर, और उनको कहते हैं 110 में बेचो। इस सम्बन्ध में आप क्या कह रहे हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैं स्पष्टीकरण के लिए दो चार सवाल करूंगा।

पहला सवाल यह पूछना चाहूंगा, आपने 30 जून की डेड लाइन फिक्स की है, 30 जून तक आप वलनरेबल सेक्शन के लिए कितना नाज उपलब्ध करा सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न कइयों ने रख दिया है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : और सुन लीजिये। वलनरेबल सेक्शन गरीब, मजदूर हैं और उनके लिए कितना गल्ला फेअर प्राइस शाप्स से दे सकेंगे? यह इसलिए पूछना चाहता हूं कि आप दो किलो दे रहे हैं और वह पन्द्रह किलो तक इस्तेमाल करते हैं। एक बात।

दूसरे, यह जो थोक व्यापारी थे, जो कोटेदार थे, उनके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उनको लाइसेन्स दिया जायेगा। मेरी मान्यता है, उनको लाइसेन्स दिया गया तो वह न्यूसेन्स क्रियेट करेंगे।

तीसरा सवाल यह है, पंचायत समिति लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप पापूलर कमेटी का निर्माण करने को तैयार हैं, जो सहायता दे, — तो गवर्नमेन्ट अपने लेवल पर इस तरह की कमेटी के निर्माण के उसूल को मानती है या नहीं मानती है। यह आप सही मानते हैं। आपने 30 जून तक डेड लाइन रखी है, मेरी अर्ज है, जो मार्केट में नहीं ला रहे हैं और जो होर्डिंग कर रहे हैं, खाने के काम में लेने के लिए तैयार नहीं हैं —होर्डिंग का मतलब यह है, तो आप मोटा गल्ला बाजार में लाने के लिए कोई कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं या नहीं? अगर नहीं, तो मोटे गल्ले की कमी को किस तरह बाजार में पूरी करना चाहेंगे। क्या आप तैयार हैं? जो स्टोकिस्ट हैं, मिडिलमैन हैं और आड़तिये हैं – इन तीनों की कैपेसिटी में इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हैं।

एक सवाल और है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) जो व्यापारी, छोटे व्यापारी आपकी मदद चाहते हैं, क्या आप उनको फाइनेन्शियल एड देने के लिए तैयार हैं?

इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण कर दें। मैं रामगंज मण्डी में रहता हूं। आज ऐसी हालत पैदा हो चुकी है कि टोंक में गाड़ी लूटी गई, वैसे गली गली कूंचे कूंचे में लूटी जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : आपने स्कीम को नाकामयाब होने की इजाजत दे दी तो लोग भूखे मरेंगे और उन्हें कानून हाथ में लेना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द!

श्री गोकुलचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, अभी वैर से आने वाली माननीय सदस्या ने प्रश्न उठाया। मुझे मालूम नहीं था, मैं सुन रहा था, माननीय मंत्री जी ने कहा, एक परिवार दो क्विन्टल अनाज रख सकेगा। यह खेदजनक बात है। मैं

(श्री गोकुलचन्द)
आश्चर्य के साथ कहना चाहता हूँ, इन प्रश्नों को क्यों उलझाना चाहते हैं। हर आदमी का स्वभाव है, आठ-नौ मन अनाज खरीद कर रखना चाहता है। जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी बात छोड़ दीजिये, लोग कर्ज ले लेकर भी साल भर का इन्तजाम रखते हैं, आठ नौ मन लेकर सोचते हैं, अगली फसल में ज्वार ले लेंगे। आपने दो क्विन्टल रखने की इजाजत दी है, इसका मतलब यह हुआ, वह आदमी, जिसके पास पैसा है, जिसके साधन हैं वह खरीद सकता है। वरना गरीब आदमी सरकार का दरवाजा खट-खटाये, दुकान पर खड़ा हो। यह किस उद्देश्य से किया है? मैं चाहता हूँ कि एक परिवार का आपको हिसाब लगाना चाहिए, वह कितना नाज खा सकता है साल भर में। वह दस क्विन्टल होना चाहिए। मेरे घर में आठ दस क्विन्टल अनाज खरीद कर रखते हैं ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : तुम्हारे मोहल्ले में कितने लोग हैं जो दस मन रखते हैं?

श्री गोकुलचन्द : आप इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं जिससे लोगों को आपकी मदद लेनी पड़े, और आप नेतागिरी करें। आपके पास आकर लोग कहें, जो गरीब हैं, जो लोग पीड़ित हैं, वह कहें....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दस मन अनाज कौन रखेंगे?

श्री गोकुलचन्द : आपकी नेतागिरी ने बेड़ा गर्क कर दिया है, देश का नाश हो जायगा।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी गांव में हर आदमी पूरा नाज उपजा नहीं सकता....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गोकुलचन्द : सुनिये। किसी के पास इतनी जमीन है कि घर का खर्च चलता है, जो बचा लेता है। किसी के पास दो बीघा जमीन नहीं है। गांवों में भूमिहीन हैं। अब तक यह रिवाज रहा कि गांवों में जिसके पास अधिक अनाज पैदा हुआ, वह खर्च के लिए रख लेता था। अब वह क्या करेगा, कहां जावेगा? हर गांव में दुकान होगी क्या? गरीब के लिये व्यवस्था हो जावेगी क्या? कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये। किसान के लिये तो छूट होनी चाहिये कि वह गरीब लोगों को अनाज दे सके।

श्री चेतराम : गेहूँ के स्टोर रखें।

श्री मीठालाल मीणा : अन्तरात्मा से बात करें।

श्री चेतराम : गोचनी, चना, गेहूं और जौ का मिश्रण। इसमें कितना पर्सेन्टेज गेहूँ का होगा। वह किस केटेगरी में लिया जावेगा यह प्रश्न है। सरकार ने दरें निश्चित कीं। 74), 76) रुपये। सरकार किस भाव पर बेचना चाहती है? क्या पूरे साल ये ही भाव रहेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : यह पहले आ चुका है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक प्रश्न की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जयपुर में राशन कार्ड की व्यवस्था के विषय में····

श्री उपाध्यक्ष : इस व्यवस्था के बारे में आप दिन में दो तीन बार कहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे खेद है कि ऐसी व्यवस्था बनी हुई है इसलिये मुझे कहना पड़ता है। आज भी जयपुर शहर में यह स्थिति है कि एम. एल. एज. के पास में दस्तखत करवाने के लिये लोग आते हैं। अधिकांश के राशन कार्ड नहीं बने हैं। 10 रुपया खर्च करने पर भी राशन कार्ड नहीं बनता है। एम. एल. एज. के दस्तखत कराने के लिये लोग आते है····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दस दस रुपये में राशन कार्ड बनते हैं। कलेक्टरी में बड़ी मुश्किल से फार्म मिलते हैं। इसलिये वार्ड में इसके लिये जोन बनने चाहियें ताकि लोगों को राशन कार्ड मिल सकें।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा सवाल क्या है?

माननीय मंत्रीजी अब कहना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे मौका दीजिये। राशन कार्ड नहीं मिलने से कठिनाइयां हो रही हैं। इसलिये वार्ड में बैठ कर राशन कार्ड वितरण किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे बड़ा नम्र निवेदन पहले भी किया है। मैं यह आप पर ही छोड़ना चाहता हूँ कि आखिर आप इस डिबेट को और दो तीन घंटे चलाना चाहते हैं अथवा समाप्त करना चाहते हैं? नियमों में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं होते हुए, चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मसला था इसलिये इस पर मौका भी दिया गया। क्या आप फिर इसकी पूरी बहस का मौका बनाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि अब माननीय मंत्रीजी का इस पर उत्तर सुन लिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक मिनिट चाहिये। ज्यादा नहीं बोलना चाहता। वार्ड के अनुसार दुकानें खोलनी चाहियें यह एक मेरा सुझाव है। इसके साथ साथ दो किलो जो आज अनाज मिलता है, राशन में लोगों को उसकी एवज में 8 किलो तो मिलना ही चाहिये और किसान से गेहूं आपको 110 रुपये में खरीदना चाहिये। फिर आप किस प्रकार उपभोक्ता को बेचेंगे। मेरा इसमें एक सुझाव है कि जिस प्रकार सरकार खादी पर कमीशन देती है, उसी प्रकार किसान से 110) रुपये में अनाज खरीद करके कन्ज्यूमर्स को सस्ता देने के लिये सरकार को घाटा भुगतना चाहिये। इसी तरह से······

(लगातार व्यवधान) (शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये।

(व्यवधान) (शोरगुल)

Page No.152

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राशन कार्ड की व्यवस्था कीजिये ......

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री झाबरमल सुन्डा : आधा मिनिट।

श्री हरीकिशन : एक पोइन्ट अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप तशरीफ रखिये। आई हैव क्लोज्ड इट।

प्लीज रिज्यूम यूवर सीट।

श्री हरिकिशन : किसान का पोइन्ट रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिकिशन : किसान का पोइन्ट है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री परसराम : माननीय उपाध्यक्षजी,

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये और मन्त्री जी को सुन लीजिए।

श्री हरिकिशन : एक पोइन्ट रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पोइन्ट है आपका उसको वापिस लेकर नहीं जा सकते हैं।

श्री हरिकिशन : किसान के जीवन के साथ सम्बन्ध है। हम इसका स्वागत करते हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया। बहुत अच्छा है। एक पोइन्ट यह है कि हम तो भारत सरकार के पास नहीं जा सकते। किसान यह कहता है कि हमारी कीमत लगी, खर्चा लगा और आपने उसकी प्रोडक्शन को 74), 76) और 82) रुपये में खरीदने के भाव तय किए हैं, क्या यह जस्टिफाइड है? किसान हमको पूछेंगे। हम उनको क्या जवाब दें? वहां पर झगड़े आवेंगे। इसलिए खाद्य मन्त्री जी इसको स्पष्ट करें। भारत सरकार ने जो यह भाव रखे हैं इसके पीछे क्या लोजिक है? प्रोडक्शन पर इससे बहुत अधिक खर्चा आता है। गवर्नमेंट का यह आदेश है कि गेहूं तीन एजेन्सीज खरीदे। एक खाद्य निगम, दूसरी वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन और तीसरी मार्केटिंग सोसायटी। एफ. सी. आई. से आज जनता परेशान है। वे आपके आर्डर को नहीं मानेंगे। इस पर आप विचार करेंगे कि को-ऑपरेटिव सेंटर्स हैं। मार्केटिंग सोसाइटीज हैं उनको आप पर्चेजिंग के अधिकार देंगे क्या कि वे किसान से गेहूं लेवें? एफ. सी. आई. और वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन्स तो विदेशी एजेन्सीज हैं। न उनका ताल्लुक है और न कुछ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री केदारनाथ : एक मिनिट।

श्री झाबरमल : मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा अहम मसला है कि प्रिन्सिपल्स पर तो बोलने देना नहीं चाहते। पोइन्ट्स पर ही कहना चाहता हूं। यह सारा का सारा पोलिटिकली है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि इकोनोमी पर बेस्ड है। इकोनोमी सेटल हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : पोलिसी पर क्या शुबा है वह पूछ लें।

श्री झाबरमल : जिस जगह अनाज पैदा होता है बारह महीने का होता है छः महिने का होता है। जिस गांव में एक फसल होती है उस गांव के रहने वालों के पास कम से कम इतना हो कि नेक्सट फसल आने तक उसको स्टोर हो उसके लिए कितने अमाउन्ट की जरूरत है और उसके लिए क्या व्यवस्था हो ? किस प्रकार से गांवों की व्यवस्था होगी ? जहां प्रोडक्शन नहीं होता है उनको तो भूखों ही मरना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष जी, 15 माननीय सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगे हैं। मेरा निवेदन यह है कि एक तो यह आपत्ति उठाई गई कि डीलर को प्रोड्यूसर से डाइरेक्ट खरीदने का अधिकार है कि नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : है, पर नहीं होना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : आपके कहने से है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके आर्डर से है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं वैसे कैसे मानूं। मेरी बात सुन लीजिए। कानून पढ़ लीजिये पहले। जो सरप्लस एरिया है और जो नहरी एरिया हैं ऐसे तेरह डिस्ट्रिक्ट हमने रक्खे हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील रक्खी है, जिसमें से डाइरेक्ट डीलर प्रोड्यूसर से नहीं ले सकता। यह मैं पढ़ कर सुना देता हूं आपको:—

"In exercise of the powers conferred by sub section (O) of clause 2 of the Rajasthan wheat (Regulation) trade order, 1973, the State Government hereby declare the districts of Alwar, Bharatpur, Sawai Madhopur, Jaipur, Tonk, Kota, Bundi, Jhalawar, Chittorgarh, Shri Ganaganagar, Pali, Sirohi, Jalore and the area comprised in the Mandalgarh tehsil of Bhilwara district as surplus zone for the purposes of the said order."

इन एरियाज के अन्दर डीलर कन्ज्यूमर से डाइरेक्ट नहीं खरीद सकेगा। दूसरे बाकी के एरिया में खरीद सकेगा। इन सरप्लस एरियाज में तीन जगह ही खरीद सकेगा। एक मन्डी में, दूसरा, पर्चेज सेन्टर पर और तीसरे पर्चेज पोइन्ट पर।

एक क्लेरिफिकेशन।

इसलिए जो शंकाएं हैं कि सब कुछ गड़बड़ हो जावेगा यह अनसाउण्डेड है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात और कही कि कन्ज्यूमर को गेहूं पूरे साल भर किस कीमत पर मिलेगा वर्तमान में जो सेल प्राइस राजस्थान में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन का 85) पिच्यासी रुपया पर क्विन्टल है। अगर भारत

(श्री परसराम मदेरणा)
सरकार इस प्राइस को चेन्ज कर दे, जैसा कि कन्सीडरेशन इस समय भी चल रहा है, तो अकोर्डिंगली प्राइस यहां के एक रुपया दो रुपया प्रति क्विन्टल तक बढ़ सकता है। अन्यथा नहीं।

दूसरा डीलर उपभोक्ता को बेचेगा तो सरप्लस एरिया में और डेफीसिट एरिया में अब डेफीसिट एरिया में डीलर के साथ प्राइस क्या होगी इस सम्बन्ध में कानून के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के जरिए में एक दो रोज में घोषणा करने जा रहा हूँ।

तीसरा, किसान के ट्रान्सपोर्टेशन की बात कही गई। इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद निर्णय लेंगे।

लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने चरचा उठाई कि इस आर्डर से व्हीट रेगुलेशन एण्ड ट्रेड आर्डर्स से दो वर्ग प्रभावित हुए हैं। एक किसान और दूसरा व्यापारी। कन्ज्यूमर के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही। किसान वर्ग से वे है इसलिए उसके प्रति उनको हमदर्दी हैं। व्हीट ट्रेड का सर्वोपरी रूप हो गया है। राजस्थान का अधिकांश पर्सेन्ट छोटा किसान है। यह बात राजस्व मन्त्री जी भी सदन में कह चुके हैं। मुझे इसके लिए अधिक कहने को आवश्यकता नहीं। इसलिए जो बड़े किसान हैं उनकी तो वकालत मत करिए। पर छोटे किसानों की क्षमता नहीं है कि वे गेहूँ को होर्ड अप कर सकें। स्टोर कर सकें। वे अनाज खेत में निकलते ही उसे बाजार से बेचने के लिए लाते हैं और अपनी साल भर की जरूरत की चीजों के लिए उसे बेचकर पैसा इक्ट्ठा करते हैं। उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए वे गल्ले को थोड़े समय के लिए भी रोक कर नहीं रख सकते उनकी इस मजबूरी का बड़े बड़े व्यापारी लाभ उठाते हैं और जिस समय उनका गेहूं बाजार में आता है, उनका प्रोयूस बाजार में आता है तो भाव गिरा देते हैं। इसके बाद जम कर उसका लाभ उठाते हैं। हिन्दुस्तान भर के जिस इलाके में उनको सबसे अधिक पैसा मिलता है वे उसे वहीं बेच देते हैं।

राजस्थान में आज अकाल है। यहां के व्यापारियों को इस अकाल से पोड़ित जनता के साथ रत्ती भर भी सहानुभूति नहो है। उनको आज भी पैसा बटोरने की भूख लगी है। यहां के व्यापारी आज भी जहां उनको पैसा ज्यादा मिलता है चोरी छिपे वहां भेजने से नहीं चूक रहे हैं। आज भी ये लोग भरतपुर और सवाई माधोपुर के इलाकों से और अन्य इलाकों से जहां से भी इनको मिल सकता है वहां से लेकर चोरी छिपे दिल्ली भेजते हैं। फिर वहां से गुजरात और महाराष्ट्र भेजते हैं क्योंकि वहां से उनको भेजने की पाबन्दी नहीं है।

राजस्थान के एक करोड़ 35 लाख की आबादी में से अधिकांश किसान और एग्रीकलचरल लेबर है, उनके साथ इन व्यापारियों की कोई सहानुभूति नहीं है। जिस व्यापारी वर्ग की आप दुहाई दे रहे हैं, उनके ये कारनामे में आपको बता रहा हूँ।

(श्री-परसराम मदेरणा)

फिर भी इनके लिए हमने काफी एल्टरनेट अरेन्जमेन्ट किए हैं। मोटे अनाज को हमने हाथ में नहीं लिया है। केवल गेहूँ के व्यापार को हाथ में लिया है। मोटे अनाज के ट्रेड करने के लिए व्यापारियों को लाइसैन्स दे रहे हैं। गेहूँ के लिए भी करीबन 800 लाइसैन्स की दर्खास्तें जयपुर भर में आई हैं। तो मैं निवेदन करूं कि व्यापारियों के पूरे समूह को हमने बेकार नहीं किया है। उनको मोटे अनाज में व्यापार करने की पहले ही की तरह छूट है। चावल का व्यापार करने की छूट है। चावल के व्यापार का हमने राष्ट्रीयकरण नहीं किया है। इसलिए चावल के सम्बन्ध का व्यापार वे कर सकते हैं। मोटे अनाज का कर सकते हैं। केवल गेहूँ का नहीं कर सकते। वह सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इसलिए इस दलील में कि वे बेकार हो गए हैं या हो जावेंगे, कोई सार नहीं है।

इसके बाद में दल की बात कही गई कि मेरे पर दल का दबाव है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे पर दल का इस बारे में कोई दबाव नहीं है। अब चूंकि जिस भाषा में मैं बोल रहा था उस सम्बन्ध में साइकोलोजिकली क्या है क्या नहीं है इसका अनेलिसिस गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है। जैसा उन्होंने अनेलिसिस किया उसके लिए तो उनका मैं आभारी हूँ।

प्रो. श्री केदारनाथ : हार्स पावर का एलोकेशन, वह शुरू हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : पूरे वाल्यूम से बोलता हूँ तो कहते हैं हार्स पावर की बात आती है। धीरे बोलता हूँ तो कहते हैं जोर से नहीं बोलते, सुनाई नहीं देता। तो जैसा आप चाहें इन्फ्रेन्स निकाल लेते हैं। अब वाल्यूम के साथ बात कहता हूँ तो आप कहते हैं कि ये घोषणाएं आप एयर कन्डीशन्ड हाउस में दे रहे हैं।

मैं एक बात साफ कह दूं। मैंने जो बात कही है उस पर अमल किया है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा जैसा कुछ मैंने अमल किया है वैसा अन्य किसी स्टेट में नहीं हुआ है अभी तक तो। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने पचास क्विन्टल अनाज किसान के पास रखने की बात कही। सदन में तो वे नहीं हैं दस महिने का उन्होंने हिसाब लगाया है और पचास व्यक्तियों के परिवार की बात कही है। अब यह पचास व्यक्तियों का किसान परिवार कौनसा है, वे ही जान सकते हैं और बता सकते हैं।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इम्प्लीमेन्टेशन की बात कही। इम्प्लीमेन्टेशन के सम्बन्ध में जो खामियां रह सकती हैं, उन्हें दूर करने का हर प्रयास मैं कर रहा हूँ। को-ऑपरेटिव इन्स्टिट्यूशन्स को इन्वाल्व करने के बारे में मैंने ऑलरेडी उपाय किए हैं और कदम उठा भी लिए हैं।

राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पब्लिक एजेन्सीज हमने दो

(श्री परसराम मदेरणा)

मुकर्रर की हैं. तीसरी भी मुकर्रर करने के लिए उन्होंने जोर दिया है। तीसरी अपेक्ष को-ऑपरेटिव संस्थाएं राजस्थान में जो हैं, फेडरेशन्स हैं, कन्जूमर स्टोर्स हैं, दूसरे क्रय विक्रय संघ हैं। इस सम्बन्ध में आप को-ऑपरेटिव सेक्टर में सक्रिय व्यक्ति हैं। पर आप खुद खाद के व्यापार को तो कर नहीं सके इसलिए निराश होकर हमें उसको एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन को देना पड़ा। फिर भी हमने क्रय विक्रय संघ का को-ऑपरेशन ले लिया है इस में। महाराष्ट्र से चार हजार टन मोटा अनाज खरीदने का काम हमने उन को दिया है, वे रवाना भी हो गए हैं खरीद करने के लिए।

बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी किसानों के बारे में कुछ बातें कही और राजगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने किसान के प्रोड्यूस की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कही और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी किसानों के साथ अन्याय की और उनके दुख दर्द की बात कही और उसके बाद में लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने भी किसानों की बात कही।

इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने इस वक्त जो प्रोक्योरमेंट प्राइस तय की 85 रुपये, 76 रुपये, और 74 रुपये। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट को दो स्टेट के अन्दर, जितने आइटम होते हैं उन सब आइटम्स को परकोरेट करके निर्धारित की है और वह भी नहीं वहां पर कई क्लासस सलेक्ट किए थे सरप्लस और डेफिसिट एरिया और एक एक जगह पर 60-70 तरह की कास्ट निकाल कर प्राइस भारत सरकार ने और एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने की है। पिछले 6 साल में एक साल यह महकमा मेरे पास नहीं था जब हिन्दुस्तान में खाद्यान्न की कमी नहीं थी। 10 महिने में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर, चीफ मिनिस्टर्स और फूड मिनिस्टर्स की कान्फेन्स में मैं 10 अटेण्ड कर चुका हूं। वेल्यु ऑफ दी....

Value of the hired human labour, bullock labour, seed fertiliser mannre, value of the machinery, value of the farm produee and purchase value of the insecticides and pesticides, value of the ferti. liser depreciation of the implements and machinery, irrigation charges, land revenue assessed and then tax, interest paid on crop loan, Misc. ellaneous expenditure on artisans etc....

हरियाणा के अन्दर जो खर्चा आया है 1265 पर वह 38 रुपया है और पंजाब में 655 पर हैड पर 61 रुपया इसलिए गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य इस स्ट्रक्चर की नीति के सम्बन्ध में ठीक बात कह रहे थे लेकिन प्राइस परकोरेट में ठीक नहीं कह रहे थे। आज 1968-69 और 1969-70 से स्केयरसिटि में प्राइस चल रही है। हिन्दुस्तान

(श्री परसराम मदेरणा)

में ड्राउट एरिया स्केयरसिटी अफेक्टेड है।

आज काश्तकार को बाजार में उचित प्राइस नहीं मिलती है। काश्तकार का एक्सप्लाइटेशन निश्चित रूप से होता है। उन एक्सप्लाइटेशन को बचाने के लिए राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने गेहूं का व्यापार अपने हाथ में लिया है। यहां पर बैर से आने वाली माननीय सदस्या ने और कठूमर से आने वाले माननीय सदस्य ने और उन्होंने जो यह कहा पर फेमिली में दो क्विन्टल अनाज रखने के लिए है वह कम है, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं दो क्विन्टल अनाज केवल पांच मेम्बर की फेमिली के लिए है। पांच से ऊपर जिन लोगों की फेमिली है उसके लिए लोगों की फेमिली है उसके लिये पांच क्विन्टल तक रखने की छूट है। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे 50 क्विन्टल तक की छूट देनी चाहिये। मेरे ख्याल से वे हवा में बात करते हैं। 50 क्विन्टल का मतलब है, पचास आदमियों की फेमिली, जो हो नहीं सकती है। इसलिये पांच से अधिक फेमिली है तो पांच क्विन्टल रख लेंगे और पांच क्विन्टल रखने का टोटल स्ट्रक्चर है। पांच क्विन्टल से कम हो जाय तो पांच फिर और कर लेना। पांच क्विन्टल को बनाये रखना, यह भी मैं समझता हूं आपकी भ्रान्ति है।

यहां पर टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने और दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने ह्वीट की डेफिनेशन के बारे में बताया। इसमें ऐसा है चार पर्सेन्ट से अधिक अगर जो दाना नहीं होगा तो वह गेहूं की परिभाषा में आ जायगा। अभी गेहूं का भाव 85 रु. है। अधिकांश माननीय सदस्यों ने राशन कार्ड के सम्बन्ध में अपनी अपनी बातें कही। राशन कार्ड एक लाख 47 हजार फेमिली पर बने हुये है और आज 8 लाख की पॉपूलेशन राशन कार्ड पर आई हुई है। कुछ माननीय सदस्यों ने 8 किलो अनाज पर हैड देने की बात कही, आपने भी यह बात कही, इसके साथ ही साथ........ ...

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान, अश्रव्य)

........मुझे डिसटर्ब कर दिया माननीय सदस्यों ने। इस सम्बन्ध में मैं जांच कर रहा हूं। सरप्लस ऐरिया अगर कोई पांच मील की बेल्ट में है और कोई बोर्डर में आई हुई है, भरतपुर, अलवर की कान्सीट्यूएन्सी सरप्लस ऐरिया है। वहां से कुछ करने की कोशिश की जायगी। आज, जो सेपेरेट डिस्ट्रिक्ट के जोन्स हैं उसकी भी तरमीम करने जा रहा हूं। यह डिफिकल्टी कतई नहीं रहेगी। यहां पर 8 किलो की बात कही और उपभोक्ता के सम्बन्ध में बातें कहीं, और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा उपभोक्ता के पास रोटी बनाने के लिये अनाज नहीं है, कुछ कठिनाई जरूर उपभोक्ता के साथ प्रस्तुत हुई है लेकिन वह भी जल्दी ही दूर होने वाली है। अगर उपभोक्ता का फिक्र है तो ठीक है, और अगर दूसरी तरफ व्यापारी का फिक्र है और व्यापारी के नाम पर उपभोक्ता को लिया जा रहा है तो मैं

(श्री परसराम मदेरणा)
समझता हूं यह कयई उचित नहीं है और शायद माननीय सदस्य का विचार भी ऐसा ही लग रहा है…… ….

श्री गिरधारीलाल भार्गव : " आप उपभोक्ता को ……(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : सुनिये, सुनिये।……

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ……राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो घण्टो चक्कर लगाने पड़ते है और 10 रु. एक राशन कार्ड पर खर्च हो जाता है……

(पुनः व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह अच्छी नीति नहीं है, चोर को कहे चोरी करें और घर के मालिक को कहे जागते रहो तो उपभोक्ता के नाम पर व्यापारियों की बात चलने वाली नहीं है……

श्री गिरधारीलाल भार्गव :……(अश्रव्य) ……यहां पर कोई व्यापारियों की बात नहीं कही गई है, किसानों की वास्तविक हालत पर जरूर बात आई है……

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर जो है, शहर के वितरण की जो बात कही जा रही है। मुझे याद नहीं है, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य और तो बातें किसानों की कह रहे हैं उनके साथ ही बैठे गंगानगर के माननीय सदस्य हैं लेकिन जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो उपभोक्ता की बात खास तौर से कही वल्नेरेबिल सैक्शन के सम्बन्ध में एक कीमत पर अनाज मिलता रहे। आज जो परिस्थिति है और मेरी टोन के बारे में भी कहा गया। टोन में तो फर्क आने वाला है। मैं इस समय कमान्डिंग पोजीशन में नहीं रहा और भारत सरकार के पास 12 मिलियन टन के आस पास वह ले आयेंगे तो फिर आप देखना आज वह स्थिति नहीं है। मैंने स्टेप्स लिये हैं कि मोटा अनाज कुछ मिले और ऑलरेडी मैंने इसको मूव कर दिया है। दूसरी स्टेट जहां कहीं मिल रहा है—पंजाब से मक्का रवाना करदी, अन्दाजन पांच हजार टन उदयपुर में पहुंचने वाली है, शायद रास्ते में होगी। भारत सरकार से नहीं, अलग से को-ऑपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स के थ्रू कर रहा हूं। इसी प्रकार क्रय विक्रय संघ से चार हजार टन अनाज लेने की बात है। मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत की है। दो हजार टन बाजरा और दो हजार टन ज्वार की बात है उसको भी मैंने स्वीकार करके किया है ताकि मोटा अनाज राजस्थान में उपलब्ध रखा जा सके। मोटे अनाज के बारे में अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे…… मेरे पास में मोटे अनाज का बहुत बड़ा स्टॉक माइलो का है लेकिन माइलो में धतूरे का बीज है और धतूरे का बीज साफ करने में समय लगता है। अभी 2 हजार टन ही साफ हुआ है। अगर माननीय सदस्यों की राय यह है कि इमरजेन्सी को मीट आउट करने के लिए जो स्टाक अपने पास हैं 1 लाख 60 हजार क्वि. का

Page No.159

(श्री परसराम मदेरणा)

और आप खुद बीनने की और साफ करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो इसको मैं 7 दिन के अन्दर अन्दर बटवा सकता हूं। अगर सदन की यह इच्छा है क्योंकि सदन ने ही कहा है और यदि आप चाहते हैं कि सरकार ही बीनकर और साफ करके दे तो ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन आप चाहते हैं तो मैं 7 दिन के अन्दर उस माइलो को बंटवा सकता हूं जो कि धतूरा मिली हुई है। इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए इमीडियेट कोई रास्ता है मेरे सामने तो बस यही है। बाकी जो स्टाक में है उसकी सफाई में समय लग सकता है सरकार को ....

श्री लूणाराम : हम लेने के लिये तैयार हैं।

श्री नाथूराम बागीडोरा : आप तो कलेक्टर को आदेश दे दीजिए उसको बंटवाने के लिए और हम उसको ले लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर को तो टाइम लगेगा। यह उपभोक्ताओं को करना पड़ेगा और उपभोक्ता यदि उसको साफ करने के लिए तैयार है तो मैं बांटने के लिए तैयार हूं।

श्री लूणाराम : हमें यह मिल तो जाये।

श्री परसराम मदेरणा : आज राजस्थान की परिस्थिति विशेष खड़ी हो गयी है हम सभी अपनी अपनी जगह जायेंगे क्यों कि हाउस भी आज एडजर्न होगा और वह भी साइने-डाई-एडजार्न होगा। सभी अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। राज्य सरकार पब्लिसिटी के जरिये उपभोक्ताओं तक समाचार पहुंचायेगी और मैं राज्य सरकार की ओर से और यहां आम पब्लिक के लिए भी कहना चाहता हूं कि माइलो जो कुछ भी स्टाक में है उसमें धतूरे के बीज एक किलो में कहीं 3, कहीं 4 और कहीं 5 हैं यह गांवों में किसी भी उपभोक्ता के पास पहुंचे तो उसको बीन दें, साफ करलें और धतूरे के बीज निकलवा कर उपयोग करवें। मैं इसका वितरण करने जा रहा हूं।

श्री केदारनाथ : सरदार शहर जरूर भेज दें।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें सभी लोगों का को-ऑपरेशन लिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मोटे अनाज का स्टाक है।

श्री परसराम मदेरणा : मोटे अनाज का तो शायद लाइसेन्स रिन्यू करवाया है। किस के पास अनाज है क्या करना है, क्या नहीं करना है यह राज्य सरकार के हाथ की बात है।

इन्हीं शब्दों के साथ और मेरे उत्तर के साथ माननीय सदस्यों को फिर मैं अपील करूंगा कि होलसेल ट्रेड के टेक-ओवर का, जो सरकार का बहुत बड़ा कदम है, इसको कामयाब राजस्थान की सरकार नहीं कर सकेगी इस सदन के माननीय सदस्यों का सक्रिय सहयोग राजस्थान सरकार को हो नहीं राजस्थान की जनता का और को-ऑपरेटिव सोसायटीज और दूसरे इलेक्टेड इन्स्टीट्यूशन्स, पंचायत समिति और पंचायतों की ओर से और सभी की ओर से

(श्री परसराम मदेरणा)
को-आपरेशन की उम्मीद रखता हूं और उनसे अपेक्षा भी करता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आॅर्डर प्लीज। नाऊ नो क्वेश्चन्स।

श्री नन्दलाल बैरवा!

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन (1969-70) पर अग्रेत्तर विचार-विमर्श

श्री नन्दलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय आज अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे भी अपने विचार प्रकट करने हैं। मेरे पूर्व जो भी माननीय सदस्य हैं उन्होंने अपने विचार रखे हैं उनकी ओर नहीं जाकर इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

आज से 25 वर्ष पहले हमारे देश ने आजादी प्राप्त की उसके पहले हमारे देश में रहने वाला गरीब तब का हरिजन और पिछड़े समाज की जो हालत थी वह मैं कहता हूं कि काफी पिछड़ी हुई थी लेकिन आजादी मिलने के बाद जिस प्रकार से आज हम लोगों की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन आया है लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकारों ने और भारत सरकार ने करोड़ों और अरबों रुपये खर्च करके आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन करने पर खर्च किया। मेरी यह मान्यता है कि जिस प्रकार से समाज को सुधारने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति को अच्छी करने के लिए जितना रुपया खर्च किया है यह मानकर चलना चाहिए कि उसका सदुपयोग नहीं हुआ क्योंकि आज गरीब किसान, बेरोजगार और खेतिहर मजदूर की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से हमारे देश की योजनाओं के अन्तर्गत आंकी गई थी उस प्रकार से उनकी स्थिति नहीं हो पाई है। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के अन्दर जिस प्रकार से भूमिहीन हरिजन को हम आज जमीन देना चाहते हैं और खाली जमीन देकर, अच्छी जमीन देकर उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने की बात करते है, लेकिन प्रत्यक्ष में हर एक हरिजन परिवार के पास जो कि छोटे गांव और कस्बे में वह निवास करते हैं, हम अपने क्षेत्र की बात कहते हैं कि आज उनको जमीन मिली है, जमीन सरकार ने दी हैं और उस जमीन पर वह अपना कब्जा करके फसल बोने के लिए जाता है तो यह मानकर चलना चाहिए कि उसको कागजों में जमीन जरूर मिल गयी लेकिन वास्तविक कब्जा उसको नहीं मिला है। ऐसे कई केसेज हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति सूचक घंटी)

(गण पूर्ति के पश्चात्)

श्री नन्दलाल बैरवा : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज

(श्री नन्दलाल बैरवा)

किसान जो गरीब है, हरिजन है, पिछड़ा हुआ है उसकी अगर हमको आर्थिक स्थिति ठीक करना है तो उसको हमें साधन देने चाहिए। केवल 15 बीघा या 10 बीघा जमीन देने के बाद हम यह उम्मीद करें कि वह अनाज पैदा कर सकता है या कोई और धंधा कर सकता है, यह कतई सम्भव नहीं है। आज उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, जमीन पर हल चलाने के लिए उनको आर्थिक सहायता जरूर चाहिए लेकिन हमारी सरकार आर्थिक सहायता जिस प्रकार से उसको मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। आज बारबार सरकार इस बात के लिए कहती है कि हमने जमीन दी है, हरिजन को जमीन अलॉट की है लेकिन वह जमीन उसके नाम जरूर है कागजों में, लेकिन उस जमीन के अन्दर पैदा करने का फायदा उस किसान को नहीं मिला है, उस हरिजन को नहीं मिला है, उस भूमिहीन को नहीं मिला है। इसलिए वह जमीन वास्तव में उसके नाम कागजों में जरूर हैं। आपके रेकर्ड में आ गयी लेकिन उस जमीन में खेती करके अनाज पैदा नहीं कर सकता है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन है कि हरिजन को, जिसको आपने जमीन दी है या जमीन देने जा रहे हैं, उसकी माली हालत को सुधारने के लिए, उस जमीन में अनाज पैदा करने के लिए उसको आर्थिक सहायता चाहिए। आर्थिक सहायता कैसी चाहिए, उसके खाते में जमीन है, उसको अलॉटमेंट जरूर हुआ है और उसको दस साल नहीं हो जाते तब तक कोई लोन उसको नहीं दे सकता...... या कोऑपरेटिव सोसायटी लोन नहीं दे सकती, इसलिए नहीं दे सकती कि उसके नाम जमीन नहीं है कोई। इसलिए मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय हरिजनों को जो जमीन अलॉट हुई है और इसमें जो यह प्रावधान है कि दस साल के बाद में खातेदारी राईट दिए जायेंगे तो उस प्रावधान में इन हरिजनों के लिए परिवर्तन करना चाहिए। जो हरिजन अपने हाथ से खेती करते हैं, उसके बैलों के लिए हैल्प चाहिये, हलके लिए पैसा चाहिए, कृषि के कुओं के लिए पैसा चाहिए उनको किसी भी प्रकार से सरकार को उसकी जमीन मान कर उसको ऋण दिया जाना चाहिये और चाहे उसके पास में 15 बीघा जमीन हो 20 बीघा जमीन और चाहे दस बीघा ही जमीन हो लेकिन जो अपने हाथ से काश्त करना चाहता है उसको सहायता मिलनी चाहिये।

तो उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे गांवों में रहने वाले पिछड़े लोगों की हालत अगर सरकार सुधारना चाहती है तो ऐसा करके ही सरकार इन गरीबों की और खेतिहर मजदूरों की हालत सुधार सकती है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन करना है कि आज मैं आपको कोटा डिविजन की बात बताता हूं। मैंने केसोराय पाटन में हालियों को मीटिंग बुलाई और उसमें केवल हरिजनों और शिडयूल्ड कास्ट के ही लोग शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि उनको एक साल भर के अन्दर रात दिन काम करते हैं तो केवल पांच सौ रुपया देते हैं साल भर का और पांच रुपयों में चाहे गर्मी हो, सर्दी हो बरसात हो, हर समय उनसे काम लेते हैं। उन लोगों से जब हमने

(श्री नन्दलाल बैरवा)

पूछा कि आपको क्या 2 कठिनाइयां हैं तो उन्होंने बताया कि हमें साल भर में पांच सौ रुपये देते हैं और साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिनों की मजदूरी पांच सौ रुपये होती है तो एक दिन का जितना पैसा बनता है वह पैसा नहीं काट कर अगर एक दिन भी छुट्टी पर रह जाय तो पांच रुपये काट लेते हैं। तो आज हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं और समाजवाद लाना चाहते हैं गरीबों को आगे लाना चाहते हैं और भूमिहीनों को भूमि दिलाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकेंगे ये हाली जो वरसों से हाली का काम कर रहे हैं इनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार कभी सुधर नहीं सकती है। इसलिए अगर हम किसानों को, हरिजनों को अगर हम आगे लाना चाहते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, आप यह मान कर चलिए कि बड़ा आदमी बेईमानी कर सकता है, महलों में रहने वाला बेईमानी कर सकता है किन्तु अपने हाथ से काम करने वाला किसान, मजदूर गरीब आदमी, वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। वह सरकार का पैसा वापस कर देगा। लेकिन उनको आज पैसा नहीं मिल रहा है बल्कि जिनके पास हजारों और लाखों रुपया है जिन लोगों ने पहले से लाखों करोड़ों रुपया ऋण ले रखा है और ऋण लेकर पूंजीपति से बड़े पूंजीपति बनते जा रहे हैं लेकिन इन गरीबों को, जिनकी गरीबी सरकार मिटाना चाहती है, सरकार जिनका उत्थान करना चाहती हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के अन्दर ही नहीं, अपने राजस्थान में खास तौर पर यह मुख्य बात है कि जो बच्चा किसान का है, चाहे मजदूर का हो, समाज कल्याण विभाग द्वारा जिस प्रकार से उनकी बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए, मैं मान कर चलता हूँ कि समाज कल्याण विभाग के पास उनके लिए कोई योजना नहीं है। आज हमारे सारे डिपार्टमेन्टों से सारे विभागों से हमारी बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए आग्रह किया जाता है। इस रिपोर्ट के अन्दर भी जो आंकड़े दिए गए हैं केवल ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कोरम नहीं है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : घण्टी बजाईये।

(गणपूर्ति घण्टी बजने से पूर्व ही)

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि कोरम भी नहीं हो रहा है और बारबार घण्टी बज रही है, अतः इस रिपोर्ट पर विचार की कार्यवाही को अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि यह डिबेट इन्क्लूसिव रही है और जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन कोरम नहीं हो रहा है और जैसा प्रस्ताव किया गया है मैं इस डिबेट को आवश्यक डिबेट मानता हूँ, अतः यह आदेश देता हूं कि आगामी सत्र में पुनः विचार के लिए ली जावेगी और आज इसे इन्क्लूसिव मानी जाएगी।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6 बज कर 25 मिनिट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ठ 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 1005 का विवरण)

तारांकित प्रश्न संख्या 669 स्वा. मं. द्वारा श्री सावरमल मोर, सदस्य राजस्थान विधान सभा के प्रश्न 1 से संबंधित

सूचना

(1) जिलाधीश, सीकर के यहां पत्र क्रमांक एफ. 8 (5) (जांच) 67/2268/ पंचा., दिनांक 15-12-72 द्वारा श्री खड़गसिंह, ग्राम पंचायत, बिसनाऊ के विरुद्ध 2152) रु. एवं 2250) रु. बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के पंचायत कोष से वापस उठाकर अपने पद का दुरुपयोग करने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा श्री खड़गसिंह को आरोप पत्र देकर स्पष्टीकरण दिनांक 1-3-73 तक मांगा गया। जिलाधीश की सिफारिश के अनुसार उन्हें पत्र क्रमांक एफ. 3 (एजे) (95) सीकर/72/388-89, दिनांक 2-2-73 द्वारा निलम्बित किया गया। निलंबन आदेश जारी होने के पश्चात श्री देवाराम, पंच एवं भगवानाराम व बनेसिंह निवासी बिसनाऊ ने इस विभाग में दिनांक 20-273 को श्री खड़गसिंह सरपंच ग्राम पंचायत बिसनाऊ के विरुद्ध मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, फतेहपुर में चल रहे मुकदमा नं. 264/62 धारा 468. 471, 420 और 467, 409 ता. हि. एवं मुकदमा नं. 173/72 धारा 182, 211 ता. हि. के प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की, चूंकि सरपंच पूर्व ही दिनांक 2-2-73 को निलंबित किये जा चुके थे, अतः दुबारा निलम्बित करने का प्रश्न ही नहीं होता है। श्री खड़गसिंह, सरपंच ने उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण दिनांक 1-3-73 को पेश किया है, जिसमें उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का खंडन किया है। इस संबंध में जिलाधीश से रकम वसूली की कार्यवाही के संबंध में जानकारी की जा रही है।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची)

INSPECTION NOTE (Dt. 17-9 69)

Shri Jagdish Prasad Bohra has purchased 4 biswas out of a total area of 9 biswas of Khasra No. 3915 in Qasba Phagi. It is recorded in the revenue record as Chahi I, revenue rent 7.50 per bigha. This Khasra No. and Kharra No. 3914 comprising of an area of one, biswa,w hich is also recorded as Chahi I, belonged to Kaisra son of Ramdeva. The purchase of a biswas was through a registered-deed dated 18-11-68, for Rs. 4,000. On these 4 biswas of land I found incomplete building which is meant for shops, but which have not yet been roofed. Behind these incomplete shops there is an open space for keeping cattle and behind that open space there in incomplete tinsheet roof building where there is on oil engine. Shis would showthat right from the beginning the purchaser had the intention of using the land for non-agriculture purposes. This plot abuts Phagi-Dudu Road and is almost in front of the Irrigation-Dak-Bungalow. Primary-Health Centre and the Dak-Bungalow are on the other side of the Road. Adjacent to this plot on eastern side there is Khasra No. 3913 in the Khatedari of Ganesh Narain son of Damodar lal comprising a total area of 11 biswas and according to the Patwari 3 Biswas has been used by the Khatedar for his residential house. The remaining 8 biswas are lying fallow since, long On the remaining 5 biswas of khasra No. 3915, the Khatedar has been raising agricultur produce which was as follows:-

Smt. Year 2024 Kashmi
Smt. Year 2025 Makka in Kharif

The Medical Officer-in Charge.Primary Health Centre has sent a letter object to the eastablishment of a flour mill in this area.

The purchase has neither any agriculture land in this village nor is he resident of this village. He is Sarpanch of Gram Panchayat Bagru. He is reported to on a flour mill in village Choru, 8 miles from Phagi.

The Tehsidar has initiated proceeding u/s 91. The file of the Tehsil No. 940-69 may be obtained and returned, when done with.

In this village 5 flour mills are working at preset

Sd/-
Collector, Jaipur 17-9-69

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 1014 की सूची)

सहकारी मिलों के घाटे के कारण

(1) राजस्थान को ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल लि., गुलाबपुरा (जिला भीलवाड़ा)

(1) प्रोजेक्ट कास्ट अर्थात् मैटेरीयल एवं कन्सट्रक्शन व्यय अनुमानित व्यय से बढ़ जाना।

(2) मिल का निर्माण मशीनरी व माल समय पर नहीं मिलने से।

(3) रूई उत्पादन क्षेत्र कम होने के कारण पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पाना।

(4) स्थापना व्यय।

(5) पूंजी का भी अभाव रहना सदस्यों से हिस्सा पूंजी इकट्ठी नहीं होना।

(6) अभी तक मिल का निर्माण ही चल रहा था कि मिल ने साथ साथ कार्य प्रारम्भ किया है। अब मिल का निर्माण कार्य चलता रहता हे उस समय जो खर्च होते हैं उन्हें हानि लाभ में नहीं जोड़ा जाता। इसलिये यद्यपि हिसाबात में हानि होना बतलाया है। लेकिन वास्तव में यह हानि नहीं है।

(2) श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि., केशोरायपाटन (जिला बूंदी)

(1) प्रोजेक्ट कास्ट अर्थात् मैटेरीयल एवं कन्सट्रक्शन व्यय अनुमानित व्यय से बढ़ जाना।

(2) मिल का निर्माण समय पर नहीं हो पाना। क्योंकि समय पर माल न मिलना।

(3) गन्ने का उत्पादन क्षेत्र कम होने के कारण पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पाना।

(4) मिल की मशीनरी भी खराब हो गई थी (बायलर फट जाने के कारण) समय पर मिल नहीं चल पाई।

(5) पूंजी का अभाव रहना। जिसका मुख्य कारण सदस्यों के हिस्सों की हिस्सा पूंजी इकट्ठी नहीं होना रहा।

Page No.167

सहकारी उपभोक्ता भंडारों में हानि के कारणों की सूची

(1) उपभोक्ता भंडारों के सदस्यों में भंडार के प्रति रुचि व लगाव की कमी ।

(2) उपभोक्ता भंडारों में निजी व्यापार की पद्धति के विपरीत अनुचित लाभ कमाने की प्रवृति न होना।

(3) अनेक स्थानों पर व्यापारिक स्थल का अभाव ।

(4) प्रशासनिक खर्चों की आय की तुलना में अधिकता, क्योंकि भंडारों को विभिन्न प्रकार के रेकार्ड रखने होते हैं तथा एक पैसे की बिक्री का भी विस्तृत हिसाब रखना होता है ।

(5) भंडारों में पूंजी की कमी हो जाने पर व्यवसाय पर बुरा असर पड़ता है ।

(6) भंडारों में सामाजिक हित का दृष्टिकोण तो रहता है किन्तु व्यवसायिक सूझबूझ की कमी रह जाती है ।

परिशिष्ट—4

(तारांकित प्रश्न संख्या 1017 की सूची)

गत पांच वर्ष मे राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए मन्दिरों की सूची

क.सं.	नाम मन्दिर मय स्थान	नाम सुपुर्दगार
1.	श्री सत्यनारायण जी, उदयपुर	महन्त मन्दिर श्री मीठाराम जी, उदयपुर
2.	श्री श्याम सुन्दर जी, जयपुर	श्री भवानी शंकर
3.	श्री विनोदी लाल जी, जयपुर	श्री श्रीकान्त ठक्कर

———

Page No.169

परिशिष्ट—5

(स्थगित प्रश्न संख्या 744 की सूची):

क्रम संख्या	अधिकारी, कर्मचारी की श्रेणी	पांच वर्ष से अधिक समय से एक ही पद पर कार्य कर रहे अधिकारी, कर्मचारियों की संख्या	विशेष विवरण
1.	राजपत्रित अधिकारी	2	
2.	तकनीकि कर्मचारी	19	
3.	मंत्रालय कर्मचारी	79	
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	51	

परिशिष्ट—6

(समयाभाव के कारण न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

सीमावर्ती सड़कें

1080. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सीमावर्ती बाड़मेर जिले की बाड़मेर से हरसाणी वाया बैसाला, रामसर से चोहटण, चोहटण से बारवासर एवं जोधपुर से बाड़मेर वाया वायतू सीमावर्ती सडकों को देश की सुरक्षा के लिये सुरक्षा सड़कों में लेने के लिये केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सरकार को सुझाव भेजे है ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का उन सुझावों पर क्या दृष्टिकोण है ?

उत्तर

जोधपुर से बाड़मेर वाया पचपदरा सडक को सुरक्षा सड़कों में लेने के लिये केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित किया था । जिसे केन्द्रीय सरकार ने अस्वीकार कर दिये है :

रायपुरा तालाब में दीवार निर्माण पर व्यय

1019. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चम्बल परियोजना के अन्तर्गत दाईं मुख्य नहर (जो कि रायपुरा तालाब के बीच से निकलती है) रायपुरा तालाब में एक दीवार निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दीवार बनने के कुछ समय बाद ही कई स्थानों पर गिर गई एव उसमें दरारें पड गई ? यदि हां, तो उसके क्यां कारण हैं ?

उत्तर

(1) दीवार के निर्माण में लगभग 18.55 लाख रुपये खर्च हुए ।

(2) जी हां । यह काम बहुत थोड़े समय में नहर बंद करके किया गया था । दीवार के पीछे मिट्टी की बेंकिंग का काम पूरा होने से पहले ही सिचाई के लिये बहुत अधिक मांग पर नहर में अधिक पानी चलाना पड़ा जिसके कारण कहीं कहीं दीवार को कुछ क्षति पहुंचो ।

सरपंच डूंगरी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

1020. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 23 फरवरी, 1973 को श्री रामजस परपंच डूंगरी पं. स., मालपुरा, जिला टौंक के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिये तारीख निश्चित थी ?

(2) क्या यह सही है कि पीठासीन अधिकारी उक्त तारीख पर वहां पहुँच गए थे और अविश्वास के प्रस्ताव पर कार्यवाही की गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही पर स्थगन आदेश दे दिये ? यदि हां, तो कब तथा यह आदेश राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 की कौन सी धारा के तहत प्रदान किये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि पीठासीन अधिकारी ने उक्त आदेशों की पालना नहीं की और अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही की और अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ ? यदि हां, तो मत विभाजन का क्या परिणाम था।

(5) क्या यह सत्य है कि "अविश्वास प्रस्ताव" पारित होने पर उक्त सरपंच ने राज्य सरकार को "स्थगन" आदेश प्रदान करने की दरख्वास्त दी ? यदि हां, तो कब ?

(6) क्या यह सही है कि राज्य मंत्री महोदय पंचायत ने, "अविश्वास प्रस्ताव" पारित शुदा को स्थगन करने के आदेश प्रदान किये ? यदि हां, तो राज. पंचायत एक्ट 1953 को कौन सी धारा के तहत और यह कहां तक न्याय संगत था ?

(स्थगित किया गया गया)

भूतपूर्व एस. डी. ओ. के विरुद्ध शिकायतें

1021. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही हैं कि भूतपूर्व एस. डी. ओ. श्री सुरेश चन्द्र जैन अकलेरा (जिला झालावाड़) के खिलाफ भूतपूर्व विधायक श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा द्वारा अनियमिताओं की शिकायतें की थीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इनकी जांच जिलाधीश झालावाड़ द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(जांच में श्री सुरेशचन्द्र किन किन अपराधों में दोषी पाये गये और श्री जैन के खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया))

झुन्झुनू से अलसीसर-मलसीसर सड़क के निर्माण पर व्यय

1022. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झुन्झुनू से अलसीसर-मलसीसर सड़क के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1971-72 में पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई कितनी लम्बी सड़क का निर्माण किया गया ?

(2) उपरोक्त सड़क का निर्माण 1972-73 में क्यों रोक दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1982-73 में पी. डब्ल्यू. डी. विभाग ने कुछ सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृतियां निलम्बित कर दी और कुछ नई सड़कों को जोकि 1971-72 के वित्तीय वर्ष में स्वीकृत नहीं थीं, को नई प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कीं ? यदि हां, तो कृपया ऐसी सड़कों की जिलेवार सूची दी जावे तथा यह भी बताया जावे कि पुरानी सड़कों को केन्सिल कर नई सड़कों का निर्माण किन किन आधारों पर हाथ में लेकर कार्य प्रारम्भ किया गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 71-72 में 2,601) रु. व्यय हुआ है, जिससे सड़क का कुछ कार्य हुआ है।

(2) प्लान कटौती के कारण सड़क कार्य रोका गया है।

(3) जी, हां।

78 सड़कों की स्वीकृती निरस्त की गई है।

9 नवीन सड़कों की स्वीकृती दी गई है। जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है। जिन जिलों में विशेष रोजगार योजना कार्य स्वीकृत नहीं थे। उनमें से कुछ जिलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेट प्लान में नवीन कार्य स्वीकृत किये गये है।

सूची नवीन कार्य जो स्टेट प्लान में वर्ष 72-73 में स्वीकृत किये गये

नाम जिला	नाम कार्य
1. डूंगरपुर	1. गमरी हीरा से हिम्मतपुर।
	2. नवरी नदी पर पुल।
	3. सीरपुर नाले का पुल।
	4. डामर रोड़ जयपुर से घाटा गांव।
2. बांसवाड़ा	5. क्रोसड्रिनेज कार्य बगौरा से माही डेम।
3. नागौर	6. पांडू से आलनियावास।
	7. मेडता से मोहना।
	8. बरान्डा से बड़ी घाटी।
3. जोधपुर	9. प्रांसू की प्याऊ से मन्डोर स्टेशन।

Page No.173

डिक्रीदार एवं मदयून से वसूल की जाने वाली राशि

1023. श्री भैरूलाल (अकलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या परगना अधिकारी, अकलेरा (जिला झालावाड़) की आज्ञा द्वारा बटवारे व अन्य राजस्व इजराओं में अधिकार प्राप्त कराने हेतु जाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों का टी.ए.डी.ए., एवं तनख्वाह इत्यादि के खर्च की रकम डिग्रीदार व मदयून से वसूल की जाती है ? यदि हां तो यह आज्ञा किस आधार पर दे रखी है व परगना अधिकारी ने किस तिथि से यह वसूली प्रारम्भ की ?

(2) उक्त प्रकार की रकम अब तक किन किन तिथियों में किन किन व्यक्तियों से एवं कितनी कितनी वसूल की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कानून में इस भांति रकम वसूल करने का क्या कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो किस कानून में और यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार ऐसी अनियमित रूप से प्राप्त रकम को वापिस दिलाये जाने का आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) परगना अधिकारी ने राजस्थान टीनेन्सी नियम, 1955 के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश दिए हैं। ऐसा आदेश सर्व प्रथम दिनांक 1-12-72 को मदनसिंह बनाम लक्ष्मीनारायण के मुकद्दमें में दिये गये। वेतन संबंधी कोई आदेश नहीं दिए गये।

(2) दिनांक 26-2-73 को हबीब मोहम्मद एवं शेर मोहम्मद नामक केवल दो व्यक्तियों से 50-50 रु. का खर्चा तहसीलदार ने वसूल किया।

(3) जी हां। राजस्थान टीनेन्सी नियम 1955 के नियम, 20 में प्रावधान है।

सवाई मानसिंह अस्पताल के कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध मामले

1024. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री दुर्गानारायण कार्यालय अधीक्षक सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर पोस्टिंग आदेश की प्रतीक्षा में है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? क्या उनके समकक्ष कोई पद विभाग में रिक्त नहीं है जिस पर उनका स्थानान्तरण किया जावे ?

(2) क्या यह सही है कि श्री दुर्गानारायण को सवाई मानसिंह अस्पताल में विजीलेन्स डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट 1-7-70 के आधार पर हटाया गया ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(3) क्या यह सही है कि विजीलेन्स डिपार्टमेन्ट ने अपनी रिपोर्ट 1-7-70 में यह निर्देश दिया था कि श्री दुर्गानारायण का अन्य महकमें में जयपुर से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जावे ? यदि हां, तो उन्हें 1-7-70 से अब तक स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त श्री दुर्गानारायण की पदोन्नति ग्रेड प्रथम श्रेणी के कार्यालय अधीक्षक के पद पर तीन बार की गई ? यदि हां, तो क्या उन्होंने ज्वाइन किया ? यदि नहीं तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त श्री दुर्गानारायण का सवाई मानसिंह अस्पताल से स्थानान्तरण होने के बावजूद भी वे अस्पताल के क्वार्टर में रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि विजीलेन्स डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट दिनांक 1-7-70 के बावजूद भी वह वेतन सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर से ही उठा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त श्री दुर्गानारायण को 25 साल की सेवा के बाद कम्पलसरी रिटायरमेन्ट करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 19-7-72 से । प्रशासनिक कारणों से । सामान्य प्रशासन विभाग को उन्हें जयपुर के बाहर मैडिकल विभाग के अलावा अन्य विभाग में पोस्ट करने का लिखा गया है ।

(2) जी हां । दिनांक 7-7-70 के आधार पर । प्रति संलग्न है ।

(3) जी हां । मामला विचाराधीन है ।

(4) जी हां । उन्होंने कार्यभार सम्भालने से असमर्थता प्रगट की ।

(5) जी हां । उन्होंने न्यायालय निषेधाज्ञा (Injuction order) प्राप्त कर क्वाटर खाली करने में असमर्थता प्रगट की । जी हां । सामान्य प्रशासन द्वारा पदस्थाप करने तक के लिए उनका वेतन सवाई मानसिंह अस्पताल में कार्यालय अधीक्षक द्वितीय श्रेणी के रिक्त पद से देने के आदेश हुए हैं ।

(6) यह मामला राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के समक्ष जब रक्खा जावेगा तो उचित निर्णय लिया जा सकेगा । अभी इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Vigilance Commission

From.

The Secretary,
Rajasthan Vigilance Commission,
Rajasthan, Jaipur.

To.

The Director,
Medical and Health Services,
Rajasthan. Jaipur.

Jaipur, July 7, 1970

No. F. 8 (7) RVC/70/2673

Sub:— Complaint against Shri Durga Narain Office Superintendent, S. M. S. Hospital, Jaipur.

Sir,

I am directed to say that the information on the following points may please be furnished to the commission immediately.

(i) Total duration of the tenure of Shri Durga Narain Office Superintendent in S. M. S. Hospital.

(ii) Whether Shri Durga Narain was offered any higher post in the Directorate but he declined to accept the promotion and if so, the reasons for not accepting the higher post.

(iii) Whether there is any class IV employee named as Shri Zorawar Singh. If so, whether his antecedents had been checked up before he was recruited as such; while doing so, whether the report from the Police had also been obtained ? If not, why ? and who is responsible for this lapse.

(iv) In case the Police report about the antecedents of Shri Zovawar Singh Class IV had not been been called for. it may be done now in a discret manner and a report regarding the same may also kindly be send alongwith the information in respect of the first three points mentioned above.

Yours faithfully,
Asstt Secretary.

माईनरों का टूटना

1025. श्री गुरदयाल सिंह संधू (करणपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चक 1 ए. पी. डी. के पास से कभी ए. पी. डी. माईनर व कभी एस. जे. एम. माईनर पिछले तीन सालों से लगातार टूट रहे हैं ?

(2) क्या यह सच है कि गांव के निवासियों का यह आरोप है कि उन्हें बरबाद करने की गरज से ये नहरें तुड़वाई जाती हैं ?

(3) क्या यह सच है कि तारीख 23-11-72 को नहर एस. जे. एम. सुबह करीब 8.00 बजे टूटी या तुड़वाई गई जो 25-11-72 तक उसी हालत में चलती रही जिसके कारण चक 1 ए. पी. डी. की फसल खरीफ व रबी नष्ट हो गई ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त मामले में निष्पक्ष जांच करवा कर रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेगी ?

(5) भविष्य में ऐसी शिकायत न रहे इसके लिये क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गत तीन वर्षों में एस. जे. एम. माईनर केवल दिनांक 25-5-70 और 23-11-72 को ही टूटी थी एवं दिनांक 26-3-71 को काश्तकारों ने इसे चक 1 ए. पी. डी. के पास तोड़ दी थी।

ए. पी. डी माईनर चक 1 ए. पी. डी. के पास ही स्थित नहीं है।

(2) यह निराधार आरोप है।

(3) जी हां। एस. जे. एम. को दिनांक 25-11-72 को दोपहर 12 बजे तक तो पूर्ण रूप से ठीक करा दिया गया था इसके टूटने से ऐसा फसल का नुकसान नहीं हुआ।

(4) इस प्रकार की जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(5) राजस्थान नहर की समस्त मौजूदा नहरों को पक्का किया जा रहा है जिससे नहर के टूटने की शिकायत प्रायः समाप्त ही हो जायेगी। नहरों को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30-3-73)

स्कूटरों एवं कारों का आवंटन

882. श्री गोरधनसिंह (सीकर), **श्री झाबरमल** (फतेहपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों की कार (फिएट)

Page No.177

(श्री गोर्धनसिंह)

अथवा स्कूटर अलॉटमेंट के लिए आने वाले आवेदन पत्रों के आधार पर ही सदस्यों को फिएट कार अथवा स्कूटर का आवन्टन किया जाता है ? यदि हां, तो अब तक किन किन सदस्यों को फिएट कार अथवा स्कूटर का आवंटन विभाग द्वारा किया गया और जिनको आवंटन किया गया उनके सम्बन्ध में विधान सभा से किस किस तारीख को विभाग को पत्र प्राप्त हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सन् 1972 में विभाग ने अनेक ऐसे सदस्यों को फिएट कार अथवा स्कूटर का आवन्टन किया है जिनके आवेदन-पत्र विधान सभा द्वारा नहीं भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा सचिवालय द्वारा सदस्यों को फिएट कार एवं स्कूटर के आवन्टन के विषय में यातायात विभाग को जो पत्र भेजे जाते हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर विभाग आवंटन नहीं करता है ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ?

(4) क्या यह सही है कि सदस्यों को कार एवं स्कूटर के आवंटन के विषय में विभाग द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई नियम नहीं बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और यह नियम कब तक बन जायेंगे ?

(5) क्या यह सही है कि आवन्टन के प्रति अनेक सदस्यों ने असन्तोष प्रकट किया है और विभाग को पत्र भी लिखे हैं ? यदि हां तो किन किन ने कब ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची "क-1" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। यह आवश्यक नहीं कि माननीय सदस्य अपने प्रार्थना-पत्र विधान सभा के मार्फत ही भेजें। सूची "क-2" सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(3) जी नहीं। विधान सभा सचिवालय के सदस्यों को अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह फिएट कार तथा स्कूटर के आवंटन के विषय में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की सूची तैयार की जाती है जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आवंटन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यह समिति अपने विवेक से आवंटन आवेदनकर्त्ता की आवश्यकता और प्रायोरिटी को देख कर करती है। यातायात विभाग आवंटन नहीं करता है। केवल आवंटन समिति के आवंटन आदेश की पालना में आवंटन-पत्र जारी करता है।

(4) राज्य सरकार के विवेक के कोटा से कार अथवा स्कूटर के आवंटन के विषय में कोई नियम नहीं है और न ही बनाने की आवश्यकता है।

(5) दो एक पत्र प्राप्त हुए हैं।

Page No.178

सूची "क—1"

पंचम विधान सभा सदस्यों को किये गये आवंटन की तालिका जिनके आवेदन-पत्र विधान सभा द्वारा प्राप्त हुए

क्रम सं.	नाम	प्रार्थना-पत्र की तारीख	आवंटन की तारीख
	प्रीमियर प्रेसीडेन्ट (फिएट) कार		
	सर्व श्री :—		
1.	गौरी पूनिया विधायक	3-5-72	2-9-72
2.	शकुन्तला श्रीवास्तव	26-4-72	9-1-73
	बजाज स्कूटर (वेस्पा)		
	सर्व श्री :—		
3.	मदनकोर	15-5-72	8-1-73
4.	हाजी जान मोहम्मद	24-7-72	8-1-73
5.	चुन्नीलाल इन्दलिया	19-12-68	8-1-73
6.	मोहम्मद गफ्फार अली	26-4-72	8-1-73
7.	मोहरसिंह	2-5-72	8-1-73
8.	मोहनराज बाली	10-5-72	26-2-73
9.	दिनेशराय डांगी	24-6-72	26-2-73
	लम्ब्रेटा स्कूटर		
	सर्व श्री :—		
10.	मोहनलाल छंगाणी	2-9-72	21-10-72
11.	गिरधारीलाल भार्गव	24-4-72	9-1-73
12.	ग्यानसिंह चौधरी	17-5-72	9-1-73
13.	निर्मला कुमारी	24-6-72	9-1-73
14.	योगेन्द्र हाडा	27-11-72	26-2-73

Page No.179

सूची "क—2"

पंचम विधान सभा के सदस्यों को किये गये आवंटन की तालिका जिमके आवेदन-पत्र राजस्थान सचिवालय के द्वारा प्राप्त हुए

प्रीमियर प्रेसीडेन्ट (फिएट) कार

क्रम संख्या	नाम	प्रार्थना-पत्र की तारीख	आवंटन की तारीख
	सर्व श्री :—		
1.	पूनमचन्द विश्नोई, विधायक	1-5-72	2-5-72
2.	सुमित्रा सिंह ,,	3-5-72	2-9-72
3.	शिवचरण माथुर ,,	10-5-72	2-9-72
4.	खेतसिंह ,,	19-5-72	9-1-73
5.	प्रद्युम्नसिंह ,,	29-9-72	9-1-73
6.	चन्दनमल वैद, मन्त्री महोदय	1-2-73	12-2-73
7.	शीशराम ओला, विधायक	16-8-72	26-2-73

बजाज स्कूटर (वेस्पा)

क्रम संख्या	नाम	प्रार्थना-पत्र की तारीख	आवंटन की तारीख
	सर्व श्री :—		
8.	रोशनलाल शर्मा	24-4-72	2-9-72
9.	घासीराम यादव	31-5-72	2-9-72
10.	गंगाराम चौधरी	9-7-72	2-9-72
11.	अमृतलाल गहलोत	2-11-72	26-2-73

———

Page No.180

परिशिष्ट 7

(अ. ता. प्र. सं 656 की सूची)

मोरपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि., के सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम	व्यवसाय
1	श्री शिवनाथसिंह	खेती एवं पशुपालन
2	श्रीमती सौभाग्य कुमारी	,, ,,
3	श्रीमती लीला कुमारी	,, ,,
4	श्री भगतसिंह	,, ,,
5	श्री बलवन्तसिंह	,, ,,
6	श्री पूनाराम	,, ,,
7	श्री बिशमल्ला खां	,, ,,
8	श्री पूनाराम पुत्र धुलाजी	,, ,,
9	श्री बजा	,, ,,
10	श्री गजिया	,, ,,
11	श्री तोताराम	,, ,,
12	श्री अमरराम	,, ,,
13	श्री जवा पुत्र रूपा	,, ,,
14	श्री गलबा	,, ,,
15	श्री सवा	,,
16	श्री कोना	,,
17	श्री जवा पुत्र साकता	,,
18	श्री जारा	,,

———

परिशिष्ट 8

(अ. तां. प्र. सं. 662 की सूची)

सूची बन्ध मासी व दौलत सागर जिनकी चारागाह की भूमि कमान्ड ऐरिया में शामिल की गई है ।

क.सं.	नाम बन्ध	नाम ग्राम
1.	बन्ध दौलतसागर	1. सोहिला
		2. हाडी कला
		3. हाडी खुर्द
		4. जोला
2.	बन्ध मासी	1. पीपलू
		2. कुरेडी
		3. लोहरवाड़ा
		4. पासरोटिया
		5. मालीपुरा
		6. नाथड़ी
		7. मोहम्मद नगर
		8. अब्बासनगर
		9. काशीपुरा
		10. मूंड्या
		11. सन्देड़ा
		12. इशाकपुरा उर्फ नीमेड़ो
		13. वलखंड्या
		14. देवरी
		15. किशनपुरा
		16. अलीनगर
		17. मारखेड़ा
		18. अलीपुरा
		19. आजमपुरा
		20. रामकिशनपुरा
		21. मोहम्मदपुरा
		22. विलयतीपुरा
		23. गलोद
		24. कुरेड़ा
		25. मुमाना
		26. इस्लामपुरा
		27. गुढ़ा रामदास
		28. ढूंढिया

Page No.182

परिशिष्ट 9

(अ. ता. प्र. सं. 673 की सूची)

तारांकित प्रश्न संख्या 324 स्वा. म. के प्रश्न संख्या 1 से सम्बन्धित सूची ।

क्र.सं.	नाम कार्य	कार्य की संख्या	श्रमिकों की संख्या
1	भू संरक्षण	11	1264
2	सिचाई	12	3266
3	सड़क	8	1502
4	वन विभाग	3	809
		योग.... 34	6811

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 6 अप्रैल, 1973

क्रम संख्या	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	1	ऊपर से 1	पंचयत	पंचायत
2	2	नीचे से 8	डेडेरेन्ट	डेडरेन्ट
3	3	,, 15	हई	हुई
4	48	ऊपर से 9	फतहपुर	फतेहपुर
5	54	नीचे से 15	भि वा दें	भिजवादें
6	55	,, 17	करे ी	करेगी
7	73	,, 13	—	667
8	79	ऊपर से 10	कारण	कारण है
9	82	,, 1	( )	(2)
10	84	,, 5	प्रशा निक	प्रशासनिक
11	93			
12	127	,, 1	(श्री श तिलाल)	(श्री शांतिलाल)
13	130	,, 8	गुज रा	गुजारा
14	152	नीचे से 13	टाइम्स	ट्राइम्स
15	154	ऊपर से 13	या	पाया
		अन्तिम से 8	प्रोग्राल	प्रोग्राम
16	195	अन्तिम से 1	चम	चर्म
17	307	ऊपर से 9	डेफी सट	डेफीसिट
18	325	ऊपर से 1	पारिशिष्ठ	परिशिष्ट